


समासामयिकी

सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा + मुख्य परीक्षा + साक्षात्कार की एकीकृत तैयारी के लिए



विशेष आकर्षण

अप्रैल

मासिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न



इसमें शामिल है:

- समाचारों में महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन
- समाचार में प्रमुख व्यक्तित्वों का निधन
- अप्रैल माह में महत्वपूर्ण दिवस
- समाचारों में महत्वपूर्ण शब्दावली
- समाचारों में चर्चित पुरस्कार

महत्वपूर्ण पत्रिकाओं के आलेख

योगना	87
कुरुक्षेत्र	92
डाउन टू अर्थ	97
इकोनामिक एंड पॉलिटिकल वीकली	99
फ्रंटलाइन	10

*प्रारंभिक परीक्षा के नवीनतम पैटर्न पर आधारित बहुवैकल्पिक अभ्यास प्रश्न

- टाइप 5 डायबिटीज
- सौर लौह अपारदर्शिता
- विक्रमशिला विश्वविद्यालय
- चीन-भारत संबंध 75वें वर्ष में
- हिरासत में मृत्यु (कस्टोडियल डेथ)
- समानिकरण शुल्क (गूगल टैक्स)
- 2025 के लिए भारत का मानसून पूर्वानुमान
- नौसेना विमानन और राफेल मरीन (राफेल एम)

- पीएमएवाई-यू-2.0
- परिपत्रता में सुरक्षा
- डॉ. भीम राव अंबेडकर
- विश्व खुशहाली रिपोर्ट, 2025
- ग्रामीण भारत को मजबूत बनाना
- भारत के निर्यात के लिए कौशल बढ़ाना
- भारतीय नगर निगम बांड बाजार: आईसीआरए रिपोर्ट
- अग्रिम मोर्चे पर काम करने वाले कर्मियों के लिए खैरात नहीं, सम्मान

अनुक्रमणिका

राज्यव्यवस्था एवं शासन1	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी45
न्यायपालिका और संवैधानिक संतुलन पर बहस1	लिपिड किस तरह विकास की हमारी समझ को बदल रहे हैं45
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पॉक्सो कानून की पुनः समीक्षा2	टाइप 5 डायबिटीज46
न्यायिक कदाचार और आंतरिक प्रक्रिया3	GPS स्पूफिंग47
हिरासत में मृत्यु (कस्टोडियल डेथ)4	स्वच्छ AI49
राज्यपाल की भूमिका पर सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला6	K2-18b पर संभावित जीवन50
राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान शक्तियाँ7	सौर लौह अपारदर्शिता51
अयोग्यता याचिकाओं के निर्णयन में पीठासीन अधिकारियों की निष्क्रियता8	वाहन-से-ग्रिड (V2G) प्रौद्योगिकी52
वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 202510	
पंचायत उन्नति सूचकांक11	रक्षा एवं सुरक्षा54
फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट12	ध्वनिक हथियार54
	गौरव – लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम54
अंतरराष्ट्रीय संबंध14	अफ्रीका भारत प्रमुख समुद्री सहभागिता55
चीन-भारत संबंध 75वें वर्ष में14	सहस्र शक्ति कार्यक्रम: लेजर-निर्देशित ऊर्जा हथियार56
बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 202515	नौसेना विमानन और राफेल मरीन (राफेल एम) लड़ाकू विमान56
हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (IORA)17	दस्तालिक (DUSTALIK)58
भारत-अमेरिका परमाणु समझौता और छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों का भविष्य18	
भारत द्वारा मानवीय मिशन20	सामाजिक मुद्दे59
प्रत्यर्पण प्रक्रिया21	भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य में बदलाव59
	शिक्षा में भावनात्मक बुद्धिमत्ता60
अर्थव्यवस्था एवं कृषि23	तमिलनाडु ने मेयोनेज़ पर प्रतिबंध लगाया62
ऋण-जीडीपी अनुपात23	बाल तस्करी63
भारत में अत्यधिक निर्धनता24	
रेपो दर और भारत की मौद्रिक नीति रूपरेखा25	इतिहास और संस्कृति65
समानिकरण शुल्क (गूगल टैक्स)27	यूनेस्को विश्व स्मृति रजिस्टर65
भारत द्वारा बांग्लादेश के साथ ट्रांसशिपमेंट सुविधा समाप्त28	पिलिकोड रायरामगलम मंदिर66
भारत में गलत सूचना निवारण29	द्वारका में एएसआई की अंतर्जालीय अन्वेषण परियोजना67
वंदे भारत एक्सप्रेस (सुरक्षा चिंताएँ)31	विक्रमशिला विश्वविद्यालय68
	जलियांवाला बाग नरसंहार और सर चेट्टर शंकरन नायर69
पर्यावरण एवं भूगोल33	
चीन का दुर्लभ मृदा निर्यात पर प्रतिबंध33	सरकारी योजनाएं71
भारत, आर्कटिक और उत्तरी समुद्री मार्ग34	पीएमएवाई-यू-2.071
भारत की फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन (एफजीडी) नीति35	राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन के 5 वर्ष72
2025 के लिए भारत का मानसून पूर्वानुमान37	इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना73
भूकंप को समझना: कारण, प्रभाव और मापन38	स्मार्ट सिटी मिशन74
क्लिनिडियम लालिटे: एक नई बीटल प्रजाति39	मुद्रा योजना के 10 वर्ष75
भारत का पहला बीज अंकुरण डेटाबेस40	
वारंगल चपाता मिर्च और कन्नडिप्पया को जीआई टैग41	महत्वपूर्ण रिपोर्ट77
रामदेवरा बेदु गिद्ध अभयारण्य42	भारतीय नगर निगम बांड बाजार: आईसीआरए रिपोर्ट77
साल्ट पैन भूमि43	संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 202578
	विश्व खुशहाली रिपोर्ट, 202579
	विश्व के पादप आनुवंशिक संसाधनों की स्थिति: एफएओ80

बाल मृत्यु दर रिपोर्ट के स्तर और रुझान	81	खाद्य सुरक्षा और कृषि विविधीकरण	98
शिक्षा और पोषण: अच्छी तरह से खाना सीखें रिपोर्ट: यूनेस्को	82	‘इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली’ से महत्वपूर्ण आलेख (अप्रैल 2025)	99
समाचारों में चर्चित प्रमुख व्यक्तित्व	84	अग्रिम मोर्चे पर काम करने वाले कर्मियों के लिए खैरात नहीं, सम्मान	99
ज्योतिराव गोविंदराव फुले	84	संरक्षण और हरियाली	99
डॉ. भीम राव अंबेडकर	84	त्वरित पुनरीक्षण (क्विक रिवीजन)	101
डॉ. के. कस्तूरिरंगन	85	अप्रैल माह के महत्वपूर्ण दिवस	101
माता कर्मा	86	समाचारों में महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन	103
‘योजना’ से महत्वपूर्ण आलेख (अप्रैल 2025)	87	समाचारों में चर्चित पुरस्कार	104
भारत के निर्यात के लिए कौशल बढ़ाना	87	समाचारों में महत्वपूर्ण शब्दावली	105
परिवर्तन का एक दशक और आगे की राह: कौशल भारत मिशन और कौशल का भविष्य ...	89	समाचारों में प्रमुख व्यक्तियों का निधन	106
‘कुरुक्षेत्र’ से महत्वपूर्ण आलेख (अप्रैल 2025)	92	अप्रैल 2025 ‘द हिंदू’ व ‘इंडियन एक्सप्रेस’ से दैनिक अभ्यास प्रश्न	107
ग्रामीण भारत को मजबूत बनाना: पंचायतों में क्षमता निर्माण की शक्ति	92	दैनिक वस्तुनिष्ठ अभ्यास प्रश्न	107
पंचायती राज व्यवस्था: ग्रामीण भारत में महिला नेतृत्व को सशक्त बनाना	93	उत्तर कुंजी	120
‘डाउन टू अर्थ’ से महत्वपूर्ण आलेख (अप्रैल 2025)	97	दैनिक उत्तर-लेखन अभ्यास प्रश्न	121
परिपलता में सुरक्षा	97		

न्यायपालिका और संवैधानिक संतुलन पर बहस

चर्चा में क्यों: भारत के उपराष्ट्रपति ने हाल ही में भारतीय न्यायपालिका के कार्यप्रणाली के संबंध में कई चिंताएँ जताई हैं। उनकी टिप्पणियों ने शक्तियों के पृथक्करण, न्यायिक जवाबदेही और लोकतांत्रिक संस्थाओं के बीच संतुलन पर एक राष्ट्रव्यापी बहस छेड़ दी है।

अनुच्छेद 142 के तहत असाधारण शक्तियों का उपयोग

- अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी मामले में पूर्ण न्याय देने की अनुमति देता है।
- उपराष्ट्रपति ने तर्क दिया कि इस शक्ति का अत्यधिक उपयोग लोकतंत्र को कमजोर करता है।
- हालाँकि, न्यायालयों ने अनुच्छेद 142 का उपयोग ऐसे ऐतिहासिक मामलों में किया है जैसे:
 - भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को मुआवजा (1989)
 - यौन उत्पीड़न के खिलाफ विशाखा दिशा-निर्देश (1997)
 - कोयला ब्लॉक आवंटन रद्द करना (2014)
 - सशस्त्र बलों में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देना (2024)
 - गैरकानूनी विध्वंस को रोकने के आदेश (2024)
- ये उदाहरण दर्शाते हैं कि अनुच्छेद 142 का उपयोग अक्सर अधिकारों की रक्षा और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए किया गया है।

न्यायिक पारदर्शिता संबंधी चिंताएँ:

- उपराष्ट्रपति ने आंतरिक न्यायिक जाँच में पारदर्शिता की कमी पर सवाल उठाया, खासकर दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आवास से बड़ी माला में नकदी बरामद होने जैसे गंभीर मामलों के बाद।
- उन्होंने बताया कि संसद द्वारा कोई औपचारिक कानून नहीं है जो ऐसी आंतरिक जाँच को नियंत्रित करता हो।
- न्यायपालिका में जनता का विश्वास ऐसे गंभीर मामलों में खुलेपन और स्पष्टता पर निर्भर करता है।
- भारत के मुख्य न्यायाधीश को ऐसी जाँच के लिए स्पष्ट और पारदर्शी दिशा-निर्देश तैयार करने की आवश्यकता है।

राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए समयसीमा:

- सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में एक निर्णय जारी किया है जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति और राज्यपालों को राज्य के कानूनों पर उचित समय के भीतर कार्रवाई करनी चाहिए।
- उपराष्ट्रपति ने इसकी आलोचना करते हुए तर्क दिया कि अदालतों को परमादेश जैसे रिट के माध्यम से उच्च संवैधानिक अधिकारियों को निर्देश नहीं देना चाहिए।

- हालाँकि, न्यायालय का आदेश संविधान पीठ के पहले के निर्णयों पर आधारित था और इसका उद्देश्य शासन में देरी को रोकना था।
- दिलचस्प बात यह है कि गृह मंत्रालय के 2016 के कार्यालय ज्ञापन में पहले से ही इसी तरह की समयसीमा की सिफारिश की गई थी।

न्यायपालिका की जवाबदेही:

- उपराष्ट्रपति ने कहा कि विधायिका और कार्यपालिका के विपरीत न्यायपालिका सीधे जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है।
- उन्होंने न्यायिक समीक्षा का मुद्दा भी उठाया, जहाँ अदालतें संसद द्वारा पारित कानूनों को रद्द कर देती हैं, और सवाल किया कि क्या न्यूनतम पांच न्यायाधीश (अनुच्छेद 145 (3) के अनुसार) आज भी उपयुक्त हैं, जब न्यायालय की कुल संख्या 8 (1950 में) से बढ़कर 34 हो गई है।
- हालाँकि, कई कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि स्थिरता बनाए रखने और देरी से बचने के लिए पाँच न्यायाधीशों की आवश्यकता पर्याप्त और आवश्यक है।

न्यायिक नियुक्तियों में सुधार की आवश्यकता:

- न्यायपालिका में कई समस्याओं के पीछे एक मुख्य मुद्दा नियुक्तियों की अपारदर्शी कॉलेजियम प्रणाली है।
- **नोट:** उपराष्ट्रपति ने एक व्यापक और अधिक समावेशी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) का समर्थन करके सुधार की आवश्यकता का संकेत दिया।
- भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास वीटो शक्ति होने के कारण ऐसा आयोग न्यायिक स्वतंत्रता को प्रभावित किए बिना पारदर्शिता ला सकता है।

लोकतंत्र और न्यायिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन:

- संसदीय लोकतंत्र में, कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है, जो बदले में लोगों के प्रति जवाबदेह होती है।
- लेकिन न्यायपालिका संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करती है, यह सुनिश्चित करती है कि कानून और सरकारी कार्य संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप हों।
- भारत एक संकर मॉडल का पालन करता है जो संसदीय संप्रभुता की ब्रिटिश परंपरा को न्यायिक सर्वोच्चता के अमेरिकी मॉडल के साथ जोड़ता है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने लगातार यह माना है कि न्यायिक समीक्षा संविधान के 'मूल ढांचे' का एक हिस्सा है।

निष्कर्ष:

- लोकतंत्र के तीनों स्तंभों - विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका - को सामंजस्य के साथ काम करना चाहिए और एक-दूसरे की भूमिकाओं का सम्मान करना चाहिए।
- रचनात्मक आलोचना सुधार लाने में मदद कर सकती है, लेकिन टकराव से बचना चाहिए।
- पारदर्शिता, जवाबदेही और समन्वय को मजबूत करना दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने का तरीका है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. संविधान को बनाए रखने के लिए न्यायिक स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है, लेकिन जनता के विश्वास को बनाए रखने के लिए पारदर्शिता और जवाबदेही भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। भारत में न्यायिक कार्यप्रणाली और संवैधानिक संतुलन पर हाल की बहसों के आलोक में इस कथन की आलोचनात्मक परीक्षण करें। [150 शब्द] [10 अंक]

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पाँक्सो कानून की पुनः समीक्षा

चर्चा में क्यों: भारत का सर्वोच्च न्यायालय यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पाँक्सो) अधिनियम, 2012 के तहत एक विवादास्पद मुद्दे की जांच करने के लिए सहमत हो गया है।

विवाद क्या है?

- एक वरिष्ठ अधिवक्ता जो एमिकस क्यूरी (स्वतंत्र कानूनी विशेषज्ञ) के रूप में न्यायालय की सहायता कर रहे हैं, ने चिंता जताई कि नाबालिगों से जुड़ी सभी यौन गतिविधियों की अनिवार्य रिपोर्टिंग - भले ही सहमति से की गई हो - अच्छे से ज़्यादा नुकसान कर रही है।
- न्यायालय ने इस मुद्दे को "गंभीर और प्रासंगिक" बताया और जल्द ही एक विस्तृत सुनवाई निर्धारित की। इस चर्चा से भारत में किशोर संबंधों और किशोर कामुकता के मामलों को संभालने के तरीके में बड़े बदलाव हो सकते हैं।

पाँक्सो अधिनियम के मौजूदा नियमों में क्या विसंगतियाँ हैं?

1. सहमति की आयु: 16 से 18 वर्ष (कानूनी रूप से अस्पष्टता)

- 2012 से पहले, भारत में यौन संबंध के लिए सहमति की आयु 16 वर्ष थी।
- पाँक्सो अधिनियम ने इसे बढ़ाकर 18 वर्ष कर दिया, जिसका अर्थ है कि 18 वर्ष से कम आयु में कोई भी यौन गतिविधि अपराध मानी जाती है, भले ही दोनों साथी इसके लिए तैयार हों।
- इसके कारण सहमति से संबंध बनाने वाले किशोरों के खिलाफ पुलिस मामले दर्ज करती है और उन्हें यौन अपराधी मानती है।

2. अनिवार्य रिपोर्टिंग (डॉक्टर, माता-पिता, शिक्षक रिपोर्ट करने के लिए बाध्यता)

- पाँक्सो अधिनियम की धारा 19 के अनुसार, किसी भी व्यक्ति (माता-पिता, शिक्षक, डॉक्टर सहित) के लिए, जो नाबालिग की यौन गतिविधि के संबंध में जानता है, पुलिस को रिपोर्ट करना अनिवार्य है।
- रिपोर्ट न करना एक दंडनीय अपराध है, जिसके कारण मार्गदर्शन या चिकित्सा सहायता प्रदान करने में डर और हिचकिचाहट होती है।

3. डर किशोरों को चिकित्सा सहायता लेने से रोकता है

- पाँक्सो अधिनियम के अनुसार, यदि कोई नाबालिग चिकित्सा सहायता (जैसे, गर्भनिरोधक या गर्भावस्था परीक्षण) चाहता है, तो डॉक्टरों को पुलिस को सूचित करना चाहिए।
- यह किशोरों को अस्पतालों से बचने और असुरक्षित नीम हकीमों की ओर जाने के लिए मजबूर करता है, जिससे उनका स्वास्थ्य और जीवन जोखिम में पड़ जाता है।

यह एक बड़ी चिंता क्यों है?

- निजता और स्वास्थ्य के अधिकार का उल्लंघन - किशोर पुलिस मामलों के डर से चिकित्सा देखभाल से बचते हैं।
- गुप्त चिकित्सा को बढ़ावा देता है - सुरक्षित चिकित्सा विकल्पों की कमी से गर्भपात और संक्रमण का जोखिम बढ़ जाता है।
- पुलिस और न्यायालय का समय बर्बाद होता है - सहमति वाले किशोरों के मामलों को संभालने से वास्तविक बाल दुर्व्यवहार मामलों से संसाधनों को हटा दिया जाता है।

भारत के पाँक्सो अधिनियम के संबंध में:

यह भारत में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यौन शोषण, शोषण और उत्पीड़न से बचाने के लिए बनाया गया एक विशेष कानून है। अपराधियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए भारत द्वारा बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (1992) पर हस्ताक्षर करने के बाद इसे पेश किया गया था।

पाँक्सो अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ:

- लिंग-तटस्थ सुरक्षा - कानून यह मानता है कि लड़के और लड़कियाँ दोनों ही यौन शोषण के शिकार हो सकते हैं। यह लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करता।
- अपराधियों के लिए कठोर सज़ा - अधिनियम में कठोर दंड का प्रावधान है, जिसमें आजीवन कारावास और यहाँ तक कि गंभीर यौन उत्पीड़न के मामलों में मृत्युदंड भी शामिल है।
- पीड़ित की पहचान की गोपनीयता - इसकी धारा 23 यह सुनिश्चित करती है कि बच्चे की पहचान को सामाजिक कलंक से बचाने के लिए गुप्त रखा जाए। मीडिया, पुलिस और अदालतें नाम, पता या कोई भी विवरण प्रकट नहीं कर सकतीं जिससे पता चले कि पीड़ित कौन है।
- दुर्व्यवहार की अनिवार्य रिपोर्टिंग - धारा 19 से 22 किसी भी व्यक्ति (डॉक्टर, शिक्षक, माता-पिता या यहाँ तक कि पड़ोसी) के लिए अनिवार्य बनाती है कि अगर उसे बाल यौन शोषण का संदेह हो तो वह पुलिस को रिपोर्ट करे। रिपोर्ट न करना एक दंडनीय अपराध है।
- बाल-अनुकूल कानूनी प्रक्रिया - कानून यह सुनिश्चित करता है कि सुनवाई संवेदनशील तरीके से की जाए, जिससे बच्चे से बार-बार पूछताछ न की जाए। मामलों को जल्दी निपटाने के लिए विशेष अदालतें (स्पेशल कोर्ट) स्थापित की जाती हैं।

पाँक्सो कार्यान्वयन में कमियाँ और चुनौतियाँ:

अपने मजबूत ढांचे के बावजूद, पाँक्सो अधिनियम को कार्यान्वयन संबंधी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण कई बाल पीड़ितों को उचित न्याय नहीं मिल पा रहा है।

• पीड़ितों के लिए सहायक व्यक्तियों की कमी

- कानून में यह अनिवार्य किया गया है कि प्रत्येक बाल पीड़ित के पास कानूनी प्रक्रिया के दौरान मार्गदर्शन के लिए एक "सहायक व्यक्ति" (एक प्रशिक्षित परामर्शदाता या बाल अधिकार कार्यकर्ता) होना चाहिए।
- चौकाने वाली बात यह है कि सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि पाँक्सो के 96% मामलों में कोई सहायक व्यक्ति नहीं था, जिससे बच्चे सुनवाई के दौरान सदमे में और भ्रमित हो जाते हैं।

• पॉक्सो अदालतों की अति न्यूनता:

- त्वरित न्याय के लिए, पूरे भारत में फास्ट-ट्रैक पॉक्सो अदालतों की योजना बनाई गई थी।
- लेकिन 2022 तक, केवल 408 ऐसी अदालतें मौजूद हैं - ज़रूरत से बहुत कम। कई जिले अभी भी नियमित अदालतों पर निर्भर हैं, जिससे लंबी देरी होती है।

• विशेष लोक अभियोजकों की कमी

- पॉक्सो मामलों में विशेष रूप से प्रशिक्षित वकीलों की आवश्यकता होती है, जो बाल मनोविज्ञान और कानूनी प्रक्रियाओं को समझते हों।
- हालाँकि, कई राज्यों में पर्याप्त अभियोजक नहीं हैं, जिसके कारण तर्क कमज़ोर होते हैं और दोषसिद्धि दर कम होती है।

निष्कर्ष:

यद्यपि पॉक्सो अधिनियम को बच्चों को दुर्व्यवहार से बचाने के लिए डिज़ाइन किया गया था, इसके कठोर रिपोर्टिंग नियम गलती से सहमति से बने रिश्तों में किशोरों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप एक बहुत ज़रूरी संतुलन ला सकता है - यह सुनिश्चित करना कि असली शिकारियों को दंडित किया जाए जबकि युवा प्रेम को अपराधी न बनाया जाए।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. अधिनियम में 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को बच्चा माना गया है।
2. यह डॉक्टरों और शिक्षकों सहित किसी भी व्यक्ति के लिए बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों की रिपोर्टिंग अनिवार्य बनाता है।
3. अधिनियम 16 से 18 वर्ष की आयु के किशोरों के बीच सहमति से यौन संबंधों की अनुमति देता है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

(e) : 1118

न्यायिक कदाचार और आंतरिक प्रक्रिया

चर्चा में क्यों: हाल ही में, दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आधिकारिक आवास पर नकदी बरामदगी के आरोपों की जांच के लिए तीन सदस्यीय इन-हाउस समिति का गठन किया गया है। इस घटना ने भारत में न्यायाधीशों के खिलाफ कदाचार की शिकायतों को संबोधित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली इन-हाउस प्रक्रिया में लोगों की दिलचस्पी फिर से जगा दी है।

आंतरिक प्रक्रिया की उत्पत्ति:

- आंतरिक प्रक्रिया (इन-हाउस प्रोसीजर) वर्ष 1995 में बॉम्बे उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ए. एम. भट्टाचार्य के खिलाफ वित्तीय अनियमितता के आरोप सामने आने के बाद बनाई गई थी।
- उस समय, न्यायिक कदाचार से निपटने के लिए कोई औपचारिक प्रक्रिया नहीं थी जो महाभियोग के लिए आवश्यक उच्च सीमा को पूरा नहीं करती थी।
- इस कमी को पूरा करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने एक तंत्र विकसित करने की पहल की। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और वरिष्ठ उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को शामिल करते हुए एक समिति बनाई गई। 1997 में प्रस्तुत उनकी सिफारिशों को दिसंबर 1999 में सर्वोच्च न्यायालय की पूर्ण न्यायालय बैठक में अपनाया गया।

आंतरिक प्रक्रिया (इन-हाउस प्रोसीजर) के विभिन्न चरण:

1. **शिकायत की शुरुआत:** कोई भी व्यक्ति किसी न्यायाधीश के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकता है। शिकायत भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) या संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भेजी जाती है।
2. **प्रारंभिक जांच:** सीजेआई शिकायत का मूल्यांकन करता है। अगर यह बेबुनियाद या निराधार पाया जाता है, तो इसे खारिज कर दिया जाता है। अन्यथा, सीजेआई संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से प्रारंभिक रिपोर्ट मांग सकता है।
3. **जांच समिति का गठन:** यदि रिपोर्ट में आगे की जांच का सुझाव दिया जाता है, तो CJI उच्च न्यायालयों के दो मुख्य न्यायाधीशों और एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तीन सदस्यीय समिति बनाता है।
4. **जांच प्रक्रिया:** समिति विस्तृत तथ्य-खोज जांच (फैक्ट फाइन्डिंग इन्क्वायरी) करती है। संबंधित न्यायाधीश को अपना बचाव करने का उचित अवसर दिया जाता है, जिससे प्राकृतिक न्याय सुनिश्चित होता है।
5. **रिपोर्ट प्रस्तुत करना:** समिति अपने निष्कर्ष मुख्य न्यायाधीश को प्रस्तुत करती है, जिसमें यह बताया जाता है कि क्या आरोप इतने गंभीर हैं कि आगे की कार्रवाई की सिफारिश की जा सके।
6. **जांच के बाद की कार्रवाई:**
 - यदि कदाचार मामूली है, तो न्यायाधीश को सलाह दी जा सकती है या चेतावनी दी जा सकती है।
 - यदि गंभीर कदाचार पाया जाता है, तो मुख्य न्यायाधीश स्वैच्छिक त्यागपत्र या सेवानिवृत्ति का सुझाव दे सकते हैं।
 - यदि न्यायाधीश इनकार करते हैं, तो मुख्य न्यायाधीश आदेश दे सकते हैं कि उन्हें कोई न्यायिक कार्य न सौंपा जाए।

आंतरिक प्रक्रिया (इन-हाउस प्रोसीजर) का महत्व:

- यह न्यायिक कदाचार को संबोधित करता है जो संविधान के अनुच्छेद 124(4) के तहत महाभियोग के लिए आवश्यक चरम मानक को पूरा नहीं करता है।
- यह न्यायपालिका में नैतिक मानकों और सार्वजनिक विश्वास को बनाए रखने में मदद करता है।
- यह प्रक्रिया जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए न्यायिक स्वतंत्रता की रक्षा करती है।

न्यायाधीशों को पद से हटाने की संवैधानिक प्रक्रिया:

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(4) के तहत, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को "सिद्ध दुर्व्यवहार" या "अक्षमता" के आधार पर हटाया जा सकता है। न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित करता है:

1. आरंभ:

- प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जा सकता है।
- इसके लिए 100 लोकसभा सदस्यों या 50 राज्यसभा सदस्यों के हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है।

2. प्रारंभिक जांच:

- अध्यक्ष या सभापति यह निर्णय लेते हैं कि प्रस्ताव को स्वीकार किया जाए या नहीं।
- यदि स्वीकार किया जाता है, तो तीन सदस्यीय जांच समिति (एक सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश और एक कानूनी विशेषज्ञ) का गठन किया जाता है।

3. रिपोर्ट और बहस:

- समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है।
- यदि न्यायाधीश दोषी पाया जाता है, तो रिपोर्ट पर दोनों सदनों में बहस होती है।

4. संसदीय मतदान:

- दोनों सदनों में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है:
 - ◆ सदन की कुल सदस्यता का बहुमत, और
 - ◆ उपस्थित और मतदान करने वाले दो-तिहाई सदस्य।

5. अंतिम चरण:

- यदि दोनों सदन अनुमोदन करते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति निष्कासन आदेश जारी करते हैं।

भारत में न्यायिक कदाचार के उल्लेखनीय मामले:

- **न्यायमूर्ति वी. रामास्वामी (1993):** वित्तीय कदाचार के आरोपों का सामना करना पड़ा; लोकसभा में महाभियोग प्रस्ताव विफल हो गया।
- **न्यायमूर्ति सौमित्र सेन (2011):** गबन का दोषी पाया गया; राज्यसभा द्वारा महाभियोग प्रस्ताव पारित किए जाने के बाद इस्तीफा दे दिया।
- **न्यायमूर्ति पी.डी. दिनाकरन (2011):** भूमि हड़पने का आरोपी; महाभियोग प्रक्रिया शुरू होने से पहले इस्तीफा दे दिया।
- **न्यायमूर्ति नारायण शुक्ला (2018):** मेडिकल कॉलेज प्रवेश घोटाले में आरोपी; इन-हाउस पैनल द्वारा हटाने की सिफारिश की गई लेकिन कार्रवाई से पहले ही सेवानिवृत्त हो गए।

न्यायाधीशों द्वारा अपनी संपत्ति की घोषणा:

- मई 1997 में, सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक जीवन के मूल्यों के पुनर्कथन को अपनाया, जिसके तहत न्यायाधीशों को अपनी संपत्ति मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष घोषित करने की आवश्यकता थी।
- 2009 में, जनता के दबाव के बाद, सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी वेबसाइट पर इन घोषणाओं के स्वैच्छिक सार्वजनिक प्रकटीकरण की अनुमति दी।
- 2019 में, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि CJI का कार्यालय सूचना के अधिकार (RTI) अधिनियम के अंतर्गत आता है, जिससे नागरिकों को यह जानकारी प्राप्त करने की अनुमति मिलती है कि क्या न्यायाधीशों ने अपनी संपत्ति घोषित की है (वास्तविक संपत्ति का विवरण तब तक गोपनीय रहता है जब तक कि सार्वजनिक हित प्रकटीकरण को उचित न ठहराए)।

- हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय के सभी 33 न्यायाधीशों ने सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपनी संपत्ति का खुलासा किया।
- हालाँकि, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के खुलासे असंगत रहे हैं, केवल 13% ने संपत्ति का विवरण सार्वजनिक किया है, जो कुछ ही अदालतों में केंद्रित है।

निष्कर्ष:

आंतरिक प्रक्रिया (इन-हाउस प्रोसीजर) और संबंधित तंत्र यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं कि न्यायाधीश उच्च नैतिक और पेशेवर मानकों को बनाए रखें। जबकि महाभियोग के माध्यम से न्यायाधीशों को हटाना दुर्लभ और कठिन है, इन-हाउस सिस्टम कदाचार से निपटने के लिए एक आंतरिक जांच प्रदान करता है। साथ ही, संपत्ति प्रकटीकरण, पारदर्शिता और सार्वजनिक जवाबदेही को विशेष रूप से उच्च न्यायालय स्तर पर मजबूत किया जाना चाहिए। भारतीय न्यायपालिका की विश्वसनीयता, निष्पक्षता और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए ऐसी अखंडता सुनिश्चित करना आवश्यक है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. न्यायिक जवाबदेही और न्यायाधीशों द्वारा संपत्ति की घोषणा के लिए आंतरिक प्रक्रिया (इन-हाउस प्रोसीजर) का उद्देश्य न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कम किए बिना उसकी अखंडता को संरक्षित करना है। हाल ही के न्यायिक कदाचार मामलों के संदर्भ में इसकी प्रभावशीलता का आलोचनात्मक परीक्षण करें। [250 अंक] [15 अंक]

हिरासत में मृत्यु (कस्टोडियल डेथ)

चर्चा में क्यों: एक महत्वपूर्ण निर्णय में, जो कानून प्रवर्तन में जवाबदेही की आवश्यकता को रेखांकित करता है, थूथुकुडी की एक अदालत ने 25 साल पहले हुई हिरासत में हुई मौत के सिलसिले में नौ पुलिस कर्मियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

हालिया मामले से संबंधित पृष्ठभूमि:

- यह मामला मेला अलंगरथट्टु के साल्ट पैन कर्मचारी सी. विंसेंट की मृत्यु से संबंधित है, जिसे 17 सितंबर, 1999 को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया था। अगले ही दिन, विंसेंट को पुलिस लॉक-अप के अंदर संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाया गया।

हिरासत में यातना (कस्टोडियल टॉर्चर) के संबंध में:

- हिरासत में यातना का तात्पर्य है पुलिस या कानून प्रवर्तन कर्मियों द्वारा हिरासत में लिए गए या गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों पर शारीरिक, मानसिक या यौन शोषण करना। इसका इस्तेमाल अक्सर कबूलनामा करवाने, धमकाने या बंदियों को सजा देने के लिए किया जाता है - अक्सर वैधता और मानवीय शालीनता की सीमाओं के बाहर।

भारत में हिरासत में यातना वर्तमान में भी क्यों जारी है?

निम्नलिखित गहन मुद्दे इस समस्या को और भी गंभीर बना देते हैं:

- **जांच के साधन के रूप में यातना:** कई कानून प्रवर्तन अधिकारी अभी भी वैज्ञानिक जांच तकनीकों का उपयोग करने के बजाय जानकारी प्राप्त करने के लिए मारपीट, थर्ड-डिग्री विधियों और धमकियों पर निर्भर रहते हैं।
- **जवाबदेही की कमी:** पुलिस अधिकारियों को हिरासत में हिंसा के लिए शायद ही कभी दंडित किया जाता है। जांच में देरी, संस्थागत पूर्वाग्रह और कमजोर आंतरिक अनुशासनात्मक प्रणाली दंड से मुक्ति की संस्कृति बनाती है।

- **हिरासत की खराब स्थिति:** भीड़भाड़ वाले लॉक-अप, स्वच्छता की कमी और समय पर चिकित्सा देखभाल की अनुपलब्धता हिरासत में संवेदनशीलता और पीड़ा को बढ़ाती है। ऐसी स्थितियों में अक्सर गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं और यहां तक कि मौत भी हो जाती है।
- **कानूनी सुरक्षा उपायों का उल्लंघन:** पुलिस अक्सर कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करने में विफल रहती है, जैसे कि 24 घंटे के भीतर आरोपी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना, आरोपी को उसके अधिकारों के संबंध में बताना या वकील तक पहुंच की अनुमति देना।
- **हाशिए पर पड़े समुदायों को निशाना बनाना:** दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक पृष्ठभूमि के लोग हिरासत में हिंसा से असमान रूप से प्रभावित होते हैं। व्यवस्थागत भेदभाव अक्सर उन्हें आसान लक्ष्य बना देता है।
- **चिकित्सा लापरवाही:** यहां तक कि जब बंदियों में बीमारी या चोट के लक्षण दिखाई देते हैं, तब भी समय पर चिकित्सा उपचार से अक्सर इनकार कर दिया जाता है। यह उपेक्षा कभी-कभी घातक साबित हो सकती है।
- **हिरासत में संदिग्ध 'आत्महत्याएं':** कई मामलों में, हिरासत में हुई मौतों को आत्महत्या करार दे दिया जाता है, जिससे वास्तविक कारणों और यातना या उकसावे की संभावना के संबंध में गंभीर सवाल उठते हैं।

भारत में हिरासत के प्रकार:

- **पुलिस हिरासत:** आरोपी को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन में रखा जाता है। हिरासत में यातना के ज्यादातर मामले यहीं होते हैं, क्योंकि पुलिस की हिरासत में लिए गए व्यक्ति तक सीधी पहुँच होती है।
- **न्यायिक हिरासत:** मजिस्ट्रेट के आदेश से आरोपी को जेल भेजा जाता है। यहाँ, व्यक्ति जेल अधिकारियों की निगरानी में होता है और अपेक्षाकृत सुरक्षित होता है।

कानूनी और संवैधानिक सुरक्षा उपाय:

भारत का संविधान और कानूनी ढांचा हिरासत में यातना को रोकने के लिए कई सुरक्षा उपाय प्रदान करता है:

संवैधानिक प्रावधान:

- **अनुच्छेद 20:** दोहरी सज़ा (डबल पनिशमेंट) और आत्म-दोष (सेल्फ इन्क्रिमिनाशन) से सुरक्षा प्रदान करता है।
- **अनुच्छेद 21:** जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। हिरासत में यातना इस अधिकार का सीधा उल्लंघन है।
- **अनुच्छेद 22:** गिरफ्तारी और हिरासत के दौरान सुरक्षा उपाय प्रदान करता है, जैसे गिरफ्तारी के कारण की जानकारी देना, वकील तक पहुँच और 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना।

नए आपराधिक कानून (2023 सुधार):

- **भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023:**
 - धारा 126-136: गलत तरीके से रोक लगाने और अवैध कारावास को दंडित करना।
 - धारा 198-205: सत्ता के दुरुपयोग के लिए लोक सेवकों को जवाबदेह ठहराना।
- **भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023:**
 - गिरफ्तारी के संबंध में सूचित किए जाने के अधिकार को सुनिश्चित करता है और गिरफ्तार व्यक्तियों की चिकित्सा जांच अनिवार्य करता है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए), 2023:

- जबरदस्ती के तहत किए गए कबूलनामे पर प्रतिबंध लगाता है।
- यह घोषणा करता है कि पुलिस के सामने किए गए कबूलनामे अदालत में अस्वीकार्य हैं, जिससे जबरन कबूलनामे के लिए प्रोत्साहन कम हो जाता है।

सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय:

हिरासत में यातना से निपटने में भारतीय न्यायालयों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है:

- **शीला बारसे बनाम महाराष्ट्र राज्य (1983):** बंदियों की कानूनी सहायता और अधिकारों की वकालत की।
- **जोगिंदर कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1994):** इस बात पर जोर दिया गया कि गिरफ्तारियाँ नियमित रूप से नहीं की जानी चाहिए; इसके लिए वैध कारण मौजूद होने चाहिए।
- **डी. के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1997):** यातना और मौतों को रोकने के लिए गिरफ्तारी और हिरासत के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश निर्धारित किए।
- **सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य (2010):** घोषित किया गया कि जबरन नार्को-विश्लेषण या पॉलीग्राफ परीक्षण मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं।

यातना विषयक अंतर्राष्ट्रीय मानक:

भारत अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार साधनों से भी बंधा हुआ है:

- **मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (1948):** अनुच्छेद 5 यातना या क्रूर, अमानवीय व्यवहार को प्रतिबंधित करता है।
- **यातना के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNCAT), 1984:**
 - भारत ने 1997 में हस्ताक्षर किए लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है।
 - सभी परिस्थितियों में यातना को प्रतिबंधित करता है।
 - राज्यों को यातना को अपराध बनाने और अपराधियों पर मुकदमा चलाने के लिए बाध्य करता है।
- **नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा (ICCPR), 1966:**
 - भारत द्वारा अनुसमर्थित। अनुच्छेद 7 यातना और अमानवीय व्यवहार को प्रतिबंधित करता है।
- **जिनेवा कन्वेंशन (1949):** युद्ध के दौरान गैर-लड़ाकों और कैदियों को यातना से बचाता है।
- **अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का रोम कानून (1998):** नागरिकों के खिलाफ एक व्यवस्थित हमले का हिस्सा होने पर यातना को मानवता के खिलाफ अपराध घोषित करता है।

निष्कर्ष:

हाल ही में थूथुकुडी का फैसला एक दर्दनाक लेकिन शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि हिरासत में यातना भारत की न्याय प्रणाली को दागदार करती रहती है। जबकि भारत ने महत्वपूर्ण कानूनी और संवैधानिक कदम उठाए हैं, लेकिन कार्यान्वयन अभी भी कमजोर है। इस प्रकार, निम्नलिखित तत्काल आवश्यकता है:

- UNCAT की पुष्टि करना।
- आंतरिक जवाबदेही तंत्र को मजबूत करना।
- जांच के तरीकों को आधुनिक बनाना।
- दोषी अधिकारियों के खिलाफ त्वरित और पारदर्शी अभियोजन सुनिश्चित करना।
- हिरासत में लिए गए लोगों, खास तौर पर हाशिए पर पड़े लोगों के अधिकारों की रक्षा करना।

एक वास्तविक लोकतंत्र में, किसी भी व्यक्ति को उन लोगों के हाथों मौत या यातना का डर नहीं होना चाहिए, जिनका काम उनकी रक्षा करना है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. हिरासत में यातना, भारत की कानून के शासन और मानवाधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता पर एक धब्बा बनी हुई है। संवैधानिक, कानूनी और न्यायिक सुरक्षा उपायों के बावजूद भारत में हिरासत में मौतों के कारणों की आलोचनात्मक जांच करें। साथ ही, अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशनों की भूमिका पर चर्चा करें और इस मुद्दे को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए सुधारों का सुझाव दें। [250 शब्द] [15 अंक]

राज्यपाल की भूमिका पर सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला

चर्चा में क्यों: हाल ही में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल और अन्य नामक मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इस फैसले ने राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने में राज्यपाल की भूमिका के संबंध में, विशेषकर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत अति आवश्यक स्पष्टता ला दी है।

नोट: यह समस्या केवल तमिलनाडु तक सीमित नहीं है।

राज्यपालों द्वारा राज्य विधेयकों पर कार्रवाई न करने का मुद्दा केवल तमिलनाडु तक सीमित नहीं है। केरल, तेलंगाना और पंजाब में भी इसी तरह की समस्याएं सामने आई हैं। वास्तव में, केरल सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा भी खटखटायी है और वह मामला अभी भी लंबित है।

पृष्ठभूमि: तमिलनाडु के राज्यपाल की देरी

- यह मामला तमिलनाडु में एक असामान्य स्थिति के कारण उठा, जहाँ राज्यपाल आर.एन. रवि ने 10 विधेयकों को कई वर्षों तक बिना कोई निर्णय लिए लंबित रखा था। ये विधेयक तमिलनाडु विधानसभा द्वारा पहले ही पारित किए जा चुके थे।
- बाद में, जब विधानसभा ने इन विधेयकों को एक बार फिर पारित किया और राज्यपाल के पास भेजा, तो राज्यपाल ने अपनी सहमति देने (जैसा कि अनुच्छेद 200 के तहत आवश्यक है) के बजाय विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेज दिया। महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने ऐसा तभी किया जब राज्य सरकार ने हस्तक्षेप के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटायी।

सर्वोच्च न्यायालय का फैसला: मुख्य विवरण

सर्वोच्च न्यायालय की दो न्यायाधीशों की बेंच, जिसमें न्यायाधीश जे. बी. पारदीवाला और न्यायाधीश आर. महादेवन शामिल थे, ने कई मजबूत और स्पष्ट टिप्पणियां कीं:

1. **राज्यपाल का कदम असंवैधानिक था:** कोर्ट ने फैसला सुनाया कि राज्यपाल द्वारा बिलों को इतनी देर से राष्ट्रपति के पास भेजना संविधान के खिलाफ था। इसलिए, इसने राज्यपाल के कदम को खारिज कर दिया और उन विधेयकों पर सहमति न देने के राष्ट्रपति के फैसले को भी अमान्य कर दिया।
2. **विशेष शक्तियों का प्रयोग (अनुच्छेद 142):** एक दुर्लभ और साहसिक कदम में, न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्ति का प्रयोग करते हुए यह घोषित किया कि सभी 10 विधेयकों को इस प्रकार माना जाएगा जैसे कि उन्हें स्वीकृति मिल गई हो। भारतीय न्यायिक इतिहास में यह पहली बार है कि सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे विधेयकों पर ऐसा निर्णय दिया है जिन्हें वास्तव में राष्ट्रपति ने अस्वीकार कर दिया था।

3. **असाधारण स्थिति के लिए असाधारण उपाय:** न्यायालय ने कहा कि यह एक असाधारण स्थिति के जवाब में एक असाधारण उपाय था, जहां एक संवैधानिक प्राधिकारी (राज्यपाल) संविधान के तहत अपेक्षित तरीके से कार्य करने में विफल रहा था।

अनुच्छेद 200 और राज्यपाल की भूमिका:

- संविधान का अनुच्छेद 200 राज्यपाल के पास तब आने वाले विकल्पों का वर्णन करता है जब राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है:
 - वह स्वीकृति दे सकता है।
 - वह स्वीकृति रोक सकता है।
 - वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है।
 - वह विधेयक को (यदि यह धन विधेयक नहीं है) पुनर्विचार के लिए विधानमंडल को वापस कर सकता है।
- पहले, यह माना जाता था कि यदि राज्यपाल स्वीकृति रोक लेता है, तो विधेयक समाप्त हो जाता है। लेकिन इस व्याख्या को न्यायालय ने 2023 के पंजाब मामले और अब तमिलनाडु मामले में स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है।
- न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यदि राज्यपाल स्वीकृति नहीं देते हैं, तो उन्हें विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्य विधानमंडल को वापस भेजना होगा। पुनर्विचार के बाद, जब विधेयक राज्यपाल के पास वापस भेजा जाता है, तो उन्हें स्वीकृति देनी होगी। राज्यपाल के पास विधेयक को स्थायी रूप से रोकने का कोई अधिकार नहीं है।
- **“न्यायालय ने कहा:** यदि राज्यपाल स्वीकृति नहीं देते हैं और आगे कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, तो वे निर्वाचित सरकार के निर्णयों को वीटो करने में सक्षम होंगे, जो अलोकतांत्रिक और संविधान की भावना के विरुद्ध होगा।”

समय सीमा: 1 से 3 महीने

- फैसले का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए विधेयकों पर कार्रवाई करने के लिए एक समय सीमा पेश की है:
 - **न्यूनतम समय:** 1 महीना
 - **अधिकतम समय:** 3 महीने
- अगर वे इस अवधि के भीतर कोई कार्रवाई करने में विफल रहते हैं, तो राज्य सरकार अदालत का दरवाजा खटखटा सकती है। यह उन स्थितियों को रोकने के लिए एक बड़ा कदम है जहां विधेयक अनिश्चित काल तक लंबित रहते हैं, जैसा कि तमिलनाडु में हुआ था।
- कुछ लोगों ने समय सीमा निर्धारित करने की वैधता पर सवाल उठाया है क्योंकि संविधान में कोई समय सीमा निर्दिष्ट नहीं है। हालांकि, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जब कोई समय सीमा नहीं दी जाती है, तो संवैधानिक अधिकारियों को उचित अवधि के भीतर कार्य करना चाहिए। तमिलनाडु में वर्षों तक विधेयकों पर बैठे रहना स्वीकार्य नहीं है और यह संघवाद के लिए खतरा है।

राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करना चाहिए:

न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि जब राज्यपाल यह निर्णय लेता है -

- स्वीकृति रोकना, या
- विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजना -

उसे ऐसा केवल राज्य की मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करना चाहिए। इससे यह स्पष्ट होता है कि राज्यपाल, नाममात्र का मुखिया होने के नाते, स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकता। हालांकि, कुछ सवाल बने हुए हैं:

- क्या होगा यदि सरकार के पास बहुमत है और फिर भी वह राज्यपाल को स्वीकृति रोकने और विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेजने की सलाह देती है?

- क्या होगा यदि विधानमंडल राज्यपाल के सुझाए गए संशोधनों को अस्वीकार कर दे? न्यायालय ने इन व्यावहारिक चुनौतियों का पूरी तरह से उत्तर नहीं दिया है, और पिछले निर्णयों ने इस बिंदु पर असंगतताएँ दिखाई हैं।

राज्यपाल और राष्ट्रपति के कार्यों की न्यायिक समीक्षा:

- इस मामले में एक और बड़ा फैसला यह है कि अनुच्छेद 200 और 201 के तहत राज्यपाल और राष्ट्रपति के निर्णयों की न्यायालय द्वारा समीक्षा की जा सकती है। पहले, कुछ लोगों का मानना था कि ऐसे निर्णय न्यायिक जांच से बाहर हैं।
- लेकिन न्यायालय ने दृढ़ता से कहा:
 - “संविधान के तहत कोई भी कार्यवाई न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है।”
- इसका तात्पर्य यह है कि राज्यपाल और राष्ट्रपति जैसे उच्च संवैधानिक अधिकारियों को भी कानून के दायरे में काम करना चाहिए, और अगर उनके कार्य मनमाने या असंवैधानिक पाए जाते हैं तो उन्हें न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है।

आलोचना और स्पष्टीकरण:

- केरल के राज्यपाल ने इस फैसले की आलोचना करते हुए इसे न्यायिक अतिक्रमण का उदाहरण बताया और कहा कि केवल संसद ही संविधान में संशोधन कर सकती है। जबकि यह तकनीकी रूप से सही है, न्यायपालिका की भूमिका संविधान की व्याख्या करना है, खासकर तब जब इसके प्रावधानों का दुरुपयोग या अनदेखी की जा रही हो।
- कुछ वकीलों ने यह भी तर्क दिया कि केवल एक संविधान पीठ (न्यूनतम 5 न्यायाधीश) ही अनुच्छेद 145(3) के तहत ऐसे महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्नों पर निर्णय ले सकती है। हालांकि, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इस मामले ने कानून के नए प्रश्न नहीं उठाए, बल्कि लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली की रक्षा के लिए मौजूदा संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या और स्पष्टीकरण किया।

संविधान की भावना को पुनर्स्थापित करना:

- यह निर्णय इस बात की कड़ी याद दिलाता है कि राज्यपालों और राष्ट्रपतियों को सद्भावना से काम करना चाहिए, निर्वाचित सरकारों की इच्छा का सम्मान करना चाहिए और अनावश्यक रूप से कानून में देरी या अवरोध पैदा करने के लिए अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए।
- कई साल पहले, भारत ने भी इसी तरह की समस्या देखी थी जब राष्ट्रपति कई सालों तक डाक विधेयक को रोके रहे और केंद्र सरकार कुछ नहीं कर पाई। इससे पता चलता है कि विधेयकों को मंजूरी देने से संबंधित संवैधानिक प्रक्रिया में सुधार की वास्तविक आवश्यकता है - चाहे वह राज्यों में हो या केंद्र में। यह निर्णय हमें इस बारे में स्पष्ट दिशा देता है कि ऐसे सुधार किस तरह के होने चाहिए।

क्षमा करने की शक्तियों के प्रकार

सावधि	अर्थ	उदाहरण
क्षमा	दोषसिद्धि और सज़ा को पूरी तरह से रद्द कर देता है	दोषी को मुक्त कर दिया गया है और उसे निर्दोष माना गया है
लघुकरण	सज़ा के स्वरूप में परिवर्तन	मृत्यु दण्ड - आजीवन कारावास
परिहार	सज़ा की अवधि कम कर दी गई, लेकिन सज़ा का प्रकार वही रहा	10 साल की जेल - 5 साल की जेल
विराम	विशेष परिस्थितियों के कारण कम सज़ा	गर्भवती महिला की जेल की सज़ा कम हुई
प्रविलंबन	सज़ा में अस्थायी देरी	दया याचिका के लिए समय देने हेतु फांसी में देरी

निष्कर्ष:

सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला सिर्फ एक कानूनी फैसला नहीं है - यह लोकतंत्र, संघीय मूल्यों और संवैधानिक शक्ति संतुलन की रक्षा है। यह सभी संवैधानिक अधिकारियों को एक कड़ा संदेश देता है: वे संविधान से ऊपर नहीं हैं, और जानबूझकर की गई निष्क्रियता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

यह भविष्य में सुधारों को भी प्रोत्साहित करता है और इसी तरह के मुद्दों का सामना कर रहे अन्य राज्यों के लिए एक ठोस मिसाल कायम करता है। संक्षेप में, यह फैसला भारत की संवैधानिक यात्रा में एक मील का पत्थर है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. संवैधानिक और न्यायिक हस्तक्षेप किस प्रकार राज्यपाल के औपचारिक अधिकार को निर्वाचित राज्य सरकार के लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली के साथ संतुलित करने का लक्ष्य रखते हैं? [250 शब्द] [15 अंक]

राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान शक्तियाँ

चर्चा में क्यों: महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में अतिरिक्त सचिव (गृह) के अधीन एक विशेष इकाई की स्थापना की है, ताकि मृत्युदंड की सज़ा पाए दोषियों की दया याचिकाओं का समय पर निपटारा सुनिश्चित किया जा सके।

मुख्य विवरण:

- यह कदम प्रदीप कोकडे बनाम महाराष्ट्र राज्य (दिसंबर 2024) में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद उठाया गया है, जिसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मृत्युदंड की सज़ा को निष्पादित करने में अमानवीय देरी से बचने के लिए ऐसे समर्पित सेल बनाने का आग्रह किया गया था।

इस विशेष इकाई को इस उद्देश्य से डिज़ाइन किया गया है:

- दया याचिकाओं को कुशलतापूर्वक प्राप्त करना और संसाधित करना।
- कानूनी जटिलताओं को संभालने के लिए एक कानूनी अधिकारी की नियुक्ति करना।
- यह सुनिश्चित करना कि सभी जेलों को दया याचिकाओं के लिए जिम्मेदार प्रभारी अधिकारी के संबंध में जानकारी दी जाए।

क्षमादान शक्तियों के लिए संवैधानिक आधार:

भारतीय संविधान राष्ट्रपति (अनुच्छेद 72) और राज्यपालों (अनुच्छेद 161) को क्षमादान देने की शक्ति देता है, जिसमें क्षमादान, सजा में कमी, छूट, राहत या सजा में छूट देना शामिल है।

ये शक्तियाँ कार्यकारी के हाथों में त्रुटियों को सुधारने, कठोर दंड को संबोधित करने या बदलते सामाजिक मूल्यों पर प्रतिक्रिया करने के लिए एक मानवीय उपकरण प्रदान करती हैं।

ये शक्तियाँ क्यों महत्वपूर्ण हैं?

1. न्यायिक त्रुटियों को सुधारना:

- कभी-कभी, न्यायालय गलतियाँ कर सकते हैं या अत्यधिक कठोर दंड लगा सकते हैं। कार्यकारी की क्षमादान शक्तियाँ ऐसी त्रुटियों को सुधारने और निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए एक सुरक्षा वाल्व प्रदान करती हैं।

2. मानवीय न्याय:

- बुढ़ापे, मानसिक बीमारी या सच्चे पश्चाताप से जुड़ी स्थितियों में, ये शक्तियाँ व्यवस्था को कानून की कठोर सीमाओं से परे, करुणा के साथ कार्य करने की अनुमति देती हैं।

3. सामाजिक मानदंडों में बदलाव:

- कुछ अपराधों या दंडों के संबंध में समाज का दृष्टिकोण समय के साथ बदल सकता है। क्षमादान शक्तियाँ सरकार को न्याय के ऐसे विकसित मानकों पर प्रतिक्रिया करने की अनुमति देती हैं।

4. राजनीतिक और सामाजिक सद्भाव:

- राजनीतिक संघर्ष के समय, जैसे कि बड़े पैमाने पर आंदोलन के दौरान, शांति बहाल करने के लिए कैदियों को रिहा करके घावों को भरने के लिए क्षमा का उपयोग भी किया जा सकता है।

चुनौतियाँ और आलोचनाएँ:

1. दुरुपयोग की संभावना:

- ऐसी आशंका है कि क्षमादान शक्तियों का राजनीतिक लाभ के लिए दुरुपयोग किया जा सकता है, जैसे कि सत्तारूढ़ दल के करीबी लोगों की मदद करना।

2. न्यायिक प्राधिकरण को कमजोर करना:

- कुछ लोग तर्क देते हैं कि क्षमादान के ज़रिए अदालती फैसलों को पलटने से न्यायपालिका कमज़ोर हो सकती है और कार्यकारी प्रभुत्व की धारणा बन सकती है।

राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों में अंतर

पहलू	राष्ट्रपति (अनुच्छेद 72)	राज्यपाल (अनुच्छेद 161)
कानून का दायरा	केंद्रीय कानूनों पर कार्टवाइड कर सकते हैं	अधिनियम और राज्य कानून बना सकते हैं
मृत्यु दंड	मृत्युदंड को माफ किया जा सकता है	मृत्युदंड को माफ नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे कम या माफ किया जा सकता है
कोर्ट मार्शल	कोर्ट मार्शल द्वारा दी गई सजा को माफ या कम कर सकता है	ऐसी कोई शक्ति नहीं
दंड के प्रकार	किसी भी सजा को क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम, प्रविलंबन या छोटा कर सकता है	समान शक्तियाँ, लेकिन केवल राज्य कानून के क्षेत्राधिकार में

3. पारदर्शिता की कमी:

- अधिकांश क्षमादान निर्णय बंद दरवाज़ों के पीछे लिए जाते हैं, बिना किसी सार्वजनिक स्पष्टीकरण के, जिससे अविश्वास और भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है।

4. देरी और नौकरशाही की उदासीनता:

- कई दया याचिकाएँ सालों तक लंबित रहती हैं, खास तौर पर मृत्युदंड के मामलों में, जिससे दोषियों को गंभीर मानसिक पीड़ा होती है।

सुधारात्मक कदम:

- **समयबद्ध प्रक्रिया:** जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है, राज्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अनावश्यक पीड़ा से बचने के लिए दया याचिकाओं पर तुरंत कार्रवाई की जाए।
- **विशेष दया प्रकोष्ठ (स्पेशल मर्सी सेल):** महाराष्ट्र जैसे राज्य क्षमादान याचिकाओं के लिए समर्पित कानूनी इकाइयाँ बनाकर रास्ता दिखा रहे हैं।
- **कानूनी निगरानी:** इन इकाइयों में कानूनी विशेषज्ञों को शामिल करने से यह सुनिश्चित होता है कि सभी प्रक्रियाओं का कानूनी और निष्पक्ष रूप से पालन किया जाता है।
- **सार्वजनिक प्रकटीकरण:** क्षमादान निर्णयों के पीछे के कारणों को प्रकाशित करने से पारदर्शिता और सार्वजनिक विश्वास बढ़ सकता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. राज्यपाल की क्षमादान शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. संविधान का अनुच्छेद 72 राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति देता है।
2. राज्यपाल, कोर्ट मार्शल द्वारा दी गई सजा को माफ कर सकता है।
3. राज्यपाल मृत्युदंड को माफ कर सकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं?

- (a) केवल एक
- (b) केवल दो
- (c) उपर्युक्त सभी
- (d) इनमें से कोई नहीं

(P) : 202

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. राष्ट्रपति और राज्यपाल को उपलब्ध विभिन्न प्रकार की क्षमादान शक्तियों (क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम, प्रविलंबन) की व्याख्या करें। ये शक्तियाँ भारत में मानवीय न्याय की अवधारणा में किस प्रकार योगदान देती हैं? [250 शब्द] [15 अंक]

अयोग्यता याचिकाओं के निर्णयन में पीठासीन अधिकारियों की निष्क्रियता

चर्चा में क्यों: भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में दलबदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने में विधानसभा अध्यक्षों द्वारा बार-बार की

जाने वाली देरी पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। इन देरी को लोकतांत्रिक सिद्धांतों को कमजोर करने के रूप में देखा जाता है, और पीठासीन अधिकारियों की निष्पक्षता और जवाबदेही पर सवाल उठाए जा रहे हैं।

दलबदल विरोधी कानून के बारे में:

दलबदल विरोधी कानून 52वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1985 के माध्यम से विधायकों द्वारा बार-बार दल बदलने की व्यापक समस्या से निपटने के लिए पेश किया गया था - जिसे आमतौर पर 'आया राम - गया राम' घटना के रूप में जाना जाता है। इस कानून ने संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी।

कानून को और अधिक सशक्त बनाने के लिए 91वां संशोधन अधिनियम, 2003 पारित किया गया, जिसने मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित कर दिया तथा दलबदलुओं को मंत्री पद ग्रहण करने से रोक दिया।

10वीं अनुसूची के मुख्य प्रावधान:

10वीं अनुसूची के तहत, संसद सदस्य (MP) या विधान सभा सदस्य (MLA) को अयोग्य ठहराया जा सकता है यदि:

- वे स्वेच्छा से अपने राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देते हैं।
- वे बिना पूर्व अनुमति के पार्टी व्हिप के विरुद्ध मतदान करते हैं या मतदान से दूर रहते हैं और पार्टी द्वारा 15 दिनों के भीतर इस कृत्य को माफ नहीं किया जाता है।
- यदि निर्दलीय सदन सदस्य निर्वाचित होने के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होते हैं तो उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाता है।
- मनोनीत सदस्य यदि मनोनीत होने के छह महीने बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होते हैं तो उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाता है।

कानून के तहत अपवाद:

- **विलय खंड:** यदि किसी राजनीतिक दल के कम से कम दो-तिहाई सदस्य किसी अन्य दल के साथ विलय के लिए सहमत होते हैं, तो उन सदस्यों को अयोग्य नहीं ठहराया जाता है।
- पीठासीन अधिकारियों (जैसे लोकसभा अध्यक्ष) को निष्पक्ष कार्यप्रणाली के लिए अपनी पार्टी से इस्तीफा देने और अपना कार्यकाल समाप्त होने के बाद फिर से शामिल होने की अनुमति है।

अयोग्यता पर निर्णय कौन लेता है?

10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता के मामलों पर निर्णय लेने के लिए सदन का अध्यक्ष/स्पीकर या सभापति अंतिम प्राधिकारी होता है।

अध्यक्ष की भूमिका से जुड़ी समस्याएँ

अपेक्षित तटस्थता के बावजूद, जब अध्यक्ष दलबदल के मामलों को संभालते हैं, तो कई समस्याएँ उत्पन्न होती हैं:

- **पूर्वाग्रह और पक्षपात:** चूंकि अध्यक्ष/स्पीकर आमतौर पर किसी राजनीतिक दल से संबंधित होते हैं, इसलिए उनके निर्णय अक्सर सत्तारूढ़ सरकार के पक्ष में होते हैं, खासकर तब जब अयोग्य सदस्य सरकार की स्थिरता को प्रभावित कर सकते हैं।
- **निर्णयों में देरी:** कानून में अध्यक्ष/स्पीकर द्वारा अयोग्यता याचिकाओं पर कार्रवाई करने के लिए कोई समय सीमा निर्दिष्ट नहीं की गई है। यह खामी अध्यक्षों को राजनीतिक अनिश्चितता पैदा करते हुए निर्णयों को अनिश्चित काल तक विलंबित करने की अनुमति देती है।
- **पारदर्शिता की कमी:** प्रक्रिया अक्सर बंद कमरे में होती है, जिसमें कोई स्पष्ट समयसीमा, सार्वजनिक सुनवाई या निर्णयों के लिए स्पष्टीकरण नहीं होता है, जिससे जवाबदेही कम हो जाती है।

सर्वोच्च न्यायालय का रुख:

सर्वोच्च न्यायालय ने बार-बार माना है कि अध्यक्ष/स्पीकर को तटस्थ निर्णायक के रूप में काम करना चाहिए। केशम मेघचंद्र सिंह मामले (2020) में, कोर्ट ने सुझाव दिया कि अयोग्यता याचिकाओं पर तीन महीने के भीतर फैसला किया जाना चाहिए, जब तक कि कोई असाधारण परिस्थिति न हो।

व्यवस्था में सुधार हेतु सुझाए गए सुधार:

1. **समयबद्ध निर्णय:** राजनीतिक जोड़-तोड़ को रोकने के लिए दलबदल के मामलों पर निर्णय लेने के लिए अध्यक्ष/स्पीकर के लिए एक स्पष्ट समय-सीमा (जैसे, 90 दिन) होनी चाहिए।
2. **स्वतंत्र न्यायाधिकरण:** अध्यक्ष/स्पीकर के बजाय अयोग्यता के मामलों को संभालने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीशों या स्वतंत्र कानूनी विशेषज्ञों से युक्त एक तटस्थ दलबदल विरोधी न्यायाधिकरण की स्थापना करना।
3. **मजबूत न्यायिक समीक्षा:** न्यायालयों को न केवल अध्यक्ष/स्पीकर द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया की समीक्षा करने की अनुमति दें, बल्कि निर्णय की योग्यता की भी जांच करना।
4. **परिभाषित प्रक्रियाएं:** साक्ष्य प्रस्तुत करने, गवाहों की जांच और पारदर्शी तर्क सहित दलबदल याचिकाओं को संभालने के लिए मानकीकृत प्रक्रियाएं निर्धारित करना।
5. **पारदर्शी कार्यवाही:** निर्णय और औचित्य सार्वजनिक किए जाने चाहिए, और जनता का विश्वास बढ़ाने के लिए सभी दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध होने चाहिए।
6. **अपील का अधिकार:** अध्यक्ष/स्पीकर के निर्णयों के खिलाफ उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में अपीलों का त्वरित निपटान सुनिश्चित करना।
7. **अध्यक्ष के लिए आचार संहिता:** निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए, विशेष रूप से राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामलों में, कठोर आचार संहिता लागू करना।

निष्कर्ष:

दलबदल विरोधी कानून भारतीय राजनीति में स्थिरता और अखंडता को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। हालाँकि, अयोग्यता के मामलों में स्पीकर द्वारा दुरुपयोग और निष्क्रियता ने इसके प्रभाव को कम कर दिया है। यह सुनिश्चित करने के लिए सुधारों की तत्काल आवश्यकता है कि कानून राजनीतिक दलबदल के खिलाफ एक मजबूत सुरक्षा कवच बना रहे, न कि सत्तारूढ़ दलों के लिए सुविधा का साधन बने। समयबद्ध, पारदर्शी और निष्पक्ष तंत्र शुरू करना ही भारत की संसदीय प्रणाली में लोकतंत्र की भावना और कानून के शासन को बनाए रखने का एकमात्र तरीका है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. भारत में दलबदल विरोधी प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. दलबदल विरोधी प्रावधान 85वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पेश किए गए थे।
2. एक स्वतंत्र सदस्य चुनाव के बाद किसी भी राजनीतिक दल में शामिल होने पर अयोग्य हो जाता है।
3. दलबदल के संबंध में अध्यक्ष का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं?

- (a) केवल एक (b) केवल दो
(c) उपर्युक्त सभी (d) इनमें से कोई नहीं

(7 2024) (8) : 2024

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. दलबदल विरोधी कानून के तहत अध्यक्ष की भूमिका से उत्पन्न मुद्दों की आलोचनात्मक परीक्षण करें। अयोग्यता संबंधी याचिकाओं के अधिक निष्पक्ष और समय पर निर्णय सुनिश्चित करने के लिए सुधार सुझाएँ। [250 शब्द] [15 अंक]

वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025

चर्चा में क्यों: भारत की संसद ने हाल ही में वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 पारित किया है, जो देश भर में वक्फ संपत्तियों के प्रशासन और प्रबंधन में बड़े बदलाव लाएगा। यह कानून वक्फ प्रणाली में संपत्ति विवाद, दुरुपयोग और जवाबदेही की कमी से संबंधित लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों को हल करने का प्रयास करता है।

वक्फ क्या है?

वक्फ इस्लामी कानून के तहत एक धर्मार्थ बंदोबस्ती है, जहां एक मुसलमान धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संपत्ति दान करता है - जैसे मस्जिद, स्कूल, अस्पताल या सार्वजनिक उपयोगिताओं का निर्माण। एक बार वक्फ घोषित होने के बाद, संपत्ति अविभाज्य हो जाती है - जिसका अर्थ है कि इसे बेचा, उपहार में नहीं दिया जा सकता, विरासत में नहीं दिया जा सकता या गिरवी नहीं रखा जा सकता। ऐसा माना जाता है कि यह स्थायी रूप से ईश्वर का है, और इसका उपयोग सार्वजनिक भलाई के लिए किया जाना चाहिए।

वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की मुख्य विशेषताएं:

अद्यतन अधिनियम, जिसे आधिकारिक तौर पर **एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम, 2025** नाम दिया गया है, कई परिवर्तनकारी बदलाव लाता है:

- वक्फ संपत्ति घोषित करने के लिए कठोर नियम:**
 - ‘उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ’ सिद्धांत (दीर्घकालिक धार्मिक उपयोग के आधार पर संपत्ति को वक्फ घोषित करना) हटा दिया गया है।
 - अब, केवल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम (कम से कम पांच साल से) द्वारा लिखित घोषणाएँ स्वीकार की जाती हैं, जो संपत्ति के मालिक हैं।
 - महिला उत्तराधिकारियों को वक्फ-अलल-औलाद (पारिवारिक बंदोबस्ती) के तहत उनकी विरासत से वंचित नहीं किया जा सकता है।
- सरकारी संपत्ति का संरक्षण:**
 - गलत तरीके से वक्फ घोषित की गई सरकारी जमीन अब वक्फ नहीं मानी जाएगी।
 - जिला कलेक्टर अब ऐसे विवादों को निपटाने के लिए जांच कर राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपेंगे।
- वक्फ बोर्डों का पुनर्गठन:**
 - बेहतर समावेशिता के लिए केंद्रीय और राज्य स्तर पर वक्फ बोर्डों का पुनर्गठन किया गया है:

- केंद्रीय वक्फ परिषद में गैर-मुस्लिम, सांसद, कानूनी विशेषज्ञ और मुस्लिम महिलाएं शामिल होंगी।
- **राज्य वक्फ बोर्डों में शामिल होना चाहिए:**
 - ◆ कम से कम दो गैर-मुस्लिम।
 - ◆ सुन्नी, शिया, बोहरा, आगाखानी और पिछड़े मुस्लिम समुदायों के प्रतिनिधि।
 - ◆ दो मुस्लिम महिलाएं।

4. सर्वेक्षण और पंजीकरण सुधार:

- जिला कलेक्टर वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण करेंगे, जो पहले कई राज्यों में विलंबित या अधूरे थे।
- सर्वेक्षणों में अब राज्य कर विभाग के दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा।
- निष्पक्ष निर्धारण सुनिश्चित करने के लिए वक्फ भूमि की पहचान करने संबंधी वक्फ बोर्ड की शक्तियों में कटौती की गई है।

5. न्यायाधिकरण और न्यायिक सुधार:

- वक्फ न्यायाधिकरण की अध्यक्षता अब संयुक्त सचिव या सेवानिवृत्त न्यायाधीश करेंगे।
- न्यायाधिकरणों में मुस्लिम कानूनी विशेषज्ञों के लिए प्रावधान हटा दिया गया है।
- न्यायाधिकरण के निर्णयों के खिलाफ अब 90 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में अपील की जा सकेगी, जिससे न्यायिक निगरानी बढ़ेगी।

6. डिजिटलीकरण और पारदर्शिता:

- सरकार सभी वक्फ संपत्तियों को ट्रैक और प्रबंधित करने के लिए एक केंद्रीय डिजिटल पोर्टल बनाएगी।
- सीएजी या अन्य अधिकारी अब वक्फ खातों का ऑडिट कर सकते हैं।
- पंजीकरण, ऑडिटिंग और बोर्ड मीटिंग से संबंधित नियम केंद्र सरकार द्वारा शासित होंगे।

7. संप्रदाय-विशिष्ट वक्फ बोर्ड की अनुमति:

- सांस्कृतिक और धार्मिक स्वायत्तता सुनिश्चित करते हुए सुन्नी, शिया, बोहरा और आगाखानी संप्रदायों के लिए अलग-अलग बोर्ड बनाए जा सकते हैं।

इस संशोधन की आवश्यकता क्यों थी?

संशोधन में वक्फ प्रणाली से जुड़ी कई समस्याओं का समाधान किया गया है:

- अपरिवर्तनीयता और विवाद:**
 - “एक बार वक्फ, हमेशा वक्फ” (Once Waqf, Always Waqf) के पुराने सिद्धांत के कारण विवादित दावे किए गए, यहाँ तक कि सरकारी भूमि पर भी।
 - सितंबर 2024 तक, लगभग 5,973 सरकारी स्वामित्व वाली संपत्तियों को गलत तरीके से वक्फ घोषित किया गया था।
- कुप्रबंधन और अवैध कब्ज़ा:**
 - निगरानी की कमी के कारण वक्फ भूमि अक्सर अतिक्रमण, दुरुपयोग और भ्रष्टाचार का शिकार होती थी।
 - खराब रिकॉर्ड रखने और देरी से सर्वेक्षण ने स्थिति को और खराब कर दिया।
- न्यायिक उपाय का अभाव:**
 - पहले, वक्फ न्यायाधिकरणों के निर्णयों को अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती थी, जिससे पारदर्शिता और निष्पक्षता सीमित हो जाती थी।

4. अधूरे सर्वेक्षण:

- उत्तराखंड और गुजरात जैसे राज्यों ने अपने वक्फ संपत्ति सर्वेक्षण शुरू नहीं किए थे।
- उत्तर प्रदेश में 2014 में शुरू हुआ वक्फ सर्वेक्षण अभी भी अधूरा है।

वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के लाभ:

1. पारदर्शी शासन:

- केंद्रीय ऑडिट, डिजिटल रिकॉर्ड और कठोर सर्वेक्षण तंत्र पारदर्शिता बढ़ाएंगे और दुरुपयोग को रोकेंगे।

2. सार्वजनिक और सरकारी भूमि की सुरक्षा:

- सरकारी संपत्ति पर गलत वक्फ घोषणाओं को अब पलटा जा सकता है, जिससे सार्वजनिक संसाधनों का संरक्षण होगा।

3. मुस्लिम महिलाओं और अल्पसंख्यकों का सशक्तिकरण:

- मुस्लिम महिलाओं के उत्तराधिकार अधिकार अब सुरक्षित हैं।
- बोर्डों में महिलाओं और विविध संप्रदायों का अधिक प्रतिनिधित्व समावेशिता को बढ़ावा देता है।

4. न्यायिक जवाबदेही:

- उच्च न्यायालय की अपीलें वक्फ से संबंधित विवादों पर बेहतर न्यायिक जाँच सुनिश्चित करती हैं।

5. कल्याण के लिए राजस्व में वृद्धि:

- बेहतर प्रबंधित वक्फ भूमि शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और कल्याण योजनाओं के वित्तपोषण के लिए अधिक आय उत्पन्न करेगी।

चिंताएँ और आलोचनाएँ:

यद्यपि वक्फ अधिनियम में बड़े सुधार किए गए हैं, इसने कुछ आलोचनाएँ भी की हैं:

1. सरकारी नियंत्रण में वृद्धि:

- पिछले अधिनियम की धारा 40 (जिसने वक्फ बोर्ड को संपत्तियों को वक्फ घोषित करने की अनुमति दी थी) को हटा दिया गया है।
- इससे सरकार को अधिक शक्ति मिलती है, जिससे अत्यधिक हस्तक्षेप की चिंताएँ बढ़ जाती हैं।

2. अनुच्छेद 26 का उल्लंघन:

- कुछ लोगों का तर्क है कि वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिमों को शामिल करने से संविधान के अनुच्छेद 26 के तहत धार्मिक समुदायों के अपने मामलों का प्रबंधन करने के अधिकार का उल्लंघन होता है।

3. 'उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ' को हटाना:

- औपचारिक वक्फ घोषणाओं के बिना दशकों से उपयोग किए जाने वाले धार्मिक स्थल अपनी स्थिति खो सकते हैं, जिससे समुदायों में अशांति या विवाद पैदा हो सकता है।

निष्कर्ष:

वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 कानूनी अस्पष्टता, कुप्रबंधन और सामाजिक तनाव से ग्रस्त क्षेत्र में सुधार के लिए एक साहसिक और महत्वाकांक्षी प्रयास है। पारदर्शिता, समावेशिता और जवाबदेही पर ध्यान केंद्रित करके, कानून वक्फ विरासत को संरक्षित करने, सही स्वामित्व की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि वक्फ संपत्ति वास्तव में समुदाय की सेवा करे। हालाँकि, सरकारी निगरानी और सामुदायिक स्वायत्तता के बीच संतुलन अधिनियम की दीर्घकालिक सफलता की एक महत्वपूर्ण परीक्षा बनी रहेगी।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की प्रमुख विशेषताओं की आलोचनात्मक जांच करें। यह भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में मौजूदा चुनौतियों का समाधान कैसे करना चाहता है? [250 शब्द] [15 अंक]

पंचायत उन्नति सूचकांक

चर्चा में क्यों: हाल ही में, पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायत उन्नति सूचकांक (पीएआई) नामक एक नई पहल शुरू की है। इस सूचकांक का उद्देश्य यह मूल्यांकन करना है कि ग्राम पंचायतें ग्रामीण भारत में विकास और जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने में कितना अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं।

पंचायत उन्नति सूचकांक (पीएआई) क्या है?

पंचायत उन्नति सूचकांक (पीएआई) एक व्यापक उपकरण है जो कई क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों के विकासात्मक प्रदर्शन को मापता है। यह यह आकलन करने में मदद करता है कि क्या कोई पंचायत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की भलाई में सुधार करने में वास्तविक प्रगति कर रही है। यह सूचकांक स्थानीय शासन में पंचायत की विभिन्न जिम्मेदारियों और भूमिकाओं को दर्शाते हुए संकेतकों की एक विस्तृत श्रृंखला को ध्यान में रखता है। यह उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है जो नागरिकों के लिए सबसे अधिक मायने रखते हैं, जैसे:

1. बुनियादी ढांचा:

- जलापूर्ति, बिजली, सड़क, जल निकासी और स्वच्छता जैसी बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता।

2. स्वास्थ्य और शिक्षा:

- साक्षरता दर, स्कूल में नामांकन, शैक्षणिक संस्थानों की उपस्थिति और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच।

3. आर्थिक संकेतक:

- रोज़गार के अवसरों, आय के स्तर, कृषि उत्पादकता और आजीविका के अन्य स्रोतों पर डेटा।

4. सामाजिक संकेतक:

- जीवन की गुणवत्ता, लैंगिक समानता, समावेशिता और गरीबी और सामाजिक भेदभाव में कमी।

5. शासन और प्रशासन:

- सार्वजनिक सेवाओं का कुशल वितरण, पारदर्शिता, नागरिक भागीदारी और प्रशासनिक प्रदर्शन।

6. पर्यावरणीय संधारणीयता:

- हरित प्रथाओं, अपशिष्ट प्रबंधन, जल संरक्षण और स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा को बढ़ावा देने के उपाय।

पंचायत उन्नति सूचकांक क्यों महत्वपूर्ण है?

पंचायत उन्नति सूचकांक (पीएआई) पंचायतों के लिए उनकी ताकत और कमजोरियों को दर्शाने के लिए एक दर्पण के रूप में कार्य करता है। यह एक डेटा-संचालित दृष्टिकोण है जो मदद करता है:

- ग्रामीण क्षेत्रों में विकास संबंधी अंतराल की पहचान करना।
- स्थानीय अधिकारियों और नीति निर्माताओं को सुधारात्मक कार्यवाई करने के लिए मार्गदर्शन करना।
- ग्रामीण आजीविका और बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए लक्षित हस्तक्षेप सुनिश्चित करना।
- जमीनी स्तर पर शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना।
- अंततः, यह समावेशी ग्रामीण विकास और सबका साथ, सबका विकास जैसी योजनाओं के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है।

सूचकांक के मुख्य निष्कर्ष

- भारत में 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतें हैं, और पीएआई ने अब तक 29 राज्यों में लगभग 2.16 लाख ग्राम पंचायतों के डेटा का मूल्यांकन किया है।
- सूचकांक नौ प्रमुख विषयों में फैले 435 विशिष्ट स्थानीय संकेतकों पर आधारित है:
 1. गरीबी में कमी
 2. आजीविका सृजन
 3. स्वास्थ्य परिणाम
 4. बाल-हितैषी
 5. जल पर्याप्तता
 6. स्वच्छ और हरित पहल
 7. बुनियादी ढांचे में आत्मनिर्भरता
 8. सामाजिक न्याय और सामाजिक सुरक्षा
 9. सुशासन और महिला-हितैषी (वूमैन-फ्रेंडली)

ग्राम पंचायतों का वर्गीकरण:

उनके प्रदर्शन के आधार पर, पंचायतों को पाँच श्रेणियों में बांटा गया है:

- अचीवर (90+)
- फ्रंट रनर (75 से <90)
- परफॉर्मर (60 से <75)
- एस्पिरेंट (40 से <60)
- बिगिनर्स (<40)

वर्तमान सांख्यिकी:

- कोई भी ग्राम पंचायत "अचीवर" स्तर तक नहीं पहुँची है।
- 699 पंचायतें (0.3%) फ्रंट रनर के रूप में वर्गीकृत हैं।
- 77,298 पंचायतें (35.7%) परफॉर्मर हैं।
- 1,32,392 पंचायतें (61.2%) एस्पिरेंट हैं।
- 5,896 पंचायतें (2.7%) बिगिनर्स श्रेणी में आती हैं।

राज्यवार मुख्य बिंदु:

- तेलंगाना (270) और गुजरात (346) में सबसे अधिक "फ्रंट रनर" पंचायतें हैं।
- छत्तीसगढ़ 1,449 पंचायतों के साथ "बिगिनर्स" श्रेणी में सबसे आगे है, उसके बाद उत्तर प्रदेश (1,237) का स्थान है।

निष्कर्ष:

पंचायत उन्नति सूचकांक (पीएआई) एक सम्योचित पहल है जो ग्रामीण शासन में केवल धन खर्च करने से लेकर मापने योग्य परिणाम देने पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। यह डेटा-सूचित नीतिगत निर्णयों को बढ़ावा देता है और स्थानीय निकायों को साक्ष्य के आधार पर कार्य करने का अधिकार देता है। जबकि यह तथ्य कि कोई भी पंचायत अभी तक "अचीवर" श्रेणी में नहीं पहुँची है, यह दर्शाता है कि चुनौतियाँ बनी हुई हैं, इस सूचकांक की उपस्थिति भारत में स्थानीय लोकतंत्र और ग्रामीण विकास को मजबूत करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. हाल ही में जारी पंचायत उन्नति सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इसमें देश भर की सभी ग्राम पंचायतों के डेटा शामिल हैं।
2. सूचकांक ग्राम पंचायतों को पाँच श्रेणियों में वर्गीकृत करता है: अचीवर, फ्रंट रनर, परफॉर्मर, एस्पिरेंट, बिगिनर्स।
3. सूचकांक के अनुसार, किसी भी ग्राम पंचायत को 'अचीवर' नहीं माना जा सकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं?

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| (a) केवल एक | (b) केवल दो |
| (c) उपर्युक्त सभी | (d) इनमें से कोई नहीं |

(E 2018 C) (Q) 222

फास्ट ट्रेक स्पेशल कोर्ट

चर्चा में क्यों: फास्ट ट्रेक स्पेशल कोर्ट (FTSC) ने पाँक्सो अधिनियम के तहत बच्चों के खिलाफ बलात्कार और यौन अपराधों से संबंधित मामलों से निपटने में उल्लेखनीय दक्षता दिखाई है। 96.28% की केस निपटान दर के साथ, वे यौन अपराधों के पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में उभरे हैं।

फास्ट ट्रेक स्पेशल कोर्ट (FTSC) की आवश्यकता क्यों है?

यद्यपि भारत में बलात्कार और बाल यौन शोषण जैसे अपराधों से निपटने के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचा है, लेकिन नियमित अदालतों में लंबित मामलों की संख्या बहुत अधिक है। इससे न्याय में देरी होती है, जो न केवल पीड़ितों को हतोत्साहित करती है, बल्कि कठोर कानूनों के निवारक प्रभाव को भी कमजोर करती है।

कुछ मुद्दे प्रमुख चिंताओं में शामिल हैं:

- लंबित मामलों और अदालती बुनियादी ढांचे की कमी के कारण मुकदमों में देरी।
- पाँक्सो अधिनियम के तहत संवेदनशील मामलों को संभालने के लिए समर्पित न्यायिक संसाधनों और प्रशिक्षित कर्मियों की कमी।
- पाँक्सो अधिनियम और CrPC जैसे कानूनों में समयसीमा अनिवार्य किए जाने के बावजूद, जांच और सुनवाई में अक्सर अपेक्षा से अधिक समय लगता है।

इस समस्या के समाधान के लिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी स्वप्रेरणा रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 1/2019 में पाँक्सो मामलों में देरी से होने वाली सुनवाई का मुद्दा उठाया।

25 जुलाई, 2019 को न्यायालय ने सरकार को ऐसे मामलों का समय पर और कुशल निपटान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

अब तक हुई प्रगति:

- प्रतिक्रियात्मक रूप से, केंद्र सरकार ने बलात्कार और पॉक्सो से संबंधित मामलों के समाधान में तेजी लाने के लिए 2 अक्टूबर, 2019 को फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (FTSCs) योजना शुरू की।
- **नोट:** यह योजना आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2018 के साथ भी संरेखित है, जिसने यौन अपराधों के लिए दंड को मजबूत किया है।
- FTSC योजना को विधि और न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग द्वारा केंद्र प्रायोजित योजना (CSS) के रूप में लागू किया जाता है।

FTSC योजना की मुख्य विशेषताएं

विशेषताएं	विवरण
📍 केंद्र	बलात्कार और पॉक्सो अधिनियम के मामले
📊 FTSC की संख्या	790 FTSC स्थापित किए गए (ई-पॉक्सो न्यायालयों सहित)
📅 निपटान लक्ष्य	प्रत्येक न्यायालय को प्रति वर्ष 165 मामले निपटारने होंगे
📈 प्रगति	अब तक 3 लाख से अधिक मामले निपटारे गए
📅 2024 प्रदर्शन	88,902 नये मामले प्राप्त हुए, 85,595 का समाधान हुआ (लगभग 96.28% निपटारन दर!)

आगे की राह:

FTSC को और भी अधिक प्रभावी बनाने के लिए, कई सुधारों की आवश्यकता है:

1. न्यायिक और प्रशासनिक सुधार:

- राज्यों और उच्च न्यायालयों को तेजी से सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट दिशा-निर्देश तैयार करने चाहिए।
- मामलों को बेहतर तरीके से संभालने के लिए महिला सरकारी अभियोजकों की नियुक्ति की जानी चाहिए।
- केवल पॉक्सो मामलों में अनुभवी न्यायाधीशों को ही इन अदालतों में नियुक्त किया जाना चाहिए।

2. बुनियादी ढांचे का उन्नयन:

- अदालतों को एलसीडी प्रोजेक्टर, ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं जैसी आधुनिक तकनीक से लैस किया जाना चाहिए।
- ई-फाइलिंग, अदालती दस्तावेजों के डिजिटल भंडारण और केस ट्रैकिंग के लिए एक मजबूत आईटी सिस्टम होना चाहिए।

3. मानव संसाधन और प्रशिक्षण:

- जांच और रिपोर्टिंग में तेजी लाने के लिए प्रशिक्षित कर्मचारियों और फोरेंसिक विशेषज्ञों की संख्या में वृद्धि करना।
- बाल दुर्व्यवहार और यौन उत्पीड़न के मामलों से निपटने के लिए न्यायिक अधिकारियों और अभियोजकों के लिए नियमित प्रशिक्षण और संवेदनशीलता कार्यक्रम।

4. बाल-केंद्रित सहायता प्रणाली:

- बच्चों को सुरक्षित और गैर-भयभीत करने वाले वातावरण में गवाही देने में मदद करने के लिए हर जिले में कमजोर गवाह बयान केंद्र (VWDC) स्थापित किए जाने चाहिए।
- बच्चों की पहचान का खुलासा किए बिना, परीक्षण बंद कमरे में (बंद दरवाजे के भीतर) आयोजित किए जाने चाहिए।
- परीक्षण प्रक्रिया के माध्यम से बाल पीड़ितों की मदद करने के लिए प्रत्येक FTSC में एक बाल मनोवैज्ञानिक की उपस्थिति आवश्यक है।

निष्कर्ष:

फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट यौन हिंसा के पीड़ितों के लिए समय पर न्याय सुनिश्चित करने के भारत के प्रयास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हालाँकि उनकी उपलब्धियाँ सराहनीय हैं, लेकिन उनके प्रभाव को और मजबूत करने के लिए और भी बहुत कुछ किया जा सकता है। निरंतर सुधारों, बेहतर बुनियादी ढाँचे और बच्चों के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण के साथ, FTSC बिना देरी के न्याय देने में और भी अधिक कुशल बन सकते हैं - जो कानून के शासन का एक प्रमुख स्तंभ है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. लंबित मामलों को कम करने में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (FTSC) की प्रभावशीलता की आलोचनात्मक परीक्षण करें और उनके कार्यप्रणाली में सुधार के उपाय सुझाएं। [150 शब्द] [10 अंक]



चीन-भारत संबंध 75वें वर्ष में

चर्चा में क्यों: हाल ही में, चीन और भारत ने राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मनाई। यह मील का पत्थर न केवल दुनिया की दो सबसे पुरानी सभ्यताओं के बीच साढ़े सात दशकों के आधिकारिक संबंधों को दर्शाता है, बल्कि उनकी साझा यात्रा पर चिंतन करने, अतीत से सीखने और नए उद्देश्य के साथ आगे देखने का अवसर भी प्रदान करता है।

75 वर्षों के राजनयिक संबंध:

- भारत और चीन ने 1950 में आधिकारिक रूप से राजनयिक संबंध स्थापित किए, जिससे भारत पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ ऐसा करने वाला पहला गैर-समाजवादी देश बन गया।
- पिछले 75 वर्षों में, संबंधों ने कई उतार-चढ़ाव देखे हैं - कभी तनावपूर्ण, कभी गर्मजोशी भरे - लेकिन दोनों पक्ष दो महान नदियों (यांग्त्ज़ी और गंगा) की तरह आगे बढ़ते रहे हैं।

नोट: भारत में चीनी राजदूत ने भारत-चीन संबंधों के इतिहास से चार मुख्य विषयों या "प्रेरणाओं" को रेखांकित किया है जो भविष्य के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में काम कर सकते हैं। ये अंतर्दृष्टि द हिंदू अखबार में प्रकाशित उनके लेख पर आधारित हैं:

1. नेताओं का रणनीतिक मार्गदर्शन - संबंधों की स्थिरता

- **इसका क्या अर्थ है:**
 - इस संबंध को राष्ट्रीय नेताओं की दूरदर्शिता और निर्णयों द्वारा आकार दिया गया है और स्थिर किया गया है, खासकर महत्वपूर्ण क्षणों के दौरान।
- **मुख्य उदाहरण:**
 - **1950:** माओत्से तुंग (चीन) और जवाहरलाल नेहरू (भारत) ने संबंधों की शुरुआत की - उस समय के लिए ऐतिहासिक और साहसिक।
 - **1988:** 1962 के युद्ध के बाद दशकों के अविश्वास के बाद, राजीव गांधी ने चीन का दौरा किया, जो एक रीसेट का संकेत था। दोनों पक्ष "आगे देखने" के लिए सहमत हुए, यानी, पिछले संघर्ष से आगे बढ़ना।
 - **2013-2019:** शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी ने व्यक्तिगत तालमेल बनाने के लिए "गृहनगर कूटनीति" और अनौपचारिक शिखर सम्मेलनों में भाग लिया।
 - **2024:** नेता कज़ान में फिर से मिले और द्विपक्षीय संबंधों में एक नया अध्याय खोलने पर सहमत हुए।

2. लोगों के बीच आदान-प्रदान और सहयोग - संबंधों की "नींव"

- **इसका क्या अर्थ है:**
 - भारत और चीन के बीच सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों ने हमेशा दोस्ती और सहयोग के लिए जगह बनाई है।
- **मुख्य ऐतिहासिक उदाहरण:**
 - **बौद्ध धर्म:** चीनी भिक्षु जुआनज़ांग शास्त्रों के लिए भारत आए थे; भारतीय भिक्षु बोधिधर्म जैन बौद्ध धर्म सिखाने के लिए चीन गए थे।

- **डॉ. कोटनीस:** द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान चीन में सेवा करने वाले एक भारतीय डॉक्टर को चीन में सम्मान दिया जाता है।
- **टैगोर:** चीन गए और सांस्कृतिक सम्मान के प्रतीक बने हुए हैं।

• हाल ही में सहयोग:

- 2000 के दशक की शुरुआत से, भारत और चीन ने "रणनीतिक और सहकारी साझेदारी" पर समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।
- द्विपक्षीय व्यापार 2000 में \$3 बिलियन से बढ़कर 2024 में \$138.5 बिलियन हो गया है।
- **सांस्कृतिक आदान-प्रदान फल-फूल रहा है:**
 - ◆ चीन में योग बहुत लोकप्रिय है।
 - ◆ बॉलीवुड फिल्मों के बहुत बड़े प्रशंसक हैं।
- शिक्षा, पर्यटन, व्यापार आदि को कवर करने वाले 50 से अधिक संवाद तंत्र (फोरम, बैठकें) मौजूद हैं।

3. बातचीत के ज़रिए मतभेदों को सुलझाना - आगे बढ़ने का "एकमात्र रास्ता"

- **इसका क्या अर्थ है:**
 - अगर मतभेद भी होते हैं, तो दोनों पक्ष संघर्ष के बजाय बातचीत और शांति को प्राथमिकता देते हैं।
- **सीमा मुद्दे:**
 - सीमा विवाद, औपनिवेशिक इतिहास की विरासत है, जिसने तनाव पैदा किया है (जैसे, 1962 का युद्ध, गलवान संघर्ष)।
 - **इसके बावजूद, दोनों देश स्थापित तंत्रों के ज़रिए नियमित रूप से बातचीत करते हैं:**
 - ◆ विशेष प्रतिनिधियों की बातचीत
 - ◆ सीमा मामलों पर परामर्श के लिए कार्य तंत्र

• सकारात्मक विकास:

- 2024 के अंत तक, भारत और चीन गहन कूटनीति के ज़रिए सीमा तनाव को कम करने में कामयाब हो गए थे।
- **प्रधानमंत्री मोदी का नज़रिया:** असहमति स्वाभाविक है, पड़ोसियों के बीच या परिवारों के भीतर भी, लेकिन उन्हें पूर्ण विवाद में नहीं बदलना चाहिए।

4. वैश्विक सहयोग - भविष्य के लिए एक साझा "मिशन"

- **इसका क्या अर्थ है:**
 - भारत और चीन, प्रमुख विकासशील देशों के रूप में, वैश्विक मुद्दों पर मिलकर काम करना चाहिए - न कि केवल द्विपक्षीय समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
- **ऐतिहासिक सहयोग:**
 - साथ मिलकर, उन्होंने शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व (पंचशील) के पाँच सिद्धांत बनाए।
 - विउपनिवेशित एशियाई और अफ्रीकी देशों का समर्थन करने के लिए बांडुंग सम्मेलन (1955) में भाग लिया।

वर्तमान वैश्विक भूमिकाएँ:

- दोनों बहुपक्षीय मंचों का हिस्सा हैं जैसे:
 - ब्रिक्स (BRICS)
 - SCO
 - G-20
- वैश्विक दक्षिण के नेताओं के रूप में, वे संयुक्त रूप से कर सकते हैं:
 - निष्पक्ष वैश्विक शासन को बढ़ावा देना।
 - विकासशील देशों के हितों की रक्षा करना।
 - बहुपक्षवाद की वकालत करना (किसी एक देश द्वारा एकतरफा प्रभुत्व के विपरीत)।

नोट: चीनी राजदूत ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग को उद्धृत किया: "यदि चीन और भारत एक स्वर में बोलेंगे, तो दुनिया सुनेगी। यदि वे हाथ मिलाते हैं, तो दुनिया ध्यान देगी।"

जमीनी स्तर पर विकास (2023-2025)

हाल के महीनों में गहन जुड़ाव की दिशा में सार्थक कदम उठाए गए हैं:

- नेता और विदेश मंत्री नियमित रूप से मिलते रहे हैं।
- आयोजित:
 - सीमा मुद्दों पर 23वीं विशेष प्रतिनिधियों की बैठक।
 - उप मंत्री-विदेश सचिव वार्ता।
- कार्यरत:
 - सीधी उड़ानें फिर से शुरू करना।
 - वीजा में ढील देना।
 - कैलाश मानसरोवर यात्रा।
 - स्थानीय पत्रकारों को फिर से अनुमति देना।

व्यापार और विनिमय:

- 2025 के पहले दो महीनों में ही 23.6 बिलियन डॉलर का व्यापार।
 - 3 महीनों में भारतीयों को 70,000 से ज़्यादा वीजा जारी किए गए - पिछले साल से 15% की वृद्धि।
- ये दोनों पक्षों की ओर से विवादास्पद मुद्दों से परे देखने और रचनात्मक सहयोग पर ध्यान केंद्रित करने की इच्छा के मज़बूत संकेतक हैं।

भविष्य का रोडमैप: भारत और चीन को आगे क्या करना चाहिए?

1. स्वस्थ और स्थिर संबंध:

- स्वीकार करना कि हम प्रतिद्वंद्वी नहीं, भागीदार हैं।
- सीमा मुद्दों को पूरे रिश्ते पर हावी न होने देना।
- आपसी सम्मान, विश्वास, समझ और समायोजन का पालन करना।

2. पारस्परिक रूप से लाभकारी विकास को बढ़ावा देना:

- भारत का अपना "विकसित भारत 2047" विजन है।
- चीन उच्च गुणवत्ता वाले विकास को आगे बढ़ा रहा है।
- दोनों को अपनी विकास रणनीतियों को संरेखित करना चाहिए और तकनीक, बुनियादी ढांचे, हरित ऊर्जा आदि जैसे क्षेत्रों में सहयोग करना चाहिए।

3. वैश्विक सहयोग को मजबूत करना:

- साथ मिलकर समर्थन करना:
 - एक अधिक न्यायपूर्ण बहुध्रुवीय विश्व (जिसमें एक या दो शक्तियों का वर्चस्व न हो)।
 - एक समावेशी वैश्विक अर्थव्यवस्था।
- चीन, 2025 में SCO अध्यक्ष के रूप में, शिखर सम्मेलन को सफल बनाने के लिए भारत के साथ मिलकर काम करना चाहता है।

निष्कर्ष: गांधी के सपने को साकार करना

महात्मा गांधी ने एक बार एक ऐसे भविष्य की कल्पना की थी, जिसमें एक स्वतंत्र भारत और एक स्वतंत्र चीन एशिया और दुनिया की भलाई के लिए सहयोग करेंगे। यह दृष्टि आज भी अत्यंत प्रासंगिक है। 2.8 बिलियन से अधिक लोगों की शांति, समृद्धि और विकास की आकांक्षा के साथ, सहयोग को मजबूत करने की जिम्मेदारी दोनों देशों की है।

रणनीतिक दृष्टि, सभ्यतागत ज्ञान और उद्देश्य की साझा भावना से प्रेरित होकर, भारत और चीन अपने मतभेदों से आगे बढ़कर एक अधिक संतुलित, न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण विश्व व्यवस्था के स्तंभ बन सकते हैं। उनका सहयोग केवल एक क्षेत्रीय आवश्यकता नहीं है, बल्कि 21वीं सदी में एक वैश्विक अनिवार्यता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के मद्देनजर, उन चार प्रमुख सिद्धांतों की आलोचनात्मक जांच करें जो भारत-चीन संबंधों के भविष्य का मार्गदर्शन कर सकते हैं। साथ ही, दोनों देशों के बीच एक स्थिर और रचनात्मक साझेदारी बनाने के लिए एक रोडमैप सुझाएँ। [250 शब्द] [15 अंक]

बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025

चर्चा में क्यों: हाल ही में बैंकॉक, थाईलैंड में 6वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। शिखर सम्मेलन में क्षेत्रीय संपर्क में सुधार, व्यापार में वृद्धि और बहुप्रतीक्षित बिम्स्टेक चार्टर को अपनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया, जो संगठन को एक औपचारिक संरचना और मार्गदर्शक सिद्धांत देता है।

बिम्स्टेक के बारे में

- बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल (बिम्स्टेक) 1997 में बंगाल की खाड़ी के पास या उसके आसपास स्थित सात देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया एक क्षेत्रीय संगठन है। इसे मूल रूप से BIST-EC कहा जाता था, और म्यांमार के इसमें शामिल होने से इसका नाम बदलकर BIMSTEC कर दिया गया।
- सदस्य: बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड।
- उद्देश्य: व्यापार, परिवहन, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, मत्स्य पालन, पर्यटन, पर्यावरण और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना।
- इसमें 14 प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं, जिनमें से प्रत्येक का नेतृत्व एक अलग सदस्य देश करता है।

6वें बिस्स्टेक शिखर सम्मेलन के मुख्य बिंदु:

- **बैंकॉक विजन 2030:**
 - आने वाले वर्षों में बिस्स्टेक को अधिक मजबूत, अधिक एकजुट और लचीला क्षेत्रीय संगठन बनाने के लिए "बैंकॉक विजन 2030" नामक एक रणनीतिक योजना को अपनाया गया।
- **आपदा प्रबंधन के लिए बिस्स्टेक उत्कृष्टता केंद्र:**
 - भारत में एक नया क्षेत्रीय आपदा प्रबंधन केंद्र स्थापित किया जाएगा। इससे सदस्य देशों को भूकंप, बाढ़ और चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में एक साथ काम करने और राहत और पुनर्वास प्रयासों में सुधार करने में मदद मिलेगी।
- **व्यापार और परिवहन समझौते:**
 - बिस्स्टेक देशों के बीच व्यापार संबंधों को बेहतर बनाने और बेहतर परिवहन नेटवर्क विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए।
- **संयुक्त आपदा राहत प्रतिक्रिया:**
 - सदस्यों ने आपदा राहत कार्यों पर मिलकर काम करने का वादा किया, खासकर म्यांमार में हाल ही में आए भूकंप के मद्देनजर।

बिस्स्टेक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्यों है?

- **भू-राजनीतिक महत्व:**
 - बिस्स्टेक में बंगाल की खाड़ी के आसपास दक्षिण एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया के सात देश शामिल हैं। यह क्षेत्र महत्वपूर्ण है क्योंकि दुनिया का लगभग 25% व्यापार यहीं से होकर गुजरता है, जो इसे वैश्विक व्यापार और भू-राजनीति में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बनाता है।
- **बढ़ी हुई क्षेत्रीय कनेक्टिविटी:**
 - भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग (2002 में शुरू हुआ) का उद्देश्य तीनों देशों को 1,360 किलोमीटर से अधिक सड़क मार्ग से जोड़ना है, जिससे व्यापार और लोगों के बीच संपर्क में सुधार होगा।
 - मेकांग-गंगा सहयोग (एमजीसी), जिसकी शुरुआत 2000 में हुई थी, भारत को पांच दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों से जोड़ता है, जो पर्यटन, संस्कृति और परिवहन संबंधों पर ध्यान केंद्रित करता है।
- **आर्थिक विकास और व्यापार संभावना:**
 - बिस्स्टेक देशों की संयुक्त जनसंख्या लगभग 1.5 बिलियन है, और कुल जीडीपी लगभग 3 ट्रिलियन डॉलर है। हालाँकि, बिस्स्टेक के भीतर व्यापार अभी भी अन्य क्षेत्रों के साथ उनके व्यापार की तुलना में बहुत कम है। इसे सुधारने के लिए, बिस्स्टेक एक मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर काम कर रहा है, जो क्षेत्रीय व्यापार को 20-30% तक बढ़ा सकता है।
- **ऊर्जा सहयोग:**
 - बिस्स्टेक देश भूटान से जलविद्युत और म्यांमार से प्राकृतिक गैस जैसे ऊर्जा संसाधनों को साझा करने की योजना बना रहे हैं। भूटान की जलविद्युत क्षमता 2030 तक 10,000 मेगावाट तक पहुँचने की उम्मीद है, जिसका अधिकांश हिस्सा भारत और अन्य बिस्स्टेक देशों को निर्यात किया जाएगा।
- **पर्यावरण और आपदा प्रबंधन में संयुक्त प्रयास:**
 - बंगाल की खाड़ी क्षेत्र अक्सर चक्रवात, बाढ़ और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करता है। उदाहरण के लिए, 2020 में आए चक्रवात अम्फान ने भारत और बांग्लादेश में 14 मिलियन लोगों को प्रभावित किया। नया बिस्स्टेक आपदा प्रबंधन केंद्र सभी सदस्य देशों को ऐसी आपदाओं से निपटने में एक साथ काम करने में मदद करेगा।
 - बिस्स्टेक देश जलवायु परिवर्तन को लेकर भी गंभीर हैं और हरित ऊर्जा और सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में काम कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, भारत 2030 तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा का उत्पादन करने की योजना बना रहा है।

- **क्षेत्रीय सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी सहयोग**
 - बिस्स्टेक सदस्य आतंकवाद, नशीली दवाओं की तस्करी और मानव तस्करी जैसे मुद्दों से मिलकर निपटते हैं। 2017 में, भारत ने सुरक्षा मामलों पर सहयोग बढ़ाने के लिए आतंकवाद विरोधी पर पहले बिस्स्टेक संयुक्त कार्य समूह की मेजबानी की।

बिस्स्टेक बनाम सार्क

- सार्क (दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन) मुख्य रूप से भारत और पाकिस्तान के बीच राजनीतिक तनाव के कारण निष्क्रिय रहा है। बिस्स्टेक, जिसमें पाकिस्तान शामिल नहीं है, क्षेत्रीय सहयोग और कनेक्टिविटी के लिए एक बेहतर विकल्प के रूप में उभरा है।
- साथ ही, जैसे-जैसे चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) जैसी परियोजनाओं के माध्यम से क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है, बिस्स्टेक भारत और समान विचारधारा वाले देशों को आपसी हितों के आधार पर क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक मंच प्रदान करता है।

लोगों के बीच आपसी संपर्क और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना

- मेकांग-गंगा सहयोग (एमजीसी) जैसे कार्यक्रमों ने पर्यटन और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा दिया है। बिस्स्टेक देशों से 2.5 मिलियन से अधिक पर्यटक सालाना एक-दूसरे के देशों में आते हैं, जिससे मजबूत संबंध और सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा मिलता है।

बिस्स्टेक में भारत की अग्रणी भूमिका

भारत ने विभिन्न पहलों के माध्यम से बिस्स्टेक में लगातार नेतृत्व किया है:

- महत्वपूर्ण बैठकों की मेजबानी करना और आपदा प्रबंधन केंद्र जैसी प्रमुख परियोजनाओं का प्रस्ताव करना।
- पड़ोसी देशों और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ संबंधों को बेहतर बनाने के उद्देश्य से बिस्स्टेक के उद्देश्यों को अपनी पड़ोसी पहले और एक्ट ईस्ट नीतियों के साथ जोड़ना।
- समूह की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में आर्थिक पहल को आगे बढ़ाना।
- सैन्य अभ्यास और खुफिया जानकारी साझा करने के माध्यम से सुरक्षा सहयोग का नेतृत्व करना।
- सामूहिक चुनौतियों का समाधान करने के लिए क्षेत्रीय संवादों में सक्रिय रूप से भाग लेना।

निष्कर्ष

बिस्स्टेक आर्थिक सहयोग, संपर्क, आपदा प्रबंधन, ऊर्जा साझाकरण और सुरक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय समूह के रूप में उभरा है। बिस्स्टेक में भारत की सक्रिय भागीदारी न केवल इसके क्षेत्रीय नेतृत्व को मजबूत करती है, बल्कि एक्ट ईस्ट और नेबरहुड फर्स्ट नीतियों के माध्यम से इसके व्यापक कूटनीतिक लक्ष्यों को भी पूरा करती है। भू-राजनीति में बदलाव के दौर में, बिस्स्टेक सामूहिक समृद्धि और शांति के लिए दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया को एक साथ लाने की क्षमता रखता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. भारत की एक्ट ईस्ट और नेबरहुड फर्स्ट नीतियों के लिए बिस्स्टेक के रणनीतिक महत्व पर चर्चा करें। बिस्स्टेक के भीतर भारत की भूमिका इसकी क्षेत्रीय आकांक्षाओं के साथ कैसे संरेखित होती है? [15 अंक] [250 शब्द]

हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (IORA)

चर्चा में क्यों: भारत 2025 में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (IORA) की अध्यक्षता संभालने वाला है। इसके नेतृत्व के हिस्से के रूप में, भारत का लक्ष्य शासन को बढ़ाना, निजी भागीदारी के माध्यम से वित्त पोषण को बढ़ावा देना, प्रौद्योगिकी को एकीकृत करना और समुद्री शिक्षा को बढ़ावा देना है। ये प्रयास भारत के SAGAR विज़न (क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास) के अनुरूप हैं और IORA को क्षेत्रीय सहयोग और सतत विकास के लिए एक मजबूत मंच बनाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।

IORA क्या है?

हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (IORA) एक क्षेत्रीय अंतर-सरकारी संगठन है जिसकी औपचारिक स्थापना 7 मार्च 1997 को हुई थी। IORA का विचार 1995 में नेल्सन मंडेला की भारत यात्रा के दौरान उभरा था। उन्होंने हिंद महासागर को साझा करने वाले देशों के बीच सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया था।

मूल रूप से इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन (IOR-ARC) के रूप में जाना जाने वाला यह संगठन हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, आर्थिक सहयोग और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था।

IORA की संरचना:

- विदेश मंत्रियों की परिषद (COM) सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है। इसकी बैठक साल में एक बार होती है।
- वरिष्ठ अधिकारियों की समिति (CSO) प्रगति की समीक्षा करने और IORA के एजेंडे को लागू करने के लिए साल में दो बार बैठक करती है।
- सरकारी अधिकारियों, व्यापारिक नेताओं और शिक्षाविदों से मिलकर बने विभिन्न कार्य समूह और मंच परियोजनाओं और नीतियों के कार्यान्वयन का समर्थन करते हैं।

IORA के सदस्य देश:

IORA के 23 सदस्य देश हैं, जिनमें हिंद महासागर के आसपास के तटीय देश शामिल हैं। ये हैं:

ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, कोमोरोस, फ्रांस, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, केन्या, मेडागास्कर, मलेशिया, मालदीव, मॉरीशस, मोजाम्बिक, ओमान, सेशेल्स, सिंगापुर, सोमालिया, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, तंजानिया, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), और यमन।

यूपीएससी परीक्षा के लिए सुझाव: फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश हिंद महासागर में अपने विदेशी क्षेत्रों के कारण सदस्य हैं। अमेरिका और चीन जैसे देश सदस्य नहीं हैं, लेकिन संवाद भागीदार के रूप में कार्य करते हैं।

हिंद महासागर क्षेत्र में चुनौतियाँ

1. सुरक्षा खतरे

- समुद्री डकैती
- आतंकवाद
- मानव और मादक पदार्थों की तस्करी

2. पर्यावरण जोखिम

- चक्रवात, समुद्र का बढ़ता स्तर और समुद्री प्रदूषण
- अत्यधिक मछली पकड़ना और प्रवाल भित्तियों का क्षरण

3. विकास अंतराल

- खराब बुनियादी ढाँचा
- राजनीतिक अस्थिरता
- सीमित वित्तीय संसाधन और तकनीकी क्षमता

IORA के समक्ष मुख्य मुद्दे

• वित्तपोषण संबंधी बाधाएँ:

- IORA सदस्य देशों से स्वैच्छिक योगदान पर बहुत अधिक निर्भर करता है, जो अपर्याप्त है।
- इसका वार्षिक बजट केवल कुछ मिलियन डॉलर है, जबकि हिंद महासागर आयोग (आईओसी) - जिसमें केवल 5 सदस्य हैं - का बजट \$1.3 बिलियन (2020-25) है।
- समुद्री सुरक्षा, नीली अर्थव्यवस्था और मत्स्य प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में दीर्घकालिक, स्थायी निवेश की आवश्यकता होती है।

• संस्थागत सीमाएँ:

- IORA के पास सीमित जनशक्ति वाला एक छोटा सचिवालय है।
- मैनुअल और पुरानी प्रणालियाँ परियोजना कार्यान्वयन और नीति ट्रेकिंग में दक्षता को कम करती हैं।

• भू-राजनीतिक सीमाएँ:

- IORA पर मध्यम और छोटी शक्तियों का वर्चस्व है।
- अमेरिका और चीन जैसी महाशक्तियाँ केवल संवाद भागीदार हैं, और पूरी तरह से संलग्न नहीं हैं।

IORA अध्यक्ष के रूप में भारत की प्राथमिकताएँ (2025-2027)

अपने SAGAR विज़न के तहत, भारत की योजना है:

1. IORA बजट को बढ़ाना:

- वित्तपोषण को मजबूत करने के लिए शिपिंग, तेल और गैस, मत्स्य पालन और पर्यटन जैसे क्षेत्रों के हितधारकों के साथ सार्वजनिक-निजी भागीदारी की तलाश करना।

2. प्रौद्योगिकी को एकीकृत करना:

- समन्वय, दक्षता और नीति-निर्माण में सुधार के लिए शासन और डेटा सिस्टम को डिजिटल बनाना।

3. समुद्री शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देना:

- समुद्री लेखांकन, समुद्र विज्ञान और रसद जैसे उद्योग-प्रासंगिक पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए विश्वविद्यालयों और तकनीकी संस्थानों के साथ सहयोग करना।

IORA को और मजबूत बनाने के लिए आगे की राह

• निजी क्षेत्र की भागीदारी:

- शिपिंग कंपनियों, समुद्री बीमा फर्मों और बंदरगाह संचालकों को वित्तपोषण और निर्णय लेने में शामिल करना।

• सदस्य देशों की ताकत का लाभ उठाना:

- ऑस्ट्रेलिया: समुद्री विज्ञान और पर्यावरण निगरानी
- फ्रांस और सिंगापुर: उन्नत समुद्री प्रौद्योगिकी और बंदरगाह प्रबंधन
- यूएई और ओमान: बंदरगाह के बुनियादी ढांचे और नीली अर्थव्यवस्था क्षेत्रों में निवेश

- पारंपरिक ज्ञान को बढ़ावा देना:
 - श्रीलंका, मालदीव और सेशेल्स जैसे देशों की स्थानीय और पारंपरिक समुद्री प्रथाओं का उपयोग करके स्थायी समुद्री शासन सुनिश्चित करना।
- अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत करना:
 - वित्तीय और तकनीकी सहायता के लिए यूएसए, ईयू और जापान जैसे संवाद भागीदारों के साथ जुड़ाव को गहरा करना।
- कौशल विकास:
 - समुद्री क्षेत्र की रोजगार मांगों को पूरा करने के लिए युवाओं और पेशेवरों को अंतःविषय प्रशिक्षण प्रदान करना।
- शोध सहयोग को प्रोत्साहित करना:
 - तटीय क्षरण, समुद्री प्रदूषण और मत्स्य संरक्षण जैसी क्षेत्र-विशिष्ट चुनौतियों का समाधान करने के लिए संयुक्त उद्योग-अकादमिक परियोजनाओं को बढ़ावा देना।

निष्कर्ष

हिंद महासागर क्षेत्र वैश्विक व्यापार, ऊर्जा प्रवाह और जैव विविधता के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। फिर भी, यह साझा अंतरराष्ट्रीय खतरों का सामना करता है - जलवायु परिवर्तन, समुद्री असुरक्षा और विकास संबंधी असमानताएँ।

IORA के आने वाले अध्यक्ष के रूप में, भारत संस्थागत सुधारों का नेतृत्व करने, फंडिंग अंतराल को पाटने और अपने सागर विजन के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए अद्वितीय स्थिति में है। प्रौद्योगिकी, शिक्षा, निजी क्षेत्र की भागीदारी और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी को मिलाकर, भारत IORA को एक अधिक गतिशील और प्रभावी संगठन में बदलने में मदद कर सकता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. निम्नलिखित देशों पर विचार करें:

- | | |
|-----------|----------------|
| 1. फ्रांस | 2. ऑस्ट्रेलिया |
| 3. चीन | 4. यूएसए |

उपर्युक्त देशों में से कितने देश हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (आईओआरए) के सदस्य हैं?

- | | |
|--------------|-------------|
| (a) केवल एक | (b) केवल दो |
| (c) केवल तीन | (d) सभी चार |

(T 246 I 222)(9) :222

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. भारत अपने SAGAR विजन और सदस्य-राज्यों के साथ साझेदारी का लाभ उठाकर IORA को क्षेत्रीय सहयोग के लिए अधिक प्रभावी मंच में कैसे बदल सकता है? इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में संभावित चुनौतियों पर चर्चा करें। [250 शब्द] [15 अंक]

भारत-अमेरिका परमाणु समझौता और छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों का भविष्य

चर्चा में क्यों: हाल ही में, संयुक्त राज्य अमेरिका के ऊर्जा विभाग (US DoE) ने एक अमेरिकी कंपनी होलटेक इंटरनेशनल को भारत में परमाणु रिएक्टरों को डिजाइन करने और बनाने की अनुमति दी है। यह दोनों देशों के बीच परमाणु सहयोग में एक बड़ा कदम है और भारत के स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र के लिए नए मार्ग प्रशस्त कर सकता है।

प्रमुख घटनाक्रम

- अमेरिकी ऊर्जा विभाग ने होलटेक इंटरनेशनल को अपनी लघु मॉड्यूलर रिएक्टर (एसएमआर) तकनीक भारत में तीन कंपनियों को हस्तांतरित करने की अनुमति दी है:
 - होलटेक एशिया (होलटेक की क्षेत्रीय शाखा)
 - टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स लिमिटेड
 - लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड (एलएंडटी)
- यह अनुमति 10सीएफआर810 विनियमन नामक एक सख्त अमेरिकी कानून के तहत आती है, जो अन्य देशों को परमाणु तकनीक के हस्तांतरण को नियंत्रित करता है।
- यह कदम दोनों देशों द्वारा अमेरिका-भारत 123 असैन्य परमाणु समझौते के तहत अपनी परमाणु साझेदारी को नवीनीकृत करने की योजना की घोषणा के कुछ सप्ताह बाद उठाया गया है।

यह क्यों महत्वपूर्ण है?

- **भारत-अमेरिका परमाणु संबंधों में एक नया अध्याय:**
 - कई वर्षों तक, कठोर अमेरिकी नियमों ने अमेरिकी कंपनियों के लिए भारत में परमाणु परियोजनाओं पर काम करना मुश्किल बना दिया था। भले ही 123 समझौते पर 2007 में हस्ताक्षर किए गए थे, लेकिन यह कानूनी, सुरक्षा और निवेश संबंधी चिंताओं के कारण बड़े परिणाम लाने में विफल रहा।
 - हाल ही में यह मंजूरी उस सौदे के वादे को पूरा करने की दिशा में एक नई शुरुआत का संकेत देती है।
- **भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा:**
 - भारत ने ज्यादातर भारी जल प्रौद्योगिकी पर आधारित पुराने परमाणु रिएक्टरों का उपयोग किया है। एसएमआर की शुरुआत भारत के परमाणु बुनियादी ढांचे को आधुनिक बना सकती है, जिससे सुरक्षित, तेज और स्वच्छ ऊर्जा विकल्प उपलब्ध हो सकते हैं।
- **दायित्व चुनौती:**
 - हालाँकि, एक मुख्य बाधा बनी हुई है - भारत का परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम, 2010। यह कानून परमाणु दुर्घटना की स्थिति में उपकरण आपूर्तिकर्ताओं को नुकसान के लिए उत्तरदायी बनाता है। इस प्रावधान ने भारी जुर्माने के डर से विदेशी कंपनियों को भारत की परमाणु परियोजनाओं में निवेश करने से हिचकिचाहट पैदा कर दी है।
 - जब तक इस मुद्दे को संबोधित नहीं किया जाता, परमाणु ऊर्जा में विदेशी निवेश सीमित रहेगा।

छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर (SMRs) क्या हैं?

आइए इसे सरल शब्दों में समझते हैं:

- छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर (SMRs) उन्नत परमाणु ऊर्जा संयंत्र होते हैं, जिन्हें सीमित मात्रा में बिजली पैदा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है — प्रत्येक इकाई से अधिकतम 300 मेगावॉट (MW) तक। यह पारंपरिक परमाणु रिएक्टरों की क्षमता का लगभग एक-तिहाई होता है।

- नाम से ही स्पष्ट है:
 - छोटे (Small): पारंपरिक परमाणु संयंत्रों की तुलना में आकार में काफी छोटे होते हैं।
 - मॉड्यूलर (Modular): इन्हें फैक्ट्रियों में बनाया जा सकता है और तैयार

इकाइयों के रूप में साइट पर ले जाकर स्थापित किया जा सकता है।

- रिएक्टर (Reactor): बड़े रिएक्टरों की तरह ये भी परमाणु विखंडन (परमाणु नाभिक का विभाजन) का उपयोग करके ऊष्मा उत्पन्न करते हैं और बिजली बनाते हैं।

तुलना: पुराने भारी जल रिएक्टर बनाम छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर (एसएमआर)

पहलू	पुराने भारी जल रिएक्टर	लघु मॉड्यूलर रिएक्टर (एसएमआर)
आकार और सेटअप	विशाल संरचनाएँ पूरी तरह से साइट पर ही बनाई जाती हैं। निर्माण में वर्षों लगते हैं और अरबों खर्च होते हैं। प्रतिक्रियाओं को बनाए रखने के लिए 'भारी जल' का उपयोग किया जाता है, जो उन्हें अद्वितीय लेकिन महंगा बनाता है।	आकार में कॉम्पैक्ट, कुछ ट्रक पर फिट होने के लिए काफी छोटे। फैक्ट्री में बने पुर्जे जल्दी और आसानी से असेंबल करने की सुविधा देते हैं।
ईंधन और दक्षता	इसमें प्राकृतिक यूरेनियम का उपयोग किया जाता है, जिसके प्रसंस्करण की आवश्यकता कम होती है, लेकिन प्रति टन कम ऊर्जा उत्पन्न होती है।	इसमें संवर्धित यूरेनियम का उपयोग किया जाता है, जो कम स्थान में अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है तथा पुनः ईंधन भरने की आवश्यकता होने से पहले अधिक समय तक चलता है, जिससे यह अत्यधिक कुशल बन जाता है।
सुरक्षा	पुरानी तकनीक और सुरक्षा मानकों पर आधारित। मानव ऑपरेटरों और बैकअप सिस्टम पर निर्भर करता है। आपात स्थितियों से स्वचालित रूप से निपटने में कम सक्षम।	आधुनिक 'निष्क्रिय सुरक्षा' प्रणालियों के साथ निर्मित। मानवीय सहायता के बिना स्वचालित रूप से ठंडा हो सकता है या बंद हो सकता है - स्वचालित आपातकालीन ब्रेकिंग वाली कार की तरह।
लचीलापन	एक स्थान पर स्थापित, बड़े ग्रिडों को बिजली देने के लिए डिज़ाइन किया गया।	अत्यधिक लचीला। अपने छोटे, पोर्टेबल डिज़ाइन के कारण दूरदराज के क्षेत्रों, औद्योगिक स्थलों या आपदा क्षेत्रों में स्थापित किया जा सकता है।
लागत और समय	महंगा और समय लेने वाला - अक्सर एक दशक या उससे अधिक समय लगता है और अधिक निवेश होता है।	तेज़ और सस्ता। कुछ वर्षों में बनाया जा सकता है और फैक्ट्री-आधारित विनिर्माण के कारण इसकी लागत भी कम होती है।

अमेरिका-भारत 123 असैन्य परमाणु समझौता क्या है?

123 समझौते के नाम से लोकप्रिय इस समझौते पर 2007 में भारत और अमेरिका के बीच असैन्य परमाणु व्यापार और सहयोग की अनुमति देने के लिए हस्ताक्षर किए गए थे।

- यह समझौता एक अमेरिकी कानून (परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1954, धारा 123) के कारण आवश्यक था, जो शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु प्रौद्योगिकी साझा करने के लिए एक औपचारिक समझौते को अनिवार्य बनाता है।
- यह एक ऐतिहासिक समझौता था क्योंकि इसने अंतरराष्ट्रीय परमाणु व्यापार से भारत के दशकों पुराने अलगाव को समाप्त कर दिया।

10 सीएफआर भाग 810 विनियमन क्या है?

यह एक अमेरिकी विनियमन है जो अमेरिकी फर्मों से दूसरे देशों में परमाणु प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण को नियंत्रित करता है।

- यह केवल अवर्गीकृत परमाणु प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण की अनुमति देता है - जैसे वाणिज्यिक परमाणु रिएक्टरों के लिए डिज़ाइन, निर्माण विधियाँ, संचालन और रखरखाव।
- यह परमाणु हथियारों से संबंधित जानकारी या समृद्ध यूरेनियम जैसी सामग्री के हस्तांतरण की अनुमति नहीं देता है।
- होल्टेक को हाल ही में दी गई अनुमति इस विनियमन के अंतर्गत आई, जो परमाणु व्यापार के लिए एक नियंत्रित लेकिन प्रगतिशील दृष्टिकोण को दर्शाता है।

निष्कर्ष

यह विकास भारत के ऊर्जा परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण कदम है। जैसे-जैसे भारत स्वच्छ और सुरक्षित ऊर्जा स्रोतों की ओर बढ़ रहा है, एसएमआर कार्बन उत्सर्जन को कम करते हुए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। हालाँकि, भारत-अमेरिका परमाणु सहयोग की क्षमता को पूरी तरह से साकार करने के लिए परमाणु दायित्व कानून जैसी कानूनी चुनौतियों का समाधान किया जाना चाहिए।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. 10CFR810 विनियमन, जो हाल ही में चर्चा में देखा गया, किससे संबंधित है -

- | | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| (a) अमेरिकी व्यापार शुल्क | (b) ओजोन-क्षयकारी पदार्थ |
| (c) परमाणु ऊर्जा संयंत्र | (d) ग्रीनहाउस गैसों और जलवायु लक्ष्य |
- (C) : 228

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर (SMR) क्या हैं? पारंपरिक भारी पानी रिएक्टरों की तुलना में SMR के लाभों की जाँच करें। [150 शब्द] [10 अंक]

भारत द्वारा मानवीय मिशन

चर्चा में क्यों: हाल ही में, भारत ने म्यांमार में बचाव और राहत प्रयासों में सहायता के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया, जब देश और पड़ोसी थाईलैंड में 7.7 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया था। इस समय पर की गई प्रतिक्रिया ने एक बार फिर क्षेत्र में “प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता” के रूप में भारत की बढ़ती भूमिका को उजागर किया, जिसने मानवीय मूल्यों और क्षेत्रीय स्थिरता के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को रेखांकित किया।

हाल के वर्षों में भारत द्वारा किए गए प्रमुख मानवीय मिशन

- भारत ने हाल के वर्षों में अपने नागरिकों और संघर्षों या प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित विदेशी देशों के लोगों के लिए कई बड़े पैमाने पर और उच्च प्रभाव वाले मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR) मिशन चलाए हैं। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण अभियानों पर एक नज़र डाली गई है:

भारत की मानवीय परंपरा

भारत हमेशा से ही अंतर्राष्ट्रीय मानवीय प्रयासों में सक्रिय और जिम्मेदार भागीदार रहा है। भले ही भारत शरणार्थियों पर 1951 के संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है, लेकिन इसने लगातार आवश्यक मानवीय सिद्धांतों का पालन किया है जैसे:

- गैर-वापसी (शरणार्थियों को ऐसे देश में वापस नहीं भेजना जहाँ उन्हें उत्पीड़न का सामना करना पड़ सकता है)
- स्वैच्छिक प्रत्यावर्तन
- शरणार्थियों और शरण चाहने वालों के लिए कानून के समक्ष समानता।

भारत शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त (यूएनएचसीआर) की कार्यकारी समिति का सदस्य भी है, जहाँ यह वैश्विक शरणार्थी संरक्षण और मानवीय मुद्दों में रचनात्मक भूमिका निभाता है।

- **ऑपरेशन ब्रह्मा (2024):**
 - म्यांमार और थाईलैंड में आए विनाशकारी भूकंप के बाद शुरू किया गया।
 - भारत ने 15 टन राहत सामग्री पहुंचाते हुए “प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता” की भूमिका निभाई।
 - खोज और बचाव दल, चिकित्सा कर्मी और टेंट, कंबल, खाद्य पदार्थ, वाटर प्यूरीफायर और दवाइयों सहित आवश्यक आपूर्ति भेजी।
 - इन राहत सामग्रियों को यांगून तक पहुंचाने के लिए C130J विमान का इस्तेमाल किया गया।
- **ऑपरेशन अजय (2023):**
 - अक्टूबर 2023 में इजरायल-हमास संघर्ष के बढ़ने के बाद इजरायल और फिलिस्तीन से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए शुरू किया गया।
- **ऑपरेशन कावेरी (2023):**
 - सूडान में फंसे भारतीयों को बचाने के लिए चलाया गया, जहाँ सूडानी सशस्त्र बलों और रैपिड सपोर्ट फोर्स (RSF) के बीच हिंसक संघर्ष छिड़ गया था।
 - भारत ने युद्ध के बीच अपने सैकड़ों नागरिकों को सुरक्षित निकाला।
- **ऑपरेशन दोस्त (2023):**
 - फरवरी 2023 में आए भीषण भूकंप के बाद तुर्की और सीरिया की सहायता के लिए चलाया गया।
 - भारत ने खोज और बचाव दल, चिकित्सा सहायता और राहत सामग्री भेजी।
- **ऑपरेशन गंगा (2022):**
 - रूस-यूक्रेन संघर्ष शुरू होने के बाद यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया।

- भारत ने 24x7 नियंत्रण कक्ष स्थापित किए और हंगरी, पोलैंड, रोमानिया और स्लोवाक गणराज्य के माध्यम से सुरक्षित क्रॉसिंग की व्यवस्था की।
- **ऑपरेशन देवी शक्ति (2021):**
 - तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान में संकट के दौरान शुरू किया गया।
 - भारतीय नागरिकों के साथ-साथ अफगान भागीदारों और अन्य कमजोर व्यक्तियों को निकाला गया।
- **वंदे भारत मिशन और ऑपरेशन समुद्र सेतु (2020):**
 - **वंदे भारत मिशन:** कोविड-19 लॉकडाउन के कारण विदेशों में फंसे हजारों भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया।
 - **ऑपरेशन समुद्र सेतु:** विदेशों से भारतीयों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना के नेतृत्व में चलाया गया अभियान।
- **ऑपरेशन राहत (2015):**
 - सऊदी नेतृत्व वाले सैन्य हस्तक्षेप के बीच युद्ध प्रभावित यमन से भारतीय और विदेशी नागरिकों को निकालने के लिए चलाया गया।
- **ऑपरेशन मैत्री (2015):**
 - नेपाल में आए भीषण भूकंप के बाद शुरू किया गया।
 - भारत ने बचाव, निकासी और मानवीय राहत सहायता प्रदान की।
- **ऑपरेशन सेफ होमकमिंग (2011):**
 - गृहयुद्ध के दौरान लीबिया में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए हवाई और समुद्री निकासी का मिश्रण।
- **ऑपरेशन सुकून (2006):**
 - लेबनान में इजरायल-हिजबुल्लाह संघर्ष के दौरान चलाया गया।
 - भारतीय नागरिकों के साथ-साथ श्रीलंकाई और नेपाली नागरिकों को भी युद्ध क्षेत्र से निकाला गया।

ये मिशन क्यों महत्वपूर्ण हैं

भारत के मानवीय मिशनों ने न केवल संकटों की तीव्र प्रतिक्रिया देने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है, बल्कि एक जिम्मेदार क्षेत्रीय और वैश्विक अभिनेता के रूप में अपनी छवि को भी मजबूत किया है। ये मिशन कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करते हैं, सद्भावना का निर्माण करते हैं और भारत को एक मानवीय महाशक्ति के रूप में स्थापित करते हैं।

आगे की राह: भारत को क्या करना चाहिए

जैसे-जैसे दुनिया बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं, संघर्षों और मानवीय संकटों का सामना कर रही है, भारत को इन बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए कई मोर्चों पर समायोजन करना होगा:

- **भविष्य-उन्मुख दृष्टिकोण अपनाना:** अकेले पिछले अनुभव पर्याप्त नहीं होंगे। भारत को भविष्य में जटिल और अप्रत्याशित खतरों के लिए तैयार रहना चाहिए - जलवायु आपदाओं से लेकर साइबर आपात स्थितियों तक।
- **सरकारी एजेंसियों के बीच समन्वय में सुधार:** राहत कार्यों के दौरान कई सरकारी विभाग, राज्य सरकारें, सशस्त्र बल, मीडिया और नागरिक समाज समूह एक साथ काम करते हैं। इन प्रयासों को और अधिक प्रभावी और निर्बाध बनाने के लिए भारत को बेहतर समन्वय तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है।
- **क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समूहों का लाभ उठाना:** भारत को संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR) मिशनों को अंजाम देने, क्षेत्रीय तैयारियों में सुधार करने और आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए IORA (हिंद महासागर रिम एसोसिएशन), SAARC (दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ), BIMSTEC (बंगाल की खाड़ी पहल) और QUAD जैसे प्लेटफार्मों का सक्रिय रूप से उपयोग करना चाहिए।

निष्कर्ष

मानवीय कार्यों में भारत की सक्रिय भागीदारी करुणा, जिम्मेदारी और "वसुधैव कुटुम्बकम्" (सम्पूर्ण विश्व एक परिवार है) दर्शन के प्रति प्रतिबद्धता की इसकी दीर्घकालिक परंपरा को दर्शाती है। जैसे-जैसे मानवीय संकट अधिक लगातार और जटिल होते जा रहे हैं, HADR क्षेत्र में भारत का उभरता नेतृत्व समयोचित और आवश्यक दोनों है - यह इसके बढ़ते वैश्विक कद और नैतिक जिम्मेदारी का प्रमाण है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. निम्नलिखित पर विचार करें:

	ऑपरेशन / मिशन	देश
1	ऑपरेशन ब्रह्मा	म्यांमार
2	ऑपरेशन गंगा	तुर्की
3	ऑपरेशन देवी शक्ति	यमन
4	ऑपरेशन कावेरी	यूक्रेन

उपर्युक्त में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है?

(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2

(c) केवल 2 और 3 (d) केवल 3 और 4

(e) : 2018

प्रत्यर्पण प्रक्रिया

चर्चा में क्यों: 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के लिए न्याय की तलाश में एक प्रमुख घटनाक्रम में, एक प्रमुख आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा को संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत प्रत्यर्पित किया गया है। अब उसे भारत में एक विशेष राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) अदालत में मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। यह प्रत्यर्पण 26/11 हमलों के सभी षड्यंत्रकारियों को न्याय के कटघरे में लाने के भारत के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है।

प्रत्यर्पण क्या है?

प्रत्यर्पण एक औपचारिक कानूनी प्रक्रिया है जिसमें एक देश किसी व्यक्ति को अनुरोध करने वाले देश के अधिकार क्षेत्र में किए गए अपराधों के लिए मुकदमे या सज़ा के लिए दूसरे देश को सौंपता है।

- यह आमतौर पर दो देशों के बीच द्विपक्षीय संधि या बहुपक्षीय समझौते पर आधारित होता है।
- संधि के बिना प्रत्यर्पण अत्यंत दुर्लभ है, और संधियों के साथ भी, प्रक्रिया जटिल और समय लेने वाली हो सकती है।

प्रत्यर्पण संधियाँ: वे कैसे काम करती हैं?

- **पुरानी संधियाँ:**
 - इनमें अक्सर विशिष्ट अपराधों (जैसे हत्या, अपहरण, आतंकवाद) की सूची होती है।
 - केवल इन अपराधों के लिए आरोपित या दोषी ठहराए गए लोगों को ही प्रत्यर्पित किया जा सकता है।

- **आधुनिक संधियाँ:**

- दोहरी आपराधिकता के सिद्धांत का पालन करती हैं, जिसका अर्थ है कि दोनों देशों में इस कृत्य को अपराध माना जाना चाहिए।
- उदाहरण के लिए, यदि दोनों देश आतंकवाद को गंभीर अपराध मानते हैं, तो प्रत्यर्पण को मंजूरी मिलने की अधिक संभावना है।

- **प्रत्यर्पण के अपवाद:**

- राजनीतिक अपराध (जैसे विद्रोह या राजद्रोह) आमतौर पर प्रत्यर्पण से बाहर रखे जाते हैं।
- **प्रत्यर्पण को निम्न कारणों से भी अस्वीकार किया जा सकता है:**
 - ◆ अनुचित मुकदमे का जोखिम
 - ◆ यातना या मृत्युदंड
 - ◆ पर्याप्त साक्ष्य का अभाव

भारत का प्रत्यर्पण नेटवर्क:

- विदेश मंत्रालय के अनुसार, भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका सहित 48 देशों के साथ प्रत्यर्पण संधियों पर हस्ताक्षर किए हैं।
- इसके अलावा 12 अन्य देशों के साथ गैर-बाध्यकारी प्रत्यर्पण व्यवस्थाएँ हैं, जो अधिक लचीली हैं, लेकिन कम लागू करने योग्य हैं।

प्रत्यर्पण प्रक्रिया कैसे काम करती है?

1. **अनुरोध किया गया:** जिस देश में अपराध हुआ (इस मामले में, भारत) औपचारिक रूप से प्रत्यर्पण का अनुरोध करता है।
2. **कानूनी समीक्षा:** जिस देश में व्यक्ति रहता है (इस मामले में, अमेरिका) अपनी कानूनी प्रणाली के माध्यम से अनुरोध की जांच करता है।
3. **शर्तों की जाँच:**
 - कुछ संधियाँ केवल दोषसिद्धि के बाद ही प्रत्यर्पण की अनुमति देती हैं।
 - अन्य आधिकारिक रूप से आरोप दायर होने के बाद प्रत्यर्पण की अनुमति देते हैं।
4. **अपील और अंतिम आदेश:** अभियुक्त अदालत में प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील कर सकता है। प्रत्यर्पण केवल तभी होता है जब सभी कानूनी विकल्प समाप्त हो जाते हैं।
5. **हिरासत और स्थानांतरण:** एक बार स्वीकृति मिलने के बाद, अनुरोध करने वाले देश के अधिकारी व्यक्ति की हिरासत लेने के लिए यात्रा करते हैं।

भारत-अमेरिका प्रत्यर्पण संधि

- जून 1997 में दोनों देशों के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षरित।
- न्याय का सामना करने के लिए व्यक्तियों को आगे-पीछे भेजने के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है।
- प्रत्यर्पण योग्य अपराध वे हैं जो दोनों देशों में एक वर्ष से अधिक कारावास के साथ दंडनीय हैं।
- राजनीतिक अपराधों को बाहर रखा गया है, जिससे राजनीतिक रूप से प्रेरित अपराधों के आरोपी व्यक्तियों को प्रत्यर्पित करना कठिन हो जाता है।

आतंकवाद के संदर्भ में प्रत्यर्पण

जबकि भारत और अमेरिका के बीच एक संधि है, वास्तविक प्रत्यर्पण दुर्लभ रहे हैं, खासकर आतंकवाद के मामलों में।

अमेरिका से भारत में सफल प्रत्यर्पण

- चरणजीत सिंह चीमा (कथित खालिस्तानी आतंकवादी) - 2005 में प्रत्यर्पित किया गया
- कुलबीर सिंह (बारापिंड) - 2006 में प्रत्यर्पित किया गया

उल्लेखनीय अस्वीकृतियाँ

- अमेरिका ने 26/11 हमलों के एक अन्य प्रमुख योजनाकार डेविड हेडली को प्रत्यर्पित करने से इनकार कर दिया, जो सरकारी गवाह बन गया और अमेरिका में एक याचिका सौदेबाजी(Plea Bargain) में शामिल हो गया।

तहव्वुर राणा कौन है?

- तहव्वुर हुसैन राणा एक पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है, जो अमेरिका में रह रहा था।
- उस पर आरोप है:
 - डेविड हेडली की मदद करना, जिसने लश्कर-ए-तैयबा आतंकवादी समूह के लिए मुंबई में निगरानी की थी।
 - 2008 के मुंबई हमलों के पीछे व्यापक साजिश का हिस्सा होना, जिसमें 166 लोग मारे गए थे।
- हालांकि पहले अमेरिका में आतंकवादी साजिशों का समर्थन करने के लिए उसे दोषी ठहराया गया था, लेकिन उसे मुंबई हमलों के संबंध में दोषी नहीं ठहराया गया था।

आगे क्या होगा?

अब जब राणा को प्रत्यर्पित कर दिया गया है:

- उसे भारत में एक विशेष एनआईए अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा।
- भारत जांच के दौरान एकत्र किए गए साक्ष्य प्रस्तुत करेगा।
- 26/11 की साजिश में उसकी कथित भूमिका के लिए उस पर मुकदमा चलाने की संभावना है।

निष्कर्ष

तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण भारत के आतंकवाद विरोधी प्रयासों में एक ऐतिहासिक क्षण है। यह आतंकवाद विरोधी भारत की कानूनी कूटनीति और अंतरराष्ट्रीय सहयोग की बढ़ती ताकत को दर्शाता है।

हालांकि, यह मामला प्रत्यर्पण प्रक्रिया की चुनौतियों को भी उजागर करता है - जिसमें कानूनी बाधाएं, राजनीतिक विचार और मजबूत द्विपक्षीय संबंधों की आवश्यकता शामिल है।

भारत के लिए, यह घटनाक्रम केवल एक आरोपी को न्याय के कटघरे में लाने के बारे में नहीं है, बल्कि एक मजबूत संदेश भेजने के बारे में है कि आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और सीमाओं के पार न्याय किया जाएगा।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. निम्नलिखित देशों पर विचार करें:

- | | |
|----------|-----------------|
| 1. यूएसए | 2. यूके |
| 3. यूएई | 4. स्विट्जरलैंड |

उपर्युक्त देशों में से कितने देशों की भारत के साथ प्रत्यर्पण संधि है?

- | | |
|--------------|-------------|
| (a) केवल एक | (b) केवल दो |
| (c) केवल तीन | (d) सभी चार |

(P) : 258

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. आतंकवाद और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे अंतरराष्ट्रीय अपराधों के खिलाफ संघर्ष में प्रत्यर्पण एक महत्वपूर्ण उपकरण है। तहव्वुर राणा जैसे हालिया मामलों के संदर्भ में प्रत्यर्पण में शामिल कानूनी और कूटनीतिक चुनौतियों की जांच करें। [250 शब्द] [15 अंक]

ऋण-जीडीपी अनुपात

चर्चा में क्यों: चूंकि केंद्र सरकार और भारत के राज्य दोनों ही अपने ऋण लक्ष्यों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल और गुजरात जैसे कुछ राज्य ऋण अंतर को कम करने में सकारात्मक उदाहरण के रूप में उभरे हैं। केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि 2026-27 से शुरू होकर, ऋण-जीडीपी अनुपात भारत का प्राथमिक राजकोषीय आधार बन जाएगा, जिसका लक्ष्य 2031 तक इसे 49% से 51% के बीच बनाए रखना है।

ऋण-जीडीपी अनुपात क्या है?

ऋण-जीडीपी अनुपात एक महत्वपूर्ण आर्थिक संकेतक है जो किसी देश के कुल सरकारी ऋण की तुलना उसके सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) से करता है। यह दर्शाता है कि देश एक वर्ष में अपने उत्पादन की तुलना में कितना ऋण चुकाता है।

- **सूत्र:** ऋण-जीडीपी अनुपात = (कुल सरकारी ऋण / जीडीपी) × 100

यह हमें क्या बताता है:

- कम ऋण-जीडीपी अनुपात का अर्थ है कि देश की अर्थव्यवस्था बिना अधिक उधार लिए अपने ऋण को चुकाने के लिए पर्याप्त मजबूत है।
- उच्च ऋण-जीडीपी अनुपात से पता चलता है कि सरकार अपने ऋण को चुकाने के लिए संघर्ष कर सकती है, खासकर अगर आर्थिक वृद्धि कमजोर है।

भारत की राजकोषीय यात्रा: ऋण प्रवृत्तियाँ

2000 के दशक की शुरुआत:

- जब 2003 में राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम पारित किया गया था, तब भारत का कुल सरकारी ऋण (केंद्र + राज्य) सकल घरेलू उत्पाद का 83.23% था।
- केंद्र का हिस्सा: 65.98%
- राज्यों का हिस्सा: 31.79%



कोविड के बाद की वृद्धि:

- महामारी से संबंधित व्यय और घटते राजस्व के कारण, भारत का ऋण-जीडीपी अनुपात 2020-21 में तेजी से बढ़कर 89.45% हो गया।
- यह अनुपात 2023-24 तक घटकर 81.59% हो गया, लेकिन यह अभी भी 2018 के लक्ष्य स्तरों से ऊपर बना हुआ है।
 - केंद्र का हिस्सा (2023-24): 57.45%
 - राज्यों का हिस्सा (2023-24): 27.61%

राज्यवार परिदृश्य

2022-23 में राज्यवार ऋण जीडीपी अनुपात

ऋण-जीडीपी अनुपात



एनसीईआर (नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च) द्वारा हाल ही में किए गए एक अध्ययन में 21 प्रमुख भारतीय राज्यों का विश्लेषण किया गया और पाया गया कि 17 राज्यों में 2012-13 और 2022-23 के बीच उनके ऋण-जीडीपी अनुपात में वृद्धि देखी गई।

सबसे अधिक ऋण-जीडीपी अनुपात वाले राज्य (2022-23):

- पंजाब: 46.8%
- हिमाचल प्रदेश: 45.2%
- बिहार: 39.1%

2012-13 के बाद से सबसे अधिक वृद्धि वाले राज्य:

- पंजाब: 15.8 प्रतिशत अंकों की वृद्धि
- तमिलनाडु: 13.5 प्रतिशत अंकों की वृद्धि
- तेलंगाना: 12.6 प्रतिशत अंकों की वृद्धि वाले राज्य

पिछले दशक में पश्चिम बंगाल और गुजरात सहित केवल चार राज्यों ने ऋण अंतर को कम करने में सार्थक सुधार दिखाया है।

कम ऋण-जीडीपी अनुपात क्यों महत्वपूर्ण है?

- यह दर्शाता है कि सरकार अपने साधनों के भीतर खर्च कर रही है और भविष्य की पीढ़ियों पर मौजूदा उधार का बोझ नहीं पड़ेगा।
- यह निवेशकों के विश्वास को बेहतर बनाने में मदद करता है, संप्रभु क्रेडिट रेटिंग को मजबूत करता है और व्यापक आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करता है।
- कम अनुपात सरकार को महामारी या प्राकृतिक आपदाओं जैसी आपात स्थितियों के दौरान खर्च बढ़ाने की अधिक गुंजाइश देता है।

2026-27 से राजकोषीय स्थिरता

केंद्र सरकार ने 2026-27 से अपने राजकोषीय स्थिरता को राजकोषीय घाटे से हटाकर ऋण-जीडीपी अनुपात पर स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है। इसका लक्ष्य वर्ष 2030-31 तक इस अनुपात को 49%-51% की सीमा तक लाना है, जिससे दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

निष्कर्ष

भारत राजकोषीय सुधार के एक महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर रहा है, जहाँ ऋण-जीडीपी अनुपात भविष्य के आर्थिक निर्णयों का मार्गदर्शन करेगा। जबकि केंद्र और अधिकांश राज्य वर्तमान में अपने ऋण लक्ष्यों से पीछे रह रहे हैं, एक स्पष्ट राजकोषीय लंगर की ओर बदलाव स्थायी सार्वजनिक वित्त के लिए एक संरचित मार्ग प्रदान करता है। पश्चिम बंगाल और गुजरात जैसे राज्यों से सीखते हुए, और जिम्मेदार ऋण और कुशल खर्च पर ध्यान केंद्रित करते हुए, भारत एक मजबूत और अधिक लचीली अर्थव्यवस्था का निर्माण कर सकता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. कम ऋण-जीडीपी अनुपात विदेशी मुद्रा के निम्न स्तर के कारण बाहरी ऋणों का भुगतान करने में परेशानी को इंगित करता है, जबकि उच्च ऋण-जीडीपी अनुपात वाले देश में आमतौर पर ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जो बिना किसी अतिरिक्त ऋण के ऋण का भुगतान करने के लिए पर्याप्त वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करती है।
2. पंजाब, हिमाचल प्रदेश और बिहार सबसे अधिक ऋण-जीडीपी अनुपात वाले राज्यों में से हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

(9) 2024

भारत में अत्यधिक निर्धनता

संदर्भ: कन्नूर (केरल) में धर्मादम निर्वाचन क्षेत्र अत्यधिक निर्धनता को खत्म करने वाला राज्य का पहला निर्वाचन क्षेत्र बन गया है। यह स्थानीय सफलता की कहानी एक बड़े मिशन का हिस्सा है, क्योंकि केरल सरकार का लक्ष्य 1 नवंबर 2025 तक पूरे राज्य को "अत्यधिक निर्धनता मुक्त" घोषित करना है, जो भारत के निर्धनता उन्मूलन प्रयासों में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है।

अत्यधिक निर्धनता (Extreme Poverty) क्या है?

अत्यधिक निर्धनता एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करती है, जिसमें व्यक्ति या परिवार जीवित रहने के लिए बुनियादी जरूरतों तक पहुंच से वंचित होते हैं। केरल में, राज्य सरकार चार प्रमुख संकेतकों का उपयोग करके अत्यधिक निर्धनता को परिभाषित करती है:

1. खाद्य उपलब्धता
2. स्वास्थ्य
3. आय
4. आवास

एक विस्तृत सर्वेक्षण में, सरकार ने अत्यधिक निर्धनता में रहने वाले 64,002 परिवारों की पहचान की। इसे संबोधित करने के लिए, प्रत्येक परिवार की विशिष्ट आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए, उनकी जीवन स्थितियों को बेहतर बनाने के लिए सूक्ष्म-स्तरीय कार्य योजनाएं बनाई गईं।

केरल की उपलब्धि और दूरदर्शिता

- केरल ने हमेशा सामाजिक संकेतकों में अच्छा प्रदर्शन किया है।
- नीति आयोग के बहुआयामी निर्धनता सूचकांक (एमपीआई) 2021 के अनुसार, **केरल में भारत में सबसे कम निर्धनता दर थी - केवल 0.71%।
- धर्मादम मॉडल दिखाता है कि कैसे लक्षित शासन, डेटा-संचालित योजना और राजनीतिक इच्छाशक्ति अत्यधिक निर्धनता को प्रभावी ढंग से खत्म कर सकती है।

वैश्विक और भारतीय निर्धनता रेखाओं को समझना

वैश्विक बेंचमार्क:

- विश्व बैंक के अनुसार, अत्यधिक निर्धनता रेखा \$2.15 प्रति दिन (2017 पीपीपी) है।
- यह बेंचमार्क कम आय वाले देशों में आवश्यक मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक न्यूनतम आय को दर्शाता है।

भारत में निर्धनता आकलन का इतिहास

भारत में निर्धनता को मापने और कम करने का प्रयास करने का एक लंबा इतिहास रहा है, जो स्वतंत्रता से पहले भी शुरू हुआ था।

स्वतंत्रता-पूर्व प्रयास:

- **दादाभाई नौरोजी:** अपनी प्रसिद्ध पुस्तक "निर्धनता और भारत में गैर-ब्रिटिश शासन" में, उन्होंने निर्धनता के शुरुआती आँकड़े प्रस्तुत किए।
- **राष्ट्रीय योजना समिति (1938):** भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तहत शुरू की गई।
- **बॉम्बे योजना (1944):** औद्योगिक और आर्थिक सुधारों का प्रस्ताव।

स्वतंत्रता के बाद की समितियाँ:

भारत की निर्धनता रेखा ऐतिहासिक रूप से न्यूनतम कैलोरी सेवन पर आधारित थी, फिर इसमें उपभोग व्यय और बहुआयामी कारक शामिल किए गए।

1. योजना आयोग (1962)

- प्रति व्यक्ति व्यय को बेंचमार्क के रूप में उपयोग करते हुए औपचारिक निर्धनता आकलन की शुरुआत की।

2. दंडेकर और रथ (1971)

- निर्धनता रेखा को न्यूनतम कैलोरी आवश्यकताओं (ग्रामीण क्षेत्रों में 2,400 किलो कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2,100 किलो कैलोरी) से जोड़ा।

3. अलग समिति (1979)

- पोषण से जुड़ी खपत टोकरी पर आधारित पहली आधिकारिक निर्धनता रेखा।
- भोजन और बुनियादी गैर-खाद्य जरूरतों के संदर्भ में निर्धनता को परिभाषित किया।

4. लकड़वाला समिति (1993)

- कैलोरी-आधारित पद्धति जारी रखी, लेकिन राज्य-विशिष्ट निर्धनता रेखाओं को अनुमति दी।
- स्वास्थ्य और शिक्षा व्यय को नजरअंदाज किया।

5. तेंदुलकर समिति (2009)

- सर्वेक्षणों के लिए मिश्रित संदर्भ अवधि (एमआरपी) में स्थानांतरित कर दिया गया।
- उपभोग व्यय में स्वास्थ्य और शिक्षा को शामिल किया गया।
- ग्रामीण आबादी के लिए अखिल भारतीय निर्धनता रेखा 446.68 रुपये प्रति माह और शहरी आबादी के लिए 578.80 रुपये प्रति माह निर्धारित की गई (2004-05)।

6. रंगराजन समिति (2012)

- निर्धनता आकलन विधियों की समीक्षा और सुधार के लिए गठित।
- एक व्यापक उपभोग टोकरी का प्रस्ताव रखा गया और न्यूनतम जीवन स्तर पर विचार किया गया।
- हालाँकि, सरकार ने आधिकारिक तौर पर इसकी सिफारिशों को नहीं अपनाया।

भारत में प्रमुख निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम

भारत ने निर्धनता कम करने, टोजंगार में सुधार लाने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पिछले कुछ वर्षों में कई कार्यक्रम शुरू किए हैं:

कार्यक्रम	फोकस क्षेत्र
राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम	ग्रामीण क्षेत्रों में काम के बदले भोजन
स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई)	ग्रामीण स्वरोजगार
संपूर्ण ग्रामीण टोजंगार योजना (एसजीआरवाई)	टोजंगार + छायाछाया सहायता
इंदिरा आवास योजना (आईएवाई)	गरीबों के लिए ग्रामीण आवास
प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (पीएमजीवाई)	बुनियादी सेवाएं (आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य)
ग्रामीण टोजंगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी)	ग्रामोद्योग के माध्यम से टोजंगार सृजन
प्रधानमंत्री टोजंगार योजना (PMRY)	युवा स्वरोजगार
अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई)	सबसे गरीब परिवारों के लिए सब्सिडी वाला भोजन
स्वर्ण जयंती शहरी टोजंगार योजना (एसजेएसआरवाई)	शहरी टोजंगार और कौशल प्रशिक्षण

निष्कर्ष

धर्मादम में अत्यधिक निर्धनता का उन्मूलन केवल एक प्रतीकात्मक उपलब्धि नहीं है; यह इस बात का व्यावहारिक प्रदर्शन है कि केंद्रित शासन क्या हासिल कर सकता है। डेटा-आधारित नियोजन, सामुदायिक भागीदारी और लक्षित सामाजिक कल्याण के साथ, निर्धनता मुक्त भारत की दृष्टि अधिक यथार्थवादी बन जाती है। केरल का मॉडल अन्य राज्यों के लिए मूल्यवान सबक प्रदान करता है, विशेष रूप से इस बात में कि कैसे निर्धनता को केवल आय के माध्यम से ही नहीं, बल्कि भोजन, आवास, स्वास्थ्य और सम्मान के लिए समग्र दृष्टिकोण के माध्यम से संबोधित किया जा सकता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. निम्नलिखित पर विचार करें:

- अलग समिति
- लकड़वाला समिति
- तेंदुलकर समिति
- रंगराजन समिति

भारत में निर्धनता आकलन पर उपर्युक्त में से कौन सी समितियाँ हैं?

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1, 2 और 3
(c) केवल 2, 3 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4

(P) : 222

रेपो दर और भारत की मौद्रिक नीति रूपरेखा

चर्चा में क्यों: हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने रेपो दर में 25 आधार अंकों (0.25%) की कटौती करने का फैसला किया, जिससे यह 6% पर आ गई। यह कदम महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका सीधा असर देश में उधार लेने की लागत, मुद्रास्फीति और समग्र आर्थिक विकास पर पड़ता है।

रेपो रेट क्या है?

रेपो रेट (पुनर्खरीद दर का संक्षिप्त रूप) वह ब्याज दर है जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को अल्प अवधि के लिए धन उधार देता है।

इस प्रक्रिया में:

- बैंक RBI को सरकारी प्रतिभूतियाँ बेचते हैं।
- वे बाद में उन्हें एक निश्चित मूल्य पर वापस खरीदने के लिए सहमत होते हैं।

यह प्रणाली RBI को प्रबंधित करने में मदद करती है:

- अर्थव्यवस्था में तरलता (बाजार में धन की उपलब्धता)
- मुद्रास्फीति (कीमतों में वृद्धि)
- आर्थिक वृद्धि

RBI रेपो दर में बदलाव क्यों करता है?

RBI कई आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समय-समय पर रेपो दर में बदलाव करता है:

1. मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना:

- यदि मुद्रास्फीति बढ़ रही है (वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ रही हैं), तो RBI रेपो दर बढ़ा देता है। इससे ऋण महंगे हो जाते हैं, जिससे बाजार में उधारी और धन की आपूर्ति कम हो जाती है, जिससे कीमतों को नीचे लाने में मदद मिलती है।

2. विकास को बढ़ावा देने के लिए:

- जब आर्थिक वृद्धि धीमी हो रही हो, तो RBI रेपो दर कम कर देता है। इससे ऋण सस्ते हो जाते हैं, जिससे लोगों और व्यवसायों को उधार लेने, निवेश करने और अधिक खर्च करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है, जिससे अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है।

3. तरलता का प्रबंधन करना:

- रेपो दर को समायोजित करके, RBI यह सुनिश्चित करता है कि अर्थव्यवस्था में न तो बहुत अधिक और न ही बहुत कम धन प्रसारित हो।

मौद्रिक नीति क्या है?

मौद्रिक नीति वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से RBI अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति, ब्याज दरों और तरलता को नियंत्रित करता है।

इसके मुख्य उद्देश्य हैं:

- मूल्य स्थिरता बनाए रखना।
- आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित करना।
- वित्तीय बाजारों को स्थिर रखना।

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) क्या है?

- मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) RBI का एक प्रमुख निकाय है जो मुद्रास्फीति और आर्थिक विकास को प्रबंधित करने के लिए रेपो दर और अन्य मौद्रिक नीति उपायों को तय करने के लिए जिम्मेदार है।

इसका गठन कब हुआ था?

- एमपीसी आरबीआई अधिनियम, 1934 (2016 में संशोधित) की धारा 45ZB के तहत बनाई गई थी और अक्टूबर 2016 में कार्यात्मक हो गई थी।

एमपीसी का अधिदेश

- बैंचमार्क रेपो दर निर्धारित करना ताकि मुद्रास्फीति 4%, ± 2% की लक्ष्य सीमा के भीतर रहे।
- मौद्रिक नीति की समीक्षा साल में कम से कम चार बार (आमतौर पर हर दो महीने में) करना।
- बहुमत से निर्णय लेना। अगर बराबरी होती है, तो RBI गवर्नर के पास निर्णायक मत होता है।

एमपीसी की संरचना (6 सदस्य)

- RBI से 3 सदस्य:**
 - RBI गवर्नर - अध्यक्ष (पदेन)
 - मौद्रिक नीति के प्रभारी डिप्टी गवर्नर
 - RBI का एक अधिकारी (आमतौर पर एक कार्यकारी निदेशक)
- भारत सरकार द्वारा नामित 3 सदस्य:**
 - प्रख्यात अर्थशास्त्री या नीति विशेषज्ञ।
 - चार साल के लिए नियुक्त किया जाता है और फिर से नियुक्त नहीं किया जा सकता।
 - कैबिनेट सचिव के नेतृत्व वाली खोज-सह-चयन समिति द्वारा चुना जाता है।
 - कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित किया जाता है।

RBI द्वारा उपयोग किए जाने वाले महत्वपूर्ण मौद्रिक नीति उपकरण

RBI मुद्रा आपूर्ति, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए कई उपकरणों का उपयोग करता है। इन्हें मातात्मक (सामान्य) और गुणात्मक (चयनात्मक) उपायों में वर्गीकृत किया गया है।

A. मातात्मक उपकरण (सामान्य उपकरण)

1. रेपो दर:

- वह ब्याज दर जिस पर RBI बैंकों को अल्पकालिक धन उधार देता है।
- रेपो दर में वृद्धि = महंगे ऋण, बाजार में कम मुद्रा
- रेपो दर में कमी = सस्ते ऋण, बाजार में अधिक मुद्रा।

2. रिवर्स रेपो दर:

- वह दर जिस पर RBI बैंकों से पैसा उधार लेता है।
- उच्च दर = बैंक RBI के पास अतिरिक्त पैसा जमा करते हैं (तरलता कम हो जाती है)।
- निम्न दर = बैंक ऋण देने के लिए पैसा रखते हैं (तरलता बढ़ जाती है)।

3. नकद आरक्षित अनुपात (CRR):

- RBI के पास बैंक की कुल जमा राशि का नकद में रखा जाने वाला प्रतिशत।
- उच्च CRR = ऋण देने के लिए कम पैसा।
- निम्न CRR = ऋण देने के लिए अधिक पैसा।

4. वैधानिक तरलता अनुपात (SLR):

- बैंक की जमा राशि का न्यूनतम प्रतिशत सोना, नकदी या सरकार द्वारा स्वीकृत प्रतिभूतियों में रखा जाना चाहिए।
- उच्च SLR = ऋण के लिए कम पैसा।
- निम्न SLR = ऋण के लिए अधिक पैसा।

5. खुला बाजार परिचालन (OMO):

- RBI खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदता या बेचता है।
 - प्रतिभूतियाँ बेचना = बाजार से पैसा निकालना।
 - प्रतिभूतियाँ खरीदना = बाजार में पैसा डालना।

6. सीमांत स्थायी सुविधा (MSF):

- बैंक आपात स्थिति के दौरान RBI से रेपो की तुलना में अधिक दर पर ओवरनाइट फंड उधार ले सकते हैं।

7. बैंक दर:

- दीर्घकालिक ब्याज दर जिस पर RBI बैंकों को ऋण देता है। अब कम इस्तेमाल किया जाता है लेकिन अभी भी प्रासंगिक है।

8. तरलता समायोजन सुविधा (LAF):

- बैंकिंग प्रणाली में दैनिक तरलता असंतुलन को प्रबंधित करने के लिए रेपो और रिवर्स रेपो दरों का उपयोग करने वाला एक ढांचा।

9. बाजार स्थिरीकरण योजना (MSS):

- अतिरिक्त धन को अवशोषित करने के लिए जारी किए गए विशेष बांड, आमतौर पर उच्च विदेशी पूंजी प्रवाह के दौरान।

B. गुणात्मक उपकरण (चयनात्मक उपकरण)

10. नैतिक अनुनय:

- RBI बैंकों से एक निश्चित तरीके से व्यवहार करने का अनुरोध या सलाह देता है, जैसे कि जोखिम भरे क्षेत्रों को बहुत अधिक ऋण न देना, सख्त नियमों का उपयोग किए बिना।

11. क्रेडिट राशनिंग और प्रत्यक्ष कार्रवाई:

- RBI कुछ क्षेत्रों या कंपनियों को ऋण की सीमा निर्धारित कर सकता है और यदि आवश्यक हो, तो दिशानिर्देशों का पालन न करने के लिए बैंकों के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है।

निष्कर्ष

- रेपो दर आरबीआई की मौद्रिक नीति टूलकिट में सबसे महत्वपूर्ण उपकरणों में से एक है, जो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने, तरलता का प्रबंधन करने और आर्थिक विकास का समर्थन करने में मदद करती है। मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) इस दर और अन्य मौद्रिक नीति साधनों को समायोजित करके व्यापक आर्थिक स्थिरता बनाए रखने में केंद्रीय भूमिका निभाती है।

इन अवधारणाओं को समझना यह समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि वैश्विक और घरेलू परिस्थितियों में भारत की अर्थव्यवस्था को कैसे प्रबंधित और स्थिर किया जाता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. भारत में व्यापक आर्थिक स्थिरता बनाए रखने में मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की भूमिका पर चर्चा करें। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियोजित विभिन्न मौद्रिक नीति उपकरण समिति के उद्देश्यों को प्राप्त करने में कैसे योगदान करते हैं? [15 अंक | 250 शब्द]

समानिकरण शुल्क (गूगल टैक्स)

चर्चा में क्यों: वित्त विधेयक, 2025 में हाल ही में किए गए संशोधन में, केंद्र सरकार ने डिजिटल विज्ञापन सेवाओं पर 6% इक्लाइजेशन लेवी/समानिकरण शुल्क (जिसे गूगल टैक्स के नाम से भी जाना जाता है) को खत्म करने का प्रस्ताव दिया है। यह बदलाव 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगा और इसे भारत की कर व्यवस्था को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने और अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में एक कदम के रूप में देखा जा रहा है।

इक्लाइजेशन लेवी क्या है?

इक्लाइजेशन लेवी एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है जिसे 2016 में भारत सरकार द्वारा विदेशी डिजिटल कंपनियों द्वारा भारतीय उपयोगकर्ताओं से अर्जित आय पर कर लगाने के लिए पेश किया गया था, भले ही इन कंपनियों की भारत में कोई भौतिक उपस्थिति न हो। इसे बोलचाल की भाषा में "गूगल टैक्स" के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह मुख्य रूप से गूगल और फेसबुक जैसी वैश्विक तकनीकी दिग्गजों पर लक्षित था जो भारत में डिजिटल विज्ञापन के माध्यम से राजस्व कमाते हैं लेकिन यहां बहुत कम या कोई कर नहीं देते हैं।

इक्लाइजेशन लेवी की मुख्य विशेषताएं

- 2016 में गैर-निवासी कंपनियों को डिजिटल विज्ञापन सेवाओं के लिए भुगतान की गई राशि पर 6% की दर से लागू किया गया।
- 6% लेवी तभी लगाई जाती है जब भुगतान एक वित्तीय वर्ष में ₹1 लाख से अधिक हो।
- यह केवल व्यवसाय से संबंधित लेन-देन पर लागू होता है। सेवाओं के व्यक्तिगत उपयोग को इससे छूट दी गई है।
- विदेशी डिजिटल विज्ञापन प्लेटफॉर्म को भुगतान करने वाले निवासी भारतीय व्यवसायों को भुगतान से पहले स्रोत पर लेवी काटनी होती थी।

2020 में विस्तार: ई-कॉमर्स ऑपरेटरों पर 2% लेवी

2020 में, वित्त अधिनियम में संशोधन के माध्यम से, समतुल्यता लेवी का दायरा बढ़ाकर गैर-निवासी ई-कॉमर्स ऑपरेटरों को शामिल किया गया, जो निम्नलिखित की आपूर्ति करते हैं:

- वस्तु
- सेवाएँ
- या दोनों

यह नया 2% लेवी मूल 6% लेवी से अलग था, और इसमें अमेज़न, अलीबाबा और अन्य जैसे विदेशी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म द्वारा अर्जित राजस्व शामिल था, जो भारतीय ग्राहकों को ऑनलाइन सामान बेचते थे या सेवाएँ प्रदान करते थे।

अंतर्राष्ट्रीय प्रतिरोध और 2% लेवी का निरसन

संयुक्त राज्य सरकार ने दोनों लेवी, विशेष रूप से 2% संस्करण का कड़ा विरोध किया, उन्हें "भेदभावपूर्ण और अनुचित" कहा। उनका तर्क था कि:

- कर केवल विदेशी कंपनियों को लक्षित करता था, जबकि भारतीय कंपनियों को छूट दी गई थी।
- इसने निष्पक्ष व्यापार और डिजिटल अर्थव्यवस्था कराधान के सिद्धांतों का उल्लंघन किया।

बढ़ते दबाव की प्रतिक्रिया में और संभावित व्यापार युद्ध से बचने के लिए, भारत ने वैश्विक डिजिटल कर मानदंडों पर अमेरिका और अन्य OECD देशों के साथ बातचीत के हिस्से के रूप में 2024 में 2% समानिकरण लेवी को निरस्त कर दिया।

हालाँकि, डिजिटल विज्ञापन पर मूल 6% लेवी अभी तक लागू रही।

1 अप्रैल, 2025 से क्या बदला:

सरकार ने अब ऑनलाइन विज्ञापन सेवाओं पर शेष 6% समतुल्य शुल्क को समाप्त करने का प्रस्ताव दिया है, जिससे Google कर व्यवस्था प्रभावी रूप से समाप्त हो जाएगी।

उन्मूलन के निहितार्थ

- व्यवसायों के लिए लागत में कमी:**
 - 6% ईएल को हटाने से वैश्विक प्लेटफॉर्मों पर विज्ञापन देने वाले भारतीय व्यवसायों के लिए अनुपालन और कराधान लागत कम हो जाएगी।
- डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा:**
 - अंतर्राष्ट्रीय कर मानदंडों के साथ संरेखित करके, भारत अधिक डिजिटल निवेश आकर्षित करने और अपने ऑनलाइन विज्ञापन और ई-कॉमर्स क्षेत्रों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने की संभावना है।
- भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों में सुधार:**
 - इस कदम को विशेष रूप से अमेरिका के प्रति विश्वास-निर्माण उपाय के रूप में देखा जा रहा है, जो व्यापार संबंधी परेशानियों को हल करने और बहुपक्षीय डिजिटल कराधान ढांचे का समर्थन करने की भारत की इच्छा को दर्शाता है।
- सरलीकृत कर नीति:**
 - यह कर प्रणाली को सुव्यवस्थित करने, विवादों और मुकदमेबाजी को कम करने और कारोबारी माहौल को अधिक पूर्वानुमानित बनाने की भारत की व्यापक रणनीति का हिस्सा है।

अप्रैल 2025 से 6% इक्वलाइजेशन लेवी को समाप्त करने से भारत के एकतरफा डिजिटल कर उपायों का अंत हो जाएगा, जिससे डिजिटल अर्थव्यवस्था पर कर लगाने के लिए अधिक समन्वित वैश्विक दृष्टिकोण का रास्ता साफ हो जाएगा। यह भारत के कर सरलीकरण, निवेश अनुकूलता और वैश्विक कर सहयोग की ओर बदलाव को भी दर्शाता है - जो एक मजबूत डिजिटल भविष्य के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व हैं।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. भारत में 6% इक्वलाइजेशन लेवी निम्नलिखित में से किस सेवा पर लागू है?

- ऑनलाइन विज्ञापन सेवाएँ
- परामर्श सेवाओं का निर्यात
- भारत में लकजरी वस्तुओं की बिक्री
- ई-कॉमर्स आपूर्ति श्रृंखला सेवाएँ

(B) : 2025

भारत द्वारा बांग्लादेश के साथ ट्रांसशिपमेंट सुविधा समाप्त

चर्चा में क्यों: भारत ने हाल ही में बांग्लादेश के लिए दी जाने वाली ट्रांसशिपमेंट सुविधा को समाप्त कर दिया है। इस सुविधा के तहत पहले बांग्लादेश से माल भारत के एयर कार्गो मार्गों के माध्यम से ले जाया जाता था। यह निर्णय बढ़ती रसद समस्याओं, रणनीतिक चिंताओं और बांग्लादेशी नेताओं द्वारा की गई विवादास्पद टिप्पणियों की पृष्ठभूमि में लिया गया है।

भारत ने यह सुविधा क्यों समाप्त की?

लॉजिस्टिक चुनौतियाँ और बढ़ती भीड़:

- भारतीय निर्यातकों, विशेष रूप से परिधान और फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों से, ने शिकायत की कि बांग्लादेश से बड़ी संख्या में ट्रक भारत के पारगमन बिंदुओं - जैसे दिल्ली एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स - पर आ रहे हैं, जिससे भारी भीड़भाड़ हो रही है।
- रिपोर्टों से पता चला है कि प्रतिदिन लगभग 20-30 ट्रक बांग्लादेशी माल आ रहे हैं, जिससे भारतीय माल की निकासी में देरी हो रही है।
- इससे हवाई माल भाड़े में वृद्धि हुई और लॉजिस्टिक अड़चन पैदा हुई, जिससे भारतीय व्यापारियों और व्यवसायों पर असर पड़ा।

सामरिक और कूटनीतिक चिंताएँ:

- हाल ही में, चीन की यात्रा के दौरान कुछ बांग्लादेशी अधिकारियों ने ऐसे बयान दिए, जिनसे संकेत मिलता है कि बांग्लादेश भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र पर सामरिक लाभ रखता है।
- इन टिप्पणियों ने नई दिल्ली में गंभीर चिंताएँ पैदा कीं, क्योंकि इन्हें भड़काऊ और भारत की संप्रभुता और सुरक्षा हितों के विरुद्ध माना गया।
- इस प्रकार भारत ने इस ट्रांसशिपमेंट सुविधा सहित कई द्विपक्षीय व्यापार और पारगमन व्यवस्थाओं की समीक्षा की।

भारतीय निर्यातकों पर प्रभाव:

- ऐसी शिकायतें थीं कि कभी-कभी बांग्लादेशी माल को भारतीय बंदरगाहों और कार्गो टर्मिनलों पर प्राथमिकता मिल रही थी।
- इससे भारतीय निर्यातकों के लिए देरी और लागत में वृद्धि हुई, खासकर पीक एक्सपोर्ट सीजन के दौरान।
- परिधान निर्यात संवर्धन परिषद (AEPD) जैसे निर्यात उद्योग निकायों ने इस सुविधा को वापस लेने की जोरदार मांग की।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों का अनुपालन:

- हालांकि कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि क्या भारत के इस कदम से वस्तुओं के मुक्त पारगमन पर विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के नियमों का उल्लंघन हुआ है, लेकिन भारतीय अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यह निर्णय पूरी तरह से परिचालन संबंधी कठिनाइयों और राष्ट्रीय हित पर आधारित था।

भारत-बांग्लादेश संबंध:

इस मुद्दे के बावजूद, भारत और बांग्लादेश ने ऐतिहासिक रूप से कई क्षेत्रों में मजबूत संबंध साझा किए हैं:

व्यापार:

- बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है।
- 2023-24 में, द्विपक्षीय व्यापार लगभग 12.9 बिलियन डॉलर था।
 - **बांग्लादेश को भारत का निर्यात:** लगभग 11.06 बिलियन डॉलर (मुख्य रूप से कपड़ा, पेट्रोलियम, मशीनरी और रसायन)
 - **बांग्लादेश से भारत का आयात:** लगभग 1.8 बिलियन डॉलर (मुख्य रूप से वस्त्र, जूट और कृषि उत्पाद)
- दोनों देश टैरिफ को और कम करने और निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (CEPA) पर काम कर रहे हैं।

बुनियादी ढांचा और संपर्क:

- पुराने रेल संपर्कों को पुनर्जीवित किया गया है, तथा व्यापार और आवागमन को बेहतर बनाने के लिए मैत्री सेतु जैसे नए पुल बनाए गए हैं।
- दोनों देशों के बीच प्रोटोकॉल के अनुसार 20 नदी मार्ग संचालित होते हैं।
- खुलना-मोंगला पोर्ट रेल लाइन और विभिन्न सीमा-पार रेल मार्गों ने क्षेत्रीय व्यापार संपर्क को बढ़ाने में मदद की है।

ऊर्जा सहयोग:

- बांग्लादेश में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट और डीजल आपूर्ति के लिए भारत-बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन जैसी परियोजनाओं ने ऊर्जा संबंधों को मजबूत किया है।
- भारत समर्पित ग्रिड कनेक्शन के माध्यम से बांग्लादेश को 1,100 मेगावाट से अधिक बिजली का निर्यात भी करता है।

रक्षा और सुरक्षा:

- संयुक्त सैन्य अभ्यास जैसे कि अभ्यास सम्प्रीति (सेना) और बोंगोसागर (नौसेना) नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं।
- दोनों देश आतंकवाद का मुकाबला करने और खुफिया जानकारी साझा करने में सहयोग करते हैं, खासकर पूर्वोत्तर भारत में विद्रोही समूहों के संबंध में।

सांस्कृतिक और लोगों से लोगों के बीच संबंध:

- बांग्लादेशी पर्यटक भारत आने वाले सबसे बड़े समूह हैं, खासकर चिकित्सा उपचार के लिए।

- शैक्षिक छात्रवृत्ति, फिल्म समारोह और सांस्कृतिक समारोह (जैसे मुजीब बोरशो) मजबूत सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देते हैं।

भारत-बांग्लादेश संबंधों में चुनौतियाँ

राजनीतिक परिवर्तन:

- 2024 में शेख हसीना के सत्ता से बाहर होने के बाद, मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व में नए नेतृत्व ने भारत और चीन दोनों को शामिल करते हुए अधिक संतुलित विदेश नीति अपनाई है।
- इस बदलाव ने भारत के लिए रणनीतिक अनिश्चितताएँ पैदा कर दी हैं।

जल बंटवारे संबंधी विवाद:

- लंबे समय से लंबित तीस्ता नदी जल बंटवारे का मुद्दा अभी भी अनसुलझा है।
- पश्चिम बंगाल को पानी खोने का डर है, जबकि बांग्लादेश अपने किसानों के लिए उचित हिस्सा माँग रहा है।
- गतिरोध से कूटनीतिक संबंधों में तनाव पैदा होता है।

सीमा सुरक्षा:

- 4,096 किलोमीटर लंबी सीमा पर अवैध प्रवास, तस्करी और कभी-कभार होने वाली झड़पों जैसी चुनौतियाँ हैं।
- हाल की घटनाओं ने बेहतर समन्वय और सख्त सीमा प्रबंधन की आवश्यकता को उजागर किया है।

चीन की बढ़ती उपस्थिति:

- बांग्लादेश के बुनियादी ढाँचे, बंदरगाहों और रक्षा क्षेत्रों में चीन के बढ़ते निवेश से भारत चिंतित है।
- इससे क्षेत्रीय शक्ति संतुलन बिगड़ सकता है, जिससे भारत के सामरिक हित प्रभावित हो सकते हैं।

निष्कर्ष

भारत और बांग्लादेश अपने संबंधों के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर हैं। हालांकि दोनों देशों ने मजबूत व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध बनाए हैं, लेकिन उभरती चुनौतियों से सावधानीपूर्वक निपटने की आवश्यकता है।

क्या किया जाना चाहिए?

- धैर्यपूर्ण बातचीत के माध्यम से राजनीतिक संवेदनशीलता और जल-बंटवारे संबंधी विवादों को सुलझाना।
- अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए सीमा सुरक्षा सहयोग को मजबूत करना।
- प्रतिस्पर्धी निवेश और बुनियादी ढाँचे के समर्थन की पेशकश करके क्षेत्रीय प्रभाव को संतुलित रखना।
- सद्भावना बनाए रखने के लिए पर्यटन, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा आदान-प्रदान जैसे लोगों के बीच संबंधों पर ध्यान केंद्रित रखना।

विश्वास, पारस्परिक सम्मान और खुले संवाद पर आधारित संबंध दोनों पड़ोसियों को इन चुनौतियों से निपटने में मदद करेंगे।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. भारत द्वारा बांग्लादेश के साथ ट्रांसशिपमेंट सुविधा समाप्त करने संबंधी कारणों की आलोचनात्मक जांच करें। क्षेत्रीय भू-राजनीति और आर्थिक सहयोग को ध्यान में रखते हुए, भारत-बांग्लादेश संबंधों पर इस निर्णय के व्यापक प्रभावों का मूल्यांकन करें। [250 शब्द 15 अंक]

भारत में गलत सूचना निवारण

चर्चा में क्यों: विश्व आर्थिक मंच की वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2025 ने गलत सूचना और भ्रामक सूचनाओं को सबसे महत्वपूर्ण अल्पकालिक वैश्विक खतरों के रूप में रेखांकित किया है।

गलत सूचना और भ्रामक सूचना के बीच अंतर

गलत सूचना	भ्रामक सूचना
धोखा देने के इरादे के बिना साझा की गई झूठी या गलत जानकारी।	जानबूझकर गुमराह करने या धोखा देने के लिए साझा की गई झूठी या भ्रामक सूचना।
अनजाने में- इसे साझा करने वाला व्यक्ति इसे सच मान सकता है	जानबूझकर - व्यक्ति जानता है कि यह झूठ है और वह गुमराह करना चाहता है।
आपके चाचा ने स्वास्थ्य संबंधी एक सुझाव के बारे में एक फर्जी व्हाट्सएप संदेश भेजा, यह सोचकर कि यह मददगार है।	एक समूह ने एक फर्जी वीडियो बनाया जिसमें एक नेता को हिंसा भड़काने के लिए घृणास्पद भाषण देते हुए दिखाया गया।
यह अभी भी हानिकारक है, लेकिन अक्सर मासूमियत से फैलता है।	खतरनाक-चुनावों को प्रभावित कर सकते हैं, हिंसा भड़का सकते हैं, या जनमत में हेरफेर कर सकते हैं।
अक्सर गलत सूचना देने वाले व्यक्तियों, अपर्याप्त शोध वाले लेखों या अफवाहों के कारण।	अक्सर राजनीतिक अभिनेताओं, राज्य प्रायोजित अभियानों या ट्रोल फार्मों से।

“वैश्विक जोखिम” क्या है?

WEF वैश्विक जोखिम को इस प्रकार परिभाषित करता है:

- एक घटना या प्रवृत्ति जो बड़ी संख्या में लोगों को बुरी तरह प्रभावित कर सकती है,
- विश्व अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकती है, और
- प्राकृतिक संसाधनों या राजनीतिक स्थिरता को नुकसान पहुंचा सकती है।

गलत सूचना अब इतना बड़ा जोखिम क्यों है?

क्योंकि डिजिटल दुनिया में विस्तार हुआ है:

- अरबों लोग इंटरनेट और सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं।
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) यथार्थवादी नकली चित्र, वीडियो (डीपफेक) और संदेश बनाना आसान बना रहा है।
- लोग राजनीतिक और सामाजिक रूप से विभाजित हैं, जिससे उनके पूर्वाग्रहों की पुष्टि करने वाली बातों पर विश्वास करने की संभावना अधिक है।

इससे “सूचना विकार” पैदा होता है - जहाँ सत्य और झूठ आपस में मिल जाते हैं।

खतरा परिदृश्य: सूचना विकार

- भारत, जिसकी डिजिटल आबादी 900 मिलियन से ज्यादा उपयोगकर्ताओं की है, एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। इसका विविध राजनीतिक और सामाजिक ताना-बाना हेरफेर की गई कहानियों के लिए उचित मंच प्रदान करता है।
- समय पर नीतिगत प्रतिक्रियाओं के बिना, देश को ऐसे संकट का सामना करना पड़ सकता है जो राजनीतिक क्षेत्र से कहीं आगे तक फैला हुआ है।
- गलत सूचना न केवल मतदाताओं को प्रभावित करती है और लोकतांत्रिक संस्थाओं को नष्ट करती है, बल्कि अर्थव्यवस्थाओं को भी बाधित करती है, सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाती है और अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों को जन्म देती है।
- पारंपरिक मीडिया पर भरोसा कम होता जा रहा है। नागरिक समाचार और सूचना के लिए सोशल मीडिया की ओर तेजी से रुख कर रहे हैं - ऐसे प्लेटफॉर्म जो असत्यापित सामग्री से भरे पड़े हैं।
 - इस गलत सूचना का अधिकांश हिस्सा सहकर्मी नेटवर्क के माध्यम से साझा किया जाता है, अक्सर दुर्भावनापूर्ण इरादे के बिना लेकिन हानिकारक परिणामों के साथ। डीपफेक और एआई-जनरेटेड कंटेंट का उदय इस समस्या को बढ़ाता है, जिससे अति-यथार्थवादी लेकिन पूरी तरह से गलत जानकारी बनती है जो तेजी से फैलती है।
- पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन की उभरती हुई “टेक कुलीनतंत्र” के बारे में चेतावनी भारत के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में, भारत को तत्काल मजबूत डिजिटल शासन उपायों को लागू करना चाहिए। यूरोपीय संघ के डिजिटल सेवा अधिनियम के समान नीति - जो गलत सूचना और विदेशी सूचना हेरफेर और हस्तक्षेप (FIMI) को संबोधित करती है - एक मॉडल के रूप में काम कर सकती है।

भारत में गलत सूचना: एक बढ़ता संकट

- भारत का सूचना पारिस्थितिकी तंत्र पहले से ही तनाव में है। प्रमुख राजनीतिक हस्तियों और दलों ने असत्यापित या हेरफेर की गई सामग्री को बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग किया है।
- एक अध्ययन (इंडियन स्कूल ऑफ बिज़नेस और साइबरपीस फ़ाउंडेशन द्वारा) के अनुसार:
 - 46% झूठी सामग्री राजनीतिक है (जैसे कि फ़र्जी भाषण, गलत चुनाव डेटा)।
 - 33.6% सामान्य मुद्दों (जैसे कि अर्थव्यवस्था, नीतियाँ) के बारे में हैं।
 - 16.8% धार्मिक हैं (जैसे कि नफ़रत पैदा करने के लिए समुदायों को लक्षित करना)।

- शलुतापूर्ण विदेशी तत्व भी भूमिका निभाते हैं। 2017 के डोकलाम गतिरोध के बाद से, भारत को चीनी मूल की लगातार गलत सूचनाओं का सामना करना पड़ रहा है।

- इसके जवाब में, भारत ने विदेशी हस्तक्षेप को कम करने के लिए TikTok सहित 300 से अधिक चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया। वीबो जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल भारत के बारे में विकृत बयानों को प्रसारित करने के लिए किया गया है, जिससे द्विपक्षीय संबंध और जटिल हो गए हैं।

- इस मुद्दे को और जटिल बनाते हुए, हाल ही में हुए एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि युवा भारतीय - देश का जनसांख्यिकीय लाभांश - विशेष रूप से ऑनलाइन गलत सूचनाओं के प्रति संवेदनशील हैं।

- रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि उच्च आय वाले देशों के नागरिक निम्न आय वाले देशों की तुलना में गलत सूचनाओं के बारे में अधिक चिंतित हैं, हालाँकि भारत एक महत्वपूर्ण अपवाद प्रस्तुत करता है।

आगे की राह

ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2025 में गलत सूचना के प्रसार को रोकने के लिए कई उपायों की सिफारिश की गई है:

- अंतर्निहित पूर्वाग्रहों को कम करने के लिए एल्गोरिदम पर काम करने वाले डेवलपर्स को कौशल प्रदान करना।
- जनरेटिव एआई प्रथाओं की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए पर्यवेक्षी बोर्ड और एआई परिषदों की स्थापना करना।
- जन जागरूकता और डिजिटल साक्षरता को बढ़ाना, विशेष रूप से युवाओं के बीच।
 - जागरूकता फैलाने के लिए RBI के वित्तीय साक्षरता अभियान (अमिताभ बच्चन के साथ) जैसे अभियानों का उपयोग करना।

भारत ने पहले ही शुरुआती कदम उठा लिए हैं। शक्ति - इंडिया इलेक्शन फैक्ट-चेकिंग कलेक्टिव और डीपफेक एनालिसिस यूनिट जैसी पहल 2024 के आम चुनावों के दौरान महत्वपूर्ण साबित हुईं।

400 मिलियन से ज्यादा फेसबुक यूजर और 500 मिलियन से ज्यादा वॉट्सऐप यूजर के साथ, भारत कई तकनीकी दिग्गजों के लिए सबसे बड़ा बाज़ार है। इससे भारतीय नियामकों को नीतिगत बदलावों को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी फ़ायदा मिलता है।

यूरोपीय संघ के मॉडल से प्रेरित होकर, भारत निम्नलिखित लागू कर सकता है:

- 45 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ताओं वाले प्लेटफॉर्म के लिए नियमित ऑडिट और पारदर्शिता आवश्यकताएँ।
- बहुत बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म (वीएलओपी) के लिए अनिवार्य जोखिम आकलन।
- ऑनलाइन राजनीतिक विज्ञापनों के लिए प्रकटीकरण मानदंड, जिसमें फंडिंग स्रोत और लक्षित जनसांख्यिकी शामिल हैं।

हालाँकि, विनियमन के लिए इस प्रयास को अतिरिक्त से बचना चाहिए। अत्यधिक निगरानी या सेंसरशिप लोकतांत्रिक सुरक्षा उपायों को नष्ट कर सकती है। WEF वैश्विक जोखिम रिपोर्ट स्वयं सेंसरशिप और राज्य निगरानी दोनों को उभरते वैश्विक खतरों के रूप में चिह्नित करती है। इसलिए, भारत को गलत सूचना पर अंकुश लगाने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के बीच सावधानीपूर्वक संतुलन बनाना चाहिए।

निष्कर्ष

भारत, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में, निम्नलिखित उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए:

- एक लचीला समाज बनाना जहाँ लोग सूचित, आलोचनात्मक और एकजुट हों।
- अपने कानूनों, नीतियों और जन जागरूकता को मजबूत करना।

- सरकार, नागरिक समाज और तकनीकी कंपनियों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करना।

मुख्य बात सिर्फ झूठ से लड़ना नहीं है - बल्कि तेजी से डिजिटल और विभाजित दुनिया में सच्चाई, एकता और लोकतंत्र की रक्षा करना है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. निम्नलिखित में से कौन सा कथन WEF ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2025 में पहचाने गए गलत सूचना और भ्रामक सूचना से जुड़े जोखिमों का सही वर्णन करता है?

- वे लोकतांत्रिक संस्थाओं को अस्थिर कर सकते हैं और अर्थव्यवस्थाओं को बाधित कर सकते हैं।
- डीपफेक तकनीक और AI-जनरेटेड कंटेंट भ्रामक सूचना के प्रसार में योगदान करते हैं।
- गलत सूचना मुख्य रूप से दुर्भावनापूर्ण अभिनेताओं द्वारा धोखा देने के स्पष्ट इरादे से फैलाई जाती है।
- डोकलाम के बाद कई चीनी ऐप पर भारत के प्रतिबंध का उद्देश्य आंशिक रूप से सूचना हेरफेर का मुकाबला करना था।

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

- | | |
|--------------------|--------------------|
| (a) केवल 1 और 2 | (b) केवल 1, 2 और 4 |
| (c) केवल 2, 3 और 4 | (d) 1, 2, 3 और 4 |

(9) : 2024

वंदे भारत एक्सप्रेस (सुरक्षा चिंताएँ)

संदर्भ: वंदे भारत एक्सप्रेस ने अपने आधुनिक डिज़ाइन और तेज़ कनेक्टिविटी के साथ यात्री रेल यात्रा में क्रांति ला दी है। हालाँकि, हाल ही में रेलवे सुरक्षा रिपोर्ट ने ट्रेन की दुर्घटनाओं के प्रति संवेदनशीलता के बारे में कुछ गंभीर चिंताएँ जताई हैं, खासकर मवेशियों के कुचलने और पटरियों पर अवरोधों के कारण।

वंदे भारत एक्सप्रेस क्या है?

- फरवरी 2019 में शुरू की गई पहली वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली और वाराणसी के बीच चली थी।
- यह भारत की पहली सेमी-हाई-स्पीड, पूरी तरह से वातानुकूलित ट्रेन है, जिसमें आधुनिक सुविधाएँ, स्वचालित दरवाजे, जीपीएस-आधारित यात्री सूचना और तेज़ गति है।
- इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (ICF), चेन्नई द्वारा निर्मित, यह एक ट्रेन सेट है - जिसका अर्थ है कि कोई अलग इंजन या लोकोमोटिव नहीं है, क्योंकि पूरे ट्रेन में प्रणोदन वितरित किया जाता है।

वंदे भारत नेटवर्क की स्थिति (26 दिसंबर, 2024 तक)

- पूरे भारत में कुल 136 वंदे भारत ट्रेन सेवाएँ चल रही हैं।
- ये ट्रेनें प्रमुख शहरों को जोड़ती हैं और यात्रा के समय को काफी कम करती हैं।
- ये भारतीय रेलवे की प्रमुख परियोजनाओं में से हैं और इनका तेज़ी से विस्तार किया जा रहा है।

सुरक्षा रिपोर्ट क्या कहती है?

- रेलवे सुरक्षा पर एक रिपोर्ट में बताया गया है कि वंदे भारत का अगला कोच पारंपरिक इंजनों की तुलना में हल्का है।
- इससे ट्रेन के क्षतिग्रस्त होने या गंभीर दुर्घटना होने की संभावना अधिक होती है, खासकर 160 किमी प्रति घंटे की गति पर, अगर यह तेज गति से मवेशियों या अन्य अवरोधों से टकराती है।
- यह रिपोर्ट नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत रेलवे सुरक्षा आयुक्त द्वारा तैयार की गई थी।

हल्का फ्रंट कोच: नियमित ट्रेनों के विपरीत, जहाँ भारी इंजन आगे चलता है, वंदे भारत का हल्का फ्रंट कोच टकराव की स्थिति में अधिक असुरक्षित है।

अतिक्रमण: पटरियों पर मानव और पशुओं की आवाजाही, विशेष रूप से उच्च गति पर, सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा पैदा करती है।

प्रमुख सुरक्षा चिंताओं की पहचान की गई

बार-बार मवेशी टकराना: इससे ट्रेन की संरचना को नुकसान पहुंच सकता है और पट्टी से उतरने या यात्रियों के घायल होने का खतरा बढ़ सकता है।

लेवल क्रॉसिंग: जब रेलगाड़ियां 160 किमी प्रति घंटे की गति से चलती हैं तो ये क्रॉसिंग अत्यंत खतरनाक हो जाती हैं और इन्हें समाप्त करना आवश्यक हो जाता है।

इंजीनियर का स्पष्टीकरण (ट्रेन सुरक्षित है)

- ICF के एक पूर्व प्रिंसिपल चीफ मैकेनिकल इंजीनियर ने डिज़ाइन का बचाव किया।
- उन्होंने बताया कि सामने का नोज़ कोन इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि यह टकराने की ताकत को कम करते हुए, टकराने और प्रभाव को अवशोषित कर ले।

- सामने की तरफ़ लगा कैटल गार्ड अवरोधों को हटाने और नुकसान को कम करने के लिए बनाया गया है।
- उन्होंने बताया कि EMU (इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट्स) और MEMU (मेनलाइन EMU) सहित दुनिया भर के ट्रेन सेट इसी तरह के हल्के डिज़ाइन का उपयोग करते हैं।

- उनके अनुसार, “हल्का होने का मतलब असुरक्षित नहीं है” - यह आधुनिक ट्रेन डिज़ाइन में मानक है।

डिज़ाइन ऐसा क्यों है?

- वंदे भारत को गति और ऊर्जा दक्षता के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- यह इंजन रहित है - बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोपल्शन को कोचों में वितरित किया जाता है।
- हल्के कोच ट्रेन को तेज़ी से गति देने और कम करने में मदद करते हैं, जिससे समय और ईंधन की बचत होती है।
- यह मॉडल यूरोपीय और जापानी हाई-स्पीड ट्रेनों के समान है।

रिपोर्ट में क्या समाधान सुझाए गए हैं?

हाई-स्पीड ट्रेनों के सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए, रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है:

- **पटरियों पर बाड़ लगाना:** मवेशियों और मनुष्यों के अतिक्रमण को रोकने के लिए पटरियों के किनारे मजबूत बाड़ बनाना।
- **लेवल क्रॉसिंग को खत्म करना:** सभी क्रॉसिंग को रेल ओवरब्रिज (आरओबी) या अंडरपास में बदल देना, खासकर हाई-स्पीड कॉरिडोर पर।
- **कमजोर क्षेत्रों की निगरानी करना:**
 - नियमित अतिक्रमण वाले क्षेत्रों और मवेशियों के क्रॉसिंग पॉइंट की पहचान करना।
 - रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) कर्मियों को तैनात करना और गश्त बढ़ाना।
 - सुरक्षित क्रॉसिंग के लिए सबवे या फुटब्रिज बनाना।

बड़ी तस्वीर: सुरक्षा बनाम गति

- वंदे भारत परियोजना रेल परिवहन को आधुनिक बनाने और विश्व स्तरीय सुविधाएँ प्रदान करने की भारत की महत्वाकांक्षा को दर्शाती है।
- हालाँकि, जैसे-जैसे ट्रेनें तेज़ होती जाती हैं, सुरक्षा ढाँचे को भी उसी समय उन्नत किया जाना चाहिए।

- दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ट्रैक की बाड़ लगाना, उन्नत सिग्नलिंग, क्रॉसिंग को खत्म करना और जन जागरूकता आवश्यक है।

निष्कर्ष

- वंदे भारत एक्सप्रेस भारत की तकनीकी प्रगति का प्रतीक है, लेकिन रिपोर्ट में बताई गई सुरक्षा चिंताओं को नज़रअंदाज़ नहीं किया जाना चाहिए।
- एक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता है - आधुनिक ट्रेनों के विस्तार के साथ-साथ सुरक्षा प्रणालियों में गंभीर निवेश जारी रखना।
- तभी भारत सुरक्षित और कुशल रेल यात्रा में वैश्विक मानकों से मेल खा सकता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. वंदे भारत एक्सप्रेस के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह वितरित प्रणोदन वाली एक अर्ध-उच्च गति वाली ट्रेन है और इसमें कोई अलग लोकोमोटिव नहीं है।
2. वंदे भारत में नोज़ कोन और कैटल गार्ड को टकराव के दौरान प्रभावों को अवशोषित करने और विक्षेपित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
3. ट्रेन का निर्माण इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, चेन्नई द्वारा किया जाता है।
4. यह वर्तमान में भारत भर में सभी रेलवे लाइनों पर 200 किमी प्रति घंटे की गति से चल सकती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है?

- (a) केवल 1, 2 और 3 (b) केवल 1 और 4
(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2, 3 और 4

ए २५६ ८ 'I २५६५ (९) :२५६६

चहल एकेडमी द्वारा निःशुल्क पहल

CCHAAHAL
ACADEMY

'इंडियन एक्सप्रेस' में क्या पढ़ें?

क्यू आर कोड स्कैन करें





चीन का दुर्लभ मृदा निर्यात पर प्रतिबंध

चर्चा में क्यों: संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच चल रहे व्यापार युद्ध ने एक नया मोड़ ले लिया है। चीन ने हाल ही में दुर्लभ पृथ्वी तत्वों (आरईई) और मैग्नेट पर निर्यात प्रतिबंध लगाए हैं।

नोट: ये तत्व विभिन्न उत्पादों के निर्माण के लिए आवश्यक हैं - सेमीकंडक्टर और स्मार्टफोन से लेकर लड़ाकू जेट और मिसाइल सिस्टम तक। हालाँकि प्रतिबंध पूर्ण प्रतिबंध नहीं हैं, लेकिन इसके लिए चीनी रिफाइनरों को परमिट लेने की आवश्यकता होती है, जिससे वैश्विक आपूर्ति में देरी हो सकती है।

दुर्लभ मृदा तत्व (आरईई) क्या हैं?

दुर्लभ मृदा तत्व पृथ्वी की भूपर्पटी में पाए जाने वाले 17 रासायनिक तत्वों का एक समूह है। अपने नाम के बावजूद, वे उपलब्धता के मामले में वास्तव में दुर्लभ नहीं हैं, लेकिन इन तत्वों का खनन व शोधन मुश्किल है। इन तत्वों को दो प्रकारों में विभाजित किया जाता है:

- हल्के आरईई
- भारी आरईई

आरईई के प्राकृतिक भंडार वाले कुछ देशों में भारत, चीन, म्यांमार, जापान, ऑस्ट्रेलिया और उत्तर कोरिया शामिल हैं।

वे महत्वपूर्ण क्यों हैं? चीन द्वारा लक्षित विशिष्ट तत्व - डिस्प्रोसियम, गैडोलीनियम, ल्यूटेटियम, समैरियम, स्कैंडियम, टेरबियम और यिट्रियम - के महत्वपूर्ण अनुप्रयोग हैं:

- **डिस्प्रोसियम:** अपने मजबूत चुंबकीय गुणों के कारण इलेक्ट्रिक मोटर और हार्ड ड्राइव में उपयोग किया जाता है।
- **गैडोलीनियम:** परमाणु रिएक्टर परिरक्षण और चिकित्सा इमेजिंग उपकरणों में मदद करता है।
- **ल्यूटेटियम:** पीईटी स्कैनर और तेल शोधन में उपयोग किया जाता है।
- **समैरियम:** इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए शक्तिशाली चुंबकों में पाया जाता है।
- **स्कैंडियम:** लड़ाकू विमानों के लिए मजबूत एल्यूमीनियम मिश्र धातु बनाने में उपयोग किया जाता है।
- **टर्बियम:** इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की प्रकाश व्यवस्था में मदद करता है।
- **यिट्रियम:** कैंसर के उपचार और उच्च तकनीक वाले सुपरकंडक्टर में उपयोग किया जाता है।

चीन का यह कदम वैश्विक स्तर पर क्यों महत्वपूर्ण है?

- भारी आरईई को परिष्कृत करने में चीन प्रमुख खिलाड़ी है। दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाले लगभग सभी भारी आरईई का प्रसंस्करण वहीं किया जाता है।
- इससे इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रों में महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखलाओं पर चीन को महत्वपूर्ण शक्ति मिलती है।
- भले ही चीन ने निर्यात पर प्रतिबंध नहीं लगाया हो, लेकिन नए प्रतिबंधों का मतलब कई देशों के लिए देरी और व्यवधान है।

भारत पर प्रभाव

- भारत के लिए, तत्काल प्रभाव सीमित हो सकता है। भारत अपेक्षाकृत कम मात्रा में आरईई का आयात करता है - 2023-24 में लगभग 2,270 टन।
- भारत का अधिकांश उच्च-स्तरीय विनिर्माण अभी भी विदेशों में होता है, चीन और जापान जैसे देशों में। उदाहरण के लिए, जापान ने दीर्घकालिक भंडार बनाए रखकर इस तरह के व्यवधानों के लिए तैयारी की है।
- हालाँकि, स्थिति भारत की कमजोरी को उजागर करती है। हालाँकि भारत में दुनिया के लगभग 6% आरईई भंडार हैं, लेकिन पर्यावरण संबंधी चिंताओं ने खनन और शोधन गतिविधियों को धीमा कर दिया है।
- वर्तमान में, भारत सार्वजनिक क्षेत्र की फर्म इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड (IREL) के माध्यम से हल्के आरईई निकालता है, विशेष रूप से केरल में मोनाज़ाइट-समुद्र तट की रेत से।

भारत की प्रतिक्रिया: राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (एनसीएमएम)

- आरईई के रणनीतिक महत्व को पहचानते हुए, भारत ने राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (एनसीएमएम) शुरू किया है।
- इसका लक्ष्य भारत को अधिक आत्मनिर्भर बनाना और महत्वपूर्ण तत्वों के लिए कुछ देशों पर निर्भरता कम करना है।
- **एनसीएमएम की मुख्य विशेषताएं:**
 - 1,200 खनिज अन्वेषण परियोजनाओं को शुरू करने की योजना।
 - निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए अन्वेषण लाइसेंस प्रदान करना।
 - खनन के लिए अधिक महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की नीलामी करना।
 - महत्वपूर्ण खनिजों के लिए घरेलू स्रोतों और विदेशी भागीदारी दोनों को सुरक्षित करने का लक्ष्य।
- इस मिशन में आरईई को "महत्वपूर्ण खनिजों" की व्यापक श्रेणी के अंतर्गत शामिल किया गया है - जो आधुनिक प्रौद्योगिकियों, स्वच्छ ऊर्जा और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं।

निष्कर्ष

चीन द्वारा आरईई निर्यात को नियंत्रित करने का निर्णय आपूर्ति श्रृंखला विविधीकरण की आवश्यकता को रेखांकित करता है। भारत के लिए, यह दुर्लभ पृथ्वी निष्कर्षण और शोधन में घरेलू क्षमताओं को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए एक चेतावनी है। एनसीएमएम जैसी पहलों के साथ, भारत का लक्ष्य महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति में अधिक लचीला और आत्मनिर्भर बनना है, जो आर्थिक और रणनीतिक दोनों लक्ष्यों के साथ संरेखित है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. दुर्लभ पृथ्वी तत्वों (आरईई) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत, भारी दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के खनन और शोधन दोनों में आत्मनिर्भर है।
2. चीन भारी दुर्लभ पृथ्वी को परिष्कृत करने में विश्व का प्रमुख खिलाड़ी है।
3. केरल में मोनाजाइट युक्त समुद्र तट की रेत भारत में दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का एक प्रमुख स्रोत है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

(9) : 2022

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. चीन के दुर्लभ पृथ्वी निर्यात प्रतिबंध 21वीं सदी की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण खनिजों के भू-राजनीतिक महत्व को प्रकट करते हैं।" इस संदर्भ में, दुर्लभ पृथ्वी तत्वों और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों के लिए आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत की तैयारी और नीति दृष्टिकोण का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। [150 शब्द] [10 अंक]

भारत और आर्कटिक: प्रारंभिक जुड़ाव का इतिहास



- आर्कटिक में भारत की दिलचस्पी नई नहीं है। भारत ने 1920 में स्वालबार्ड संघ पर हस्ताक्षर किए थे और चीन के अलावा यह एकमात्र विकासशील देश है जिसके पास हिमाद्री नामक आर्कटिक अनुसंधान केंद्र है।
- भारत ने यह भी अध्ययन किया है कि आर्कटिक की पिघलती बर्फ घरेलू मानसून के पैटर्न और कृषि को कैसे प्रभावित कर सकती है।
- 2022 में, भारत ने विज्ञान, जलवायु और रणनीतिक जुड़ाव पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी आर्कटिक नीति जारी की। लेकिन अब, उभरते व्यापार अवसरों का लाभ उठाने के लिए इस नीति पर काम करने की आवश्यकता है।

भारत, आर्कटिक और उत्तरी समुद्री मार्ग

चर्चा में क्यों: वैश्विक व्यापार की दुनिया तेज़ी से बदल रही है। अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध, जलवायु परिवर्तन और बदलते वैश्विक गठबंधनों के कारण अनिश्चितता देशों को अपनी व्यापार रणनीतियों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर रही है। सबसे दिलचस्प घटनाक्रमों में से एक आर्कटिक क्षेत्र का बढ़ता महत्व है, जो जलवायु संकट के संकेत के रूप में और संभावित व्यापार और ऊर्जा केंद्र के रूप में दोनों है।

आर्कटिक (जलवायु अलार्म से लेकर व्यापार मार्ग तक)

- आर्कटिक क्षेत्र खतरनाक गति से पिघल रहा है। नासा के अनुसार, सितंबर में आर्कटिक सागर की बर्फ 1981-2010 के औसत की तुलना में प्रति दशक 12.2% की दर से सिकुड़ रही है।
- यह पिघलती बर्फ उत्तरी समुद्री मार्ग (NSR) के रूप में जाना जाने वाला एक नया व्यापार मार्ग खोल रही है, जो आर्कटिक के माध्यम से अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को जोड़ता है।
- यह यूरोप और एशिया के बीच सबसे छोटा मार्ग बन सकता है, जिससे शिपिंग समय और लागत में भारी कमी आएगी।
- यह नया मार्ग न केवल आर्थिक कारणों से बल्कि भू-राजनीतिक और रणनीतिक हितों के लिए भी महत्वपूर्ण हो रहा है।
- NSR स्वेज नहर और मलक्का जलडमरूमध्य जैसे पारंपरिक मार्गों को चुनौती दे सकता है, जो राजनीतिक तनावों के प्रति संवेदनशील हैं।

आर्कटिक नेविगेशन के लिए जहाज निर्माण को मजबूत करना

- आर्कटिक में नेविगेट करना कठिन है। बर्फाली परिस्थितियों के लिए विशेष जहाजों और उपकरणों की आवश्यकता होती है।
- **नोट:** इसे पहचानते हुए, भारत सरकार ने 2025-26 के बजट में 3 बिलियन डॉलर के समुद्री विकास कोष की घोषणा की।
- यह एक मजबूत और अधिक विविध बेड़े बनाने के लिए जहाज निर्माण समूहों का समर्थन करने की भी योजना बना रहा है।
- भारत को बर्फ-श्रेणी के जहाजों, बर्फ तोड़ने वाले बेड़े के निर्माण में निवेश करना चाहिए और अपने नाविकों के लिए विशेष प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए। ये कदम भारत के लिए NSR का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

बहुपक्षीय जुड़ाव और आर्कटिक सर्कल इंडिया फोरम

- भारत को क्षमता निर्माण, ज्ञान साझा करने और प्रशिक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संवादों में शामिल होने की आवश्यकता है। इसके लिए एक अवसर जल्द ही आएगा, जब आर्कटिक सर्कल इंडिया फोरम नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। यह आयोजन भारत को एशिया-केंद्रित और भारत-विशिष्ट दृष्टिकोण से वैश्विक आर्कटिक वार्तालाप को आकार देने में मदद कर सकता है।
- भारत को आर्कटिक मुद्दों पर वैश्विक स्तर पर अपने हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक ध्रुवीय राजदूत नियुक्त करने पर भी विचार करना चाहिए।

- इससे आर्कटिक परिषद जैसे मंचों पर भारत की आवाज़ मज़बूत होगी, जहाँ भारत जैसे गैर-आर्कटिक पर्यवेक्षकों की संख्या अब वास्तविक आर्कटिक राज्यों से अधिक है।

पर्यावरणीय जिम्मेदारी और जलवायु प्रतिबद्धताएँ

- जबकि एनएसआर वाणिज्यिक लाभ प्रदान करता है, यह पृथ्वी पर सबसे नाजुक पारिस्थितिकी प्रणालियों में से एक में स्थित है।
- 2024 में, अध्ययनों (जैसे, नेचर क्लाइमेट चेंज पत्रिका में) से पता चला कि वैश्विक तापमान अस्थायी रूप से 1.5 डिग्री सेल्सियस के निशान को पार कर गया, जिससे पेरिस समझौते के लक्ष्य खतरे में पड़ गए।
- भारत को एक संतुलन बनाना चाहिए:** पर्यावरण को नुकसान पहुँचाए बिना नए अवसरों का लाभ उठाना। इसके लिए सावधानीपूर्वक कूटनीति, पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकियों और जिम्मेदार अन्वेषण की आवश्यकता होगी।

भारत की आर्कटिक भागीदारी

- रूस, अपनी विशाल आर्कटिक तटरेखा और आर्कटिक नेविगेशन में अनुभव के साथ, एक स्वाभाविक भागीदार है।
- 2024 में, भारत और रूस ने एनएसआर पर एक कार्य समूह बनाने का फैसला किया।
- नोट:** चेन्नई-व्लादिवोस्तोक समुद्री गलियारा भारतीय बंदरगाहों को पेवेक, टिक्सी और सबेटा जैसे प्रमुख आर्कटिक गेटवे से जोड़ सकता है। हालाँकि, रूस के साथ गहरे संबंधों का अर्थ अप्रत्यक्ष रूप से चीन के ध्रुवीय रेशम मार्ग का समर्थन करना भी हो सकता है, जो उसके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) का हिस्सा है। यह मार्ग चीन को मलक्का जलडमरूमध्य के चोकपॉइंट से बचने देता है और आर्कटिक व्यापार पर उसे अधिक नियंत्रण देता है।
- दूसरी ओर, अमेरिका सहित पश्चिमी ब्लॉक के साथ गठबंधन करने से रूस द्वारा नियंत्रित आर्कटिक संसाधनों तक भारत की पहुँच कम हो सकती है। भारत के लिए आदर्श लेकिन जटिल रास्ता यह है कि वह अमेरिका और रूस दोनों के साथ सहयोग करे, साथ ही जापान और दक्षिण कोरिया के साथ साझेदारी भी बनाए। ये देश आर्कटिक में बढ़ते चीन-रूस संबंधों के बारे में भारत की चिंताओं को साझा करते हैं।
- साथ मिलकर, यह समूह आर्कटिक परिषद में सुधार के लिए दबाव बना सकता है, जिससे यह सभी हितधारकों के लिए अधिक समावेशी और निष्पक्ष बन सके।

निष्कर्ष

भारत को आर्कटिक क्षेत्र में एक संतुलन बनाये रखना होगा: नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करते हुए व्यापार के लिए उत्तरी समुद्री मार्ग का उपयोग करना और पश्चिमी शक्तियों और रूस दोनों के साथ संबंधों को संतुलित करना। कार्रवाई का समय अब है। उचित निवेश, स्मार्ट कूटनीति और रणनीतिक साझेदारी के साथ, भारत आर्कटिक व्यापार और शासन के भविष्य में एक प्रमुख खिलाड़ी बन सकता है।

प्रारंभिक परीक्षा विशेष

मानसून पर जलवायु प्रभाव:

- आर्कटिक वार्मिंग (4 गुना वैश्विक औसत) वायुमंडलीय परिसंचरण को बाधित करती है।
- कम समुद्री बर्फ = पश्चिमी/प्रायद्वीपीय भारत में कम वर्षा; मध्य/उत्तरी भारत में अधिक।
- कृषि और जल सुरक्षा को खतरा।

ऊर्जा सुरक्षा:

- आर्कटिक में दुनिया का 13% तेल और 30% गैस है।
- भारत सखालिन-1, वानकोर्नेफ्ट (रूस अब भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता है) के माध्यम से आर्कटिक हाइड्रोकार्बन का आयात करता है।

रणनीतिक व्यापार मार्ग:

- उत्तरी समुद्री मार्ग (NSR) = एशिया-यूरोप का सबसे छोटा लिंक, स्वेज को बायपास करता है।
- 2024 में NSR ट्रैफिक बढ़कर 37.9 मीट्रिक टन हो गया; भारतीय व्यापार के लिए लागत/समय में कटौती।
- यूरोप और मध्य एशिया तक पहुँच के लिए INSTC के माध्यम से जुड़ा हुआ है।

महत्वपूर्ण खनिजों तक पहुँच:

- आर्कटिक (जैसे, ग्रीनलैंड) दुर्लभ मृदाओं से समृद्ध है - जो भारत के तकनीकी और रक्षा क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है।
- 'मेक इन इंडिया' और महत्वपूर्ण खनिज मिशन का समर्थन करता है।

वैज्ञानिक अनुसंधान और सहयोग:

- भारत का हिमाद्री स्टेशन (स्वालबार्ड) जलवायु अध्ययन में सहायता करता है।
- भारत-नॉर्वे संबंधों से आर्कटिक-उष्णकटिबंधीय जलवायु लिंक अनुसंधान को बढ़ावा मिलता है।
- अंतर्दृष्टि हिमालयी ("तीसरे ध्रुव") पारिस्थितिकी तंत्र को समझने में सहायता करती है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. आर्कटिक के साथ भारत की भागीदारी एक रणनीतिक आवश्यकता है जो व्यापार, जलवायु और भू-राजनीति द्वारा आकार लेती है। विशेष रूप से पर्यावरणीय चिंताओं और विकसित हो रहे वैश्विक गठबंधनों के संदर्भ में आर्कटिक साझेदारी और उत्तरी समुद्री मार्ग के उपयोग की खोज में भारत के सामने आने वाले अवसरों और चुनौतियों की जाँच करें। [250 शब्द] [15 अंक]

भारत की फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन (एफजीडी) नीति

चर्चा में क्यों: जैसे-जैसे भारत स्वच्छ ऊर्जा और उत्सर्जन नियंत्रण की दिशा में अपना कदम बढ़ा रहा है, कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन (एफजीडी) इकाइयों की अनिवार्य स्थापना को लेकर बहस फिर से शुरू हो गई है।

मुख्य विवरण:

- भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा कमीशन किए गए और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज (एनआईएएस), बेंगलुरु द्वारा संचालित एक हालिया अध्ययन ने एक महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव का प्रस्ताव दिया है - जिसमें पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) द्वारा जारी सार्वभौमिक एफजीडी अनिवार्यता को वापस लेने का आह्वान किया गया है।

- अध्ययन में सिफारिश की गई है कि देश के सभी 537 कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों पर एफजीडी आवश्यकता लागू करने के बजाय इसे केवल उन तक सीमित किया जाना चाहिए जो आयातित कोयला या उच्च-सल्फर कोयला (0.5% से अधिक सल्फर सामग्री) जलाते हैं।



- यह सिफारिश वैज्ञानिक आकलन, आर्थिक विचारों और भारत की विशिष्ट पर्यावरणीय और जलवायु स्थितियों पर आधारित है।

एफजीडी क्या है?

- यह एक ऐसी तकनीक है जो कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्रों के निकास गैसों से सल्फर डाइऑक्साइड (SO₂) को हवा में छोड़े जाने से पहले हटा देती है।
- इसे एक फिल्टर की तरह समझें जो बिजली संयंत्रों के धुएँ से SO₂ को रोकता है।

एफजीडी अधिदेश और इसकी स्थिति

2015 में, वायु प्रदूषण और अम्लीय वर्षा में मुख्य योगदानकर्ता सल्फर डाइऑक्साइड (SO₂) उत्सर्जन को कम करने के प्रयास में, पर्यावरण मंत्रालय ने सभी थर्मल पावर प्लांट के लिए एफजीडी तंत्र स्थापित करना अनिवार्य कर दिया था। अनुपालन की समय सीमा मूल रूप से 2018 के लिए निर्धारित की गई थी।

हालाँकि, तकनीकी, तार्किक और वित्तीय चुनौतियों के कारण, अनुपालन में बार-बार देरी हुई है।

वर्तमान स्थिति (2025 तक):

स्थिति	संख्या
कुल कोयला आधारित बिजली संयंत्र	537
FGDs स्थापित करने की प्रक्रिया में संयंत्र	230
ऐसे संयंत्र जिन्होंने FGD का आदेश भी नहीं दिया है	260
वे संयंत्र जिन्होंने वास्तव में FGD स्थापित किया है	केवल 8%
FGDs स्थापित करने की लागत	₹1.2 करोड़ प्रति मेगावाट
वर्तमान कोयला क्षमता	218,000 मेगावाट
2032 तक अपेक्षित	283,000 मेगावाट

ब्लैकट पोलिसी पर पुनर्विचार क्यों?

एनआईएस रिपोर्ट "एक ही आकार सभी के लिए उपयुक्त" दृष्टिकोण को चुनौती देती है, ईंधन के प्रकार और क्षेत्रीय पर्यावरणीय कारकों के आधार पर विभेदित नीति कार्यान्वयन के लिए मामला बनाती है:

1. कम सल्फर वाला भारतीय कोयला

- भारत में उपयोग किए जाने वाले लगभग 92% कोयले में सल्फर की मात्रा कम होती है (0.3% से 0.5% के बीच), जिससे अपेक्षाकृत कम SO₂ उत्सर्जन होता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) पहले से ही बिजली संयंत्रों के लिए कम से कम 220 मीटर की ऊँचाई को अनिवार्य बनाता है। यह डिज़ाइन उत्सर्जन के प्रभावी फैलाव को सक्षम बनाता है, जिससे ज़मीनी स्तर पर प्रदूषकों की सांद्रता कम होती है।

2. भारतीय जलवायु परिस्थितियाँ

- अध्ययन में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि भारत की उष्णकटिबंधीय जलवायु, उच्च स्टैक उत्सर्जन के साथ मिलकर, जमीन के पास सल्फर यौगिकों के संचय का पक्ष नहीं लेती है, जिससे स्थानीय वायु गुणवत्ता में गिरावट और अम्लीय वर्षा से जुड़े जोखिम कम हो जाते हैं।

- इसके समर्थन में, IIT-दिल्ली द्वारा 2024 का एक अध्ययन, जिसका उल्लेख NIAS रिपोर्ट में भी किया गया है, ने निष्कर्ष निकाला कि भारत में अम्लीय वर्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है - एक ऐसा निष्कर्ष जो कंबल एफजीडी तैनाती के औचित्य को कमजोर करता है।

3. उच्च आर्थिक और पर्यावरणीय लागत

- सभी संयंत्रों में एफजीडी स्थापित करने से काफी वृद्धि होगी:

- पूंजी और परिचालन लागत
- बिजली संयंत्रों में बिजली की खपत
- मीठे पानी का उपयोग, जो जल-तनावग्रस्त क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है
- रिपोर्ट का अनुमान है कि 2025 से 2030 तक, एफजीडी स्थापनाएँ:
 - CO₂ उत्सर्जन में 69 मिलियन टन की वृद्धि
 - SO₂ उत्सर्जन में 17 मिलियन टन की कमी

यह समझौता एक महत्वपूर्ण नीतिगत प्रश्न उठाता है कि क्या SO₂ में मामूली कटौती, कार्बन उत्सर्जन और जल उपयोग में वृद्धि की कीमत पर होनी चाहिए?

जलवायु विरोधाभास: SO₂ एक शीतलन एजेंट के रूप में?

रिपोर्ट एक असामान्य लेकिन वैज्ञानिक रूप से बहस किए गए परिप्रेक्ष्य को भी सामने लाती है: ग्लोबल वार्मिंग को छिपाने में SO₂ उत्सर्जन की भूमिका। जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (IPCC) के अनुसार, सल्फर एरोसोल का वातावरण पर ठंडा प्रभाव पड़ता है।

माना जाता है कि 2010 से 2019 तक, SO₂ उत्सर्जन ने पूर्व-औद्योगिक स्तरों की तुलना में ग्लोबल वार्मिंग को लगभग 0.5°C तक कम किया है। हालाँकि अनियंत्रित प्रदूषण का औचित्य नहीं है, लेकिन यह बारीकियाँ उत्सर्जन नियंत्रण और जलवायु संतुलन पर चर्चा में जटिलता जोड़ती हैं।

आगे की राह:

डेटा और विश्लेषण को देखते हुए, NIAS अध्ययन एक लक्षित और जोखिम-आधारित दृष्टिकोण के लिए तर्क देता है। नीति निर्माता इस पर विचार कर सकते हैं:

- उच्च-सल्फर या आयातित कोयले का उपयोग करने वाले संयंत्रों तक एफजीडी अनिवार्यताओं को सीमित करना।
- आधुनिक स्टैक मॉनिटरिंग और फैलाव मॉडलिंग टूल में निवेश करना।
- समग्र उत्सर्जन नियंत्रण रणनीतियों (NO_x और PM सहित) पर ध्यान केंद्रित करना।
- जल-कुशल उत्सर्जन प्रौद्योगिकियों को प्राथमिकता देना।

यह दृष्टिकोण लागत-प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित कर सकता है, साथ ही भारत के स्वच्छ वायु और ऊर्जा सुरक्षा के दोहरे लक्ष्यों के साथ संरेखित हो सकता है।

निष्कर्ष

भारत एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है, जहाँ उसे ऊर्जा आवश्यकताओं और विकासवात्मक लक्ष्यों के साथ पर्यावरणीय अनिवार्यताओं को संतुलित करना है। SO₂ उत्सर्जन को कम करना महत्वपूर्ण है, लेकिन विज्ञान-समर्थित, क्षेत्र-विशिष्ट रणनीतियाँ व्यापक जनादेशों की तुलना में अधिक संधारणीय मार्ग प्रदान कर सकती हैं।

चुनौती केवल इस बारे में नहीं है कि हम क्या विनियमित करते हैं - बल्कि यह भी है कि हम इसे कितनी समझदारी और प्रभावी ढंग से करते हैं। जैसे-जैसे भारत पेरिस समझौते के तहत अपने 2030 ऊर्जा लक्ष्यों और प्रतिबद्धताओं की ओर बढ़ रहा है, नियामक निर्णयों में वैज्ञानिक साक्ष्य, आर्थिक व्यवहार्यता और पर्यावरणीय न्याय को एकीकृत करना होगा।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. ताप विद्युत संयंत्रों में फ्लू गैस डिसल्फ्युराइजेशन (एफजीडी) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. एफजीडी तंत्र का उपयोग मुख्य रूप से फ्लू गैसों से नाइट्रोजन ऑक्साइड (NO_x) को हटाने के लिए किया जाता है।
2. भारतीय कोयले में आमतौर पर 1% से अधिक सल्फर की मात्रा होती है।
3. एफजीडी इकाइयों की स्थापना से मीठे पानी की खपत और CO₂ उत्सर्जन बढ़ता है।
4. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सल्फर डाइऑक्साइड के फैलाव में सहायता के लिए बिजली संयंत्रों में लंबे स्टैक को अनिवार्य बनाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से कथन सही है?

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 3 और 4
(c) केवल 1, 2 और 3 (d) केवल 2, 3 और 4

(9) : 2024

2025 के लिए भारत का मानसून पूर्वानुमान

चर्चा में क्यों: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, इस वर्ष भारत में 'सामान्य से अधिक' मानसून आने की संभावना है - लगातार दूसरे वर्ष अच्छी वर्षा होगी।

2025 के लिए अपने पहले दीर्घकालिक पूर्वानुमान में, आईएमडी ने कहा कि वर्षा दीर्घावधि औसत (एलपीए) की 105% होने की संभावना है, जिसमें त्रुटि की सीमा $\pm 5\%$ है।

दीर्घ अवधि औसत (एलपीए) क्या है?

एलपीए दक्षिण-पश्चिम मानसून के मौसम (जून से सितंबर) में लंबी अवधि में दर्ज की गई औसत वर्षा है - वर्तमान में वर्ष 1971 से 2020 के लिए गणना की गई है, जो 87 सेमी है।

वर्षा की तुलना एलपीए से कैसे की जाती है, इसके आधार पर:


- 90% से कम = कम
- 90% से 95% = सामान्य से कम
- 96% से 104% = सामान्य
- 105% से 110% = सामान्य से अधिक
- 110% से अधिक = अधिक वर्षा

इसलिए, 105% के पूर्वानुमान के साथ, 2025 में 'सामान्य से अधिक' वर्षा होने की संभावना है।

वर्षा संबंधी आंकड़े


चार्ट के लिए डेटा सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) और सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) से प्राप्त किए गए थे।

चार्ट 1: आईएमडी द्वारा पहले वर्षा पूर्वानुमान और संबंधित वर्षों में प्राप्त वास्तविक वर्षा के बीच अंतर (% अंकों में)




जून से सितंबर तक दक्षिण-पश्चिम मानसून मौसम के आंकड़े

चार्ट 2: दक्षिण-पश्चिम मानसून के मौसम के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में वर्षा का स्थानिक वितरण (सामान्य से % विचलन के रूप में)। 2023-24 के लिए डेटा



इस वर्ष भारत के लिए सामान्य से अधिक मानसून का पूर्वानुमान अच्छी खबर है, लेकिन फसल उत्पादन के लिए वर्षा का बेहतर स्थानिक वितरण अधिक महत्वपूर्ण है।

चार्ट 3: चार्ट मुख्य और खाद्य मुद्रास्फीति (वर्ष-दर-वर्ष परिवर्तन, % में) दर्शाता है



क्या हम पूर्वानुमान पर भरोसा कर सकते हैं?

हालांकि यह अच्छी खबर है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि आईएमडी के शुरुआती पूर्वानुमान अक्सर लक्ष्य से चूक गए हैं। 20 से अधिक वर्षों में, पहला पूर्वानुमान केवल 8 बार $\pm 5\%$ मार्जिन के भीतर वास्तविक वर्षा से मेल खाता है। हालांकि, हालात सुधर रहे हैं।

- 2007 से, आईएमडी बेहतर सटीकता के लिए एक उन्नत सांख्यिकीय मॉडल का उपयोग कर रहा है।

- 2021 से, इसने एक बहु-मॉडल समूह गतिशील प्रणाली को अपनाया है जो वैश्विक जलवायु मॉडल को आईएमडी के अपने मॉडल के साथ जोड़ती है।
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के पूर्व सचिव के अनुसार, इससे पूर्वानुमान की सटीकता में काफी सुधार हुआ है, हालांकि मौसमी पूर्वानुमान अभी भी एक बड़ी वैज्ञानिक चुनौती बनी हुई है।

अल नीनो और ला नीना के बारे में क्या?

मानसून वैश्विक जलवायु घटनाओं से बहुत प्रभावित होता है, खास तौर पर:

- **अल नीनो (El Niño):** प्रशांत महासागर की सतह को गर्म करता है और भारत में मानसून की बारिश को कम करता है।
- **ला नीना (La Niña):** प्रशांत महासागर को ठंडा करता है और आमतौर पर भारत में अधिक बारिश लाता है।

2025 के लिए, IMD ने तटस्थ ENSO (अल नीनो-दक्षिणी दोलन) स्थितियों की भविष्यवाणी की है, जिसका अर्थ है कि न तो अल नीनो और न ही ला नीना मानसून को प्रभावित करने की संभावना है। यह एक अच्छा संकेत है।

एक अन्य महत्वपूर्ण कारक हिंद महासागर डिपोल (IOD) है। एक सकारात्मक IOD (गर्म पश्चिमी हिंद महासागर) आमतौर पर भारत में वर्षा को बढ़ाता है, जबकि एक नकारात्मक IOD इसके विपरीत करता है।

क्षेत्र के अनुसार वर्षा में भिन्नता होती है

हालांकि राष्ट्रीय औसत वर्षा सामान्य से अधिक हो सकती है, लेकिन क्षेत्रीय अंतर अक्सर स्पष्ट होते हैं।

- 2023 में, भारत में कुल मिलाकर सामान्य से कम वर्षा हुई, लेकिन तमिलनाडु, तेलंगाना और पुडुचेरी में अधिक वर्षा हुई।
- वहीं, बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहुत कम वर्षा हुई।
- आईएमडी बेहतर क्षेत्रीय वर्षा पूर्वानुमान पर काम कर रहा है, लेकिन स्थानिक भिन्नता का सटीक अनुमान लगाना एक चुनौती बनी हुई है।

अच्छा मानसून = बेहतर फसल = कम खाद्य मुद्रास्फीति

अच्छा मानसून आमतौर पर कृषि उत्पादन को बढ़ाता है, जिससे खाद्य कीमतों को स्थिर रखने में मदद मिलती है। यह भारत जैसे देश के लिए महत्वपूर्ण है, जहाँ कृषि सीधे मुद्रास्फीति को प्रभावित करती है।

2024 में, भारत को एलपीए की 108% वर्षा प्राप्त हुई, और इसके परिणामस्वरूप:

- कृषि उत्पादन में 3.6% की वृद्धि हुई
- खाद्यान्न उत्पादन में 5.7% की वृद्धि हुई
- खाद्य कीमतों में गिरावट आई, खासकर जनवरी 2025 से

खाद्य मुद्रास्फीति, जो दिसंबर 2024 में 8% से अधिक थी, जनवरी 2025 में 6% से नीचे गिर गई, और मार्च 2025 तक, खाद्य मुद्रास्फीति जुलाई 2023 के बाद पहली बार हेडलाइन मुद्रास्फीति से कम थी।

नोट: लेकिन सिर्फ बारिश ही सब कुछ नहीं है।

डब्ल्यूआरआई इंडिया के निदेशक बताते हैं कि कई अन्य कारक खाद्य कीमतों को प्रभावित करते हैं:

- हीटवेव
- फसल रोग
- परिवहन समस्याएँ
- व्यापार प्रतिबंध

वास्तव में, एचएसबीसी की एक रिपोर्ट कहती है कि सिर्फ कम बारिश ही नहीं, बल्कि बढ़ता तापमान अब खाद्य कीमतों के लिए सबसे बड़ा खतरा है।

कृषि के लिए भविष्य का दृष्टिकोण

सरकारी अनुमानों के अनुसार:

- 2024-25 में 166 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन होगा।
- अनाज उत्पादन (159 मिलियन टन) और चावल उत्पादन (121 मिलियन टन) रिकॉर्ड वृद्धि दर पर पहुंचेंगे।

लेकिन कृषि के लिए, वर्षा का समय और क्षेत्रीय वितरण कुल वर्षा से कहीं ज़्यादा मायने रखता है।

उदाहरण के लिए:

- महाराष्ट्र में, अत्यधिक वर्षा ने प्याज़ की फसलों को नष्ट कर दिया।
- गंगा के मैदानों और पंजाब में, कम बारिश ने धान की बुवाई में देरी की, जिससे खाद्य लागत बढ़ गई।

निष्कर्ष

हालांकि 2025 के लिए 'सामान्य से अधिक' मानसून का पूर्वानुमान आशाजनक है, लेकिन भारत को सतर्क रहना चाहिए। बेहतर स्थानिक पूर्वानुमान, जलवायु-लचीली खेती और बाजार की तैयारी इस पूर्वानुमान को किसानों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए वास्तविक आर्थिक लाभ में बदलने में मदद करेगी।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. यद्यपि भारत के कृषि उत्पादन और मुद्रास्फीति नियंत्रण के लिए एक अच्छा मानसून महत्वपूर्ण है, केवल वर्षा ही खाद्य सुरक्षा की गारंटी नहीं है। इस कथन के प्रकाश में, भारत में मानसून पैटर्न, कृषि प्रदर्शन और खाद्य मुद्रास्फीति के बीच बहुआयामी संबंधों पर चर्चा करें। [250 शब्द] [15 अंक]।

भूकंप को समझना: कारण, प्रभाव और मापन

चर्चा में क्यों: हाल ही में म्यांमार में एक शक्तिशाली भूकंप आया, जिससे काफी नुकसान हुआ और क्षेत्रीय आपातकालीन राहत प्रयासों को गति मिली। यह घटना भूकंप को समझने के महत्व को उजागर करती है - उनके कारण क्या हैं, उन्हें कैसे मापा जाता है, और वे आम तौर पर कहाँ होते हैं।

भूकंप क्या है?

- भूकंप, पृथ्वी की सतह का अचानक हिलना है जो पृथ्वी की भूपर्पटी (जिसे लिथोस्फीयर कहा जाता है) के भीतर से ऊर्जा के त्वरित मुक्त होने के कारण होता है। यह ऊर्जा भूकंपीय तरंगों के रूप में बाहर की ओर बढ़ती है, जो पृथ्वी के माध्यम से यात्रा करती है, जमीन को हिलाती है और कभी-कभी दरारें, भूस्खलन या सुनामी का कारण बनती है।
- पृथ्वी के अंदर वह बिंदु जहाँ भूकंप शुरू होता है उसे फोकस कहा जाता है, और सतह पर इसके ठीक ऊपर के बिंदु को उपरिसेंटर कहा जाता है।

भूकंपीय तरंगों के प्रकार

पृथ्वी के आंतरिक भाग से होकर गुजरने वाली तरंगों के दो मुख्य प्रकार हैं:

प्राथमिक तरंगों (P-तरंगों)

- वे सबसे तेज़ भूकंपीय तरंगों हैं।

- पुश-पुल गति (संपीडन तरंगों) की तरह चलती हैं।
- ठोस और तरल दोनों तरह के माध्यम से यात्रा कर सकती हैं (जैसे पृथ्वी का मेंटल और बाहरी कोर)।
- वे सीस्मोग्राफ नामक उपकरणों द्वारा दर्ज की जाने वाली पहली तरंगें हैं।

द्वितीयक तरंगें (S-तरंगें)

- P-तरंगों की तुलना में धीमी गति से चलती हैं और उनके बाद आती हैं।
- ऊपर-नीचे या एक तरफ से दूसरी तरफ गति करके ज़मीन को हिलाती हैं।
- केवल ठोस पदार्थों से होकर गुज़र सकती हैं।
- वे पृथ्वी के तरल बाहरी कोर से नहीं गुज़र सकतीं, जिससे S-तरंग छाया क्षेत्र नामक क्षेत्र बनता है जहाँ इन तरंगों को महसूस नहीं किया जाता है।

भूकंप के कारण

भूकंप तब आते हैं जब पृथ्वी के अंदर निर्मित तनाव अचानक से निकल जाता है। यह प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों कारणों से हो सकता है।

प्राकृतिक कारण

- **टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट:** पृथ्वी की भूपर्पटी विशाल प्लेटों से बनी है जिनमें लगातार गति होती है। जब ये प्लेटें आपस में टकराती हैं, अलग होती हैं या एक-दूसरे से खिसकती हैं, तो तनाव बढ़ता है और भूकंप के रूप में निकलता है।
 - **सबडक्शन ज़ोन:** जहाँ एक प्लेट दूसरी के नीचे खिसकती है, जिससे शक्तिशाली, गहरे भूकंप आते हैं।
- **फॉल्टिंग:** पृथ्वी की भूपर्पटी में दरारें, जिन्हें भ्रंश कहा जाता है, दबाव के कारण अचानक खिसक सकती हैं, जिससे भूकंप आ सकता है।
- **ज्वालामुखी गतिविधि:** भूमिगत मैग्मा की गति चट्टानों को तोड़ सकती है, जिससे अक्सर ज्वालामुखियों के पास भूकंप आ सकते हैं।

मानव-प्रेरित कारण

- **खनन कार्य:** गहरी भूमिगत खदानों के ढहने से कंपन हो सकता है।
- **जलाशय-प्रेरित भूकंपीयता:** बड़े जलाशयों का वजन भूपर्पटी में तनाव पैटर्न को बिगाड़ सकता है।
- **विस्फोट:** परमाणु या बड़े रासायनिक विस्फोट भूकंप के प्रभावों की नकल कर सकते हैं।
- **अत्यधिक पर्यटन और निर्माण:** हिमालय जैसे पारिस्थितिक रूप से नाजुक क्षेत्रों में, भारी बुनियादी ढाँचा, भूजल का अत्यधिक उपयोग और वाहनों का बढ़ता भार भूमि को अस्थिर कर सकता है, जिससे छोटे भूकंप और भूस्खलन हो सकते हैं।

भूकंप को कैसे मापा जाता है?

भूकंप को दो तरीकों से मापा जाता है:

- **परिमाण:** भूकंप के स्रोत पर जारी वास्तविक ऊर्जा।
- **तीव्रता:** किसी विशेष स्थान पर लोगों, इमारतों और पर्यावरण पर भूकंप का प्रभाव।

उपयोग किए जाने वाले पैमाने

- **रिक्टर स्केल:** उत्सर्जित ऊर्जा की मात्रा को मापता है। यह एक लघुगणकीय पैमाना है - प्रत्येक पूर्ण संख्या वृद्धि ऊर्जा में दस गुना वृद्धि दर्शाती है।
- **मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल (Mw):** बड़े भूकंपों को मापने के लिए अधिक सटीक। यह दोष के आकार, फिसलन की मात्रा और चट्टान के गुणों पर विचार करता है।

- **मर्कली तीव्रता स्केल:** यह बताता है कि लोग क्या महसूस करते हैं और कितना नुकसान हुआ है, I (महसूस नहीं हुआ) से XII (कुल विनाश) तक।
- **संशोधित मर्कली तीव्रता (MMI):** एक परिष्कृत संस्करण जो स्थानीय प्रभावों का आकलन करता है क्योंकि एक ही भूकंप अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग महसूस हो सकता है।

भूकंप आमतौर पर कहाँ आते हैं?

भूकंप ज़्यादातर फॉल्ट लाइनों और टेक्टोनिक प्लेट सीमाओं के आसपास आते हैं। प्रमुख भूकंप क्षेत्र हैं:

- **रिंग ऑफ़ फायर:** प्रशांत महासागर के चारों ओर एक बेल्ट जो अक्सर भूकंप और ज्वालामुखियों (जापान, इंडोनेशिया, यूएसए, चिली, आदि) के लिए जाना जाता है।
- **अल्पाइन-हिमालयी बेल्ट:** दक्षिण पूर्व एशिया से हिमालय के माध्यम से भूमध्य सागर तक फैला हुआ है। यह क्षेत्र वहाँ बनता है जहाँ भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराती है।
- **मध्य-महासागरीय कटक:** मध्य-अटलांटिक कटक जैसी पानी के नीचे की पर्वत श्रृंखलाएँ, जहाँ प्लेटें अलग हो जाती हैं, जिससे कंपन होता है।
- **महाद्वीपीय दरार क्षेत्र:** जैसे कि पूर्वी अफ्रीकी दरार, जहाँ पृथ्वी की भूपर्पटी टूट रही है।

सागाइंग फॉल्ट (म्यांमार)

म्यांमार में एक महत्वपूर्ण फॉल्ट लाइन, सागाइंग फॉल्ट एक राइट-लेटरल स्ट्राइक-स्लिप फॉल्ट है, जिसका अर्थ है कि दोनों तरफ की भूमि क्षैतिज रूप से चलती है। यह 1,000 किलोमीटर से अधिक तक फैला हुआ है, जो इसे दक्षिण-पूर्व एशिया के सबसे लंबे सक्रिय फॉल्ट में से एक बनाता है।

निष्कर्ष

भूकंप एक प्राकृतिक घटना है जो पृथ्वी की भूपर्पटी की हलचल के कारण होती है, लेकिन मानवीय गतिविधियाँ भी छोटी-मोटी भूकंपीय गड़बड़ियों में तेजी से योगदान दे रही हैं। यह समझना कि भूकंप कैसे आते हैं, कहाँ आने की संभावना है और उन्हें कैसे मापा जाए, आपदा की तैयारी और जोखिम प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे-जैसे शहरीकरण हिमालय और तटीय बेल्ट जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में फैलता है, जिम्मेदार विकास और सख्त पर्यावरणीय सुरक्षा उपाय पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. भूकंप के प्राथमिक कारणों और विशेषताओं पर चर्चा करें, और उन्हें ट्रिगर करने में प्राकृतिक और मानव-प्रेरित दोनों कारणों की भूमिका का मूल्यांकन करें। साथ ही, बताएं कि भूकंप को कैसे मापा जाता है और वैश्विक स्तर पर कैसे वितरित किया जाता है। [250 शब्द [15 अंक]

क्लिनिडियम लालिते: एक नई बीटल प्रजाति

चर्चा में क्यों: हाल ही में एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (ZSI) के वैज्ञानिकों ने अरुणाचल प्रदेश के टैली घाटी वन्यजीव अभयारण्य में बीटल की एक नई प्रजाति की खोज की है।

मुख्य विवरण:

यह बीटल ग्राउंड बीटल के नाम से जाने जाने वाले कीटों के एक दुर्लभ समूह से संबंधित है, जो विशेष रूप से उपवर्ग राइसोडाइने से संबंधित है। नई प्रजाति का नाम क्लिनिडियम ललिते रखा गया है, जो डॉ. ललिता रे चौधरी के सम्मान में है, जो एक अग्रणी कोलियोप्टेरोलॉजिस्ट (बीटल का अध्ययन करने वाली वैज्ञानिक) और पूर्व ZSI शोधकर्ता हैं।

क्लिनिडियम लालिटे के बारे में

- क्लिनिडियम लालिटे एक ग्राउंड बीटल प्रजाति है जो उपवर्ग राइसोडिना से संबंधित है, जो वनों की मिट्टी पर पाया जाने वाला एक दुर्लभ समूह है।
- ये बीटल छोटे, गहरे रंग के होते हैं, और इनका शरीर का आकार अलग होता है जो उन्हें पत्तियों के कूड़े और सड़ती हुई लकड़ी के बीच से निकलने में मदद करता है।
- वे वन पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण हैं, पोषक चक्रण और मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- इस बीटल प्रजाति की खोज जैव विविधता वाले वन पारिस्थितिकी तंत्र में की गई थी, जो उत्तर-पूर्व भारत के समृद्ध लेकिन कम ज्ञात जीवों को उजागर करती है।
- इस प्रजाति का नाम डॉ. ललिता रे चौधरी के सम्मान में रखा गया था, जिन्होंने ZSI में अपने कार्यकाल के दौरान बीटल के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था।

टैली वैली वन्यजीव अभयारण्य के बारे में

- **अवस्थिति:** अरुणाचल प्रदेश में स्थित, जीरो शहर से लगभग 30 किमी दूर।
- **ऊँचाई:** अभयारण्य 2,400 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है, जो इसे एक शांत, उच्च-ऊँचाई वाला वन पठार बनाता है।
- **परिदृश्य:** इस क्षेत्र में घने जंगल हैं, जिनमें सिल्वर फ़िर के पेड़ और चीड़ से ढके पठार शामिल हैं।
- **वन्यजीव:** कई संकटग्रस्त प्रजातियों का घर, जिसमें इलूसिव क्लाउडेड लेपर्ड भी शामिल है, जो एक स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र का संकेत देता है।
- **पारिस्थितिक मूल्य:** अभयारण्य जैव विविधता का एक हॉटस्पॉट है और अनुसंधान और संरक्षण के लिए अपार गुंजाइश प्रदान करता है।

भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (ZSI) के बारे में

- **स्थापना:** 1 जुलाई 1916 को। इसकी जड़ें 1875 तक जाती हैं, जब भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता में प्राणी अनुभाग की स्थापना की गई थी।
- **नोडल निकाय:** ZSI भारत में जीव सर्वेक्षण और वर्गीकरण अनुसंधान करने के लिए प्रमुख संस्थान है।
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के अंतर्गत काम करता है।

ZSI के मुख्य उद्देश्य:

- पारिस्थितिकी तंत्र और संरक्षित क्षेत्रों में पशु प्रजातियों का सर्वेक्षण और निगरानी करना।
- राष्ट्रीय प्राणी संग्रह को बनाए रखना और विकसित करना।
- भारतीय जीवों के वर्गीकरण और व्यवस्थित अध्ययन का संचालन करना।
- भारत के जीव-जंतु, राज्यों के जीव-जंतु और संरक्षण क्षेत्रों के जीव-जंतु जैसे प्रमुख वैज्ञानिक कार्यों को प्रकाशित करना।
- संकटग्रस्त और स्थानिक प्रजातियों की स्थिति की समय-समय पर समीक्षा करना।
- प्रजातियों और उनके समुदायों के पारिस्थितिक और जैविक अध्ययन करना।
- भारत के जीवों का डेटाबेस बनाएँ और बनाए रखना।
- वर्गीकरण और संरक्षण में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण प्रदान करना।
- शैक्षणिक और सरकारी संस्थानों को वन्यजीव फ़ोरेंसिक और सलाहकार सेवाएँ प्रदान करना।
- सार्वजनिक और शैक्षणिक आउटरीच के लिए संग्रहालय और क्षेत्रीय केंद्र बनाए रखना।

निष्कर्ष

क्लिनिडियम लालिटे की खोज न केवल भारत की पहले से ही समृद्ध जैव विविधता में एक नई प्रजाति जोड़ती है, बल्कि पूर्वी हिमालय जैसे दूरस्थ पारिस्थितिकी तंत्रों में चल रहे वैज्ञानिक अन्वेषण के महत्व को भी रेखांकित करती है। इस तरह के निष्कर्ष टैली वैली वन्यजीव अभयारण्य जैसे नाजुक पर्यावासों की रक्षा करने की आवश्यकता की पुष्टि करते हैं। डॉ. ललिता रे चौधरी जैसे वैज्ञानिकों का समर्पण, जिनकी याद में इस बीटल का नाम रखा गया है, वर्गीकरण और संरक्षण विज्ञान के क्षेत्र में नई पीढ़ियों को प्रेरित करता रहता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न

प्रश्न. क्लिनिडियम लालिटे, जो हाल ही में चर्चा में देखा गया, प्रजाति है -

(a) सरीसृप	(b) स्तनधारी
(c) फूल वाले पौधे	(d) कीट

(P) : 2024

भारत का पहला बीज अंकुरण डेटाबेस

चर्चा में क्यों: भारत के बिगड़े हुए पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने के प्रयासों को मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन अलायंस-इंडिया (ERA-I) ने देश का पहला बीज अंकुरण डेटाबेस लॉन्च किया है। इस ओपन-एक्सेस डिजिटल संसाधन का उद्देश्य देशी पौधों की प्रजातियों के लिए वैज्ञानिक रूप से परीक्षित अंकुरण तकनीक प्रदान करके बहाली करने वालों, नर्सरी प्रबंधकों, शोधकर्ताओं और देशी पौधों के प्रति उत्साही लोगों का समर्थन करना है।

बीज अंकुरण डेटाबेस क्या है?

- यह डेटाबेस भारत भर में पाई जाने वाली 465 देशी पौधों की प्रजातियों को कवर करने वाली 1,000 से अधिक अंकुरण तकनीकों का एक व्यापक संग्रह है। इसे उपयोगकर्ताओं को पारंपरिक परीक्षण-और-तृटि विधियों के बजाय परीक्षण किए गए, मानकीकृत प्रोटोकॉल प्रदान करके पौधों के प्रसार की सफलता दर में सुधार करने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

डेटाबेस की मुख्य विशेषताएं

- विविध देशी प्रजातियों को शामिल करता है: इसमें पौधों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है जैसे
 - एगल मार्मेलोस (वुड एप्पल),
 - फिकस बेंचालेंसिस (बरगद का पेड़),
 - मधुका लॉन्गिफोलिया (महुआ),
 - विथानिया सोम्नीफेरा (अश्वगंधा),
 - जिज़िफस मॉरिटियाना (भारतीय बेर), और कई अन्य।
- **सहयोगात्मक प्रयास:** 11 संस्थानों के 23 व्यक्तियों द्वारा विकसित, यह संसाधन पूरे भारत में दशकों के व्यावहारिक अध्ययन को समेकित करता है।
- **निःशुल्क पहुँच:** डेटाबेस जनता के लिए खुला है और कोई भी इसका उपयोग कर सकता है, जिससे पारिस्थितिक ज्ञान को लोकतांत्रिक बनाने और स्थानीय समुदायों तक पहुँचने में मदद मिलती है।
- **वैज्ञानिक परिशुद्धता:** अंकुरण की सफलता को बढ़ाने, नर्सरी उत्पादन में सुधार करने और बीज की बर्बादी को कम करने के लिए अनुकूलित तकनीकें प्रदान करता है।

इस डेटाबेस की आवश्यकता क्यों थी?

देशी बीज अंकुरण में चुनौतियाँ:

- परंपरागत रूप से, नर्सरी कर्मचारी और बहाली पेशेवर परीक्षण-और-तुट्टि विधियों पर निर्भर थे, अक्सर खराब परिणाम के साथ।
- प्राकृतिक परिस्थितियों में, बीज से पौधे तक जीवित रहने की दर 1% से भी कम है, मुख्य रूप से कठोर पर्यावरणीय कारकों और वैज्ञानिक ज्ञान की कमी के कारण।
- कई देशी प्रजातियों का पुनर्वनीकरण प्रयासों में कम उपयोग किया जाता है क्योंकि उनके अंकुरण तकनीकों का दस्तावेजीकरण नहीं किया गया था।

नया डेटाबेस इन महत्वपूर्ण ज्ञान अंतरालों को भरता है और वैज्ञानिक और स्केलेबल बहाली प्रथाओं का समर्थन करता है।

पुनर्स्थापना में देशी पौधे क्यों महत्वपूर्ण हैं

- पारिस्थितिकी तंत्र लचीलापन:** देशी पौधे स्थानीय मिट्टी, जलवायु और पारिस्थितिकी तंत्र के अनुकूल होते हैं, जिससे वे अधिक संधारणीय बनते हैं।
- जैव विविधता का समर्थन करते हैं:** वे देशी कीटों, पक्षियों, स्तनधारियों और मिट्टी के कवक के साथ पारस्परिक संबंध बनाते हैं, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र संतुलन बना रहता है।
- जलवायु प्रतिरोध:** देशी प्रजातियाँ विदेशी या संकर प्रजातियों की तुलना में स्थानीय जलवायु चरम सीमाओं का बेहतर सामना कर सकती हैं, जिससे वे जलवायु-लचीली बहाली के लिए महत्वपूर्ण बन जाती हैं।

भारत के पुनर्स्थापन लक्ष्यों से लिंक

- भारत ने बॉन चैलेंज के तहत 26 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि को बहाल करने का संकल्प लिया है, जो 2011 में शुरू की गई एक वैश्विक पहल है जिसका उद्देश्य 2030 तक 350 मिलियन हेक्टेयर भूमि को पुनर्स्थापन के अंतर्गत लाना है।
- यह बीज डेटाबेस भारत को देशी पौधों के प्रसार को मानकीकृत और तेज़ करके अपने बॉन चैलेंज लक्ष्यों को अधिक प्रभावी ढंग से प्राप्त करने में मदद करेगा।

प्रभाव और भविष्य के निहितार्थ

- मापनीय समाधान:** पूरे भारत में देशी पौधों की नर्सरी की त्वरित स्थापना को सक्षम बनाता है।
- ज्ञान साझा करना:** अंकुरण तकनीकों के लिए एक केंद्रीकृत मंच के रूप में कार्य करता है जिसे भविष्य में अद्यतन और विस्तारित किया जा सकता है।
- सामुदायिक सशक्तिकरण:** स्थानीय समुदायों, गैर सरकारी संगठनों और भूमि बहाली में लगे किसानों के लिए वैज्ञानिक तरीकों को सुलभ बनाता है।

निष्कर्ष

ERA-I द्वारा बीज अंकुरण डेटाबेस सिर्फ तकनीकों का संग्रह नहीं है - यह पारिस्थितिक स्थिरता की दिशा में भारत की यात्रा में एक महत्वपूर्ण उपकरण है। लंबे समय से चली आ रही ज्ञान संबंधी कमियों को दूर करके, स्थानीय कार्रवाई को सशक्त बनाकर और वैश्विक बहाली लक्ष्यों के साथ जुड़कर, यह पहल इस बात के लिए एक नया मानदंड स्थापित करती है कि विज्ञान किस तरह सीधे संरक्षण प्रयासों की सेवा कर सकता है।

यह डेटाबेस भूमि क्षरण और जैव विविधता हानि की समान चुनौतियों का सामना कर रहे अन्य देशों के लिए एक मॉडल हो सकता है। जलवायु परिवर्तन से जूझ रही दुनिया में, हर देशी बीज मायने रखता है - और इस डेटाबेस के साथ, भारत यह सुनिश्चित कर रहा है कि हर एक को बढ़ने का बेहतर मौका मिले।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. भारत का पहला बीज अंकुरण डेटाबेस किसके द्वारा जारी किया गया है:

- वन अनुसंधान संस्थान
- भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान
- पारिस्थितिक बहाली गठबंधन-भारत
- भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण

(C) : 2022

वारंगल चपाता मिर्च और कन्नडिप्पया को जीआई टैग

चर्चा में क्यों: दो अनोखे भारतीय उत्पाद- तेलंगाना के वारंगल चपाता मिर्च और केरल के कन्नडिप्पया को प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग दिया गया है। इससे न केवल इन उत्पादों को कानूनी सुरक्षा मिलती है, बल्कि घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इनका बाजार मूल्य भी बढ़ता है। इससे उन्हें उत्पादित करने वाले समुदायों की सांस्कृतिक पहचान और आजीविका की रक्षा करने में भी मदद मिलती है।

जीआई टैग क्या है?

भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग बौद्धिक संपदा अधिकार का एक रूप है जिसका उपयोग उन उत्पादों पर किया जाता है जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है और उनमें उस उत्पत्ति के कारण अनिवार्य रूप से गुण, प्रतिष्ठा या विशेषताएँ होती हैं। भारत में जीआई टैग को भौगोलिक संकेत (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जीआई टैगिंग से निम्न में मदद मिलती है:

- पंजीकृत उत्पाद नाम के अनधिकृत उपयोग को रोकना।
- ग्रामीण और आदिवासी कारीगरी को बढ़ावा देना।
- वैश्विक मान्यता और प्रीमियम मूल्य निर्धारण को सक्षम करना।

वारंगल चपाता मिर्च

- राज्य:** तेलंगाना
- इसे टमाटर मिर्च के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका रंग चमकीला लाल होता है और इसका आकार गोल टमाटर जैसा होता है।
- मान्यता:** यह तेलंगाना का 18वाँ उत्पाद है जिसे GI टैग मिला है, और बंगनपल्ली आम और तंदूर लाल चने के बाद यह तीसरा कृषि उत्पाद है।
- अनूठी विशेषताएँ**
 - हल्की तीक्ष्ण लेकिन उच्च कैल्सिकम ओलियोरेसिन सामग्री के कारण प्राकृतिक लाल रंग में समृद्ध।
 - मिर्च में 6.37% से 6.75% ओलियोरेसिन होता है, जो इसे पेपरिका निष्कर्षण और प्राकृतिक रंग के लिए अत्यधिक मांग वाला बनाता है।
 - स्कोविल हीट यूनिट्स (SHU) रेंज:** 3,100 से 6,500, जो इसे हल्का मसालेदार बनाता है।
 - वारंगल चपाता मिर्च के तीन प्रकार हैं:**
 - सिंगल पैटी
 - डबल पैटी
 - ओडालू

- इसकी मोटी दीवार वाली फली का व्यापक रूप से अचार बनाने और रंग-समृद्ध मसाला मिश्रण बनाने के लिए उपयोग किया जाता है।
- **महत्व**
 - जीआई टैग स्थानीय किसानों और मसाला प्रसंस्करणकर्ताओं को उचित मूल्य, ब्रांड पहचान और निर्यात क्षमता सुनिश्चित करके मदद करेगा। यह क्षेत्रीय कृषि विरासत को भी संरक्षित करता है।

कन्नडिप्पया

- **राज्य:** केरल
- **उत्पाद प्रकार:** पारंपरिक बांस की चटाई
- **महत्व:** यह केरल का पहला आदिवासी हस्तशिल्प उत्पाद है जिसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है।

कन्नडिप्पया को क्या खास बनाता है?

- “कन्नडिप्पया” नाम का शाब्दिक अर्थ है “दर्पण चटाई”, जो इसके परावर्तक, सममित पैटर्न को संदर्भित करता है जो दर्पण जैसा दिखता है।
- इसे रीड बांस की आंतरिक नरम परत का उपयोग करके बनाया गया है, जो इसे एक चिकनी बनावट, स्थायित्व और सौंदर्य प्रदान करता है।
- यह चटाई सर्दियों में गर्मी और गर्मियों में ठंडक प्रदान करती है, जिससे यह सभी मौसमों के लिए आदर्श है।

शिल्पकला और सांस्कृतिक विरासत

- **केरल के पाँच आदिवासी समुदायों द्वारा बना गया:**
 - ओराली
 - मन्नन
 - मुथुवा
 - मलयन
 - कदर
- ये जनजातियाँ इडुक्की, लिशूर, एर्नाकुलम और पलक्कड़ जिलों में स्थित हैं।
- कन्नडिप्पया का उपयोग न केवल घरेलू सामान के रूप में किया जाता है, बल्कि आदिवासी त्योहारों और अनुष्ठानों के दौरान भी किया जाता है।
- इस उत्पाद का प्रचार और विपणन ट्राइफेड (भारतीय आदिवासी सहकारी विपणन विकास संघ) के तहत किया जाता है, जो आदिवासी आजीविका का समर्थन करता है।

जीआई टैग क्यों महत्वपूर्ण है?

- केरल के आदिवासी कारीगरों के पारंपरिक ज्ञान और शिल्प कौशल की रक्षा करता है।
- दूरदराज के आदिवासी समुदायों के लिए नए आर्थिक अवसर पैदा करने में मदद करता है।
- पीढ़ियों से चले आ रहे स्वदेशी कौशल के संरक्षण को प्रोत्साहित करता है।

निष्कर्ष

वारंगल चपाता मिर्च और कन्नडिप्पया को जीआई टैग मान्यता मिलना भारत की विविध विरासत को संरक्षित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ये उत्पाद न केवल स्थानीय समुदायों की कृषि और कारीगरी की प्रतिभा को दर्शाते हैं, बल्कि सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण में भी मदद करते हैं। जैसे-जैसे भारत जीआई-टैग वाली वस्तुओं की अपनी सूची का विस्तार करता जा रहा है, यह “स्थानीय से वैश्विक” के महत्व को रेखांकित करता है - पारंपरिक भारतीय उत्पादों को उनकी जड़ों को बरकरार रखते हुए वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाना।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. कन्नडिप्पया, जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है, किस राज्य से संबंधित है...

- | | |
|--------------|--------------|
| (a) कर्नाटक | (b) केरल |
| (c) तमिलनाडु | (d) तेलंगाना |

(Q) : 2020

रामदेवरा बेट्टा गिद्ध अभयारण्य

चर्चा में क्यों: वर्ष 2025 कर्नाटक के रामदेवरा बेट्टा गिद्ध अभयारण्य में गंभीर रूप से संकटग्रस्त इंडियन लॉन्ग बिल्ड वल्चर के सफल प्रजनन का लगातार चौथा वर्ष है। यह एक महत्वपूर्ण संरक्षण मील का पत्थर है, जो विलुप्त होने के कगार पर पहुँच चुकी एक प्रजाति के पुनरुद्धार की आशा प्रदान करता है।

रामदेवरा बेट्टा गिद्ध अभयारण्य के बारे में

- **स्थान:** रामनगर, कर्नाटक के बेंगलुरु से लगभग 50 किमी.
- **कवर किया गया क्षेत्र:** 346 हेक्टेयर ऊबड़-खाबड़ ग्रेनाइट पहाड़ियाँ, चट्टानें और जंगल।
- **घोषित:** 2012 में, यह भारत का पहला गिद्ध अभयारण्य बन गया, जिसे विशेष रूप से लॉन्ग बिल्ड वल्चर (जिप्स इंडिकस) की रक्षा के लिए बनाया गया था।
- 2017 में, अभयारण्य के आसपास हानिकारक गतिविधियों को विनियमित करने के लिए इसे इको-सेंसिटिव ज़ोन (ESZ) के रूप में भी अधिसूचित किया गया था।

अभयारण्य में पाए जाने वाले गिद्ध

1. लॉन्ग बिल्ड वल्चर (जिप्स इंडिकस) – गंभीर रूप से संकटग्रस्त
2. इजिप्शियन वल्चर (नियोफ्रॉन पर्कनोप्टेरस) – संकटग्रस्त
3. हिमालयन ग्रिफॉन (जिप्स हिमालयेंसिस) – सर्दियों का आगंतुक
4. यूरोशियन ग्रिफॉन (जिप्स फुलवस) – सर्दियों का आगंतुक

ये गिद्ध ऊँची चट्टानों और अछूते घाँसले के स्थानों पर निर्भर रहते हैं, जिससे रामदेवरा बेट्टा प्रजनन और बसेरा करने के लिए आदर्श है।

क्षेत्र में गिद्धों के लिए प्रमुख खतरे

संरक्षण के बावजूद, अभयारण्य में गिद्धों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जो उनके अस्तित्व को खतरे में डालती हैं:

1. पशु चिकित्सा दवा डाइक्लोफेनाक:

- डाइक्लोफेनाक, पशुओं के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक दर्द निवारक दवा है, जो उपचारित शवों को खाने वाले गिद्धों में घातक गुर्दे की विफलता का कारण बनती है।
- हालांकि 2006 में प्रतिबंधित कर दिया गया था, लेकिन पशु चिकित्सा पद्धतियों में मानव-उपयोग डाइक्लोफेनाक का अभी भी दुरुपयोग किया जाता है।

- निमेषुलाइड जैसी अन्य कानूनी दवाएं भी गिद्धों के लिए जहरीली हैं।
- 2. **निर्माण गतिविधियाँ:**
 - 2019-2020 के मैसूर-बेंगलुरु राजमार्ग विस्तार के दौरान, अभयारण्य के पास डायनामाइट विस्फोट ने महत्वपूर्ण प्रजनन महीनों के दौरान गिद्धों को परेशान किया।
- 3. **शहरी अतिक्रमण:**
 - अभयारण्य के पास रिसॉर्ट्स, इमारतों और सड़कों के विस्तार से पर्यावास का नुकसान हुआ है और मानवीय व्यवधान बढ़ गए हैं।
- 4. **बिजली का झटका और टकराव:**
 - बिजली की लाइनें और अन्य बुनियादी ढाँचे के विकास से बिजली के झटके या घातक टकराव का खतरा होता है।
- 5. **प्रजनन में समस्या:**
 - घोंसले के शिकार चट्टानों के पास पर्यटन, ट्रेकिंग और शोर प्रजनन करने वाले गिद्धों पर दबाव डाल सकता है, जिससे वे घोंसले छोड़ सकते हैं या चूजों को पालने में विफल हो सकते हैं।
- 6. **कम प्रजनन दर:**
 - गिद्ध प्रति वर्ष केवल एक अंडा देते हैं।
 - हाल के वर्षों (2021-2024) में सफल घोंसले के शिकार के बावजूद, जनसंख्या बहुत धीमी गति से बढ़ती है और किसी भी संकट के प्रति संवेदनशील बनी रहती है।

भारत में गिद्ध

भारत गिद्धों की नौ प्रजातियों का घर है, जिनमें से कई की आबादी में पिछले कुछ दशकों में भारी गिरावट देखी गई है।

भारत में गिद्ध प्रजातियों की सूची:

1. ओरिएंटल व्हाइट-बैकड वल्चर (जिप्स बंगालेंसिस) – गंभीर रूप से संकटग्रस्त
2. लॉन्ग बिल्ड वल्चर (जिप्स इंडिकस) – गंभीर रूप से संकटग्रस्त
3. पतली चोंच वाला गिद्ध (जिप्स टेनुइरोस्ट्रिस) – गंभीर रूप से संकटग्रस्त
4. हिमालयन गिद्ध (जिप्स हिमालयेंसिस)
5. यूरेशियन ग्रिफॉन (जिप्स फुलवस)
6. रेड हेडड वल्चर (सरकोजिप्स कैल्वस) – संकटग्रस्त
7. इजिप्शियन वल्चर (नियोग्रॉन पर्कनोप्टेरस) – संकटग्रस्त
8. बियर्डड वल्चर (जिपेटस बार्बेटस)
9. सिनेरियस गिद्ध (एजिपियस मोनाचस)

कानूनी संरक्षण

- तीन गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियाँ - ओरिएंटल व्हाइट-बैकड, लॉन्ग-बिल्ड और स्लेंडर-बिल्ड गिद्ध - वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची I में सूचीबद्ध हैं, जो उच्चतम स्तर की सुरक्षा प्रदान करती हैं।
- अन्य सभी गिद्ध प्रजातियाँ भी अधिनियम के तहत संरक्षित हैं।

क्या आप जानते हैं?

- गिद्धों को “प्रकृति का सफाईकर्मी दल” कहा जाता है क्योंकि वे जानवरों के शवों का कुशलतापूर्वक निपटान करके बीमारियों के प्रसार को रोकते हैं।
- भारत में गिद्धों की आबादी में तेज गिरावट जंगली कुत्तों की आबादी में वृद्धि और शवों के धीमे निपटान के कारण रेबीज के प्रसार से जुड़ी हुई है।

रामदेवरा बेट्टा में संरक्षण की सफलता

- केवल 5-6 घोंसले के जोड़े से, लॉन्ग बिल्ड वल्चर की आबादी अब धीरे-धीरे ठीक हो रही है, जिसका श्रेय सख्त निगरानी, सामुदायिक जागरूकता और घोंसले के स्थलों के पास विनियमित गतिविधियों को जाता है।
- अभयारण्य की सफलता की कहानी भारत में गिद्ध संरक्षण के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य करती है।

निष्कर्ष

रामदेवरा बेट्टा गिद्ध अभयारण्य गिद्धों को बचाने की भारत की लड़ाई में आशा की किरण के रूप में खड़ा है। हालाँकि, यह सफलता नाजुक और उलटने योग्य है। सभी गिद्ध-विषाक्त दवाओं पर प्रतिबंध लगाने, आवास संरक्षण को लागू करने और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में गिद्धों की भूमिका के बारे में समुदायों को शिक्षित करने के लिए मजबूत कार्रवाई की आवश्यकता है। दीर्घकालिक संरक्षण सफलता निरंतर प्रयासों, अनुसंधान और नीति समर्थन पर निर्भर करेगी।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. भारत का पहला गिद्ध अभयारण्य, रामदेवरा बेट्टा गिद्ध अभयारण्य, कहाँ स्थित है?

- | | |
|------------------|----------------|
| (a) आंध्र प्रदेश | (b) महाराष्ट्र |
| (c) कर्नाटक | (d) ओडिशा |

(C) 2022

साल्ट पैन भूमि

चर्चा में क्यों: महाराष्ट्र सरकार ने धारावी पुनर्विकास परियोजना (डीआरपी) के लिए मुंबई के मुलुंड, कांजूरमार्ग और भांडुप क्षेत्रों में 256 एकड़ साल्ट पैन भूमि के आवंटन को मंजूरी दे दी है। इस भूमि का उपयोग परियोजना से प्रभावित अयोग्य झुग्गीवासियों के पुनर्वास के लिए किया जाएगा। हालांकि इस निर्णय से शहरी आवास दबाव कम हो सकता है, लेकिन इसने पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील साल्ट पैन भूमि के उपयोग के बारे में पर्यावरणीय चिंताएँ बढ़ा दी हैं।

साल्ट पैन भूमि क्या है?

साल्ट पैन भूमि निचले तटीय क्षेत्र हैं, जहाँ समुद्री जल को वाष्पित करके नमक निकाला जाता है। समय के साथ, वे नमक दलदल और आर्द्रभूमि में विकसित हो जाते हैं, जो तटीय पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिक भूमिका निभाते हैं।

मुख्य विशेषताएँ:

- वे प्राकृतिक स्पंज की तरह काम करते हुए अतिरिक्त वर्षा जल को अवशोषित करते हैं।
- वे तूफानों और उच्च ज्वार के दौरान बफर ज़ोन के रूप में काम करते हैं, तटीय क्षेत्रों को बाढ़ और कटाव से बचाते हैं।
- वे अंतर-ज्वारीय गतिविधि का समर्थन करते हैं, जो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण है।
- ये भूमि अद्वितीय जैव विविधता का घर हैं, जिसमें प्रवासी पक्षी, केकड़े, शैवाल और नमक-सहिष्णु पौधे शामिल हैं।

तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) नियमों के तहत संरक्षण

सीआरजेड अधिसूचना 2011 के अनुसार, सोल्ट पैन भूमि को सीआरजेड-1बी श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, जिसमें पारिस्थितिक महत्व के अंतरज्वारीय क्षेत्र शामिल हैं।

सीआरजेड-1बी नियमों के तहत:

पारंपरिक नमक उत्पादन और प्राकृतिक गैस अन्वेषण को छोड़कर सोल्ट पैन भूमि पर किसी भी निर्माण या आर्थिक गतिविधि की अनुमति नहीं है।

भारत में साल्ट पैन: वितरण

पूरे भारत में 60,000 एकड़ भूमि को आधिकारिक तौर पर साल्ट पैन के रूप में चिह्नित किया गया है। ये छह तटीय राज्यों में फैली हुई हैं:

राज्य	साल्ट पैन क्षेत्र (एकड़ में)
आंध्र प्रदेश	20,716 एकड़
तमिलनाडु	17,095 एकड़
महाराष्ट्र	12,662 एकड़
गुजरात, ओडिशा, कर्नाटक	शेष क्षेत्र

अकेले मुंबई में 5,378 एकड़ भूमि को साल्ट पैन के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो एक प्रमुख पारिस्थितिक संसाधन है, जो अब शहरी विस्तार के कारण दबाव में है।

सॉल्ट पैन क्यों महत्वपूर्ण हैं?

सॉल्ट पैन सिर्फ समतल बंजर भूमि नहीं हैं - वे पर्यावरण के प्राकृतिक रक्षक हैं और तटीय अनुकूलन में मूक योगदानकर्ता हैं।

पारिस्थितिक महत्व:

- बाढ़ के अवरोधक के रूप में कार्य करते हैं और चक्रवातों, तूफान और भारी वर्षा के प्रभाव को कम करते हैं।
- मिट्टी की लवणता का संतुलन बनाए रखते हैं और अंतर्देशीय लवणीकरण को रोकते हैं।
- प्रवासी पक्षियों और जलीय जीवन का समर्थन करते हैं, तटीय जैव विविधता को बढ़ाते हैं।

जलवायु भूमिका:

- सॉल्ट पैन सूक्ष्म जलवायु को संतुलित रखने और तटीय क्षेत्रों में नमी और ऊष्मा को नियंत्रित करने में मदद करते हैं।
- उनकी आर्द्रभूमि जैसी विशेषताएँ कार्बन पृथक्करण में योगदान करती हैं।

सांस्कृतिक और आर्थिक मूल्य:

- पारंपरिक नमक की खेती स्थानीय आजीविका का समर्थन करती है।
- सॉल्ट पैन भारत की सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा हैं, खासकर कच्छ और तमिलनाडु जैसे क्षेत्रों में।
- कुछ क्षेत्रों में, वे इको-टूरिज्म आकर्षण के रूप में उभर रहे हैं।

शहरी उपयोग में परिवर्तन से संबंधित चिंताएँ

बुनियादी ढांचे और आवास के लिए सॉल्ट पैन भूमि का उपयोग कई चिंताएँ पैदा करता है:

- तटीय पारिस्थितिकी तंत्र का पर्यावरणीय क्षरण।

- शहरी बाढ़ का बढ़ता जोखिम, विशेष रूप से मुंबई जैसे शहरों में, जो पहले से ही जलभराव के प्रति संवेदनशील हैं।
- सीआरजेड मानदंडों का उल्लंघन या शिथिलता अन्य पारिस्थितिक रूप से नाजुक भूमि के लिए यद्यपि मिसाल कायम कर सकती है।

विशेष फोकस: तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड)

सीआरजेड नियम पहली बार 1991 में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी किये गए थे।

सीआरजेड क्षेत्र श्रेणियाँ:

सीआरजेड श्रेणी	विवरण
सीआरजेड-IA	पारिस्थितिकी दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र (मैंग्रोव, प्रवाल भित्तियाँ, आदि)
सीआरजेड-IB	अंतर्ज्वारीय क्षेत्र, जैसे साल्ट पैन
सीआरजेड II	नगर निगम सीमा के भीतर विकसित शहरी क्षेत्र
सीआरजेड-III A	उच्च जनसंख्या घनत्व वाले ग्रामीण क्षेत्र (>2161/किमी ²): 50मी. विकास रहित क्षेत्र (एन.डी.जेड.)
सीआरजेड-III B	कम जनसंख्या घनत्व वाले ग्रामीण क्षेत्र (<2161/किमी ²): 200 मीटर एन.डी.जेड.
सीआरजेड-IV A	अभिसमुद्र जल और समुद्र तल (12 समुद्री मील तक)
सीआरजेड-IV B	ज्वार-प्रभावित अंतर्देशीय जल निकास

निष्कर्ष

मुंबई में झुग्गी पुनर्वास के लिए सॉल्ट पैन भूमि का प्रस्तावित उपयोग विकास बनाम पर्यावरण का एक पारंपरिक मामला है। यद्यपि शहरी आवास एक आवश्यकता है, सोल्ट पैन की भूमि द्वारा प्रदान की जाने वाली पारिस्थितिक सेवाओं को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के साथ संधारणीय शहरी नियोजन को संतुलित करना दीर्घकालिक अनुकूलन के लिए आवश्यक है, खासकर जलवायु-संवेदनशील तटीय शहरों में।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. साल्ट पैन भूमि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

- उन्हें तटीय विनियमन क्षेत्र नियमों के तहत सीआरजेड-II क्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- साल्ट पैन तटीय क्षेत्रों में बाढ़ के प्रभाव को कम करने में मदद करते हैं।
- सीआरजेड मानदंडों के अनुसार साल्ट पैन पर आवास और बुनियादी ढाँचे के विकास जैसी आर्थिक गतिविधियों की अनुमति है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

(9) : 2022

लिपिड किस तरह विकास की हमारी समझ को बदल रहे हैं

चर्चा में क्यों:

- हमारा शरीर खरबों कोशिकाओं से बना है। प्रत्येक कोशिका के अंदर कई छोटे हिस्से होते हैं - जिनमें प्रोटीन भी शामिल हैं, जो डीएनए से निर्देशों का उपयोग करके बनाए जाते हैं। ये प्रोटीन कोशिका के अधिकांश काम करते हैं - जैसे चीजों को ले जाना, पदार्थों को तोड़ना या संदेशवाहक के रूप में कार्य करना।
- दशकों से, वैज्ञानिकों का मानना है कि डीएनए में परिवर्तन (उत्परिवर्तन) नए कार्यों के साथ नए प्रोटीन बनाकर विकास को बढ़ावा देते हैं।
- लेकिन यह दृष्टिकोण मुख्य रूप से प्रोटीन और जीन पर केंद्रित है। अब, वैज्ञानिकों को यह एहसास होने लगा है कि लिपिड (वसा) जैसे अन्य अणु भी जीवन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

लिपिड क्या हैं?

- लिपिड, वसा होते हैं। कोशिकाओं के अंदर, लिपिड झिल्लियों का निर्माण करते हैं, जो लचीली भित्ति की तरह होती हैं जो कोशिका के विभिन्न भागों को घेरती हैं और अलग करती हैं। ये झिल्लियाँ लिपिड अणुओं से बनी होती हैं जिनमें पानी को आकर्षित करने वाला "सिर" और पानी को पीछे हटाने वाली दो "पूछें" होती हैं।
- हाल ही में, वैज्ञानिकों ने ज़्यादातर इन लिपिड को निष्क्रिय पैकेजिंग के रूप में माना है - प्रोटीन के लिए सिर्फ पृष्ठभूमि सामग्री जो "वास्तविक" काम करती है।

नया अध्ययन: क्या खोजा गया?

सीएसआईआर-सीसीएमबी हैदराबाद की एक शोध टीम इस पर आगे की जांच करना चाहती थी। उन्होंने रेस्पिरेंटरी कॉम्प्लेक्स 1 (RC1) नामक एक बहुत ही महत्वपूर्ण झिल्ली प्रोटीन कॉम्प्लेक्स पर ध्यान केंद्रित किया।

RC1 क्या है?

RC1 प्रोटीन का एक बड़ा समूह है जो माइटोकॉन्ड्रिया - हमारी कोशिकाओं के ऊर्जा बनाने वाले हिस्से के अंदर उपस्थित होता है। यह श्वसन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वह प्रक्रिया जिसमें हमारी कोशिकाएँ ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करती हैं। यदि RC1 ठीक से काम नहीं करता है, तो यह बीमारियों का कारण बन सकता है।

RC1 के तीन भाग हैं:

1. एक भाग माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऊर्जा बनाता है।
2. एक भाग झिल्ली से होकर गुजरता है और हाइड्रोजन आयनों को स्थानांतरित करता है।
3. एक भाग झिल्लियों के बीच से बाहर निकलता है, लेकिन इसका पूरा कार्य अभी तक स्पष्ट नहीं है।

द्विस्ट: लिपिड प्रोटीन के साथ अन्तःक्रिया करते हैं!

RC1 का अध्ययन करते समय, वैज्ञानिकों को कुछ आश्चर्यजनक बातें पता चलीं:

- RC1 में खराबी पैदा करने वाले कई उत्परिवर्तन प्रोटीन के मूल भाग में नहीं थे, बल्कि उन क्षेत्रों में थे जहाँ प्रोटीन लिपिड के संपर्क में आते हैं।
- इसका अर्थ है कि लिपिड निष्क्रिय नहीं हैं; वे इस बात में प्रत्यक्ष भूमिका निभाते हैं कि प्रोटीन ठीक से काम कर सकते हैं या नहीं।

पादप बनाम जीव

उन्होंने पाया कि पादपों और जीवों में लिपिड अलग-अलग होते हैं:

- पादपों के लिपिड में गांठदार, लचीली पूछ होती है।
- जीवों के लिपिड सीधे और अधिक कठोर होते हैं।

ये संरचनात्मक अंतर इस बात को प्रभावित करते हैं कि प्रोटीन झिल्ली में कितनी अच्छी तरह फिट होते हैं। प्रयोगों और कंप्यूटर मॉडल का उपयोग करते हुए, उन्होंने पाया:

- पौधे/पादप के RC1 प्रोटीन पौधे के लिपिड के साथ सबसे अच्छा काम करते हैं।
- मानव RC1 प्रोटीन मानव लिपिड के साथ सबसे अच्छा काम करते हैं।
- यदि आप एक पौधे के RC1 प्रोटीन को मानव कोशिका में डालते हैं, तो यह अलग हो जाता है!

ध्यान दें: प्रोटीन और लिपिड संगत होने चाहिए, और इससे पता चलता है कि वे एक साथ विकसित हुए हैं - अलग-अलग नहीं।

सह-विकास: प्रोटीन और लिपिड एक साथ विकसित होते हैं

इससे एक बड़ा विचार सामने आता है:

- कोशिका झिल्ली में प्रोटीन और लिपिड सह-विकसित होते हैं - जिसका अर्थ है कि वे एक-दूसरे के अनुकूल होने के लिए समय के साथ एक साथ बदलते हैं।
- विशेष रूप से माइटोकॉन्ड्रिया में, जहाँ ऊर्जा उत्पादन महत्वपूर्ण है, यह संगतता महत्वपूर्ण है।

उदाहरण:

पौधे, जो अत्यधिक पर्यावरणीय तनाव (गर्मी, सूखा, आदि) का सामना करते हैं, उनके पास अधिक लचीले लिपिड होते हैं। इस लचीलेपन ने उन्हें जीवित रहने में मदद की होगी, और बदले में, उनके प्रोटीन इन लचीले लिपिड से मेल खाने के लिए विकसित हुए।

यह अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है

1. **विकासवादी सिद्धांत का विस्तार:** विकास केवल जीन और प्रोटीन के बारे में नहीं है - लिपिड भी मायने रखते हैं।
2. **स्वास्थ्य पर प्रभाव:** कई दवाएँ (जैसे स्टैटिन) लिपिड को प्रभावित करती हैं। लिपिड को बेहतर ढंग से समझने से उपचार रणनीतियों में सुधार हो सकता है।
3. **रोगों की व्याख्या करता है:** लिपिड-इंटरैक्टिंग क्षेत्रों में उत्परिवर्तन हमें माइटोकॉन्ड्रियल विकारों को समझने में मदद कर सकते हैं।
4. **नए शोध की आवश्यकता:** लिपिड का अध्ययन करना कठिन है क्योंकि:
 - वे प्रोटीन से अधिक जटिल हैं।

- उनकी संरचना जीन और पर्यावरण दोनों पर निर्भर करती है।
- उनका अध्ययन करने के लिए उपकरण सीमित हैं।

5. **चिकित्सा और विकास का भविष्य:** इससे बेहतर चिकित्सा उपचार और जीवन के विकास की बेहतर समझ हो सकती है।

निष्कर्ष

लंबे समय से, जीव विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में कोशिका झिल्ली को जटिल प्रोटीन धारण करने वाली सरल लिपिड परतों के रूप में दिखाया गया है। लेकिन यह नया शोध वैज्ञानिकों को अलग तरीके से सोचने के लिए प्रेरित कर रहा है। लिपिड केवल निष्क्रिय खिलाड़ी नहीं हैं - वे विकास और स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण योगदानकर्ता हो सकते हैं।

अब समय आ गया है कि हम लिपिड पर वह ध्यान दें जिसके वे हकदार हैं। ऐसा करके, हम जीवन के बारे में अपनी समझ को गहरा कर सकते हैं और बीमारी का इलाज करने के तरीके में सुधार कर सकते हैं। और यह विज्ञान और समाज दोनों के लिए फायदेमंद है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. कोशिका जीव विज्ञान में हाल की प्रगति के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. लिपिड कोशिका झिल्ली में केवल एक संरचनात्मक भूमिका निभाते हैं और प्रोटीन फ़ंक्शन को प्रभावित नहीं करते हैं।
2. झिल्ली प्रोटीन और लिपिड के बीच संगतता सह-विकास का परिणाम हो सकती है।
3. उन क्षेत्रों में उत्परिवर्तन जहां प्रोटीन लिपिड के साथ अंतःक्रिया करते हैं, प्रोटीन फ़ंक्शन को प्रभावित कर सकते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

(9) : 2018

टाइप 5 डायबिटीज

चर्चा में क्यों: टाइप 5 डायबिटीज, निम्न और मध्यम आय वाले देशों में कमजोर और कुपोषित युवा वयस्कों में देखा जाने वाला डायबिटीज का एक प्रकार है, जिसे अंततः अंतर्राष्ट्रीय डायबिटीज फेडरेशन (IDF) द्वारा आधिकारिक रूप से मान्यता दे दी गई है। लंबे समय से नजरअंदाज किया जाने वाला यह डायबिटीज का प्रकार लाखों लोगों को प्रभावित करता है, लेकिन अब तक वैश्विक डायबिटीज वर्गीकरण से बाहर था।

टाइप 5 डायबिटीज क्या है?

टाइप 5 डायबिटीज, जिसे कुपोषण से संबंधित डायबिटीज मेलिटस (MRDM) के नाम से भी जाना जाता है, ज़्यादातर भारत, बांग्लादेश और अफ्रीका के कुछ हिस्सों जैसे देशों में कमजोर, कुपोषित और आर्थिक रूप से संवेदनशील तबके के युवा लोगों को प्रभावित करती है।

इस तरह का डायबिटीज आम तौर पर जाने जाने वाले टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज से काफी अलग है। यह क्रोनिक कुपोषण से काफी हद तक जुड़ा हुआ है, जो अक्सर जन्म से पहले शुरू होता है जब बच्चे को माँ के गर्भ में उचित पोषण नहीं मिलता है, और जन्म के बाद भी गरीबी और उचित भोजन की कमी के कारण जारी रहता है।

टाइप 5 डायबिटीज के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य:

- अनुमान है कि यह दुनिया भर में 20-25 मिलियन लोगों को प्रभावित करता है, मुख्य रूप से एशिया और अफ्रीका में।
- इंसुलिन इंजेक्शन, जो टाइप 1 डायबिटीज के लिए जीवन रक्षक हैं, टाइप 5 डायबिटीज के रोगियों के लिए प्रभावी रूप से काम नहीं करते हैं।

इसका कोई पृष्ठ आनुवंशिक या ऑटोइम्यून कारण नहीं है, दूसरे प्रकार के डायबिटीज के विपरीत।

मुख्य विशेषताएँ और मार्कर

टाइप 5 मधुमेह की कुछ विशिष्ट विशेषताओं में शामिल हैं:

- लो बॉडी मास इंडेक्स (बीएमआई), आमतौर पर 18.5 किलोग्राम/मी² से कम।
- इंसुलिन का साव बहुत कम हो जाता है, लेकिन टाइप 1 मधुमेह जितना कम नहीं होता।
- टाइप 2 मधुमेह वाले लोगों की तुलना में शरीर में वसा का प्रतिशत बहुत कम होता है।
- अग्राशय को कोई ऑटोइम्यून क्षति नहीं होती है, जो टाइप 1 मधुमेह की एक विशेषता है।

टाइप 5 डायबिटीज के क्या कारण हैं?

इसका मुख्य कारण जन्म से पहले शुरू होने वाला दीर्घकालिक कुपोषण है। अगर बच्चे को:

- गर्भ में पर्याप्त पोषण नहीं मिलता है, तो बाद में उसे स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकते हैं।
- अगर बाद में बच्चे का वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसे टाइप 2 डायबिटीज हो सकती है।
- लेकिन अगर बच्चा जन्म से पहले और बाद में कुपोषित रहता है, तो कुपोषण से संबंधित टाइप 5 डायबिटीज विकसित होने का जोखिम बढ़ जाता है।

यह कई विकासशील देशों की कठोर वास्तविकताओं को दर्शाता है, जहाँ गरीबी और खाद्य असुरक्षा पीढ़ियों से बनी हुई है।

उपचार और प्रबंधन

चूँकि टाइप 5 मधुमेह को हाल ही में आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई है, इसलिए मानक उपचार दिशानिर्देश और नैदानिक परीक्षण अभी भी विकसित किए जा रहे हैं।

वर्तमान में, प्रबंधन में शामिल हैं:

- पौष्टिक और उच्च प्रोटीन वाला आहार, जिसमें कार्बोहाइड्रेट और स्वस्थ वसा से पर्याप्त कैलोरी हो, ताकि शरीर का वजन और पोषण संबंधी स्थिति में सुधार हो सके।
- मधुमेह-रोधी दवाएँ या इंसुलिन दिया जा सकता है, लेकिन प्रत्येक रोगी के रक्त शर्करा के स्तर और समग्र स्वास्थ्य के आधार पर निर्णय लिया जाता है।

- गर्भावस्था और बचपन के दौरान कुपोषण को रोकना सबसे प्रभावी दीर्घकालिक निवारक रणनीति है।

मधुमेह को समझना

मधुमेह एक दीर्घकालिक बीमारी है जो तब होती है जब शरीर पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बना पाता या इसका प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं कर पाता। इंसुलिन एक हार्मोन है जो भोजन से ग्लूकोज (शुगर) को ऊर्जा के लिए शरीर की कोशिकाओं में ले जाने में मदद करता है। जब यह प्रक्रिया बाधित होती है, तो ग्लूकोज रक्त में बना रहता है, जिससे उच्च रक्त शर्करा या हाइपरग्लाइसेमिया होता है।

मधुमेह के प्रकार:

- **टाइप 1 मधुमेह:** अग्राशय बहुत कम या बिल्कुल भी इंसुलिन नहीं बनाता है। ज्यादातर बच्चों और युवा वयस्कों को प्रभावित करता है। आजीवन इंसुलिन इंजेक्शन की आवश्यकता होती है।
- **टाइप 2 मधुमेह:** शरीर इंसुलिन का प्रतिरोध करता है या इसका ठीक से उपयोग नहीं करता है। 90% मामलों में इसका योगदान होता है। अक्सर मोटापे और जीवनशैली से जुड़ा होता है।
- **गर्भावधि मधुमेह:** गर्भावस्था के दौरान विकसित होता है और आमतौर पर बच्चे के जन्म के बाद ठीक हो जाता है।
- **टाइप 5 मधुमेह (MRDM):** गरीब देशों में कम वजन वाले युवा लोगों में कुपोषण के कारण होता है।

मधुमेह के अन्य दुर्लभ रूप

- **नवजात मधुमेह:** जीवन के पहले छह महीनों में दिखाई देता है।
- **LADA (वयस्कों में लेटेट ऑटोइम्यून मधुमेह):** वयस्कों में धीमी गति से बढ़ने वाला टाइप 1 मधुमेह।
- **MODY (युवाओं में परिपक्वता-शुरुआत मधुमेह):** 25 वर्ष की आयु से पहले देखा जाने वाला मधुमेह का एक आनुवंशिक रूप।
- **स्टेरॉयड-प्रेरित मधुमेह:** लंबे समय तक स्टेरॉयड के उपयोग के कारण विकसित होता है।
- **टाइप 3 मधुमेह:** अग्राशयशोथ जैसे अग्राशय रोगों से संबंधित।
- **डायबिटीज इन्सिपिडस:** रक्त शर्करा से संबंधित नहीं एक दुर्लभ स्थिति लेकिन अत्यधिक प्यास और बार-बार पेशाब का कारण बनती है।
- **वोल्क्राम सिंड्रोम और एलस्ट्रॉम सिंड्रोम:** मधुमेह से जुड़े अत्यंत दुर्लभ आनुवंशिक विकार।

टाइप 5 मधुमेह की पहचान क्यों महत्वपूर्ण है?

टाइप 5 मधुमेह की आधिकारिक मान्यता निम्न-आय और मध्यम-आय वाले देशों में सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक मील का पत्थर है। यह निम्नलिखित की तत्काल आवश्यकता को उजागर करता है:

- विशेष नैदानिक मानदंड और उपचार दिशानिर्देश।
- कुपोषण को रोकने के लिए लक्षित स्वास्थ्य कार्यक्रम।
- बेहतर मातृ एवं शिशु पोषण कार्यक्रम।
- प्रभावित क्षेत्रों में जन जागरूकता अभियान।

यह मान्यता बीमारी के उपेक्षित रूपों की ओर भी ध्यान आकर्षित करती है जो दुनिया के गरीबों को प्रभावित करते हैं, जिन्हें अक्सर वैश्विक स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों द्वारा अनदेखा किया जाता है।

निष्कर्ष

टाइप 5 मधुमेह विकासशील देशों में एक मूक, उपेक्षित सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है, जिसकी जड़ गरीबी और कुपोषण में है। वैश्विक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा इसकी हाल ही में पहचान इसकी छाया में रहने वाले लाखों लोगों के लिए बेहतर देखभाल और निवारक उपायों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए मातृ और बाल पोषण में सुधार, शीघ्र निदान और कुपोषित आबादी के लिए किरायायती उपचार रणनीतियों की आवश्यकता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. टाइप 5 मधुमेह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. टाइप 5 मधुमेह मेलेटस को कुपोषण संबंधी मधुमेह मेलेटस (MRDM) के रूप में भी जाना जाता है।
2. संतुलित आहार के माध्यम से कुपोषण पर काबू पाकर इसे पूरी तरह से उलट दिया जा सकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

- (a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

(ए) 2022

GPS स्पूफिंग

चर्चा में क्यों: भारतीय वायु सेना (IAF) के विमान से जुड़ी एक हालिया घटना ने एक गंभीर और बढ़ते खतरे की ओर ध्यान आकर्षित किया है - GPS स्पूफिंग। ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत म्यांमार में राहत मिशन पर उड़ान भरते समय, IAF के एक विमान ने अपने GPS सिग्नल के साथ छेड़छाड़ का अनुभव किया, जिससे साइबर सुरक्षा और विमानन प्रणालियों की सुरक्षा पर गंभीर चिंताएं पैदा हो गईं।

मुख्य विवरण:

- 29 मार्च, 2025 को, भारत ने भूकंप प्रभावित म्यांमार में राहत सामग्री लेकर एक C-130J विमान भेजा। जैसे ही विमान म्यांमार के हवाई क्षेत्र में दाखिल हुआ, पायलटों ने GPS सिग्नल में हस्तक्षेप देखा। यह GPS स्पूफिंग हमला होने का संदेह है। शुरु है कि विमान का बैकअप सिस्टम - इन्शियल नेविगेशन सिस्टम (INS) - तुरंत सक्रिय हो गया, जिससे मिशन सुरक्षित रूप से जारी रहा।
- यहाँ तक कि मांडले अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने पहले ही NOTAM (एयरमैन को नोटिस) जारी कर दिया था, जिसमें क्षेत्र में GPS की उपलब्धता में गिरावट का उल्लेख किया गया था।

GPS स्पूफिंग क्या है?

GPS स्पूफिंग एक साइबर हमला है जिसमें विमान, जहाज या यहां तक कि मोबाइल नेटवर्क जैसे नेविगेशन सिस्टम को भ्रमित करने के लिए नकली GPS सिग्नल प्रसारित किए जाते हैं।

यह GPS जैमिंग से अलग है, जिसमें वास्तविक GPS सिग्नल को ब्लॉक करना शामिल है ताकि रिसेवर उसका स्थान न खोज सके। स्पूफिंग में, GPS रिसेवर को यह सोचने के लिए गलत स्थान डेटा भेजा जाता है कि वह कहीं और है।

यह जैमिंग से कहीं अधिक खतरनाक है क्योंकि स्पूफिंग जानबूझकर, चुपचाप की जाती है, और पायलटों या ऑपरेटरों को बिना देखे ही गुमराह कर सकती है जब तक कि बहुत देर न हो जाए।

विमानन में GPS कैसे काम करता है?

विमान अपनी सटीक स्थिति, ऊंचाई और समय निर्धारित करने के लिए ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (GNSS) का उपयोग करते हैं, जिसे आमतौर पर GPS के रूप में जाना जाता है। यह सिस्टम पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले कई उपग्रहों से मिलने वाले संकेतों पर निर्भर करता है।

यदि ये संकेत जाम हो जाते हैं तो विमान:

- अपनी सही स्थिति खो सकता है।
- गलत दिशा में उड़ सकता है।
- टकराव या हवाई क्षेत्र के उल्लंघन का जोखिम उठा सकता है।

GPS हमलों के प्रकार

GPS जैमिंग

- वास्तविक GPS सिग्नल को ब्लॉक करने के लिए उच्च-शक्ति वाले सिग्नल भेजता है।
- रिसीवर को उसकी वास्तविक स्थिति का पता लगाने में असमर्थ बनाता है।
- सौर तूफानों के कारण हो सकता है, लेकिन संघर्ष क्षेत्रों में यह तेजी से देखा जा रहा है।
- सिग्नल को जाम करने के लिए छोटे उपकरणों (मोबाइल फोन जितना छोटा) का उपयोग किया जा सकता है।

GPS स्पूफिंग

- GPS रिसीवर को दिशाहीन करने के लिए नकली सिग्नल भेजे जाते हैं।
- सिस्टम को यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि यह पूरी तरह से अलग स्थान पर है।
- ऑपरेटरों को सचेत किए बिना विमान, जहाज़ या वाहनों को गुमराह कर सकता है।
- अक्सर ग्रे-ज़ोन युद्ध या साइबर युद्ध में उपयोग किया जाता है।

GPS स्पूफिंग के वास्तविक-विश्व खतरे

विमानन जोखिम

- विमान का उड़ान पथ से भटक जाना।
- हवा में टक्कर या हवाई क्षेत्र का उल्लंघन।
- गलत GPS डेटा के कारण बचाव मिशन में देरी।

समुद्री जोखिम

- जहाज़ों का मार्ग से भटक जाना, जिससे टकराव या पर्यावरणीय आपदाओं का जोखिम रहता है।
- कार्गो में देरी, जिससे वैश्विक व्यापार प्रभावित होता है।

रसद और आपूर्ति श्रृंखला

- ट्रकों, ड्रोन या जहाज़ों द्वारा गलत डिलीवरी।
- मार्ग बदलने और देरी के कारण लागत में वृद्धि।

दूरसंचार

- मोबाइल नेटवर्क समय के लिए GPS पर निर्भर करते हैं।
- स्पूफिंग के कारण कॉल ड्रॉप, इंटरनेट विफलता और 5G समस्याएँ हो सकती हैं।

ऊर्जा क्षेत्र

- पावर ग्रिड को समय और सिंक्रोनाइज़ेशन के लिए GPS की आवश्यकता होती है।
- स्पूफिंग के कारण ब्लैकआउट हो सकता है, खासकर अक्षय ऊर्जा प्रणालियों में।

रक्षा और सैन्य

- सैन्य ड्रोन या मिसाइलों को गलत दिशा में भेजा जा सकता है।
- सैन्य टुकड़ियों की आवाजाही और युद्धक्षेत्र समन्वय बाधित हो सकता है।
- राष्ट्रीय सुरक्षा गंभीर जोखिम में।

GPS स्पूफिंग से निपटने के लिए भारत के कदम

भारत अपने विमानन और रक्षा प्रणालियों को ऐसे खतरों से बचाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय कर रहा है:

स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम - NAVIC

- भारत ने NAVIC (नेविगेशन विद इंडियन कांस्टेलेशन) नामक अपना स्वयं का नेविगेशन सिस्टम विकसित किया है। यह GPS का एक भारतीय विकल्प प्रदान करता है, जो विशेष रूप से आपात स्थिति या युद्ध के दौरान उपयोगी है।

उन्नत विमान प्रणाली

- IAF विमान INS (जड़त्वीय नेविगेशन सिस्टम) जैसे बैकअप सिस्टम से लैस हैं जो GPS पर निर्भर नहीं हैं।

डीजीसीए द्वारा विनियामक उपाय

- नागरिक विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने एयरलाइनों को स्वदेशी जीएनएसएस रिसीवर का उपयोग करने और भारत की उपग्रह-आधारित वृद्धि प्रणाली गगन को अपनाने का निर्देश दिया है।

स्पूफिंग का पता लगाने के लिए सेंसर की तैनाती

भारत त्रिकोणीय तरीकों का उपयोग करके स्पूफिंग स्रोतों का शीघ्र पता लगाने और उनका पता लगाने के लिए ज़मीन और हवाई सेंसर तैनात कर सकता है।

सुरक्षित संचार उपकरण - संभव

- भारतीय सेना ने संभव नामक एक सुरक्षित मोबाइल पारिस्थितिकी तंत्र विकसित किया है। हालांकि यह सीधे तौर पर एंटी-स्पूफिंग टूल नहीं है, लेकिन इसका एन्क्रिप्टेड संचार साइबर सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत जोड़ता है।

प्रौद्योगिकी नवाचार और आत्मनिर्भरता

- भारत को कम लागत वाले स्वदेशी नाविक रिसीवर बनाने में निवेश करना चाहिए, खासकर रक्षा और विमानन के लिए, ताकि विदेशी निर्मित (खासकर चीनी) हार्डवेयर पर निर्भरता से बचा जा सके।

आगे की राह: एक बहुआयामी रणनीति

GPS स्पूफिंग से निपटने के लिए भारत को चाहिए:

- स्वदेशी प्रणालियों के माध्यम से तकनीकी आत्मनिर्भरता
- GPS डेटा की दोबारा जांच करने के लिए मल्टी-सेंसर सत्यापन
- वास्तविक समय में स्पूफिंग का पता लगाने वाली प्रणाली

- स्पूफिंग स्थितियों से निपटने के लिए पायलटों और रक्षा कर्मियों का प्रशिक्षण
- ग्रे-ज़ोन खतरों से निपटने के लिए मिल देशों के साथ क्षेत्रीय सहयोग

निष्कर्ष

GPS स्पूफिंग एक मूक साइबर हथियार है - जो विस्फोट तो नहीं करता लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से विमान को पटरी से उतार सकता है, नेटवर्क को बाधित कर सकता है, जहाजों को गुमराह कर सकता है और राष्ट्रीय रक्षा को कमजोर कर सकता है। यह आधुनिक युद्ध में एक नई चुनौती है, और भारत को अपने आसमान और संप्रभुता की रक्षा के लिए सक्रिय, तकनीकी रूप से उन्नत और रणनीतिक रूप से एकजुट होना चाहिए। विज्ञान, सुरक्षा और रणनीति को मिलाकर, भारत यह सुनिश्चित कर सकता है कि उसके राहत मिशन, रक्षा अभियान और नागरिक विमानन डिजिटल युद्ध के सामने सुरक्षित और लचीले बने रहें।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. निम्नलिखित में से कौन सा कथन GPS स्पूफिंग का सबसे अच्छा वर्णन करता है?

- (a) जानबूझकर वास्तविक GPS सिग्नल को ब्लॉक या जाम करना ताकि रिसेवर उन पर लॉक न हो सके।
- (b) कवरेज बढ़ाने के लिए रिमोट एंटीना से प्रामाणिक GPS सिग्नल को फिर से प्रसारित करना।
- (c) अनधिकृत पहुँच को रोकने के लिए GPS डेटा स्ट्रीम को एन्क्रिप्ट करना।
- (d) रिसेवर को उसके वास्तविक स्थान या समय के बारे में धोखा देने के लिए नकली GPS सिग्नल प्रसारित करना।

(P) : 2022

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. GPS स्पूफिंग GPS जैमिंग से कैसे भिन्न है? वास्तविक दुनिया में GPS स्पूफिंग के निहितार्थों का मूल्यांकन करें। [150 शब्द] [10 अंक]

स्वच्छ AI

चर्चा में क्यों: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की एक हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि भले ही AI को बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लेकिन इससे होने वाले आर्थिक लाभ (जैसे अधिक उत्पादकता, अधिक नौकरियाँ, अधिक नवाचार) इससे होने वाले पर्यावरणीय नुकसान से कहीं अधिक होंगे।

नोट: लेकिन इसमें एक समस्या है - देशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि AI जितना संभव हो सके स्वच्छ ऊर्जा (जैसे सौर, पवन या परमाणु) द्वारा संचालित हो।

याद रखने योग्य मुख्य बिंदु:

- विश्व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) द्वारा संचालित एक नए युग में प्रवेश कर रही है। AI में उद्योगों को बदलने, नये रोजगार सृजित करने और आर्थिक विकास को गति देने की क्षमता है। लेकिन हर बड़ी तकनीकी उन्नति की तरह, यह नई चुनौतियाँ भी लेकर आती है - खासकर पर्यावरण के लिए।

- AI और सतत विकास को शतु नहीं होना चाहिए। सही नीतियों और नियोजन के साथ, देश अपने पर्यावरणीय लक्ष्यों का त्याग किए बिना AI को अपना सकते हैं। भारत को भी संधारणीय AI बुनियादी ढाँचे के निर्माण के मार्ग पर दृढ़ता से बने रहना चाहिए।


ऊर्जा के लिए AI की बढ़ती मांग

AI को विशाल कंप्यूटिंग शक्ति की आवश्यकता होती है। AI मॉडल को प्रशिक्षित करना, डेटा संग्रहीत करना और AI-आधारित एप्लिकेशन चलाना विशाल डेटा केंद्रों पर निर्भर करता है - ऐसी सुविधाएँ जो भारी मात्रा में बिजली की खपत करती हैं।

IMF रिपोर्ट में कहा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में, जो दुनिया में AI कंप्यूटिंग का सबसे बड़ा केंद्र है, अकेले AI के विस्तार से बिजली की कीमतों में 9% तक की वृद्धि हो सकती है।

- अगर यह बिजली कोयले और तेल जैसे जीवाश्म ईंधन से आती है, तो इसका अर्थ होगा कि कार्बन उत्सर्जन में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
- दूसरी ओर, अगर AI डेटा सेंटर सौर, पवन या यहाँ तक कि परमाणु ऊर्जा जैसी नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित होते हैं, तो पर्यावरण को होने वाले नुकसान को बहुत कम किया जा सकता है।

इस प्रकार, ऊर्जा स्रोतों का चुनाव यह निर्धारित करेगा कि AI क्रांति जलवायु लक्ष्यों के लिए खतरा बनती है या स्वच्छ भविष्य का समर्थन करती है।



भारत की स्थिति

भारत में, सरकार इंडियाएआई मिशन के माध्यम से AI बुनियादी ढाँचे में प्रारंभिक निवेश कर रही है।

- अभी तक भारत का AI विकास इतना बड़ा नहीं है कि वह देश के समग्र ऊर्जा मिश्रण को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सके।
- लेकिन यह सही समय है कि AI की मात्रा में शुरू से ही संधारणीय प्रथाओं को शामिल किया जाए।
- इस साल की शुरुआत में पेरिस में AI एक्शन समिट में भारत ने यह स्पष्ट कर दिया था कि उसका लक्ष्य संधारणीयता को ध्यान में रखते हुए जिम्मेदारी से AI का विकास करना है। यह दृष्टिकोण कई कारणों से स्मार्ट और आवश्यक है:
 - भारत ने 2070 तक शुद्ध शून्य लक्ष्य रखा है - जिसका अर्थ है कि इसका लक्ष्य उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को उसके द्वारा हटाई गई मात्रा के साथ संतुलित करना है।
 - यदि हरित ऊर्जा नियोजन के बिना AI अवसंरचना विकसित होती है, तो यह उत्सर्जन में वृद्धि कर सकती है, जिससे शुद्ध शून्य लक्ष्य को प्राप्त करना कठिन हो जाएगा।

AI कैसे हरित बन सकता है

AI के लिए हरित ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण क्यों है, इसके दो मुख्य कारण हैं:

1. भारी बिजली खपत

डेटा सेंटर पहले से ही वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक बिजली उपभोक्ताओं में से हैं, और AI इसे और भी बदतर बना देगा।

- नवीकरणीय ऊर्जा के बिना, ऊर्जा की मांग में वृद्धि का अर्थ अधिक प्रदूषण और उच्च ऊर्जा लागत हो सकता है।
- सौर, पवन और परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके, देश जलवायु संकट को और खराब किए बिना AI की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं।

2. कैप्टिव रिन्यूएबल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अनूठा अवसर

डेटा सेंटर एक विशेष लाभ प्रदान करते हैं: वे सैकड़ों एकड़ भूमि पर कब्जा करते हैं, अक्सर केंद्रित केंद्रों में।

- ये स्थान सौर पैनल या पवन टर्बाइन स्थापित करने के लिए एकदम सही हैं, जिससे वे ऊर्जा में आंशिक रूप से आत्मनिर्भर हो जाते हैं।
- कुछ भारतीय कंपनियाँ पहले से ही इस दिशा में आगे बढ़ रही हैं, विशेष रूप से अपने डेटा केंद्रों को बिजली देने के लिए अक्षय ऊर्जा खरीदने के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर कर रही हैं।

छोटे मॉड्यूलर परमाणु रिपेक्टर्स (SMR) में भी रोमांचक संभावनाएँ हैं:

- SMR ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन किए बिना बड़े डेटा क्लस्टरों को स्वच्छ, स्थिर बिजली प्रदान कर सकते हैं।
- सौर और पवन ऊर्जा के साथ मिलकर, SMR AI संचालन के कार्बन पदचिह्न को नाटकीय रूप से कम कर सकते हैं।

बिजली से परे: अन्य पर्यावरणीय चुनौतियाँ

AI का पर्यावरणीय प्रभाव केवल बिजली के उपयोग तक सीमित नहीं है। देखने के लिए अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र भी हैं:

- **खनिजों का खनन:** चिप्स और सर्वर जैसे AI हार्डवेयर को दुर्लभ खनिजों की आवश्यकता होती है, जिनके निष्कर्षण से पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुँच सकता है।
- **पानी का उपयोग:** डेटा सेंटर अपने सिस्टम को ठंडा करने के लिए बड़ी मात्रा में पानी का उपयोग करते हैं।
- **इलेक्ट्रॉनिक्स अपशिष्ट:** इलेक्ट्रॉनिक्स के निर्माण से औद्योगिक अपशिष्ट और अपशिष्ट निकलते हैं।

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण का एक प्रमुख केंद्र बनने का लक्ष्य भी रखता है। इसलिए, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि ये उद्योग संधारणीय खनन प्रथाओं, कुशल जल प्रबंधन और पर्यावरण के अनुकूल विनिर्माण विधियों को भी अपनाएँ।

भारत के लिए एक रणनीतिक क्षण

भारत एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है।

- जैसे-जैसे देश अपने AI बुनियादी ढांचे और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षमताओं का निर्माण कर रहा है, उसे स्वच्छ ऊर्जा और स्थिरता को अपनी रणनीति का केंद्र बनाना चाहिए।
- आज सक्रिय कदम भविष्य में पर्यावरण को होने वाले महंगे नुकसान को रोकेंगे।
- इसके अलावा, “स्वच्छ AI” में अग्रणी होने से भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को बढ़ावा मिल सकता है, जिससे उसे न केवल प्रौद्योगिकी में बल्कि जलवायु कार्रवाई में भी वैश्विक नेता बनने में मदद मिलेगी।

2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य तक पहुंचना आसान नहीं होगा। इसके लिए प्रदूषण-भारी क्षेत्रों को कम करना और एआई जैसे ऊर्जा-भूखे उद्योगों के उदय को सावधानीपूर्वक प्रबंधित करना आवश्यक है। नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यावरण-अनुकूल प्रौद्योगिकियों और जिम्मेदार एआई विकास में जल्दी निवेश करके, भारत यह सुनिश्चित कर सकता है कि उसके तकनीकी सपने उसकी पर्यावरणीय जिम्मेदारियों की कीमत पर न आएँ।

निष्कर्ष

AI एक गेम-चेंजिंग तकनीक है जो अर्थव्यवस्थाओं और समाजों को ऊपर उठा सकती है। लेकिन सावधानीपूर्वक योजना के बिना, यह हमारे ग्रह पर अतिरिक्त दबाव भी डाल सकती है।

भारत को जलवायु जिम्मेदारी के साथ नवाचार को संतुलित करते हुए एक स्थायी AI पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के अवसर का लाभ उठाना चाहिए। भविष्य उज्ज्वल है - अगर हम इसे स्वच्छ तरीके से संचालित करें।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उदय बहुत बड़ी आर्थिक संभावनाएँ प्रदान करता है, लेकिन साथ ही गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियाँ भी उत्पन्न करता है। भारत की नेट ज़ीरो महत्वाकांक्षाओं के संदर्भ में, स्वच्छ AI रणनीति की आवश्यकता की आलोचनात्मक जाँच करें और AI विकास में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए नीतिगत उपाय सुझाएँ। [150 शब्द] [10 अंक]

K2-18b पर संभावित जीवन

चर्चा में क्यों: वैज्ञानिकों ने K2-18b नामक एक सुदूर ग्रह पर एक रोमांचक खोज की है, जो पृथ्वी से लगभग 124 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। शक्तिशाली जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप (JWST) का उपयोग करते हुए, उन्होंने इसके वायुमंडल में कुछ ऐसे अणुओं का पता लगाया है, जो पृथ्वी पर जीवन प्रक्रियाओं से निकटता से जुड़े हुए हैं।

इस खोज ने हमारे ग्रह से परे जीवन की खोज में आशाओं को पुनर्जीवित किया है।

K2-18b क्या है?

K2-18b एक एक्सोप्लैनेट है - जिसका अर्थ है कि यह हमारे सौर मंडल के बाहर का ग्रह है। यह K2-18 नामक एक तारे की परिक्रमा करता है; यह लियो नक्षत्र में स्थित एक ठंडा लाल बौना तारा है।

- इस ग्रह की खोज 2015 में नासा के केपलर मिशन द्वारा की गई थी।
- यह अपने तारे के रहने योग्य क्षेत्र में स्थित है। यह एक तारे के आस-पास का क्षेत्र है जहाँ तापमान के कारण ग्रह की सतह पर तरल पानी मौजूद हो सकता है, जिसे जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त माना जाता है।

K2-18b पृथ्वी से लगभग 2.6 गुना बड़ा है और इसका द्रव्यमान पृथ्वी से 8.6 गुना है। यह उप-नेपच्यून ग्रहों की श्रेणी में आता है - ये मध्यम आकार के ग्रह हैं जो पृथ्वी से बड़े लेकिन नेपच्यून से छोटे हैं, और जबकि हमारे सौर मंडल में ऐसा कोई ग्रह नहीं है, खगोलविदों का मानना है कि उनके पास हाइड्रोजन युक्त वायुमंडल और संभवतः नीचे तरल पानी की महासागर हो सकते हैं।

जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप (JWST) ने क्या खोजा?

जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप (JWST) वर्तमान में अब तक निर्मित सबसे उन्नत अंतरिक्ष वेधशाला है, जिसे ब्रह्मांड में गहराई से देखने और इसके रहस्यों को उजागर करने के लिए लॉन्च किया गया था।

अपने नियर-इन्फ्रारेड इमेजर और स्लिटलेस स्पेक्ट्रोग्राफ (NIRISS) और नियर-इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रोग्राफ (NIRSpec) का उपयोग करते हुए, JWST ने K2-18b के वायुमंडल का अवलोकन किया और कुछ दिलचस्प निष्कर्ष निकाले:

- इसने ग्रह के वायुमंडल में मीथेन (CH₄) और कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂) की उपस्थिति का पता लगाया।
- दिलचस्प बात यह है कि इसने अमोनिया (NH₃) का पता नहीं लगाया - एक ऐसा रसायन जिसकी अनुपस्थिति एक विशेष प्रकार के ग्रह वर्गीकरण का समर्थन करती है जिसे हाइड्रोजन ग्रह के रूप में जाना जाता है।

हाइड्रोजन ग्रह काल्पनिक एक्सोप्लैनेट हैं, जिनमें हाइड्रोजन से भरपूर वायुमंडल और नीचे तरल पानी के महासागर हैं। इन्हें जीवन की संभावना वाले संभावित उम्मीदवार माना जाता है।

- वैज्ञानिकों को सबसे ज़्यादा उत्साहित करने वाली बात K2-18b के वायुमंडल में डाइमिथाइल सल्फाइड (DMS) का संभावित संकेत था।

यह क्यों महत्वपूर्ण है?

पृथ्वी पर, DMS केवल जैविक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होता है, विशेष रूप से समुद्री फाइटोप्लांकटन - छोटे जलीय पौधों द्वारा। यदि पुष्टि की जाती है, तो DMS की उपस्थिति K2-18b पर जीवन का एक मजबूत संकेतक हो सकती है।

हालांकि, वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि यह पता लगाने के लिए कि क्या यह पता लगाना वास्तविक है, अधिक अवलोकन की आवश्यकता है।

जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप (JWST) के बारे में

इस खोज की सराहना करने के लिए, यह समझना महत्वपूर्ण है कि JWST क्या है:

- इसे हबल स्पेस टेलीस्कोप के बाद अगली पीढ़ी की अंतरिक्ष वेधशाला माना जाता है।
- 25 दिसंबर 2021 को लॉन्च किया गया।
- यह लैंग्रेज बिंदु 2 (L2) के चारों ओर परिक्रमा करता है, जो पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किमी दूर अंतरिक्ष में एक स्थिर बिंदु है।

प्रमुख भागीदार:

- NASA (नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन)
- ESA (यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी)
- CSA (कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी)

मिशन लक्ष्य:

1. **प्रारंभिक ब्रह्मांड:** बिग बैंग के बाद बने पहले तारों और आकाशगंगाओं का अध्ययन करना
2. **समय के साथ आकाशगंगाएँ:** समझना कि हमारी आकाशगंगा सहित आकाशगंगाएँ अरबों वर्षों में कैसे बदल गई हैं।
3. **तारा जीवनचक्र:** देखना कि तारे कैसे पैदा होते हैं, जीवित रहते हैं और मरते हैं।
4. **अन्य दुनियाएँ:** अन्य तारों (एक्सोप्लैनेट) के आस-पास के ग्रहों और उनके वायुमंडल का पता लगाना ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या वे जीवन का समर्थन कर सकते हैं।

निष्कर्ष

K2-18b पर जीवन से संबंधित अणुओं का पता लगाने से वैज्ञानिक दुनिया मानवता के सबसे पुराने और सबसे गहन प्रश्नों में से एक का उत्तर देने के एक कदम और करीब आ गई है:

क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं?

हालांकि जीवन की उपस्थिति की पुष्टि करना अभी बहुत जल्दी है, लेकिन ये निष्कर्ष जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की क्षमताओं को उजागर करते हैं और हमारे सौर मंडल से परे रहने योग्य दुनिया की खोज में नई सीमाएँ खोलते हैं।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. हाल ही में चर्चा में आया K2-18b क्या है?

- (a) सुपर अर्थ एक्सोप्लैनेट
- (b) जीन एडिटिंग टूल
- (c) कैंसर से जुड़ा मानव जीन
- (d) अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन मॉड्यूल

(B) : 2021

सौर लौह अपारदर्शिता

चर्चा में क्यों: एक अभूतपूर्व खोज में, सैंडिया नेशनल लेबोरेटरीज (यूपीएसए) के वैज्ञानिकों ने फ्रांसीसी शोधकर्ताओं के साथ मिलकर खगोल भौतिकी में एक लंबे समय से चले आ रहे रहस्य की पुष्टि की है: सूर्य के अंदरूनी हिस्से में मौजूद लौह तत्व हमारे वर्तमान वैज्ञानिक मॉडलों द्वारा की गई भविष्यवाणी से कहीं अधिक अपारदर्शी (कम पारदर्शी) है। यह सफलता वैज्ञानिकों को यह सोचने में मदद कर रही है कि हमारे सूर्य जैसे तारों के अंदर ऊर्जा कैसे प्रवाहित होती है।

सौर लौह अपारदर्शिता समस्या क्या है?

“सौर लौह अपारदर्शिता समस्या” सूर्य के अंदर लौह परमाणुओं द्वारा कितना प्रकाश या ऊर्जा अवशोषित की जाती है, इस बारे में देखे गए डेटा और सैद्धांतिक पूर्वानुमानों के बीच बेमेल को संदर्भित करती है।

इस पहली का खुलासा इस प्रकार हुआ:

1. तत्वों की प्रचुरता में विसंगति (2010 के दशक से पहले)

- वैज्ञानिकों ने देखा कि सूर्य में कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसे कुछ तत्वों की मात्रा सौर मॉडल द्वारा की गई भविष्यवाणी की तुलना में 30-50% कम थी। इससे भ्रम की स्थिति पैदा हो गई क्योंकि मॉडल अब सूर्य की संरचना के अवलोकनों से मेल नहीं खाते थे।

2. 2015 का सफल प्रयोग

- एक प्रयोगशाला प्रयोग से पता चला कि जब लोहे के परमाणुओं को सूर्य के अंदर की तरह अत्यधिक ऊष्मा और दबाव में रखा जाता है, तो वे सिद्धांतों द्वारा गणना की गई तुलना में 30% से 400% अधिक अपारदर्शी होते हैं।
- इसका अर्थ है कि लोहा पहले की तुलना में अधिक ऊर्जा अवशोषित करता है, विशेष रूप से सूर्य की विकिरण और संवहन सीमा के पास पाए जाने वाले प्लाज्मा अवस्था में।

- वैज्ञानिकों ने प्रस्ताव दिया कि सूर्य की औसत अपारदर्शिता (प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता) को केवल 15% तक बढ़ाने से पहले के सौर मॉडल में बेमेल को ठीक किया जा सकता है।

3. 2024 हेलियोसिस्मिक अध्ययन

- एक नए अध्ययन में हेलियोसिस्मोलॉजी (सूर्य के अंदर ध्वनि तरंगों का अध्ययन) का उपयोग करके यह जांच की गई कि विभिन्न परतों में कितना प्रकाश अवशोषित होता है।
- इसमें पाया गया कि देखी गई अपारदर्शिता पुराने मॉडलों की तुलना में लगभग 10% अधिक थी, लेकिन कुछ हालिया प्रयोगशाला-आधारित भविष्यवाणियों की तुलना में 35% कम थी। इससे हम जो देखते हैं, जो मापते हैं और जो हम सिद्धांत का उपयोग करके गणना करते हैं, उसके बीच एक नई असंगति सामने आई।

विज्ञान के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है?

- तारकीय मॉडल को प्रभावित करता है:**
 - जब लोहे की अपारदर्शिता को कम करके आंका जाता है, तो यह तारों के अंदर ऊर्जा परिवहन की गलत तस्वीर देता है। इसका अर्थ है कि हम सितारों के जलने, चमकने और विकसित होने के तरीके का सटीक अनुकरण नहीं कर सकते।
- व्यापक खगोल भौतिकी को प्रभावित करता है:**
 - एक्सोप्लैनेट:** कौन से ग्रह जीवन का समर्थन कर सकते हैं, इसके बारे में भविष्यवाणियाँ उनके मेजबान सितारों को समझने पर निर्भर करती हैं।
 - सुपरनोवा:** सितारों के विस्फोट इस बात से जुड़े होते हैं कि उनके केंद्र में ऊर्जा कैसे प्रवाहित होती है।
 - गैलेक्टिक केमिस्ट्री:** सितारों में नए तत्वों का निर्माण (जिसे न्यूक्लियोसिंथेसिस कहा जाता है) तारकीय अंदरूनी हिस्सों के सही मॉडल पर निर्भर करता है।

तो, सौर अपारदर्शिता केवल सूर्य के बारे में नहीं है- यह पूरे ब्रह्मांड को समझने के बारे में है।

अपने सूर्य को जानें: वह तारा जो हमें शक्ति देता है

सूर्य क्या है?

सूर्य 4.5 बिलियन वर्ष पुराना पीला बौना तारा है, जो मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। यह हमारे सौर मंडल के केंद्र में स्थित है और पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाने वाली ऊर्जा प्रदान करता है।

सूर्य का विज्ञान: हीलियोफिजिक्स

सूर्य का अध्ययन और यह सौर मंडल के बाकी हिस्सों को कैसे प्रभावित करता है, इसे हीलियोफिजिक्स कहा जाता है।

सूर्य की संरचना: कोर से कोरोना तक

आइए सूर्य को सबसे भीतरी परत से लेकर सबसे बाहरी परत तक देखें:

- कोर:**
 - सूर्य की ऊर्जा यहाँ परमाणु संलयन के माध्यम से उत्पन्न होती है।
 - तापमान:** लगभग 15 मिलियन °C.
- विकिरण क्षेत्र:**
 - ऊर्जा विकिरण के माध्यम से धीरे-धीरे बाहर की ओर बढ़ती है।
- संवहनी क्षेत्र:**
 - ऊर्जा गर्म, बढ़ती गैस (संवहन) के रूप में चलती है।
- फोटोस्फीयर (दृश्यमान सतह):**
 - जिसे हम सूर्य की "सतह" के रूप में देखते हैं।
 - तापमान:** लगभग 5,500 °C.
- क्रोमोस्फीयर:**
 - सूर्य ग्रहण के दौरान दिखाई देने वाली एक लाल परत।
- संक्रमण क्षेत्र:**
 - क्रोमोस्फीयर और कोरोना के बीच एक पतली, असमान परत।
- कोरोना (बाहरी वायुमंडल):**
 - आश्चर्यजनक रूप से, यह सतह से भी अधिक गर्म है, जो 2 मिलियन °C तक पहुँचता है!
 - सौर भौतिकी के सबसे बड़े रहस्यों में से एक।

सूर्य के बारे में अन्य रोचक तथ्य

- घूर्णन:** सूर्य घूमता है, लेकिन ठोस पिंड की तरह नहीं - इसका भूमध्य रेखा और ध्रुव अलग-अलग गति से घूमते हैं।
- कक्षा:** यह हर 230 मिलियन वर्ष में आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करता है।
- जन्म:** 4.6 बिलियन वर्ष पहले गैस और धूल के घूमते बादल से बना।
- भविष्य:** लगभग 5 बिलियन वर्षों में, सूर्य एक लाल दानव(Red Giant) में बदल जाएगा, जो आस-पास के ग्रहों को निगल जाएगा, और अंततः एक सफेद बौने(White Dwarf) में सिकुड़ जाएगा।

निष्कर्ष

सौर लौह अपारदर्शिता समस्या हमें याद दिलाती है कि हमारे सबसे नज़दीकी तारे में भी अभी भी गहरे रहस्य छिपे हुए हैं। तारों के अंदर लोहा और अन्य तत्व कैसे व्यवहार करते हैं, इसकी बेहतर समझ के साथ, वैज्ञानिक सूर्य के अधिक सटीक मॉडल बना सकते हैं - जो हमें तारों के जीवन से लेकर पृथ्वी से परे जीवन की संभावनाओं तक सब कुछ समझने में मदद करेगा। यह केवल भौतिकी के बारे में एक कहानी नहीं है, बल्कि हमारे ब्रह्मांड के काम करने के तरीके के ब्रह्मांडीय खाका को उजागर करने के बारे में है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य की परतों को सबसे भीतरी से सबसे बाहरी क्रम में सही ढंग से सूचीबद्ध करता है?

- कोर - विकिरण क्षेत्र - संवहन क्षेत्र - फोटोस्फीयर - क्रोमोस्फीयर - कोरोना
- कोर - संवहन क्षेत्र - विकिरण क्षेत्र - फोटोस्फीयर - कोरोना - क्रोमोस्फीयर
- कोर - फोटोस्फीयर - विकिरण क्षेत्र - संवहन क्षेत्र - क्रोमोस्फीयर - कोरोना
- कोरोना - क्रोमोस्फीयर - फोटोस्फीयर - संवहन क्षेत्र - विकिरण क्षेत्र - कोर

(B) : 215

वाहन-से-ग्रिड (V2G) प्रौद्योगिकी

चर्चा में क्यों: केरल राज्य विद्युत बोर्ड (KSEB) ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) बॉम्बे के साथ मिलकर केरल राज्य में वाहन-से-ग्रिड (V2G) प्रौद्योगिकी के उपयोग का पता लगाने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि केरल में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को अपनाने में तेज़ी से वृद्धि देखी जा रही है, जिसने राज्य की बिजली व्यवस्था के लिए अवसर और चुनौतियाँ दोनों पैदा की हैं।

यह परियोजना क्यों महत्वपूर्ण है?

- केरल सक्रिय रूप से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा दे रहा है और उसने ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का समर्थन करने के लिए कई पहल की हैं। हालाँकि, ईवी की बढ़ती संख्या के साथ, शाम के पीक ऑवर्स के दौरान बिजली की मांग में भी तेज़ी से वृद्धि हुई है, जब लोग घर लौटते हैं और अपने वाहनों को चार्ज करने के लिए प्लग इन करते हैं।
- इसी समय, राज्य में छत पर सौर ऊर्जा(Rooftop Solar Power) अपनाने में तेज़ी से वृद्धि हो रही है। समस्या यह है कि सूर्यास्त के बाद सौर ऊर्जा उत्पादन

बंद हो जाता है, ठीक उस समय जब बिजली की मांग बढ़ जाती है। अक्षय ऊर्जा की उपलब्धता और बिजली की खपत के पैटर्न के बीच यह बेमेल ग्रिड स्थिरता के लिए एक गंभीर चुनौती है।

- यहाँ पर V2G प्रौद्योगिकी काम आती है - ऊर्जा की मांग, आपूर्ति और भंडारण को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने के लिए एक स्मार्ट समाधान के रूप में।

वाहन-से-ग्रिड (V2G) तकनीक क्या है?

सरल शब्दों में, वाहन-से-ग्रिड (V2G) एक ऐसी तकनीक है जो इलेक्ट्रिक वाहनों को ज़रूरत पड़ने पर अपनी बैटरी से बिजली ग्रिड में वापस भेजने की अनुमति देती है।

जबकि आम तौर पर, EVs अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए केवल ग्रिड से बिजली खींचते हैं, V2G द्वि-दिशात्मक चार्जिंग की शुरुआत करता है, जहाँ ऊर्जा दोनों तरफ प्रवाहित हो सकती है - ग्रिड से वाहन तक और वाहन से ग्रिड तक।

स्पष्ट करने के लिए:

- द्वि-दिशात्मक चार्जिंग का अर्थ है कि वाहन की बैटरी को चार्ज और डिस्चार्ज दोनों किया जा सकता है।
- V2G तकनीक विशेष रूप से वाहन की बैटरी से ऊर्जा को आवश्यकता पड़ने पर ग्रिड में वापस भेजने को संदर्भित करती है।

उदाहरण के लिए, शाम के समय पीक डिमांड घंटों के दौरान, जब बहुत कम या बिल्कुल भी सौर ऊर्जा उपलब्ध नहीं होती है, तो V2G-सक्षम चार्जर से जुड़े ईवी संग्रहीत बिजली को वापस ग्रिड में डिस्चार्ज कर सकते हैं, जिससे आपूर्ति और मांग को संतुलित करने में मदद मिलती है।

V2G तकनीक क्यों महत्वपूर्ण है?

यह तकनीक बिजली ग्रिड और EV मालिकों दोनों के लिए कई लाभ प्रदान करती है:

1. **अक्षय ऊर्जा की अस्थिरता को कम करती है:** सौर और पवन जैसे नवीकरणीय स्रोत रुक-रुक कर बिजली पैदा करते हैं। V2G तकनीक EV बैटरियों को उच्च उत्पादन की अवधि के दौरान अतिरिक्त अक्षय ऊर्जा को संग्रहीत करने और उत्पादन में गिरावट आने पर इसे ग्रिड में वापस डिस्चार्ज करने की अनुमति देती है।
2. **जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करती है:** वर्तमान में, बिजली ग्रिड मांग में अचानक वृद्धि (जिसे पीकर प्लांट कहा जाता है) को पूरा करने के लिए जीवाश्म ईंधन-आधारित बिजली संयंत्रों का उपयोग करते हैं। इन अवधियों के दौरान बिजली की आपूर्ति के लिए EV बैटरियों का उपयोग करके, ऐसे संयंत्रों पर निर्भरता कम की जा सकती है।
3. **मौजूदा बुनियादी ढांचे का लाभ उठाता है:** घरों, कार्यालयों या सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों से जुड़ी ईवी बैटरियां विकेंद्रिकृत ऊर्जा भंडारण इकाइयों के रूप में कार्य करती हैं, जिससे महंगी, बड़े पैमाने की ग्रिड बैटरियां बनाने की तत्काल आवश्यकता समाप्त हो जाती है।
4. **बैटरी उपयोग को अनुकूलित करता है:** अध्ययनों से पता चलता है कि V2G तकनीक सामान्य स्मार्ट चार्जिंग सिस्टम की तुलना में EV बैटरी क्षमता का 10 गुना अधिक कुशलता से उपयोग कर सकती है। EV मालिकों के लिए, इसका अर्थ है कि ग्रिड से कनेक्ट होने पर उनकी निष्क्रिय वाहन बैटरियां आय-उत्पादक संपत्ति बन सकती हैं।
5. **नवीकरणीय ऊर्जा के विकास का समर्थन करता है:** V2G अधिशेष नवीकरणीय ऊर्जा को संग्रहीत करने और उपयोग करने में मदद करता है जो अन्यथा बर्बाद हो

जाती है, जिससे ग्रिड पर अधिक बोझ डाले बिना हरित ऊर्जा स्रोतों को अपनाने में मदद मिलती है।

दुनिया भर में V2G तकनीक की स्थिति

वैश्विक स्तर पर, V2G तकनीक अपनाने के विभिन्न चरणों में है:

- **यूरोप:** यूनाइटेड किंगडम और नीदरलैंड जैसे देश V2G तकनीक का उपयोग करने वाले वैश्विक नेताओं में से हैं।
- **संयुक्त राज्य अमेरिका:** कैलिफ़ोर्निया राज्य ने अपने उच्च नवीकरणीय ऊर्जा प्रवेश के कारण ग्रिड स्थिरता के लिए V2G का उपयोग करने में अग्रणी स्थान प्राप्त किया है।
- **भारत:** यहाँ, V2G अभी भी अपने शुरुआती चरणों में है। वर्तमान में प्राथमिक ध्यान EV चार्जिंग बुनियादी ढांचे का विस्तार करने पर है, जबकि भविष्य में वितरण ग्रिड में V2G के एकीकरण की योजना बना रहा है।

V2X तकनीक क्या है?

जबकि V2G का अर्थ खास तौर पर वाहन और पावर ग्रिड के बीच की अंतःक्रिया से है, व्यापक शब्द V2X (वाहन-से-सबकुछ) अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करता है। इनमें शामिल हैं:

- **वाहन-से-घर (V2H):** जहाँ EVs आउटलेट या पीक टैरिफ घंटों के दौरान घरों को बिजली दे सकते हैं।
- **वाहन-से-भवन (V2B):** जहाँ EVs इमारतों या वाणिज्यिक परिसरों को बिजली की आपूर्ति करते हैं।
- **वाहन-से-लौड (V2L):** जहाँ EVs सीधे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों या औजारों को बिजली देते हैं।

निष्कर्ष

केएसईबी-आईआईटी बॉम्बे पायलट परियोजना भारत की स्वच्छ और स्मार्ट ऊर्जा प्रणाली की ओर यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जैसे-जैसे भारत अपने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन को गति दे रहा है और अक्षय ऊर्जा क्षमता बढ़ा रहा है, वाहन-से-ग्रिड (V2G) जैसे अभिनव समाधानों को एकीकृत करना ग्रिड स्थिरता बनाए रखने और ऊर्जा दक्षता में सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण होगा।

यदि सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया, तो V2G प्रौद्योगिकी EU को सिर्फ वाहनों से मोबाइल, बुद्धिमान ऊर्जा भंडारण इकाइयों में परिवर्तित कर सकती है - जिससे उपभोक्ताओं और बिजली उपयोगिताओं दोनों को लाभ होगा, और भारत के महत्वाकांक्षी हरित ऊर्जा परिवर्तन को समर्थन मिलेगा।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. वाहन-से-ग्रिड (V2G) तकनीक का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?

- (a) इलेक्ट्रिक वाहनों से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करना।
- (b) वाहनों और पावर ग्रिड के बीच द्विदिश ऊर्जा प्रवाह को सक्षम करना।
- (c) स्मार्ट चार्जिंग के माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी लाइफ को बढ़ाना।
- (d) अक्षय ऊर्जा का उपयोग करके इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से चार्ज करने की अनुमति देना।

(9) : 2024

ध्वनिक हथियार

चर्चा में क्यों: सर्बियाई सरकार ने इस बात से इनकार किया कि सुरक्षा बलों ने राजधानी बेलग्रेड में एक विशाल सरकार विरोधी रैली में प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने और डराने के लिए सैन्य-ग्रेड ध्वनिक हथियार (सोनिक वैपन) का इस्तेमाल किया।

ध्वनिक हथियारों के बारे में

- ध्वनिक हथियार ऐसे उपकरण होते हैं जो लंबी दूरी तक उच्च ध्वनि प्रक्षेपित करते हैं।
- इन्हें दर्दनाक श्रव्य या अश्रव्य ध्वनि तरंगों उत्सर्जित करने के लिए डिज़ाइन किया जा सकता है।
- इन उपकरणों का उपयोग ध्वनि संदेश या अन्य ध्वनियाँ देने के लिए ध्वनिक एम्पलीफायरों की तरह भी किया जा सकता है।
- 2004 में, संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना ने विशेष उपकरणों का इस्तेमाल किया जो पहली बार इराक में बहुत लंबी दूरी तक तीव्र आवाज़ें प्रक्षेपित कर सकते थे।
- **ध्वनिक हथियारों का कार्य:**
 - ध्वनिक हथियारों में आमतौर पर सैकड़ों आधुनिक ट्रांसड्यूसर होते हैं जो अत्यधिक केंद्रित और प्रवर्धित ध्वनि उत्सर्जित करते हैं।
 - ट्रांसड्यूसर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करता है।

ध्वनिक हथियारों के प्रकार

- **लंबी दूरी की ध्वनिक डिवाइस (LRAD):**
 - इसमें 8,900 मीटर की रेंज है, जिससे स्पष्ट भाषण (स्पीच) मिलता है, और यह अत्यधिक तेज़ ध्वनि की एक अत्यधिक दिशात्मक "बीम" उत्पन्न करता है जो 160 डेसिबल (dB) तक जा सकती है।
 - निर्माता: यू.एस. स्थित जेनेसिस इंक.
- **माँसकीटो (Mosquito)**
 - यह बहुत उच्च ध्वनि उत्पन्न करता है जो केवल युवा लोगों, आमतौर पर किशोरों और बीस के दशक में रहने वाले लोगों को सुनाई देती है और दर्दनाक होती है। यह वृद्ध लोगों (30 और उससे अधिक) को प्रभावित नहीं करती है।
 - यह वयस्कों को सुनाई नहीं देती क्योंकि सुनने की क्षमता उम्र बढ़ने के साथ कम होती जाती है।
- **इन्फ्रासोनिक हथियार**
 - यह एक नई तकनीक है और यह बहुत कम आवृत्ति वाली आवाज़ें दे सकती है जो सुनाई नहीं देती है लेकिन दर्द और भटकाव पैदा कर सकती है।
 - इसकी क्षमताओं की जाँच की जा रही है।

ध्वनिक हथियारों के स्वास्थ्य पर प्रभाव

- लोगों पर ध्वनिक हथियारों के प्रभावों पर बहुत कम चिकित्सा साहित्य उपलब्ध है।
- सुनने की क्षमता में कमी और लंबे समय तक कान में दर्द की रिपोर्टें हैं, लेकिन अभी तक आम सहमति बनाने के लिए पर्याप्त डेटा उपलब्ध नहीं है।
- हालांकि, हथियार अव्यवस्थित हो सकते हैं, जिससे प्रदर्शनकारियों, राहगीरों और यहां तक कि पुलिस अधिकारियों को भी नुकसान या दर्द हो सकता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. ध्वनिक हथियार लक्ष्य को अक्षम करने के लिए विशिष्ट ध्वनि आवृत्तियों का उपयोग करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आवृत्ति रेंज मुख्य रूप से ऐसे गैर-घातक हथियारों में नियोजित की जाती है?

- (a) श्रव्य ध्वनि (20 हर्ट्ज - 20 किलोहर्ट्ज) और अल्ट्रासाउंड (20 किलोहर्ट्ज से ऊपर)
- (b) इन्फ्रासाउंड (20 हर्ट्ज से नीचे) और सबसोनिक ध्वनि (ध्वनि की गति से नीचे)
- (c) सुपरसोनिक (ध्वनि से तेज़) और अल्ट्रासोनिक (20 किलोहर्ट्ज से ऊपर)
- (d) इन्फ्रासाउंड (20 हर्ट्ज से नीचे) और अल्ट्रासाउंड (20 किलोहर्ट्ज से ऊपर)

(P) : 2022

गौरव - लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम

चर्चा में क्यों: रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने सुखोई-30 एमकेआई विमान से लंबी दूरी के ग्लाइड बम (LRGB) 'गौरव' का सफलतापूर्वक परीक्षण किया।

गौरव के बारे में - लॉन्ग-रेंज ग्लाइड बम (LRGB)

- गौरव एक हवा से प्रक्षेपित 1,000 किलोग्राम वर्ग का ग्लाइड बम है जो लंबी दूरी पर स्थित लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है।
- प्रक्षेपित होने के बाद, ग्लाइड बम INS और GPS डेटा के संयोजन के साथ एक अत्यधिक सटीक हाइब्रिड नेविगेशन योजना का उपयोग करके 58 रक्षा और सुरक्षा लक्ष्य की ओर बढ़ता है।



- गौरव को रिसर्च सेंटर इमारत (RCI), हैदराबाद द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है।
- परीक्षणों के दौरान, हथियार को विभिन्न वारहेड विन्यासों में कई स्टेशनों में एकीकृत किया गया था, जिसमें द्वीप पर एक भूमि लक्ष्य था। परीक्षणों ने उच्च सटीकता के साथ 100 किमी के करीब की सीमा का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया।
- इस प्रणाली को विकास-सह-उत्पादन भागीदारों - अडानी डिफेंस सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजीज, भारत फोर्ज और विभिन्न एमएसएमई के सहयोग से साकार किया गया है।

लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम

- लॉन्ग-रेंज के ग्लाइड बम, जिन्हें कभी-कभी स्टैंडऑफ़ ग्लाइड बम भी कहा जाता है, बिना शक्ति वाले या कम शक्ति वाले सटीक निर्देशित हथियार होते हैं जो विमान से छोड़े जाने के बाद लंबी दूरी तय करने के लिए वायुगतिकीय लिफ्ट पर निर्भर करते हैं।
- पारंपरिक फ्री-फॉल बमों के विपरीत, ग्लाइड बमों में पंख होते हैं जो उन्हें अपने लक्ष्य की ओर ग्लाइड करने की अनुमति देते हैं, जो अक्सर दसियों से लेकर सैकड़ों किलोमीटर तक की दूरी तय करते हैं।
- वे आमतौर पर उन्नत मार्गदर्शन प्रणालियों को शामिल करते हैं - जैसे कि GPS, जड़त्वीय नेविगेशन, या लेजर होमिंग - सटीकता सुनिश्चित करने के लिए, यहाँ तक कि चलते या भारी बचाव वाले लक्ष्यों के खिलाफ भी।
- जब तैनात किया जाता है, तो ग्लाइड बम को उच्च ऊँचाई (आमतौर पर 30,000-40,000 फ़ीट) और उच्च गति पर छोड़ा जाता है। लॉन्च विमान की गति और ऊँचाई प्रारंभिक ऊर्जा प्रदान करती है, जबकि बम के पंख ग्लाइड दूरी को अधिकतम करने के लिए विस्तारित होते हैं।
- **घटक**
 - **वारहेड:** लक्ष्य के आधार पर, विस्फोटक पेलोड 100 किलोग्राम से लेकर एक टन से अधिक तक हो सकता है। वारहेड उच्च विस्फोटक, बंकर-बस्टिंग या विखंडन आधारित हो सकते हैं।
 - **मार्गदर्शन प्रणाली:** अधिकांश ग्लाइड बम सभी मौसम की सटीकता के लिए GPS और जड़त्वीय नेविगेशन के संयोजन का उपयोग करते हैं।
 - कुछ उन्नत मॉडल टर्मिनल मार्गदर्शन के लिए लेजर या इन्फ्रारेड सीकर को शामिल करते हैं, जिससे चलते हुए लक्ष्यों पर हमला करना संभव हो जाता है।
 - **वायुगतिक सतह:** फोल्डेबल पंख लिफ्ट प्रदान करते हैं, जिससे बम कुशलता से ग्लाइड कर सकता है। ग्लाइड अनुपात - खोई हुई ऊँचाई की प्रति इकाई तय की गई दूरी - हथियार की सीमा निर्धारित करती है।
 - **नियंत्रण इकाई:** एक ऑनबोर्ड कंप्यूटर नेविगेशन डेटा को संसाधित करता है और बम को सही दिशा में रखने के लिए नियंत्रण सतहों को समायोजित करता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. गौरव, जिसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने भारतीय सशस्त्र बलों के लिए विकसित किया है, एक ...

- (a) शॉर्ट-रेंज टैक्टिकल बम (b) ऑल-टेरेन टैंक
(c) लॉन्ग-रेंज ग्लाइड बम (d) एयरबोर्न रडार सिस्टम

(C) : 2022

अफ्रीका भारत प्रमुख समुद्री सहभागिता 2025

चर्चा में क्यों: अफ्रीका भारत प्रमुख समुद्री सहभागिता (AIKEYME) 2025 का उद्घाटन 13 अप्रैल 25 को तंजानिया के दार-ए-सलाम में किया गया, जो भारत और अफ्रीकी देशों के बीच समुद्री सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

मुख्य विवरण

- **अभ्यास की अवधि:** 6 दिन
- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य आम क्षेत्रीय समुद्री चुनौतियों के लिए सहयोगी समाधान विकसित करना है।
 - इसका उद्देश्य साझेदार देशों की समुद्री सेनाओं के बीच अंतर-संचालन क्षमता को बढ़ाना और संयुक्त संचालन में तालमेल बिठाना है।
 - यह भारत और अफ्रीकी देशों के बीच मजबूत और मैत्रीपूर्ण संबंधों पर भी प्रकाश डालता है।
- **सह-मेजबान:** भारत और तंजानिया
- **भाग लेने वाले देश:** कोमोरोस, जिबूती, केन्या, मेडागास्कर, मॉरीशस, मोजाम्बिक, सेशेल्स और दक्षिण अफ्रीका।
- **भारतीय भागीदारी:** आईएनएस चेन्नई (विध्वंसक), आईएनएस केसरी (एक लैंडिंग शिप टैंक), और आईएनएस सुनयना
- **अभ्यास के चरण**
 - **बंदरगाह चरण:** उद्घाटन समारोह और डेक रिसेप्शन
 - ◆ टेबल टॉप और कमांड पोस्ट अभ्यास एंटी-पायरेसी ऑपरेशन और सूचना साझा करने पर केंद्रित है, साथ ही नाविक कौशल में संयुक्त प्रशिक्षण और विजिट बोर्ड सर्व एंड सीजर (वीबीएसएस) अभ्यास।
 - **समुद्री चरण:** भाग लेने वाले देशों के बीच समुद्री सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- यह भारत के क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के लिए पारस्परिक और समग्र उन्नति (महासागर) को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण के अनुरूप है।

अफ्रीका-भारत फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास (AFINDEX)

- अफ्रीका-भारत फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास एक संयुक्त पहल है जिसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र द्वारा अधिदेशित शांति अभियानों और मानवीय खदान सहायता में सहयोगात्मक कौशल को बढ़ाना है।
- यह मिशन स्थापना, नागरिक सुरक्षा, काफिले की सुरक्षा और खदानों की सफाई जैसे सामरिक अभ्यासों पर ध्यान केंद्रित करता है, साथ ही अफ्रीकी देशों और भारत के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं और टीम निर्माण को साझा करने को बढ़ावा देता है।

भारत-अफ्रीका रक्षा वार्ता (IADD)

- पहली बार भारत-अफ्रीका रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन (IADMC) 06 फरवरी, 2020 को डिफेंसएक्सपो के संयोजन में लखनऊ, उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया था, जिसका आयोजन रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय द्वारा किया गया था।

सहस्त्र शक्ति कार्यक्रम: लेजर-निर्देशित ऊर्जा हथियार

चर्चा में क्यों: भारत ने आंध्र प्रदेश के कुरनूल में नेशनल ओपन एयर रेंज (NOAR) में अपने पहले उच्च शक्ति वाले लेजर हथियार का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है।

मुख्य विवरण

- भारत ने 30 किलोवाट के लेजर हथियार के सफल प्रदर्शन के साथ अपने निर्देशित ऊर्जा हथियार कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है।
- सहस्त्र शक्ति कार्यक्रम के तहत विकसित यह उच्च शक्ति वाला लेजर 4 किलोमीटर की दूरी पर ड्रोन, यूएवी और स्थिर लक्ष्यों को बेअसर कर सकता है।
- यह मील का पत्थर भारत के निर्देशित ऊर्जा हथियार (डीईडब्ल्यू) कार्यक्रम में एक बड़ा कदम है, जिसे बनाने में एक दशक से अधिक समय लगा है।

सहस्त्र शक्ति कार्यक्रम

- लेजर आधारित रक्षा की नींव स्वदेशी विकास की वकालत करने वाले 2012 के शोध पत्र से शुरू हुई।
- कार्यक्रम ने DRDO के तहत आकार लिया, शुरुआत में LASTEK के माध्यम से और बाद में हैदराबाद में CHESSE लैब के माध्यम से।
- कोडनेम 'सहस्त्र शक्ति' के तहत, उद्देश्य स्पष्ट था: दुश्मन के ड्रोन, ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को निष्क्रिय करने के लिए हथियार बनाना।

प्रगतिशील उन्नयन: MK1 से MK2A तक

- Mk1 (2024):** 1 किमी की दूरी पर छोटे ड्रोन के खिलाफ प्रभावी 2 किलोवाट लेजर प्रणाली।
- Mk2:** छह 2 किलोवाट लेजर को एक शक्तिशाली 12 किलोवाट बीम में संयोजित किया गया, जो 2 किमी से अधिक की दूरी तक फैला हुआ है।

- Mk2A (2025):** 30 किलोवाट पर भारत का पहला सच्चा उच्च शक्ति वाला लेजर।
- यह 4 किमी की सीमा के साथ छह 5 किलोवाट बीम का उपयोग करता है।
- यह ड्रोन, हेलीकॉप्टर और दुश्मन के सेंसर को निशाना बना सकता है।
- यह पूरी तरह से स्वदेशी है और ट्रक पर लगाया जा सकता है।

आगे की राह

- तैनाती:** यह प्रणाली परीक्षण के दौर में है और दो साल के भीतर इसके मैदान में इस्तेमाल के लिए तैयार होने की संभावना है।
- भविष्य के संस्करण:** DRDO क्रूज मिसाइलों, जेट और यहां तक कि तोपखाने के गोले का मुकाबला करने के लिए 50-100 किलोवाट की शक्ति वाले संस्करण विकसित कर रहा है।
- अगली पीढ़ी के प्लेटफॉर्म:** विमान, नौसेना प्रणालियों और अंततः अंतरिक्ष-आधारित लेजर के लिए लघु आकार के पॉड पाइपलाइन में हैं।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. DRDO के सहस्त्र शक्ति कार्यक्रम का उद्देश्य विकास करना है...

- | | |
|---------------------------------|------------------------|
| (a) लेजर-निर्देशित ऊर्जा हथियार | (b) एंटी-टैंक मिसाइल |
| (c) पनडुब्बी रडार | (d) एंटी-एयरक्राफ्ट गन |

(B) : 2025

नौसेना विमानन और राफेल मरीन (राफेल एम) लड़ाकू विमान

चर्चा में क्यों: भारत और फ्रांस ने भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल मरीन (राफेल एम) लड़ाकू विमानों के लिए 7.4 बिलियन डॉलर (लगभग 63,000 करोड़ रुपये) के सरकारी-से-सरकारी अनुबंध पर हस्ताक्षर किए।

मुख्य विवरण

- लड़ाकू विमानों को नौसेना द्वारा एक प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के बाद चुना गया था जिसमें अमेरिकी बोइंग F/A 18 सुपर हॉर्नेट भी शामिल था।
- राफेल को भारतीय आवश्यकताओं के लिए अधिक उपयुक्त पाया गया और इसमें भारतीय वायुसेना के 36 लड़ाकू विमानों के बेड़े के साथ समानता का अतिरिक्त लाभ होगा।
- जेट में अत्याधुनिक हथियार प्रणाली होगी, जिसमें लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, जहाज रोधी हथियार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध शामिल हैं।
- लड़ाकू विमानों की तत्काल आवश्यकता थी क्योंकि दो भारतीय विमान वाहक - आईएनएस विक्रमादित्य और विक्रान्त - अब कार्यरत हैं और मिग 29के लड़ाकू विमानों के मौजूदा बेड़े ने रखरखाव संबंधी मुद्दों के कारण खराब प्रदर्शन किया है।
- राफेल एम को भारतीय आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित किया जाएगा और उन विमान वाहकों में एकीकृत किया जाएगा जिनमें रूसी मूल विमानन सुविधा परिसर (एएफसी) है।

बहुमुखी, सर्व भूमिका लड़ाकू मशीनें

राफेल-मरीन (राफेल-एम), जिसे डसॉल्ट एविएशन द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है, एक फ्रांसीसी लड़ाकू विमान है जिसे विमान वाहक से संचालित करने के लिए संशोधित किया गया है, जिसे 2004 में फ्रांसीसी नौसेना के साथ सेवा में शामिल किया गया था।

सर्व भूमिका क्षमताएं: राफेल आवश्यकता पड़ने पर एक ही उड़ान में लड़ाकू विमानन मिशन की एक श्रृंखला को अंजाम दे सकता है - वायु श्रेष्ठता और वायु रक्षा, नजदीकी हवाई समर्थन, इन-डेपथ G हमले, टोही, जहाज-रोधी हमले और परमाणु निवारण।

मजबूत अंडरकेरिज: सभी राफेल वेरिएंट एक समान एयरफ्रेम और एक समान मिशन सिस्टम साझा करते हैं, नौसेना और भूमि संस्करणों के बीच अंतर मुख्य रूप से अंडरकेरिज और अरेस्टिंग हुक तक सीमित है। भारतीय वायु सेना के साथ सेवा में यह उच्च स्तर की समानता भारतीय वायु सेना के साथ पहले से ही सेवा में मौजूद राफेल के साथ अंतर-संचालन की अनुमति देती है।

मल्टी-सेंसर डेटा फ़्यूज़न: राफेल में ऑनबोर्ड और ऑफ़बोर्ड सेंसर द्वारा प्रदान किए गए डेटा को फ़्यूज़ करने और प्रोसेस करने की अनूठी क्षमता है। इन बड़ी हुई क्षमताओं के केंद्र में एक नया मॉड्यूलर डेटा प्रोसेसिंग यूनिट (MDPU) है, सिस्टम की मॉड्यूलरिटी राफेल को उनके सेवा जीवन के दौरान अपग्रेड करने योग्य बनाती है, ताकि वे विकसित हो रही रणनीति और कंप्यूटर तकनीक में सुधार का सामना कर सकें।

नौसेना विमानन

- नौसेना विमानन नौसेनाओं द्वारा सैन्य वायु शक्ति का उपयोग है, जिसमें युद्धपोतों से संचालित होने वाले विमान शामिल हैं, जैसे विमान वाहक और अन्य विमान या हेलीकॉप्टर-ले जाने वाले सतही लड़ाकू विमान, या नौसेना संचालन का समर्थन करने के लिए भूमि आधार।
- इसमें विशेष नौसेना विमान शामिल हैं जो वाहक संचालन और छोटे डेक की अनूठी मांगों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जैसे कि छोटी टेकऑफ़ और गिरफ्तार लैंडिंग, और हवा से हवा में युद्ध, सतह और पनडुब्बी हमला, समुद्री टोही, खोज और बचाव, और रसद समर्थन जैसी भूमिकाएँ।
- महत्व: नौसेना विमानन समुद्र पर नियंत्रण बनाए रखने, नौसेना और जमीनी बलों का समर्थन करने और दूर के तटों पर सैन्य शक्ति का प्रक्षेपण करने के लिए महत्वपूर्ण है।
 - इसमें फिक्स्ड-विंग कैरियर-बोर्न स्क्वाड्रन, भूमि आधारित समुद्री गश्ती विमान, हेलीकॉप्टर और युद्धपोतों और तट से संचालित रिमोटली पायलटेड विमान शामिल हैं।

नौसेना विमानन की मुख्य भूमिकाएँ

- **बेड़े की वायु रक्षा:** भूमि आधारित विमानों की पहुँच से परे नौसेना बलों के लिए हवाई सुरक्षा प्रदान करना।
- **सामरिक शक्ति प्रक्षेपण:** भूमि ठिकानों की आवश्यकता के बिना वायु शक्ति की तैनाती की अनुमति देना।
- **सतह विरोधी युद्ध:** हवाई मिसाइलों से दुश्मन के जहाजों पर हमला करना।
- **उभयचर युद्ध का समर्थन करना:** समुद्री लैंडिंग और अंतर्देशीय संचालन में सहायता करना।
- **खान प्रतिवाद:** दुश्मन की खानों का पता लगाने और उन्हें साफ़ करने के लिए विमान का उपयोग करना।

विमान वाहक

- विमान वाहक एक युद्धपोत है जो समुद्री हवाई अड्डे के रूप में कार्य करता है, जो जहाज पर सवार विमानों का समर्थन करने, उन्हें हथियारबंद करने, तैनात करने और उन्हें पुनर्प्राप्त करने के लिए एक पूर्ण लंबाई वाली उड़ान डेक और हैंगर सुविधाओं से सुसज्जित है।

- यह नौसेना बल को तट पर हवाई क्षेत्रों पर निर्भर किए बिना अपनी मातृभूमि से दूर समुद्री वायु शक्ति को प्रक्षेपित करने की अनुमति देता है।
- कैरियर बैटल ग्रुप के हिस्से के रूप में विमान वाहक अक्सर आधुनिक नौसैनिक युद्ध का केंद्रबिंदु होते हैं, जिनका प्रतिरोध, समुद्र की कमान और हवाई वर्चस्व में महत्वपूर्ण रणनीतिक और कूटनीतिक प्रभाव होता है।
- विमान वाहक अनुकूलनीय और जीवित रहने योग्य हवाई क्षेत्र भी होते हैं जो समुद्र को नियंत्रित करने, हमले करने और विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम और साइबरस्पेस में युद्धाभ्यास करने के लिए तैयार होते हैं।

भारतीय विमान वाहक

- भारत का विमान वाहक विमानन 1961 में आईएनएस विक्रांत के कमीशन के साथ शुरू हुआ।
- 1960 के दशक से, भारत ने चार वाहक संचालित किए हैं: आईएनएस विक्रांत (1961-1997), आईएनएस विराट (1987-2017), आईएनएस विक्रमादित्य (2013 से), और स्वदेश निर्मित आईएनएस विक्रांत, जिसे 2022 में कमीशन किया जाएगा।

विमान वाहकों के लिए भारत की आवश्यकता: भारत को कई रणनीतिक, सैन्य और भू-राजनीतिक कारणों से विमान वाहकों की आवश्यकता है।

- **रणनीतिक प्रतिरोध और शक्ति प्रक्षेपण:** विमान वाहक भारत को हिंद महासागर में प्रभाव डालने और शक्ति का अनुकूल संतुलन बनाए रखने में सक्षम बनाते हैं, जो भारत और दुनिया के लिए व्यापार, ऊर्जा प्रवाह और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र है।
- **समुद्री हितों की सुरक्षा:** भारत का 90% से अधिक व्यापार समुद्री मार्ग से होता है। वाहक समुद्री संचार लाइनों (SLOCs) को सुरक्षित करने, द्वीप क्षेत्रों की रक्षा करने और संभावित खतरों को रोकने में मदद करते हैं।
- **ब्लू वॉटर नेवी क्षमता:** वाहक भारतीय नौसेना को घरेलू तटों से दूर संचालन करने की अनुमति देते हैं, जिससे विस्तारित संचालन और संकटों के लिए त्वरित प्रतिक्रिया करने में सक्षम ब्लू वॉटर फोर्स के रूप में इसकी स्थिति मजबूत होती है।
- **निरंतर परिचालन तत्परता:** कई वाहक होने से यह सुनिश्चित होता है कि प्रत्येक तट पर कम से कम एक हमेशा चालू रहे, भले ही अन्य रखरखाव या मरम्मत में हों।

- **गैर-सैन्य भूमिकाएँ:** वाहक मानवीय और आपदा राहत (HADR) संचालन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जो भारत की सॉफ्ट पावर और क्षेत्रीय आपात स्थितियों और आपदाओं का जवाब देने की क्षमता को दर्शाते हैं, जो हिंद महासागर क्षेत्र में असामान्य नहीं हैं।

भारतीय नौसेना के लिए राफेल एम का महत्व

- 26 राफेल एम जेट, साढ़े चार पीढ़ी के युद्ध-सिद्ध लड़ाकू विमान, मौजूदा मिग-29 के बेड़े में वृद्धि करेंगे।
- भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल एम को शामिल करने से एक बड़ा लाभ यह है कि ये आईएएफ राफेल के साथ समानता रखते हैं।
 - यह अंतर-संचालन और संयुक्त प्रशिक्षण के साथ-साथ दोनों सेवाओं के बीच इन परिसंपत्तियों और उनके एयरक्रू के रखरखाव और सुरक्षित अभ्यास के लिए वांछनीय गुंजाइश प्रदान करता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला विमानवाहक पोत था?

- (a) आईएनएस विराट (b) आईएनएस विशाल
- (c) आईएनएस विक्रमादित्य (d) आईएनएस विक्रान्त

(P) : 2022

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. भारत द्वारा राफेल-एम जेट विमानों की खरीद के साथ, वर्तमान समय में नौसेना विमानन के महत्व और भारत के शस्त्रागार में विमानवाहक पोत रखने की आवश्यकता पर चर्चा करें। [150 शब्द] [10 अंक]

दस्तलिक (DUSTLIK)-VI

चर्चा में क्यों: भारत-उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक-VI का छठा संस्करण 16 से 28 अप्रैल 2025 तक आयोजित किया गया।

दस्तलिक के बारे में

- संयुक्त अभ्यास दस्तलिक एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो भारत और उज्बेकिस्तान में बारी-बारी से आयोजित किया जाता है।
- इस अभ्यास का पहला संस्करण नवंबर 2019 में उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया था।
- भारत-उज्बेकिस्तान संयुक्त फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास, अभ्यास दस्तलिक-II का दूसरा संस्करण मार्च 2021 में रानीखेत, उत्तराखंड में आयोजित किया गया था।
- भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास, एकस-

दस्तलिक का तीसरा संस्करण मार्च 2022 में यांगियारिक, उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया था।

- भारतीय सेना और उज्बेकिस्तान की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास 'दस्तलिक' का चौथा संस्करण फरवरी 2023 में विदेशी प्रशिक्षण नोड, पिथौरागढ़ (उत्तराखंड) में आयोजित किया गया था।
- भारत-उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक का पांचवां संस्करण अप्रैल 2024 में उज्बेकिस्तान के टर्मेज़ में आयोजित किया गया था।
- भारत-उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक-VI का छठा संस्करण औंध (पुणे) में विदेशी प्रशिक्षण नोड में आयोजित किया गया।

दस्तलिक -VI

- **थीम:** अर्ध-शहरी परिदृश्य में संयुक्त बहु-डोमेन उप-पारंपरिक संचालन।
- अभ्यास में ड्रोन की तैनाती, यूएएस विरोधी उपाय और वायु सेना द्वारा शलुतापूर्ण क्षेत्रों में बलों को बनाए रखने के लिए रसद सहायता शामिल थी।
- इसके अतिरिक्त, हेलीकॉप्टरों का उपयोग टोही और अवलोकन, विशेष हेलीबोर्न ऑपरेशन (एसएचबीओ), छोटी टीम प्रविष्टि और निष्कर्षण (एसटीआईई) और अन्य संबंधित मिशनों के लिए किया गया।

परिणाम

- दस्तलिक-VI ने दोनों पक्षों को संयुक्त उप-पारंपरिक संचालन करने की रणनीति, तकनीक और प्रक्रियाओं में सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने में सक्षम बनाया।
- इसने दोनों सेनाओं के बीच अंतर-संचालन और सौहार्द विकसित करने में मदद की।
- संयुक्त अभ्यास ने रक्षा सहयोग को बढ़ाया, दोनों मिल देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत किया।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास DUSTLIK किसके बीच आयोजित किया जाता है...

- (a) भारत और कजाकिस्तान (b) भारत और किर्गिस्तान
- (c) भारत और ताजिकिस्तान (d) भारत और उज्बेकिस्तान

(P) : 2022

भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य में बदलाव

चर्चा में क्यों: भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य पर यह लेख द हिंदू अखबार में प्रकाशित संपादकीय पर आधारित है।

परिचय

- जीवन में परिवर्तन निरंतर होता रहता है, और स्वास्थ्य भी इसका अपवाद नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में, सार्वजनिक स्वास्थ्य को देखने का हमारा नज़रिया पूरी दुनिया में बदल गया है।
- बढ़ती अर्थव्यवस्था, तेज़ी से बदलती जीवनशैली और बढ़ते शहरीकरण के साथ, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियाँ अब नई और जटिल चुनौतियों का सामना कर रही हैं।
- आज सबसे ज़्यादा दबाव वाले मुद्दों में रोगाणुरोधी प्रतिरोध, मधुमेह और हृदय रोग जैसी पुरानी गैर-संचारी बीमारियों (एनसीडी) में वृद्धि, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों में वृद्धि और जूनोटिक बीमारियों (जो जानवरों से इंसानों में फैलती हैं, जैसे कि कोविड-19) का खतरा शामिल है।

ये चुनौतियाँ अब सिर्फ़ बीमारियों के इलाज तक सीमित नहीं हैं। ये लोगों के पर्यावरण, आय के स्तर, शिक्षा और यहाँ तक कि उनके स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार से भी प्रभावित होती हैं - वे कितनी बार डॉक्टर के पास जाते हैं, वे स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को कैसे देखते हैं और स्वस्थ रहने के बारे में उनकी जागरूकता।

महत्वपूर्ण डेटा

- अकेले एनसीडी वैश्विक मौतों का 60% से अधिक हिस्सा है, और अगले दशक में उनका बोझ 17% बढ़ने की संभावना है।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य विवरण (2021-22) के अनुसार, भारत में प्रति व्यक्ति जब से स्वास्थ्य व्यय (ओओपीएचई) में गिरावट का रुझान दिखा है।
- केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट है कि नवंबर 2024 तक 1.75 लाख से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर चालू हैं, जिनमें 350 करोड़ परामर्श दर्ज किए गए हैं - जो बढ़ते सार्वजनिक विश्वास और पहुंच का एक मजबूत संकेतक है।

भारत की बड़ी छलांग: आयुष्मान भारत

वर्ष 2018 में, भारत सरकार ने आयुष्मान भारत नामक एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार करना और हर नागरिक, विशेष रूप से वंचितों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुलभ बनाना है।

इस प्रमुख योजना के तीन प्रमुख घटक हैं:

- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY):** यह दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी वित्तपोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है। यह माध्यमिक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹5 लाख का कवर प्रदान करती है, जिसका मुख्य लाभ गरीब और कमजोर परिवारों को मिलता है।

- आयुष्मान आरोग्य मंदिर (AAM):** ये स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र (HWC) हैं जिन्हें व्यापक प्राथमिक देखभाल को लोगों के करीब लाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वे मधुमेह और उच्च रक्तचाप, मानसिक स्वास्थ्य सहायता, ईएनटी और दंत चिकित्सा, जराचिकित्सा और उपशामक देखभाल जैसी पुरानी बीमारियों के लिए सेवाएँ प्रदान करते हैं और यहाँ तक कि कल्याण गतिविधियों के माध्यम से स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देते हैं।
- प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (PM-ABHIM):** 2021 में लॉन्च किए गए इस घटक का उद्देश्य देश भर में स्वास्थ्य अवसंरचना का निर्माण और उसे मजबूत करना है, यह सुनिश्चित करना है कि अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र अच्छी तरह से सुसज्जित हों, बेहतर स्टाफ हों और भविष्य की महामारी या स्वास्थ्य आपात स्थितियों के लिए अधिक लचीले हों।

जब से होने वाले खर्च को कम करना

- परिवारों के निर्धनता में गिरने का सबसे बड़ा कारण उच्च चिकित्सा बिल है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) विनाशकारी स्वास्थ्य व्यय (CHO) को एक परिवार की प्रयोज्य आय का 40% से अधिक स्वास्थ्य सेवा पर खर्च करने के रूप में परिभाषित करता है।
- आयुष्मान भारत जैसे कार्यक्रम न केवल लोगों के जीवन और कल्याण को बेहतर बनाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, बल्कि उन्हें ऐसी वित्तीय आपदाओं से बचाने के लिए भी हैं।
- केंद्र सरकार, राज्यों के साथ मिलकर, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) जैसी अतिरिक्त योजनाओं के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा का समर्थन करती है।

सार्वजनिक स्वास्थ्य में भरोसा

- बुनियादी ढांचे के विस्तार के बावजूद, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में लोगों के भरोसे में कमी बनी हुई है। बेहतर सफाई, कम प्रतीक्षा समय और व्यक्तिगत देखभाल की धारणाओं के कारण कई लोग अभी भी निजी अस्पतालों को प्राथमिकता देते हैं।
- लेकिन स्वास्थ्य सेवा में भरोसा वास्तव में क्या है? इसे अक्सर इस आशावादी विश्वास के रूप में परिभाषित किया जाता है कि डॉक्टर और स्वास्थ्य सेवा प्रदाता रोगी के सर्वोत्तम हित में कार्य करेंगे - तब भी जब रोगी का स्थिति पर बहुत कम नियंत्रण हो। भारत और अन्य निम्न और मध्यम आय वाले देशों में, इस तरह का भरोसा बनाना एक बड़ी चुनौती है।
- फिर भी भरोसा केवल एक भावनात्मक कारक नहीं है - यह स्वास्थ्य परिणामों से दृढ़ता से जुड़ा हुआ है। जब लोग सिस्टम पर भरोसा करते हैं:
 - वे जल्दी देखभाल लेने की अधिक संभावना रखते हैं।
 - वे उपचार योजनाओं का अधिक ईमानदारी से पालन करते हैं।
 - वे अनुवर्ती देखभाल के लिए वापस आते हैं।
 - और वे निजी क्षेत्र में उच्च लागतों से बचते हैं।
- भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में लगातार वृद्धि हुई है, खासकर प्राथमिक देखभाल के स्तर पर। ग्रामीण और शहरी दोनों आबादी की सेवा के लिए उप-केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) पूरे देश में फैले हुए हैं।

- यह सुनिश्चित करने के लिए कि ये सुविधाएँ अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करती हैं, सरकार ने राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक (NQAS) पेश किए। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर क्वालिटी इन हेल्थकेयर (ISQua) की वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के आधार पर, NQAS निम्नलिखित क्षेत्रों में अस्पतालों का मूल्यांकन करता है:
 - रोगी अधिकार और प्रतिक्रिया
 - संक्रमण नियंत्रण
 - नैदानिक देखभाल
 - बुनियादी ढाँचा और सहायता सेवाएँ
 - गुणवत्ता प्रबंधन और स्वास्थ्य परिणाम

आगे की राह

वर्ष 2030 के लिए सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के प्रति भारत की प्रतिबद्धता में सभी के लिए उच्च-गुणवत्ता वाली और सुलभ स्वास्थ्य सेवा प्रणाली का निर्माण करना शामिल है। लेकिन जैसा कि लैंसेट ग्लोबल हेल्थ कमीशन ने बताया है, एक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य प्रणाली केवल बुनियादी ढांचे या दवाओं के बारे में नहीं है। यह ऐसी है जो:

- स्वास्थ्य परिणामों में लगातार सुधार करती है।
- बदलती आबादी की जरूरतों के प्रति उत्तरदायी है।
- सभी लोगों द्वारा विश्वसनीय और मूल्यवान है।

वर्ष 2007 में, भारत ने न्यूनतम सेवा मानक निर्धारित करने के लिए भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक (आईपीएचएस) पेश किए। हालाँकि, अब समय आ गया है कि NQAS को अधिक गंभीरता से प्राथमिकता दी जाए, जो केवल सेवा उपलब्धता पर नहीं बल्कि गुणवत्तापूर्ण देखभाल पर ध्यान केंद्रित करता है।

एक और महत्वपूर्ण कदम उपयोगकर्ताओं से नियमित रूप से प्रतिक्रिया एकत्र करना है - लोग सिस्टम का अनुभव कैसे करते हैं, यह मायने रखता है। यदि इन जानकारीयों को सार्वजनिक रूप से साझा किया जाता है और सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, तो इससे सरकारी स्वास्थ्य सेवा में विश्वास काफी बढ़ सकता है।

निष्कर्ष:

भारत की स्वास्थ्य प्रणाली ने एक लंबा सफर तय किया है। आयुष्मान भारत जैसे कार्यक्रम लाखों लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में मदद कर रहे हैं। लेकिन इस प्रणाली को वास्तव में सभी की सेवा करने के लिए, इसे लोगों का विश्वास अर्जित करना होगा, उच्च गुणवत्ता वाली देखभाल प्रदान करनी होगी और आबादी की बदलती स्वास्थ्य आवश्यकताओं के अनुकूल होना होगा।

जैसे-जैसे हम 2030 की ओर बढ़ रहे हैं, न केवल अवसंरचना में निवेश करना, बल्कि सम्मानजनक, उत्तरदायी और सामुदायिक विश्वास में निहित देखभाल में निवेश करना भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को बेहतर बनाने की कुंजी होगी।

अच्छी स्वास्थ्य सेवा केवल बीमारियों का इलाज करने के बारे में नहीं है - यह एक ऐसी प्रणाली बनाने के बारे में है जिस पर लोग विश्वास करते हैं, और जिस पर उन्हें गर्व है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. वित्तीय भेद्यता, स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे में कमी और सार्वजनिक विश्वास को संबोधित करने में आयुष्मान भारत के प्रभाव की आलोचनात्मक जांच करें। 2030 तक भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को और मजबूत करने के लिए सुधारों का सुझाव दें। [250 शब्द] [15 अंक]

शिक्षा में भावनात्मक बुद्धिमत्ता

चर्चा में क्यों:

- आज की तीव्र दुनिया में, किशोर अक्सर स्वयं को शैक्षणिक तनाव, साथियों के दबाव, सामाजिक अपेक्षाओं और व्यक्तिगत विकास की चुनौतियों से जूझते हुए पाते हैं।
- भावनात्मक समर्थन और मानसिक स्पष्टता की इस आवश्यकता को पहचानते हुए, MiTran Global (एक शैक्षिक संगठन) ने 'सकारात्मकता प्रदान करना' शीर्षक से एक अनूठा, दो दिवसीय ऑनलाइन शिविर आयोजित किया।
- नोट: इस सुव्यवस्थित कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को स्पष्टता, आत्मविश्वास और भावनात्मक बुद्धिमत्ता विकसित करने में मदद करना है - जो स्कूल और उसके बाहर दोनों जगह सफल होने के लिए आवश्यक जीवन कौशल हैं।

डैनियल गोलेमैन की भावनात्मक बुद्धिमत्ता के पाँच मुख्य घटक

- **आत्म-जागरूकता:**
 - **अपनी भावनाओं को जानना:** इस बात को पहचानना कि आप इस समय क्या महसूस कर रहे हैं (खुशी, निराशा, चिंता)।
 - **प्रभाव को समझना:** यह समझना कि आपका मूड आपके विचारों, कार्यों और आपके आस-पास के लोगों को कैसे प्रभावित करता है।
- **आत्म-नियमन:**
 - **आवेगों को प्रबंधित करना:** प्रतिक्रिया करने से पहले रुकना - ताकि आप गुस्से या घबराहट में न फँस जाएँ।
 - **बदलाव के लिए स्वयं को ढालना:** शांत और लचीला बने रहना, तब भी जब योजनाएँ अचानक बदल जाती हैं या चुनौतियाँ आती हैं।
- **प्रेरणा:**
 - **आंतरिक प्रेरणा:** जुनून और जिज्ञासा से निर्देशित होना, न कि केवल ग्रेड या प्रशंसा से।
 - **लक्ष्य निर्धारित करना:** असफलताओं के बावजूद हट्ट रहना क्योंकि आप जिस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं उसके मूल्य में विश्वास करते हैं।
- **सहानुभूति:**
 - **दूसरों की भावनाओं को देखना:** सहपाठियों या दोस्तों की भावनाओं और दृष्टिकोणों को समझना।
 - **दयालुता से प्रतिक्रिया देना:** जब कोई परेशान हो, तो उसे अनदेखा करने के बजाय उसे समर्थन या समझ प्रदान करना।
- **सामाजिक कौशल:**
 - **स्पष्ट रूप से संवाद करना:** विचारों और भावनाओं को ऐसे तरीके से व्यक्त करना जिससे दूसरे लोग समझ सकें।
 - **संबंध बनाना:** टीमों में अच्छी तरह से काम करना, विवादों को शांति से सुलझाना और सहयोग को प्रेरित करना।

भावनात्मक बुद्धिमत्ता का निर्माण

- एक ऐसी कक्षा की कल्पना करें जहाँ छात्र न केवल गणित के सूत्र और ऐतिहासिक तथ्य सीखते हैं, बल्कि यह भी सीखते हैं कि अपनी भावनाओं को कैसे प्रबंधित करें, दूसरों की भावनाओं को कैसे समझें और मजबूत रिश्ते कैसे बनाएँ। यह एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की दृष्टि है जो भावनात्मक बुद्धिमत्ता पर ध्यान केंद्रित करती है।
- आज की दुनिया में, छात्रों को केवल शैक्षणिक कौशल से अधिक की आवश्यकता है। उन्हें भावनात्मक रूप से मजबूत, सहानुभूतिपूर्ण और प्रभावी ढंग से संवाद करने में सक्षम होने की आवश्यकता है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता छात्रों को न केवल बेहतर शिक्षार्थी बनने में मदद करती है, बल्कि बेहतर इंसान भी बनाती है।

भावनात्मक बुद्धिमत्ता क्यों मायने रखती है?

- भावनात्मक बुद्धिमत्ता (EI) भावनाओं को समझने, प्रबंधित करने और व्यक्त करने की क्षमता है, साथ ही दूसरों की भावनाओं को समझने और उन पर प्रतिक्रिया करने में सक्षम होना भी है। यह सहानुभूति, लचीलापन और सामाजिक संचार जैसे प्रमुख जीवन कौशल का आधार बनता है।
- भावनात्मक बुद्धिमत्ता एक अतिरिक्त विषय होने से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है, छात्रों को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से निपटने में मदद करने के लिए - चाहे वह परीक्षा के तनाव को संभालना हो, सहपाठियों के साथ संघर्षों को सुलझाना हो या असफलताओं और आलोचनाओं का सामना करना हो। जब स्कूल भावनात्मक बुद्धिमत्ता को सीखने के हिस्से के रूप में शामिल करते हैं, तो छात्र अनुकूलन, नेतृत्व और सफलता के लिए बेहतर तरीके से तैयार होते हैं।

शिक्षा में भावनात्मक बुद्धिमत्ता के लाभ

कई अध्ययनों से पता चला है कि सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा (SEL) प्राप्त करने वाले छात्र स्कूल और जीवन में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। एसईएल की वजह से:

- बेहतर शैक्षणिक प्रदर्शन
- बेहतर मानसिक स्वास्थ्य
- ज़्यादा सकारात्मक स्कूल का माहौल
- कम तनाव और आक्रामकता

नोट: यह शिक्षकों की नौकरी की संतुष्टि को बढ़ाकर और बर्नआउट को कम करके भी मदद करता है। इस कारण से, शिक्षकों को एसईएल में प्रशिक्षित करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि छात्रों को इसे पढ़ाना।

भावनात्मक बुद्धिमत्ता द्वारा विकसित होने वाले मुख्य कौशल

1. **आत्म-जागरूकता:** छात्र अपनी ताकत और कमज़ोरियों को समझना सीखते हैं। उदाहरण के लिए, सार्वजनिक बोलने से डरने वाला छात्र इस पर कदम दर कदम काम कर सकता है, प्रतिक्रिया मांग सकता है, और धीरे-धीरे आत्मविश्वासी बन सकता है।
2. **लचीलापन:** जीवन उतार-चढ़ाव से भरा है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता छात्रों को असफलताओं को सीखने के अवसर के रूप में देखना और असफलताओं से मज़बूती से उबरना सिखाती है।
3. **स्वस्थ संबंध:** भावनात्मक बुद्धिमत्ता छात्रों को बेहतर दोस्ती बनाने, साथियों के दबाव से निपटने और टीमों में प्रभावी ढंग से काम करने में मदद करती है।
4. **निर्णय लेना और लक्ष्य निर्धारित करना:** भावनात्मक बुद्धिमत्ता छात्रों की लक्ष्य निर्धारित करने, ज़िम्मेदारी से चुनाव करने और प्रेरित रहने की क्षमता में सुधार करती है।

आधुनिक तरीकों से भावनात्मक बुद्धिमत्ता सिखाना

शिक्षक, प्रोजेक्ट आधारित शिक्षण (पीबीएल) और सहयोगात्मक समस्या समाधान के माध्यम से भावनात्मक शिक्षण को शामिल कर सकते हैं। ये शिक्षण शैलियाँ बढ़ावा देती हैं:

- रचनात्मकता
- टीम वर्क
- वास्तविक दुनिया की समस्या समाधान

इससे छात्रों को न केवल अकादमिक ज्ञान विकसित करने में मदद मिलती है, बल्कि आज के कार्यस्थलों और समुदायों में आवश्यक जीवन कौशल भी विकसित होते हैं।

सरकारी सहायता और राष्ट्रीय नीति

- भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 इस दृष्टिकोण का दृढ़ता से समर्थन करती है। इसमें कहा गया है कि सीखना अधिक समग्र, लचीला, समावेशी और 21वीं सदी के लिए उपयुक्त होना चाहिए। नीति में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि शिक्षकों को सामाजिक-भावनात्मक सीखने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए क्योंकि यह छात्र के समग्र विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
- यूनेस्को और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठन भी शिक्षकों के लिए भावनात्मक शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से शांति और सतत विकास को बढ़ावा देते हैं। ये प्रयास NEP 2020 के दृष्टिकोण से अच्छी तरह मेल खाते हैं।

बदलती दुनिया और EI की आवश्यकता

- आज, छात्र ऐसे माहौल में बड़े हो रहे हैं जहाँ सब कुछ बदल रहा है - शहरी जीवन शैली से लेकर महामारी के बाद ऑनलाइन सीखने तक। उन्हें पहले से कहीं अधिक सामाजिक दबाव, मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों और अनिश्चित करियर पथ का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में, भावनात्मक बुद्धिमत्ता उन्हें जमीन से जुड़े रहने, जुड़े रहने और आत्मविश्वास से भरे रहने में मदद करती है।
- जैसे-जैसे पारंपरिक सामाजिक प्रणालियाँ बदलती हैं और जीने के नए तरीके सामने आते हैं, विश्वास, सहयोग और करुणा की आवश्यकता पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है।

निष्कर्ष

भावनात्मक बुद्धिमत्ता कोई वैकल्पिक कौशल नहीं है - यह सच्ची शिक्षा का मूल है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे विचारशील, जिम्मेदार और भावनात्मक रूप से स्वस्थ नागरिक बनें, तो हमें उन्हें खुद को और दूसरों को समझना सिखाना होगा।

कक्षा में भावनात्मक बुद्धिमत्ता को शामिल करके, हम सिर्फ बेहतर छात्र ही नहीं बना रहे हैं। हम बेहतर लोग, मजबूत समुदाय और एक उज्ज्वल भविष्य बना रहे हैं।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. 21वीं सदी की चुनौतियों के लिए छात्रों को तैयार करने में भावनात्मक बुद्धिमत्ता अकादमिक शिक्षा जितनी ही महत्वपूर्ण है। इस कथन के आलोक में, शिक्षा में भावनात्मक बुद्धिमत्ता की भूमिका की जाँच करें और चर्चा करें कि NEP 2020 जैसी नीतियाँ इसे भारतीय स्कूल प्रणाली में कैसे एकीकृत करने का लक्ष्य रखती हैं। [250 शब्द] [15 अंक]

तमिलनाडु ने मेयोनीज़ पर प्रतिबंध लगाया

चर्चा में क्यों: खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, तमिलनाडु सरकार ने कच्चे अंडे से बने मेयोनीज़ के निर्माण, भंडारण, बिक्री और वितरण पर एक साल का प्रतिबंध लगा दिया है।

अस्थायी स्वास्थ्य उपायों के लिए कानूनी प्रावधान

- खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 सरकार को ऐसी स्थितियों में निवारक उपाय करने की अनुमति देता है जहाँ सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम में है, भले ही वैज्ञानिक अध्ययन अभी भी जारी हों।
- प्रतिबंध खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 30 (2) (ए) के तहत जारी किया गया था।
- जैसा कि कानून में कहा गया है, संभावित स्वास्थ्य खतरे के सबूत होने पर अनंतिम जोखिम प्रबंधन कार्रवाई की जा सकती है, और व्यापक वैज्ञानिक मूल्यांकन के लिए अधिक समय की आवश्यकता होती है।
- ऐसी स्थितियों में, एहतियाती सिद्धांत लागू होता है - जिसका अर्थ है, निर्णायक सबूत की प्रतीक्षा करने की तुलना में नुकसान को रोकने के लिए जल्दी कार्रवाई करना बेहतर है।

प्रतिबंध क्यों लगाया गया है?

- प्रतिबंध का मुख्य कारण यह है कि कच्चे अंडे से बने मेयोनीज़ को "उच्च जोखिम वाले खाद्य पदार्थ" के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
- इस प्रकार का मेयोनीज़ आसानी से हानिकारक बैक्टीरिया से दूषित हो सकता है, खासकर अगर इसे अनुचित तरीके से संग्रहीत या संभाला जाता है। जोखिम तब और भी अधिक हो जाता है जब मेयोनीज़ थोक में तैयार किया जाता है या फास्ट फूड आउटलेट में परोसा जाता है, जहाँ स्वच्छता हमेशा सख्ती से नहीं रखी जा सकती है।

कच्चे अंडे का मेयोनीज़ जोखिम भरा क्यों है?

- मेयोनीज़ एक अर्ध-ठोस पायस है, जो आमतौर पर अंडे की जर्दी, वनस्पति तेल, सिरका और विभिन्न मसालों से बनाया जाता है। इसे आमतौर पर शावरमा, बर्गर और सैंडविच जैसे लोकप्रिय खाद्य पदार्थों के साथ परोसा जाता है।
- जब मेयोनीज़ की तैयारी में कच्चे अंडे का उपयोग किया जाता है, तो इससे बैक्टीरिया के दूषित होने की संभावना बढ़ जाती है। इस संदर्भ में पहचाने जाने वाले मुख्य हानिकारक बैक्टीरिया हैं:
 - साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम
 - साल्मोनेला एंटरिटिडिस
 - एस्चेरिचिया कोली (ई. कोली)
 - लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेन्स
- ये बैक्टीरिया गंभीर खाद्य विषाक्तता पैदा कर सकते हैं, जिससे उल्टी, दस्त, पेट में ऐंठन, बुखार जैसे लक्षण हो सकते हैं और कुछ मामलों में, जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाली जटिलताएँ भी हो सकती हैं, खासकर बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों में।

खाद्य व्यवसाय संचालकों की भूमिका

- सरकार ने पाया है कि राज्य में कई खाद्य व्यवसाय संचालक - जिनमें रेस्तरां, स्ट्रीट फूड विक्रेता और कैटरर्स शामिल हैं - मेयोनीज़ तैयार करने के लिए कच्चे

अंडे का उपयोग करते हैं। हालाँकि, अपर्याप्त भंडारण की स्थिति, तापमान नियंत्रण की कमी और तैयारी के दौरान अस्वच्छ व्यवहार मेयोनीज़ को संदूषण के लिए प्रवण बनाते हैं।

- ऐसी प्रथाएँ आम तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले खाद्य पदार्थ को सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा बना सकती हैं, जिससे हर दिन हजारों लोग जोखिम में पड़ सकते हैं। इसलिए, सरकार को हस्तक्षेप की तत्काल आवश्यकता महसूस हुई।

FSSAI के बारे में

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) भारत में खाद्य सुरक्षा एवं विनियमन के लिए जिम्मेदार शीर्ष सरकारी निकाय है।

मुख्य तथ्य:

- खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत स्थापित।
- खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम (1954) और मांस खाद्य उत्पाद आदेश (1973) जैसे पुराने कानूनों को प्रतिस्थापित किया।
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत काम करता है।
- इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, तथा इसके क्षेत्रीय कार्यालय पूरे भारत में हैं।

FSSAI के कार्य:

- खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता मानक निर्धारित करता है।
- खाद्य व्यवसायों (जैसे रेस्तरां, निर्माता और विक्रेता) को लाइसेंस जारी करता है।
- मिलावट को रोकने के लिए निरीक्षण और खाद्य परीक्षण करता है।
- खाद्य फोर्टिफिकेशन (चावल और दूध जैसे मुख्य खाद्य पदार्थों में विटामिन/खनिज मिलावट) को बढ़ावा देता है।
- ईट राइट इंडिया, आरयूसीओ (रीयूज कुकिंग ऑयल) और फूड सेफ्टी मिल जैसे जागरूकता अभियान चलाता है।

अतिरिक्त जानकारी: FSSAI ने खाद्य सुरक्षा विनियमों को सरल बनाया

- हाल ही में, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने नई दिल्ली में एक बैठक की और खाद्य सुरक्षा विनियमों में महत्वपूर्ण बदलावों का प्रस्ताव रखा। इन संशोधनों का उद्देश्य अनावश्यक प्रमाणन को कम करना और खाद्य व्यवसायों के लिए संचालन को आसान बनाना है। एक बार अंतिम रूप दिए जाने के बाद, ये परिवर्तन पूरे भारत में खाद्य निर्माताओं, विक्रेताओं और उपभोक्ताओं को प्रभावित करेंगे।
- FSSAI जल्द ही नए नियमों को अंतिम रूप देने से पहले हितधारकों - जिसमें व्यवसाय, विशेषज्ञ और आम जनता शामिल हैं - से प्रतिक्रिया मांगने के लिए एक मसौदा अधिसूचना जारी करेगा।

खाद्य सुरक्षा विनियमों में प्रस्तावित मुख्य परिवर्तन

1. एकल प्रमाणन प्रणाली

वर्तमान में, खाद्य व्यवसायों को कई प्रमाणन की आवश्यकता होती है:

- FSSAI (सभी खाद्य उत्पादों के लिए अनिवार्य)

- भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) (कुछ पैकेज्ड सामानों के लिए)
- AGMARK (शहद, मसाले आदि जैसे कृषि उत्पादों के लिए)

नए संशोधन में प्रस्ताव है कि केवल FSSAI प्रमाणन ही अनिवार्य होगा, जिससे अलग-अलग BIS और AGMARK अनुमोदन की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। यह कदम सरकार के "एक राष्ट्र, एक वस्तु, एक विनियामक" के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जो व्यवसायों के लिए लालफीताशाही को कम करता है।

2. आसान व्यावसायिक संचालन

विनियमों को सरल बनाकर, FSSAI का लक्ष्य है:

- खाद्य व्यवसायों पर अनुपालन बोझ को कम करना।
- अनुमोदन और लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं में तेज़ी लाना।
- खाद्य उद्योग में प्रवेश करने के लिए अधिक स्टार्टअप और छोटे व्यवसायों को प्रोत्साहित करना।

3. अधिक उत्पादों के लिए नए मानक

FSSAI कुछ खाद्य पदार्थों के लिए नए गुणवत्ता मानक भी पेश करने की योजना बना रहा है, जिनके लिए वर्तमान में स्पष्ट विनियमन नहीं हैं, जिनमें शामिल हैं:

- मीड (शहद वाइन) - शहद से बना एक किण्वित मादक पेय।
- अल्कोहलिक रेडी-टू-ड्रिंक (RTD) पेय पदार्थ - पहले से मिश्रित कॉकटेल और स्वाद वाले मादक पेय।
- हलीम - मांस और अनाज से बना एक लोकप्रिय व्यंजन, खास तौर पर रमजान के दौरान, जिसके लिए वर्तमान में कोई परिभाषित गुणवत्ता मानक नहीं है।

ये नए मानक खाद्य उत्पादों में बेहतर सुरक्षा, स्वच्छता और स्थिरता सुनिश्चित करेंगे।

सुरक्षित खाद्य प्रथाओं को बढ़ावा देना

तमिलनाडु सरकार का यह कदम रोज़मर्रा के खाद्य पदार्थों में खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता के महत्व को उजागर करता है। स्ट्रीट फूड और फ़ास्ट फूड की बढ़ती लोकप्रियता के साथ, उपभोक्ताओं और खाद्य संचालकों दोनों के लिए सुरक्षित खाद्य तैयारी प्रथाओं के बारे में जागरूक होना ज़रूरी है।

हालांकि प्रतिबंध कुछ खाद्य व्यवसायों को अस्थायी रूप से प्रभावित कर सकता है, लेकिन यह एक मजबूत संदेश देता है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य खाद्य तैयारी में सुविधा या लागत में कटौती से ज़्यादा प्राथमिकता लेता है।

निष्कर्ष

कच्चे अंडों से बनी मेयोनीज़ पर एक साल के लिए प्रतिबंध लगाने का तमिलनाडु का फैसला एक एहतियाती और सुरक्षात्मक उपाय है जिसका उद्देश्य गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों से बचना है। जैसे-जैसे खाद्य रुझान विकसित होते हैं और मांग बढ़ती है, सरकारों, खाद्य व्यवसायों और नागरिकों के लिए स्वच्छता और सुरक्षा मानकों के बारे में सतर्क रहना ज़रूरी है।

मेयोनीज़ एक हानिरहित साइड डिश की तरह लग सकता है, लेकिन जब इसे

लापरवाही से तैयार किया जाता है, तो यह खतरनाक बैक्टीरिया का वाहक बन सकता है। राज्य की कार्यवाही एक अनुस्मारक है कि बीमारी को रोकना हमेशा उसका इलाज करने से बेहतर होता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. खाद्य सुरक्षा भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति का एक महत्वपूर्ण घटक है, खासकर प्रसंस्कृत और स्ट्रीट फूड की बढ़ती खपत के साथ। असुरक्षित खाद्य प्रथाओं से जुड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंताओं पर चर्चा करें और देश में खाद्य सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के उपाय सुझाएँ। [150 शब्द] [10 अंक]

बाल तस्करी

चर्चा में क्यों: हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में माता-पिता को चेतावनी दी कि वे अपने बच्चों के बारे में "बेहद सतर्क" रहें, क्योंकि वे यौन शोषण, जबर्न मजदूरी, भीख मांगने और छोटे-मोटे अपराधों, सशस्त्र संघर्ष, बाल विवाह और यहां तक कि शिशुओं की बिक्री को अंतर्देशीय गोद लेने के नाम पर करने वाले गिरोहों के खिलाफ हैं।

बाल तस्करी क्या है?

- बाल तस्करी के अंतर्गत बच्चों का कई तरह से शोषण किया जाता है। यूनिसेफ के अनुसार, यह एक गंभीर अपराध है और मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन है।
- इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी युवा ने किसी भी तरह से फायदा उठाने के लिए "सहमति" दी है, खासकर तब जब दबाव, बल, छल या अधिकार का दुरुपयोग या कमज़ोरी शामिल हो।

बाल तस्करी के लिए जिम्मेदार कारक

- **यौन शोषण:** यौन व्यापार उद्योग और घरेलू श्रम में शोषण बाल तस्करी के एक महत्वपूर्ण चालक के रूप में कार्य करता है।
- **निर्धनता:** आर्थिक समस्याओं का सामना करने वाले परिवार वित्तीय संघर्षों से निपटने के लिए अपने बच्चे की तस्करी पर विचार करने के लिए मजबूर होते हैं।
- **सामाजिक मुद्दे:** जाति और लिंग आधारित भेदभाव, विशेष रूप से ग्रामीण भारत में, ऐसा माहौल बनाता है जो बच्चों, विशेष रूप से लड़कियों को असुरक्षित बनाता है।
- **विघटनकारी घटनाएँ:** कोविड-19 महामारी, सशस्त्र संघर्ष, संगठित अपराध और शरणार्थी संकट जैसी विघटनकारी घटनाएँ बाल तस्करी की भेद्यता को बढ़ाती हैं।
- **जागरूकता की कमी:** तस्करों के डर और उपलब्ध उपायों के बारे में जागरूकता की कमी के कारण पुलिस सहायता लेने में अनिच्छा।
- **सस्ते श्रम की आवश्यकता:** सस्ते श्रम की मांग के कारण बच्चों की जबर्न मजदूरी के लिए तस्करी की जाती है।
- कभी-कभी बाल तस्करी के शिकार एक साथ कई तरह के शोषण का शिकार होते हैं। उदाहरण के लिए, सड़कों पर भीख मांगने के लिए मजबूर किए गए बच्चे का यौन शोषण भी हो सकता है।

यूएनओडीसी की 2020 में मानव तस्करी पर वैश्विक रिपोर्ट से पता चलता है:

- 2018 में 148 देशों द्वारा मानव तस्करी के लगभग 50,000 पीड़ितों की पहचान की गई और उनकी रिपोर्ट की गई।
- महिला पीड़ित मुख्य लक्ष्य बनी हुई हैं, जिनमें से 50% पीड़ितों की यौन शोषण के लिए तस्करी की गई है और 38% को जबर्न काम के लिए इस्तेमाल किया गया है।
- तस्करी के सभी पीड़ितों में 19% लड़कियाँ और 46% महिलाएँ हैं।

- दुनिया भर में पाए जाने वाले हर तीन पीढ़ियों में से एक बच्चा है।
- पिछले 15 वर्षों में, तस्करी के शिकार लोगों में लड़कों का अनुपात पांच गुना बढ़ गया है, जबकि बच्चों का अनुपात तीन गुना हो गया है।

कानूनी प्रावधान

- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23, जो शोषण के विरुद्ध अधिकार का हिस्सा है, मानव तस्करी और बेगार (अनिवार्य श्रम) सहित जबरन श्रम पर प्रतिबंध लगाता है।
- भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 143: यह मानव तस्करी के किसी भी अपराध के लिए सख्त सजा के लिए दंडात्मक प्रावधान प्रदान करती है।
- बीएनएस की धारा 144 (1): यह तस्करी किए गए बच्चों के यौन शोषण के अपराध के लिए सख्त सजा का प्रावधान करती है।
- बीएनएस की धारा 139: यह भीख मांगने के उद्देश्य से किसी बच्चे का अपहरण या उसे अपंग बनाने के खिलाफ सजा का प्रावधान करती है।
- बीएनएस की धारा 141: अवैध यौन शोषण आदि के लिए किसी लड़की या लड़के को किसी विदेशी देश से आयात करने के लिए सजा का प्रावधान करती है।

आगे की राह

- कानून प्रवर्तन और न्यायिक प्रणाली को मजबूत करना: तस्करों को हतोत्साहित करना, सख्त तस्करी विरोधी कानून लागू करना और त्वरित, समयबद्ध सुनवाई की गारंटी देना। साथ ही, पुलिस, सीमा अधिकारियों और न्यायपालिका को तस्करी की पहचान करने और उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है।
- सीमा पार और अंतर-राज्यीय सहयोग: सहकारी जांच करने और तस्करों को

- प्रत्यर्पित करने के लिए, राज्यों और देशों को तस्करी नेटवर्क की निगरानी के लिए डेटा-साझाकरण तंत्र के माध्यम से बेहतर समन्वय करने की आवश्यकता है।
- सामुदायिक जागरूकता और शिक्षा: जोखिम वाले समुदायों में लोगों को चेतावनी के संकेतों और मानव तस्करी के खतरों के बारे में सूचित करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाना। साथ ही, स्कूली पाठ्यक्रम में मानव तस्करी पर निर्देश शामिल करना।
- पीढ़ियों का पुनर्वास और पुनः एकीकरण: बचाए गए पीढ़ियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण, कानूनी सहायता, आश्रय और आघात परामर्श प्रदान करें और सुनिश्चित करना कि स्वतंत्रता और सामाजिक पुनः एकीकरण को निरंतर सहायता मिले।
- राष्ट्रीय तस्करी विरोधी प्राधिकरण की स्थापना करना: नीतियों, पीढ़ियों के समर्थन, अंतर-एजेंसी कार्रवाई और निगरानी के समन्वय के लिए एक समर्पित, अच्छी तरह से वित्त पोषित प्राधिकरण।

निष्कर्ष

समन्वय, जागरूकता बढ़ाना, पीढ़ियों का समर्थन और सख्त कानून सभी मानव तस्करी को रोकने में मदद कर सकते हैं। कमज़ोर लोगों की सुरक्षा और न्याय को बनाए रखने के लिए, एक समन्वित, अधिकार आधारित रणनीति आवश्यक है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न**मुख्य परीक्षा प्रश्न:**

प्रश्न. बाल तस्करी भारत में सबसे लगातार मानवाधिकार उल्लंघनों में से एक है। बाल तस्करी के कारणों और परिणामों की जांच करें और इससे निपटने के लिए एक बहुआयामी रणनीति का सुझाव दें। [250 शब्द] [15 शब्द]



यूपीएससी से पहले अपना मूल्यांकन स्वयं करें

- यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए दैनिक उत्तर लेखन शुरू करें
- द्वारा चहल एकेडमी: सामाजिक रूप से एक जिम्मेदार संस्थान

क्यू आर कोड स्कैन करें



प्रतिदिन प्रश्न को सुबह 10 बजे तथा मॉडल उत्तर रात 9 बजे अपलोड किया जाएगा (सोमवार से शनिवार)

इतिहास और संस्कृति

यूनेस्को विश्व स्मृति रजिस्टर

चर्चा में क्यों: विश्व धरोहर दिवस के अवसर पर, भगवद् गीता और भरत मुनि के नाट्यशास्त्र की पांडुलिपियों को यूनेस्को के विश्व स्मृति रजिस्टर (मेमोरी ऑफ़ द वर्ल्ड रजिस्टर) में अंकित किया गया है।

मेमोरी ऑफ़ द वर्ल्ड रजिस्टर के बारे में

- यूनेस्को ने सामूहिक विस्मृति से बचने के लिए 1992 में मेमोरी ऑफ़ द वर्ल्ड (MoW) कार्यक्रम शुरू किया था, जिसमें दुनिया भर में मूल्यवान अभिलेखों और पुस्तकालय संग्रहों के संरक्षण और उनके व्यापक प्रसार को सुनिश्चित करने का आह्वान किया गया था।
- **विजन:** दुनिया की दस्तावेजी विरासत सभी की है, इसे सभी के लिए पूरी

तरह से संरक्षित किया जाना चाहिए, और सांस्कृतिक रीति-रिवाजों और व्यावहारिकताओं की उचित मान्यता के साथ, बिना किसी बाधा के सभी के लिए स्थायी रूप से सुलभ होना चाहिए।

- अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार समिति (IAC) यूनेस्को को समग्र रूप से कार्यक्रम की योजना और कार्यान्वयन पर सलाह देने के लिए जिम्मेदार मुख्य निकाय है। इसमें व्यक्तिगत क्षमता में सेवारत 14 सदस्य शामिल हैं, जिन्हें यूनेस्को के महानिदेशक द्वारा नियुक्त किया जाता है, और दस्तावेजी विरासत के क्षेत्र में उनके अधिकार के लिए चुना जाता है।
- मेमोरी ऑफ़ द वर्ल्ड (MoW) रजिस्टर में दस्तावेजी विरासत को सूचीबद्ध किया जाता है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार समिति द्वारा अनुशंसित किया गया है, और कार्यकारी बोर्ड द्वारा समर्थन दिया गया है, जो विश्व महत्व और उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य के संबंध में चयन मानदंडों के अनुरूप है।

यूनेस्को विश्व स्मृति अंतर्राष्ट्रीय रजिस्टर - भारत

दस्तावेज़	प्रकार	वर्ष पंजीकृत	विवरण
एशियाई अध्ययन संस्थान (आई.ए.एस.) तमिल चिकित्सा पांडुलिपि संग्रह	पुस्तकें	1997	एशियाई अध्ययन संस्थान में संरक्षित तमिल चिकित्सा पांडुलिपियों में अधिकांशतः योगियों द्वारा अपनाई जाने वाली प्राचीन चिकित्सा पद्धति प्रतिबिंबित होती है। यह प्रणाली जड़ी-बूटियों, हर्बल जड़ों, पत्तियों, फूलों, छालों, फलों आदि से दवाएं प्राप्त करने की विधियों को बताती है। अवयवों के अनुपात के साथ-साथ विशिष्ट प्रक्रियाओं को भी विस्तार से समझाया गया है।
डच ईस्ट इंडिया कंपनी के अभिलेखागार	पुस्तकें	2003	डच ईस्ट इंडिया कंपनी (वीओसी), जिसकी स्थापना 1602 में हुई थी और जिसका परिसमापन 1795 में हुआ, एशिया में संचालित प्रारंभिक आधुनिक यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली थी। जकार्ता, कोलंबो, चेन्नई, केपटाउन और द हेग के भंडारों में लगभग पच्चीस मिलियन पृष्ठ वीओसी रिकॉर्ड सुरक्षित रखे हुए हैं। वीओसी अभिलेखागार प्रारंभिक आधुनिक विश्व इतिहास पर सबसे पूर्ण और व्यापक स्रोत है, जिसमें एशिया और अफ्रीका के सैकड़ों पूर्व स्थानीय राजनीतिक और व्यापारिक क्षेत्रों के इतिहास से संबंधित आंकड़े मौजूद हैं।
पांडिचेरी में शैव पांडुलिपि	पांडुलिपियां	2005	मुख्य रूप से हिंदू भगवान शिव के धर्म और पूजा से संबंधित 11,000 पांडुलिपियों के संग्रह में शैव सिद्धांत के ग्रंथों की पांडुलिपियों का दुनिया का सबसे बड़ा संग्रह शामिल है। 10वीं शताब्दी में, यह धार्मिक परंपरा, जो हिंदू धर्म की एक प्रमुख धारा थी, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप और उससे भी आगे, पूर्व में कंबोडिया तक फैल गई थी। यह लंबे समय तक तांत्रिक सिद्धांत और पूजा की मुख्यधारा का प्रतिनिधित्व करता रहा और ऐसा प्रतीत होता है कि इसने प्रत्येक भारतीय आस्तिक परंपरा को प्रभावित किया है।
ऋग्वेद	पांडुलिपियां	2007	वेदों को आम तौर पर हिंदू समुदाय के धर्मग्रंथों के रूप में जाना जाता है। हालाँकि, मानव जाति के इतिहास में सबसे पहले साहित्यिक दस्तावेजों में से एक होने के नाते, वे धर्मग्रंथों के रूप में अपनी पहचान से कहीं आगे निकल जाते हैं। ऋग्वेद, चार वेदों में सबसे पुराना, तथाकथित आर्य संस्कृति का स्रोत है, जो भारतीय उपमहाद्वीप से परे दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया के बड़े हिस्सों के साथ-साथ मध्य एशिया के कुछ हिस्सों में भी फैला।
तारीख-ए-खानदान-ए-तैमूरिया	पांडुलिपियां	2011	तारीख-ए-खानदान-ए-तिमुरियाह में ईरान और भारत में तिमुरिद, यानी तिमुर और उसके उत्तराधिकारियों के इतिहास का वर्णन किया गया है। यह समृद्ध सचित्र पांडुलिपि महान मुगल सम्राट और तैमूर के वंशज जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के शासनकाल के बाईस वर्ष बाद लिखी और बनाई गई थी।
लघुकालचक्रतलयति अस (विमलाप्रभा)	पांडुलिपियां	2011	1577-78 ई. ये पांडुलिपियाँ अपने ऐतिहासिक, बौद्धिक और सौंदर्यात्मक मूल्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तंत्र के अलावा, इस ग्रंथ में ज्योतिष और खगोल विज्ञान की भी विस्तृत चर्चा है। इस ग्रंथ में कई भारतीय दार्शनिक अवधारणाओं पर गहराई से चर्चा की गई है।

शांतिनाथ चरित्र	शोध पत्र	2013	देवनागरी लिपि में लिखा गया संस्कृत का एक ग्रंथ। इसमें सोलहवें जैन तीर्थंकर शांतिनाथ के जीवन और समय का वर्णन है। यह ग्रंथ चौदहवीं शताब्दी के अंत में 1396 ई. (1453 विक्रम संवत्) में रचित और लिखा गया था। इस अनूठी पांडुलिपि में गुजरात की जैन चित्रकला शैली में शांतिनाथ के जीवन के दृश्यों की 10 छवियां शामिल हैं।
मैत्रेयावरकरण	पुस्तकें	2017	मैत्रेयावरकरण एक बहुत ही छोटा ग्रन्थ है, जो कुटिला और रंजना लिपि की मिश्रित शैली में ताड़ के पत्ते पर लिखा गया है। यह पाल काल (गोपालदेव के समय, 57वीं शताब्दी; वर्ष, लगभग 10वीं शताब्दी ई.) की एक पांडुलिपि है, जो एशियाटिक सोसाइटी, कोलकाता के पास है। ऐसा माना जाता है कि भविष्य के पैगंबर मैत्रेय अंततः प्रबुद्ध बुद्ध के रूप में पृथ्वी पर प्रकट होंगे और शुद्ध धर्म की शिक्षा देंगे।
गिलगित पांडुलिपि	पांडुलिपियां	2017	सन्टी की छाल और मिट्टी से लिपटी गिलगित पांडुलिपियाँ भारत की सबसे पुरानी जीवित पांडुलिपियाँ हैं। इन पांडुलिपियों में प्रामाणिक और गैर-प्रामाणिक दोनों प्रकार के बौद्ध साहित्य शामिल हैं, जो संस्कृत, चीनी, कोरियाई, जाज़ल, मंगोल, मांचू और तिब्बती धार्मिक और दार्शनिक साहित्य के विकास पर प्रकाश डालते हैं। गिलगित पांडुलिपि में अन्य बातों के अलावा बौद्ध धर्म के सूत्र (सूत्र), समाधिराजसूत्र और सद्धर्मपुण्डरीकसूत्र (कमल सूत्र) शामिल हैं, जो धर्म, अनुष्ठान, दर्शन, प्रतिमा-विज्ञान, लोक कथाओं, चिकित्सा और मानव जीवन और ज्ञान के कई अन्य क्षेत्रों सहित विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करते हैं।
अभिनवगुप्त: उनकी कृतियों की पांडुलिपियों का संग्रह	पुस्तकें	2023	इस संग्रह में अभिनवगुप्त (940–1015 ई.) की 248 पांडुलिपियाँ शामिल हैं, जो दर्शन, सौंदर्यशास्त्र, साहित्यिक सिद्धांत, प्रदर्शन कला, संगीत, तंत्र, योग और भक्ति से संबंधित हैं। ये 10वीं शताब्दी में श्रीनगर, कश्मीर में रचित लगभग 41 ग्रंथों का हिस्सा हैं, जिनका प्रभाव पूर्वोत्तर एशिया, मध्य एशिया और दक्षिण एशिया तक फैला।
गुटनिरपेक्ष आंदोलन की पहली शिखर बैठक संबंधी अभिलेख	अभिलेखागार	—	इस संग्रह में 76 पाठ्य अभिलेख, 242 फोटो, 1 ऑडियो संग्रह और 15 फिल्में हैं। यह प्रथम बैठक बेलग्रेड, यूगोस्लाविया में घाना, भारत, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब गणराज्य और यूगोस्लाविया द्वारा आयोजित की गई थी।
भगवद्गीता: पांडुलिपियों का संग्रह	पांडुलिपियाँ	2025	भगवद्गीता, 700 श्लोकों और 18 अध्यायों का एक केंद्रीय ग्रंथ है, जो महाभारत के भीष्मपर्व में शामिल है। यह ग्रंथ वैदिक, बौद्ध, जैन और चार्वाक परंपराओं का समन्वय करता है और भारतीय बौद्धिक परंपरा का आधार स्तंभ है।
भरतमुनि के नाट्यशास्त्र की पांडुलिपि	पांडुलिपियाँ	2025	भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में संरक्षित, यह ग्रंथ ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में संहिताबद्ध किया गया था। इसमें 36,000 श्लोकों में नाट्य, अभिनय, रस, भाव, संगीत आदि से संबंधित नियम हैं, जो भारतीय रंगमंच, काव्यशास्त्र, सौंदर्यशास्त्र, नृत्य और संगीत की आधारशिला हैं। इसे गंधर्ववेद का सार भी माना जाता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. निम्नलिखित प्राचीन भारतीय ग्रंथों पर विचार करें:

1. ऋग्वेद
2. मैत्रेयावरकरण
3. शांतिनाथ चरित्र

उपर्युक्त ग्रंथों में से कौन सा यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड इंटरनेशनल रजिस्टर में है?

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) केवल 1, 2 और 3

(p) : 2116

पिलिकोड रायरांमंगलम मंदिर

चर्चा में क्यों: केरल के कासरगोड में सदियों पुराने पिलिकोड रायरांमंगलम मंदिर के भीतरी हिस्से को सुधारवादी अभियान के बाद पहली बार समाज के सभी वर्गों के लिए खोल दिया गया है।

मुख्य विवरण

- सभी समुदायों के भक्तों ने पिलिकोड रायरांमंगलम मंदिर के नालम्बलम (पवित्र आंतरिक भाग) में प्रवेश किया।
- पहले केवल विशिष्ट समुदायों तक सीमित मंदिर के चारों गर्भगृहों के द्वार एक सुधारवादी संगठन के नेतृत्व में अभियान के बाद सभी वर्गों के लिए खोल दिए गए थे।
- पहले केवल ब्राह्मण, मरार और वरियार समुदायों के लोगों को ही इस स्थान में प्रवेश की अनुमति थी। त्यौहार के दौरान मनियानी, नायर, वानिया और कुछ अन्य समुदायों को प्रवेश की अनुमति थी।

पिलिकोड रायरांमंगलम मंदिर के बारे में

- **स्थान:** कासरगोड जिला, केरल
- **देवता:** देवी भद्रकाली भगवती, अपने उग्र और सुरक्षात्मक स्वभाव के लिए पूजनीय।

• प्रमुख त्यौहार

➤ **थेय्यम थिरा कलियट्टम**

- ◆ मंदिर में वार्षिक थेय्यम थिरा कलियाट्टम उत्सव मलयालम महीने मेडम के दौरान तीन दिनों तक चलता है।
- ◆ इसमें विभिन्न थेय्यम अनुष्ठानों का प्रदर्शन शामिल है, जिनमें ऊरुपजस्सी थेय्यम, भगवती थेय्यम और वेट्टुक्कोरुमकन थेय्यम शामिल हैं।

➤ **लिकार्तिक**

- ◆ लिकार्तिक, जिसे कार्तिकगई दीपम के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिण भारत में, विशेष रूप से केरल और तमिलनाडु में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है।
- ◆ यह उस दिन पड़ता है जब कार्तिक नक्षत्र तमिल महीने कार्तिकगई में पूर्णिमा के साथ मेल खाता है।
- ◆ लिकार्तिक के दौरान, भक्त आशीर्वाद प्राप्त करने और अंधकार को दूर करने के लिए अपने घरों और मंदिरों में और उसके आस-पास तेल के दीयों की कतारें जलाते हैं।

केरल में मंदिर प्रवेश आंदोलन

• **वाइकोम सत्याग्रह (1924-1925)**

- **संदर्भ:** वाइकोम सत्याग्रह केरल में जाति-आधारित अस्पृश्यता को चुनौती देने वाला पहला संगठित आंदोलन था। एड्वावा और पुलाया जैसे निम्न-जाति समुदायों को लावणकोर में वाइकोम मंदिर के आसपास की सड़कों का उपयोग करने से रोक दिया गया था, जबकि उच्च-जाति के हिंदू, ईसाई और मुसलमान उन तक स्वतंत्र रूप से पहुँच सकते थे।
- **नेतृत्व:** श्री नारायण धर्म परिपालन योगम (एसएनडीपी योगम) के टी.के. माधवन द्वारा नेतृत्व किया गया और केरल प्रदेश कांग्रेस समिति (केपीसीसी) द्वारा समर्थित। महात्मा गांधी ने आंदोलन का समर्थन किया लेकिन जोर दिया कि यह हिंदुओं के नेतृत्व वाला प्रयास बना रहे।
- **तरीके:** 20 महीने का अहिंसक विरोध (सत्याग्रह) जिसमें जुलूस, याचिकाएँ और जाति प्रतिबंधों की प्रतीकात्मक अवहेलना शामिल थी।
- **परिणाम:** 1925 में, लावणकोर शासन ने आंशिक रूप से हार मान ली, तथा चार में से तीन मंदिर मार्ग सभी जातियों के लिए खोल दिए। 1928 तक, लावणकोर में सभी मंदिर मार्ग खोल दिए गए, जो जाति उत्पीड़न के विरुद्ध एक प्रतीकात्मक जीत थी।

• **गुरुवायूर सत्याग्रह (1931-1932)**

- **संदर्भ:** वाइकोम की सफलता के बाद, ध्यान मालाबार (ब्रिटिश शासन के अधीन) में गुरुवायूर मंदिर पर चला गया, जहाँ निचली जाति के हिंदुओं को प्रवेश से रोक दिया गया था। यह आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन (सीडीएम) के साथ मेल खाता था, लेकिन इसे सामाजिक सुधार संघर्ष के रूप में तैयार किया गया था।
- **नेतृत्व:** कांग्रेस नेता के. के. लल्लु के नेतृत्व में, गांधी ने एक गैर-राजनीतिक, हिंदू-केंद्रित दृष्टिकोण की सलाह दी।
- **उपाय:** सत्याग्रहियों को हिंसक दमन का सामना करना पड़ा, और के.के. लल्लु ने मंदिर के ट्रस्टी (कालीकट के ज़मोरिन) पर दबाव डालने के लिए आमरण अनशन किया।

- **परिणाम:** हालाँकि सत्याग्रह को तत्काल सफलता के बिना निलंबित कर दिया गया था, लेकिन इसने राष्ट्रीय जागरूकता को बढ़ाया और अधिकारियों पर दबाव डाला। आंदोलन की नैतिक शक्ति ने लावणकोर में 1936 के अंतिम मंदिर प्रवेश उद्घोषणा में योगदान दिया।

• **1936 की मंदिर प्रवेश उद्घोषणा**

- मंदिर प्रवेश उद्घोषणा 12 नवंबर, 1936 को महाराजा चिथिरा थिरुनल बलराम वर्मा द्वारा जारी किया गया एक आदेश था, जिसके तहत दलितों सहित निचली जाति के हिंदुओं को लावणकोर के हिंदू मंदिरों में प्रवेश की अनुमति दी गई थी।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. ऐतिहासिक पिलिकोड रायरामंगलम मंदिर कहाँ स्थित है?

- (a) तमिलनाडु
- (b) आंध्र प्रदेश
- (c) केरल
- (d) कर्नाटक

(c) 2022

द्वारका में एएसआई की अंतरजालीय अन्वेषण परियोजना

चर्चा में क्यों: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने तलछट, पुरातात्विक और समुद्री जमा के वैज्ञानिक विश्लेषण के माध्यम से जल के नीचे द्वारका से बरामद वस्तुओं की प्राचीनता का पता लगाने के लिए एक परियोजना शुरू की है।

परियोजना के बारे में मुख्य विवरण

- **पहल:** भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के अंडरवाटर पुरातत्व विंग (यूएडब्ल्यू) के नेतृत्व में।
- **कार्यक्षेत्र:** गुजरात के द्वारका और बेट/भेंट द्वारका में तटवर्ती और अपतटीय अभियानों का संयोजन।
- **टीम:** पुरातत्वविदों और गोताखोरों सहित नौ सदस्यीय टीम, जिसका नेतृत्व प्रो. आलोक त्रिपाठी (एएसआई के अतिरिक्त महानिदेशक) करेंगे।
- **उद्देश्य:** वैज्ञानिक तलछट विश्लेषण, समुद्री जमा अध्ययन और पुरातात्विक दस्तावेज़ीकरण के माध्यम से बरामद कलाकृतियों की प्राचीनता का निर्धारण करना।

द्वारका के बारे में

- स्वर्ग के प्रवेश द्वार के रूप में भी जाना जाने वाला द्वारका शहर, कथित तौर पर 1988 में खोजा गया था, जो खंभात की खाड़ी से लगभग 100 फीट नीचे डूबा हुआ था।
- इस शहर का संबंध भगवान कृष्ण से है, जिनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने समुद्र से 12 योजन भूमि वापस प्राप्त करके इस शहर की स्थापना की थी (विष्णु पुराण, 5.23.13)।
- भगवान कृष्ण की मृत्यु के तुरंत बाद द्वारका का शानदार शहर समुद्र में डूब गया था।

मुख्य उद्देश्य

- पुरातनता सत्यापन
 - कलाकृतियों और संरचनाओं की तिथि निर्धारित करने के लिए वैज्ञानिक तरीकों (तलछट विश्लेषण, समुद्री जमा अध्ययन) का उपयोग करना
 - द्वारका की ऐतिहासिक समयरेखा का पुनर्निर्माण करने के लिए जलमग्न अवशेषों का अध्ययन करना।
- अन्वेषण विस्तार
 - ओखामंडल शहर और अन्य संभावित स्थलों तक जांच का विस्तार करना।
 - जल के नीचे खुदाई के लिए नए क्षेत्रों की पहचान करना।
- दस्तावेज़ीकरण और संरक्षण
 - पत्थर के लंगर, मूर्तियाँ और जलमग्न संरचनाओं जैसी विशेषताओं की तस्वीरें लें और उनका दस्तावेज़ीकरण करना।
 - कलाकृतियों पर वनस्पति विकास और कैल्शियम जमा जैसी चुनौतियों का समाधान करना।

ऐतिहासिक संदर्भ और पिछले प्रयास

- खोज
 - पत्थर के लंगर, लोहे की वस्तुएँ, तांबे की अंगूठियाँ, मनके, मिट्टी के बर्तन (म्रदभांड और मूर्तियाँ)।
 - द्वारकाधीश मंदिर के पास जलमग्न संरचनात्मक समूह।
- 2007 उत्खनन: 26 परतों वाले 10 मीटर गहरे भंडार में लोहे के औजार और मिट्टी के बर्तन जैसी कलाकृतियाँ मिलीं।
- पौराणिक लिंक: बेट/भेंट द्वारका भगवान कृष्ण के प्राचीन घर से संबंधित है।
 - इसका उल्लेख महाभारत और हरिवंश जैसे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है।

सरकारी पहल

- सुदर्शन सेतु: 2024 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटन किया जाएगा, जो ओखा को बेट द्वारका से जोड़ेगा।
- पनडुब्बी सेवा योजना: गुजरात सरकार द्वारा जलमग्न अवशेषों की खोज में श्रद्धालुओं और शोधकर्ताओं की सहायता के लिए प्रस्तावित।

परियोजना का महत्व

- सांस्कृतिक और पुरातात्विक प्रभाव
 - भारत के समुद्री इतिहास और व्यापार नेटवर्क की समझ को मजबूत करता है।
 - अनुभवजन्य साक्ष्य के साथ पौराणिक कथाओं को मान्य करता है।
- तकनीकी और पद्धतिगत उन्नति
 - जल के नीचे पुरातत्व को वैज्ञानिक विश्लेषण (जैसे, तलछट डेटिंग) के साथ जोड़ता है।
 - एएसआई और भारतीय नौसेना के गोताखोरों के बीच सहयोग का लाभ उठाता है।
- पर्यटन और विरासत: पनडुब्बी सेवा जल के नीचे की विरासत को संरक्षित करते हुए धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दे सकती है।

चुनौतियाँ और विचार

- पर्यावरणीय कारक: समुद्री जमा और वनस्पति कलाकृतियों की पुनर्प्राप्ति में बाधा डालते हैं।
- अन्वेषण और संरक्षण को संतुलित करना: यह सुनिश्चित करना कि पर्यटन विकास से नाजुक स्थलों को नुकसान न पहुंचे।
- अंतःविषय समन्वय: पुरातत्व, समुद्री विज्ञान और प्रौद्योगिकी के निर्बाध एकीकरण की आवश्यकता है।

अंडरवाटर आर्कियोलॉजी विंग (UAW)

- भारत में अंडरवाटर आर्कियोलॉजी की शुरुआत 1981 में हुई थी। देश में अपतटीय अन्वेषणों ने इस अनुशासन को बहुत लोकप्रियता दिलाई।
- इसके बाद, 2001 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) में अंडरवाटर आर्कियोलॉजी विंग (UAW) की स्थापना ने इस विषय के विकास की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया।
- अपनी स्थापना के बाद से, UAW अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में अंडरवाटर आर्कियोलॉजी अध्ययन करने में लगा हुआ है।
- UAW के कार्य
 - जल के नीचे के स्थलों और प्राचीन जहाज़ों के अवशेषों का दस्तावेज़ीकरण
 - पेशेवर पुरातत्वविदों, युवा शोधकर्ताओं और छात्रों का प्रशिक्षण
 - विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने और जागरूकता लाने के लिए सेमिनार आयोजित करना
 - जल के नीचे की सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण
- 2001 में यूनेस्को द्वारा “जल के नीचे की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर कन्वेंशन” को अपना जल के नीचे की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और प्रबंधन के बारे में वैश्विक चिंता को दर्शाता है। यूएडब्ल्यू ने जल के नीचे की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संरक्षण के लिए कदम उठाए हैं।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के अंडरवाटर पुरातत्व विंग का प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है?

- अंडरवाटर सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना
- सर्वेक्षण और उत्खनन करना
- अंडरवाटर विधियों में पुरातत्वविदों को प्रशिक्षित करना
- उपरोक्त सभी

(P) 2024

विक्रमशिला विश्वविद्यालय

चर्चा में क्यों: राजगीर की तलहटी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना के एक दशक बाद, बिहार में शिक्षा के एक अन्य प्राचीन केंद्र विक्रमशिला विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने का काम चल रहा है।

विक्रमशिला महाविहार (विश्वविद्यालय) के बारे में

- खंडहरों के ऊपर, धूप में चमकता हुआ, एक क्रूसिफॉर्म ईंट का स्तूप है, जो विक्रमशिला स्थल का केंद्रबिंदु है।
- स्तूप के चारों ओर कक्ष हैं (उनमें से 208, प्रत्येक तरफ 52) जहाँ अपने समय के सबसे शानदार विश्वविद्यालयों में से एक के छात्र-भिक्षु तंत्रयान का अभ्यास करते थे।
- विक्रमशिला के विद्वानों ने तंत्रयान में उत्कृष्टता हासिल की, जिसमें तांत्रिक प्रथाओं और अनुष्ठानों को शामिल किया गया था।
 - **तंत्रयान:** हीनयान और महायान के बाद भारतीय बौद्ध धर्म के तीन महान वाहनों में से अंतिम।
- पाल वंश के पाल राजा धर्मपाल द्वारा 8वीं शताब्दी के अंत से 9वीं शताब्दी के आरंभ में स्थापित विक्रमशिला महाविहार नालंदा के समय अस्तित्व में था और फला-फूला।
- अपने चरम पर, विक्रमशिला विश्वविद्यालय विश्व के लिए ज्ञान का केंद्र था।
- जहाँ नालंदा विश्वविद्यालय गुप्त काल (320-550 ई.) से 12वीं शताब्दी तक फला-फूला, वहीं विक्रमशिला पाल काल (8वीं से 12वीं शताब्दी) के दौरान फला-फूला।
- विक्रमशिला एकमात्र विश्वविद्यालय था जो तांत्रिक और गुप्त अध्ययनों में विशेषज्ञता रखता था।
- धर्मपाल के शासनकाल के दौरान, विक्रमशिला सर्वोच्च था और नालंदा के मामलों को भी नियंत्रित करने के लिए जाना जाता है।
- एक समय में, नालंदा और विक्रमशिला, जिनके राजा धर्मपाल एक ही संरक्षक थे, ने ज्ञान और शिक्षकों का आदान-प्रदान किया, जिन्हें आचार्य कहा जाता था।
- **विक्रमशिला में विषय**
 - अपने चरम पर, विक्रमशिला में धर्मशास्त्र, दर्शन, व्याकरण, तत्वमीमांसा और तर्क जैसे विषय पढ़ाए जाते थे।
 - सीखने की सबसे महत्वपूर्ण शाखा तंत्र थी क्योंकि विक्रमशिला तांत्रिकवाद के दिनों में फला-फूला, जब गुप्त विज्ञान और जादू बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म दोनों में अध्ययन के विषय थे।
- **विद्वान:** विश्वविद्यालय ने कई प्रख्यात विद्वानों को जन्म दिया, उनमें से एक अतिसा दीपांकर भी थे, जिन्होंने तिब्बत में बौद्ध धर्म की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- **विक्रमशिला का पतन**
 - 13वीं शताब्दी के आसपास नालंदा के साथ लुप्त होने से पहले विक्रमशिला लगभग चार शताब्दियों तक समृद्ध रहा।
 - इस गिरावट के लिए हिंदू धर्म के उदय और बौद्ध धर्म के पतन से लेकर बख्तियार खिलजी के आक्रमण तक कई कारकों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।
 - खंडहर (स्तूप और कोशिकाओं के अवशेष और एक विशाल पुस्तकालय) विक्रमशिला के उत्थान और पतन के साक्षी हैं।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इसकी स्थापना गुप्त राजा समुद्रगुप्त प्रथम ने छठी शताब्दी ईस्वी में की थी।

2. यह तांत्रिक और गुप्त अध्ययनों के लिए प्रसिद्ध था, और छात्र तंत्रयान का अभ्यास करते थे।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

- (a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

(9) : 2020

जलियांवाला बाग नरसंहार और सर चेट्टर शंकरन नायर

चर्चा में क्यों: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रवादी और विधिवेत्ता सर चेट्टर शंकरन नायर को याद किया, जिन्होंने ब्रिटिश राज के एक वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ एक महान अदालती लड़ाई लड़ी थी, जिसने 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराते हुए सर शंकरन पर मुकदमा दायर किया था।

जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में

- यह घटना अप्रैल 1919 की है, जब अंग्रेजों को पंजाब में रॉलेट एक्ट के खिलाफ बढ़े पैमाने पर विरोध का सामना करना पड़ रहा था, जिसके तहत उन्हें बिना किसी वारंट या ट्रायल के लोगों को गिरफ्तार करने की अनुमति थी।
- सर माइकल ओ'डवायर ने 11 अप्रैल को लाहौर और अमृतसर में सैन्य शासन लागू कर दिया, लेकिन यह आदेश अमृतसर 14 अप्रैल को ही पहुँचा।
- इसके साथ ही उन्होंने कर्नल आर.ई.एच. डायर को भी जालंधर छावनी से अमृतसर भेजा, जो उस समय ब्रिगेडियर जनरल के अस्थायी पद पर थे।
- 13 अप्रैल को अमृतसर के जलियांवाला बाग नामक परिसर में रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए डॉ. सत्यपाल और डॉ. सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में एक बड़ी शांतिपूर्ण भीड़ भी इकट्ठा हुई थी।
- बड़ी भीड़ के बारे में सुनकर, कर्नल डायर ने शाम 5 बजे के आसपास .303, ली एनफील्ड और बोल्ट-एक्शन राइफलों से लैस 50 सैनिकों की एक टुकड़ी के साथ बाग में मार्च किया।
- ऐसा कहा जाता है कि उसने सैनिकों को घरों और संकरी गलियों के बीच स्थित परिसर को घेरने का आदेश दिया और भागने के साधन न होने पर एकत्रित पुरुषों, महिलाओं और बच्चों पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी।
- जबकि ब्रिटिश आधिकारिक रिपोर्ट में कहा गया था कि इस घटना में 379 लोग मारे गए थे, कुछ अनुमानों के अनुसार मरने वालों की संख्या हजारों में थी।

परिणाम

- भागने में सफल होने वालों में 21 वर्षीय उधम सिंह भी शामिल थे। उन्होंने नरसंहार का बदला लेने की कसम खाई और 1942 में लंदन के कैक्सटन हॉल में सर माइकल ओ'डायर की गोली मारकर हत्या कर दी।
- नोबेल पुरस्कार विजेता रवींद्र नाथ टैगोर ने इस घटना को "सभ्य सरकारों के इतिहास में बेजोड़" बताते हुए अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी।
- महात्मा गांधी ने इसके तुरंत बाद अपना असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया।
- 14 अक्टूबर, 1919 को नरसंहार की जांच के लिए डिसऑर्डर इन्क्वायरी कमेटी का गठन किया गया। इसे बाद में हंटर कमीशन के नाम से जाना गया।
- कमेटी ने घटना की निंदा की लेकिन डायर को कोई सजा नहीं दी।

सर चेतुर शंकरन नायर के बारे में

- सर चेतुर शंकरन नायर मद्रास उच्च न्यायालय में एक प्रशंसित वकील और न्यायाधीश थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) के शुरुआती निर्माताओं में से एक थे।
- 1897 में, वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने।
- 1908 तक, उन्हें मद्रास उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था।
- नायर भारत के स्वशासन के अधिकार में विश्वास करते थे। 1919 में, उन्होंने मोंटेग्यू-चेम्सफ़ोर्ड सुधारों में प्रावधानों के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने प्रांतों में द्वैध शासन की प्रणाली शुरू की और प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाई।
- 1922 में, नायर ने गांधी और अराजकता नामक पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने गांधी के अहिंसा, सविनय अवज्ञा और असहयोग के तरीकों की अपनी आलोचना की।

जलियाँवाला बाग हत्याकांड और मुकदमा

- जलियाँवाला बाग हत्याकांड के बाद, उन्होंने विरोध में वायसराय की परिषद से इस्तीफा दे दिया।
- उन्होंने माइकल ओ'डायर पर भी आरोप लगाया, जो नरसंहार के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, कि उन्होंने ऐसी नीतियों का पालन किया, जिसके कारण मौतें हुईं।
- ओ'डायर ने नायर पर इंग्लैंड में मानहानि का मुकदमा दायर किया, उम्मीद थी कि अंग्रेजी अदालत उनका पक्ष लेगी।
- लंदन में किंग्स बेंच के समक्ष मुकदमा साढ़े पाँच सप्ताह तक चला। यह उस समय का सबसे लंबा चलने वाला दीवानी मामला था।

- **निर्णय:** 12 सदस्यीय सर्व-अंग्रेज जूरी की अध्यक्षता न्यायमूर्ति हेनरी मैककार्डी ने की, जिन्होंने ओ'डायर के प्रति अपने पूर्वाग्रह को छिपाने का प्रयास नहीं किया। जूरी ने 11 बनाम 1 के बहुमत से ओ'डायर का पक्ष लिया, एकमात्र असहमति मार्क्सवादी राजनीतिक सिद्धांतकार हेरोल्ड लास्की की ओर से आई।
- नायर को 500 पाउंड और मुकदमे का खर्च वादी को देने का आदेश दिया गया। ओ'डायर ने कहा कि अगर नायर माफी मांगता है तो वह जुर्माना माफ कर देगा। नायर ने इनकार कर दिया।
- **प्रभाव:** इस मुकदमे का भारत में ब्रिटिश साम्राज्य पर गहरा प्रभाव पड़ा। ऐसे समय में जब राष्ट्रवादी आंदोलन जोर पकड़ रहा था, भारतीयों ने इस फैसले में अंग्रेजों के उनके प्रति स्पष्ट पूर्वाग्रह और स्वयं को बचाने के प्रयास को देखा।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. जलियाँवाला बाग हत्याकांड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. जलियाँवाला बाग हत्याकांड 1919 में दमनकारी रौलट अधिनियम का विरोध करने वाली एक शांतिपूर्ण सभा के दौरान हुआ था।
2. ब्रिटिश सरकार ने घटना के तुरंत बाद आधिकारिक माफी जारी की और जनरल डायर को सेवा से बर्खास्त कर दिया।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है/हैं?

- | | |
|------------------|----------------------|
| (a) केवल 1 | (b) केवल 2 |
| (c) 1 और 2 दोनों | (d) न तो 1 और न ही 2 |

(ए) : २५६

पीएमएवाई-यू-2.0

चर्चा में क्यों: हाल ही में, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) के सचिव ने पीएमएवाई-यू-2.0 के तहत केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति (CSMC) की पहली बैठक की अध्यक्षता की।

मुख्य विवरण

- प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी 2.0 (पीएमएवाई-यू 2.0) के अंतर्गत 3.52 लाख से अधिक घरों के निर्माण के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।
- पीएमएवाई-यू 2.0 के लाभार्थी नेतृत्व निर्माण (बीएलसी) और भागीदारी में किफायती आवास (एएचपी) घटकों ने आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, ओडिशा, पुडुचेरी, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश सहित 10 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 3,52,915 लाख घरों को मंजूरी दी है।

पीएमएवाई-यू-2.0

- **प्रशासनिक मंत्रालय:** आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय।
- PMAY-U 2.0 का लक्ष्य शहरी क्षेत्रों में उचित मूल्य वाले घरों के निर्माण, अधिग्रहण या किराये के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है।
- **विशेष ध्यान:** झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, विधवा, विकलांग व्यक्ति और समाज के अन्य वंचित वर्गों सहित हाशिए पर पड़े समूहों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। साथ ही, सफाई कर्मी, रेहड़ी-पटरी वाले, कारीगर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और झुग्गी-झोपड़ियों/चॉलों में रहने वाले लोगों पर भी ध्यान दिया जाएगा।
- **लाभार्थियों का वर्गीकरण:** आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG) और मध्यम आय वर्ग (MIG) वर्ग जिनके पास देश में कहीं भी पक्का आवास नहीं है।
- **आय मानदंड:**
 - EWS परिवार: वार्षिक आय ₹3 लाख तक।
 - LIG परिवार: वार्षिक आय ₹3 लाख से ₹6 लाख तक।
 - MIG परिवार: वार्षिक आय ₹6 लाख से ₹9 लाख तक।
- **PMAY-U 2.0 के घटक:**
 1. **लाभार्थी-नेतृत्व निर्माण (बीएलसी):** पात्र EWS परिवारों को अपनी खाली पड़ी जमीन पर नए आवास बनाने के लिए वित्तीय सहायता। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि अधिकार (पट्टे) भी प्रदान कर सकते हैं।
 2. **भागीदारी में किफायती आवास (एएचपी):** राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों, शहरों, सार्वजनिक और निजी एजेंसियों के साथ साझेदारी में निर्मित घरों के मालिकाना हक के लिए EWS लाभार्थियों को वित्तीय सहायता।
 3. **किफायती किराये के आवास (एआरएच):** एआरएच वर्टिकल को दो मॉडलों के माध्यम से लागू किया जाएगा: मौजूदा सरकारी वित्त पोषित खाली घरों का उपयोग करना और नई किराये की आवास इकाइयों का निर्माण करना। नवीन प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने वाली परियोजनाओं के लिए ₹3,000 प्रति वर्ग मीटर का टीआईजी प्रदान किया जाएगा।

4. **व्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस):** आईएसएस वर्टिकल EWS/LIG और MIG परिवारों के लिए ₹25 लाख तक के गृह ऋण पर 4% व्याज सब्सिडी प्रदान करता है। सब्सिडी पांच वार्षिक किस्तों में प्रदान की जाएगी, जिसमें अधिकतम सब्सिडी ₹1.80 लाख होगी।

वित्तपोषण तंत्र

- मंत्रालय, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश/यूपलबी और लाभार्थी सभी पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत आवास बनाने की लागत में योगदान देंगे, जिसमें स्थान के आधार पर अलग-अलग लागत-साझाकरण व्यवस्था होगी।
- किफायती आवास के लिए ऋण की सुविधा के लिए, क्रेडिट जोखिम गारंटी फंड ट्रस्ट (सीआरजीएफटी) के कोष को भी ₹1,000 करोड़ से बढ़ाकर ₹3,000 करोड़ कर दिया गया है।

प्रौद्योगिकी और नवाचार उप-मिशन (टीआईएसएम)

- आवासों को अधिक तेज़ी से और बेहतर गुणवत्ता के साथ बनाने के लिए अत्याधुनिक, पर्यावरण के अनुकूल और आधुनिक तकनीकों के उपयोग को निर्देशित करना।

वेब पोर्टल: https://pmaymis.gov.in/PMAYMIS2_2024/PmayDefault.aspx - लाभार्थी सीधे आवेदन कर सकते हैं।


PMAY-U 2.0 और समाज के सीमांत वर्ग

- **महिला सशक्तीकरण:** 2.67 लाख से अधिक आवास महिलाओं के लिए, जिनमें एकल महिलाएं और विधवाएं शामिल हैं।
- **ट्रांसजेंडर:** 90 आवास ट्रांसजेंडरों को आवंटित किए गए हैं।
- **एससी लाभार्थी:** 80,850 आवास।
- **एसटी लाभार्थी:** 15,928 आवास।
- **ओबीसी लाभार्थी:** 2,12,603 आवास।

प्रधानमंत्री 2.0 आवास योजना-शहरी

- ₹10 लाख करोड़ के निवेश से शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए 1 करोड़ घर
- ₹2.30 लाख करोड़ की सरकारी सहायता
- ₹3 लाख/₹6 लाख/₹9 लाख वार्षिक आय वाले EWS/LIG/MIG वर्ग के लिए पक्के मकान
- अगले 5 वर्षों में किफायती लागत पर मकान बनाना, खरीदना या किराये पर लेना
- मस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए व्याज सब्सिडी का प्रावधान

तकनीकी वस्त्र आयात शेर तुलना



- एग्रेटेक
- बिल्डटेक
- क्लॉथटेक
- जियोटेक
- होमटेक
- इंडुटेक
- मेडिटेक
- मोबिलिटेक
- पैकटेक
- प्रोटेक
- विशेष फाइबर और कम्पोजिट
- स्पोंटेक

- सौंदर्य के लिए डिज़ाइन किए जाने के बजाय, तकनीकी वस्त्र कुछ खास उद्देश्यों और प्रदर्शन के लिए बनाए जाते हैं।
- ये वस्त्र सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, खेती, निर्माण और ऑटोमोबाइल सहित कई उद्योगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं।
- वे निर्माण सामग्री, सुरक्षा गियर, चिकित्सा उपकरण और ऑटोमोबाइल भागों जैसी वस्तुओं में पाए जाते हैं जो लोगों की सुरक्षा, मशीनरी को बढ़ाने और वास्तविक दुनिया के मुद्दों को संबोधित करने में मदद करते हैं।

NTTM की मुख्य विशेषताएं

- **समर्थित अनुसंधान क्षेत्र:** कार्बन फाइबर, अरामिड फाइबर, नायलॉन फाइबर, कंपोजिट, जियोटेक्सटाइल्स, कृषि-टेक्सटाइल्स, मेडिकल टेक्सटाइल्स, मोबाइल टेक्सटाइल्स, खेल टेक्सटाइल्स, और बायोडिग्रेडेबल टेक्सटाइल्स।
- **गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ):** विभिन्न खंडों में 68 क्यूसीओ जारी किए गए (20 जियो-टेक, 12 सुरक्षात्मक वस्त्र, 20 कृषि वस्त्र, 6 चिकित्सा वस्त्र, 9 रस्सियाँ और डोरियाँ, 1 इंडुटेक वस्त्र)।
- **निर्यात संवर्धन:** सिंथेटिक एवं रेयान वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद (एसआरटीईपीसी) (अब मैटेक्सिल) को तकनीकी वस्त्र निर्यात को बढ़ावा देने का कार्य सौंपा गया।
- **बीआईएस मानक:** तकनीकी वस्त्रों के लिए 600 से अधिक मानक विकसित किए गए, जिनमें एनटीटीएम के शुभारंभ के बाद से 200 से अधिक मानक शामिल हैं।
- **शैक्षणिक सहायता:** प्रयोगशाला उन्नयन और तकनीकी वस्त्रों में संकाय प्रशिक्षण के लिए 819 करोड़ मूल्य के 38 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

निष्कर्ष


भारत तकनीकी वस्त्रों में विश्व में अग्रणी बनने की राह पर है। यह दृष्टिकोण नवीन अनुसंधान और प्रौद्योगिकी के साथ-साथ GIST 2.0 जैसी पहलों द्वारा प्रशस्त किया जा रहा है। भारत निरंतर नवाचार और कड़ी मेहनत के साथ वैश्विक तकनीकी वस्त्र बाजार पर हावी होने के लिए तैयार है, जिससे आर्थिक विस्तार और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी।

इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना

चर्चा में क्यों: हाल ही में, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इलेक्ट्रॉनिक्स आपूर्ति श्रृंखला में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 22,919 करोड़ रुपये के वित्तपोषण के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना को मंजूरी दी।

योजना की मुख्य विशेषताएं:

- **प्रशासनिक मंत्रालय:** इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY)।
- भारतीय निर्माताओं को तकनीकी क्षमताएं प्राप्त करने और पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं का एहसास करने के लिए, कार्यक्रम उन्हें विभिन्न प्रकार के घटकों और उप-विधानसभाओं के लिए कुछ सीमाओं को दूर करने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किए गए अद्वितीय प्रोत्साहन प्रदान करता है।
- इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय कंपनियों को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (GVC) के साथ एकीकृत करके एक मजबूत घटक पारिस्थितिकी तंत्र बनाना, इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र में प्रमुख घरेलू और विदेशी निवेश आकर्षित करना और क्षमता और क्षमताओं का विकास करना है।
- कार्यक्रम में निम्नलिखित लक्षित खंड शामिल हैं और प्रोत्साहन के प्रकार प्रदान किए जाते हैं:
 - **टर्नओवर से संबंधित प्रोत्साहन:** मल्टी-लेयर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (पीसीबी), मोबाइल एनक्लोजर, आईटी हार्डवेयर उत्पाद, डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए ली-आयन सेल (भंडारण और गतिशीलता के अलावा), डिस्प्ले मॉड्यूल सब-असेंबली, कैमरा मॉड्यूल सब-असेंबली, नॉन-सरफेस माउंट डिवाइस (गैर-एसएमडी) इलेक्ट्रॉनिक अनुप्रयोगों के लिए निष्क्रिय घटक, इलेक्ट्रॉनिक अनुप्रयोगों के लिए इलेक्ट्रो-मैकेनिकल।
 - **हाइब्रिड प्रोत्साहन:** लचीला पीसीबी, एसएमडी निष्क्रिय घटक, आपूर्ति श्रृंखला पारिस्थितिकी, उच्च घनत्व इंटरकनेक्ट (एचडीआई), संशोधित अर्ध-एडिटिव प्रक्रिया (एमएसएपी), और इलेक्ट्रॉनिक्स के उत्पादन के लिए पूंजीगत उपकरण।
 - **कैपेक्स प्रोत्साहन:** अनावृत घटकों (बी) और सब-असेंबली (ए) के उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले भाग और घटक, इलेक्ट्रॉनिक्स के उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले पूंजीगत सामान, जिसमें उनके घटक और सब-असेंबली शामिल हैं।
- यह कार्यक्रम छह वर्षों तक चलता है, जिसमें एक वर्ष का उत्पादन धारण चरण भी शामिल है।
- प्रोत्साहन का एक हिस्सा रोजगार लक्ष्यों की पूर्ति की प्रतिक्रिया में दिया जाता है। सभी आवेदकों, जिनमें पूंजीगत उपकरण और घटक भागों का निर्माण करने वाले लोग भी शामिल हैं, को रोजगार सृजित करने की आवश्यकता होगी।
- **मुख्य लाभ:** इसके कार्यान्वयन के दौरान, इस पहल का उद्देश्य 59,350 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करना, 4,56,500 करोड़ रुपये का उत्पादन करना और कई अप्रत्यक्ष नौकरियों के अलावा 91,600 नई प्रत्यक्ष रोजगार सृजित करना है।



- इलेक्ट्रॉनिक्स वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक कारोबार वाले और सबसे तेजी से बढ़ते उद्योगों में से एक है, और चूंकि इलेक्ट्रॉनिक्स अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में व्याप्त है, इसलिए इसका आर्थिक और रणनीतिक महत्व है।
- इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण उद्योग पिछले दस वर्षों में सरकार के कई प्रयासों के कारण काफी बढ़ गया है।
- 17% से अधिक की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) पर, इलेक्ट्रॉनिक सामानों का घरेलू विनिर्माण वित्त वर्ष 2014-15 में 1.90 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में 9.52 लाख करोड़ रुपये हो गया।
- इसके अतिरिक्त, लगभग 20% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) पर, इलेक्ट्रॉनिक सामानों का निर्यात वित्त वर्ष 2014-15 में 0.38 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में 2.41 लाख करोड़ रुपये हो गया।
- हाल के वित्तीय वर्ष में स्मार्टफोन का निर्यात ₹2 लाख करोड़ से अधिक हो गया, जिसमें अकेले iPhone की बिक्री से ₹1.5 लाख करोड़ आए। उत्पादन के लिए 17% से अधिक और निर्यात के लिए 20% से अधिक CAGR के साथ, पिछले दस वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन में पाँच गुना और निर्यात में छह गुना से अधिक की वृद्धि हुई है।
- वर्तमान में 400 से अधिक औद्योगिक सुविधाएं, बड़ी और छोटी, कार्यरत हैं, जो विभिन्न प्रकार के घटकों का उत्पादन करती हैं।

निष्कर्ष

इस प्रकार, नई शुरु की गई इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना से देश के आर्थिक और तकनीकी विकास को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की संभावना है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. नई लॉन्च की गई इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैनुफैक्चरिंग स्कीम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

- यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आती है।

2. इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैनुफैक्चरिंग स्कीम के तहत प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए उद्योगों के लिए रोजगार सृजन एक अनिवार्य आवश्यकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

(9) : 258

स्मार्ट सिटी मिशन

चर्चा में क्यों: हाल ही में, स्मार्ट सिटीज मिशन (SCM) की समय-सीमा 31 मार्च, 2025 को समाप्त हो गई।

मुख्य विवरण

- प्रशासनिक मंत्रालय:** आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय।
- लॉन्च की तारीख:** 25 जून, 2015।
- प्रभावी सेवाओं, मजबूत बुनियादी ढांचे और संधारणीय समाधानों की पेशकश करके, स्मार्ट सिटीज मिशन 100 शहरों में जीवन स्तर को ऊपर उठाने का प्रयास करता है।
- इसका उद्देश्य समावेशी, पर्यावरण की दृष्टि से संधारणीय और आर्थिक रूप से संपन्न शहरों का निर्माण करना है।
- SCM का उद्देश्य सामाजिक विकास, शासन और बुनियादी ढांचे सहित महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करके देश भर में शहरी जीवन को बदलना है।
- मिशन ने ₹1,47,704 करोड़ के निवेश के साथ 8,075 परियोजनाओं में से 7,380 को पूरा करते हुए उल्लेखनीय प्रगति की है।
- विशेष प्रयोजन वाहन:** कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) बनाना, परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण के विभिन्न स्रोतों को बढ़ावा देना, प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देना और नागरिकों को शामिल करना।

इस मिशन का दृष्टिकोण


स्मार्ट सिटी मिशन को मुख्य रूप से दो दृष्टिकोणों के माध्यम से लागू किया जाता है:

- क्षेत्र-आधारित विकास (ABD) दृष्टिकोण:** 100 शहरों में से प्रत्येक ने लक्षित हस्तक्षेपों के लिए एक परिभाषित क्षेत्र चुना है। नागरिक भागीदारी के माध्यम से चुने गए इन ABD क्षेत्रों को शहर के अन्य हिस्सों के लिए अनुकरणीय मॉडल के रूप में विकसित किया जा रहा है।
- पैन-सिटी परियोजनाएँ:** प्रत्येक शहर में पैन-सिटी परियोजनाएँ शामिल की गई हैं, जो प्रौद्योगिकी-संचालित समाधान हैं।

मिशन की प्रमुख उपलब्धियाँ

- एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र (ICCC):** सभी 100 स्मार्ट शहरों में एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र (ICCC) कार्यरत हैं जो सुविचारित निर्णय लेने के लिए डेटा का उपयोग करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) और डेटा एनालिटिक्स जैसी अत्याधुनिक तकनीक को शामिल करके, इन ICCCs ने - जो महामारी के दौरान कोविड वॉर रूम के रूप में काम करते थे - परिवहन, जल आपूर्ति और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सहित नगरपालिका संचालन को बहुत बढ़ाया है।
- सार्वजनिक सुरक्षा और संरक्षण:** अपराध निगरानी में सहायता के लिए, 100

स्मार्ट शहरों में 84,000 से अधिक सीसीटीवी निगरानी कैमरे लगाए गए हैं। 3,000 सार्वजनिक पता प्रणाली, 1,884 आपातकालीन कॉल बॉक्स और स्वचालित नंबर प्लेट पहचान और लाल बत्ती उल्लंघन के लिए यातायात प्रवर्तन प्रणाली की स्थापना से सार्वजनिक सुरक्षा में भी सुधार हुआ है।



- **जल आपूर्ति:** 17,026 किलोमीटर से अधिक जल आपूर्ति प्रणाली की निगरानी के लिए SCADA का उपयोग करके, गैर-राजस्व जल और रिसाव को कम किया जाता है।
- **ठोस अपशिष्ट प्रबंधन:** 66 से अधिक स्मार्ट शहर ठोस कचरे को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहे हैं, जिससे दैनिक प्रबंधन, संग्रह दक्षता और मार्ग प्रबंधन में वृद्धि हो रही है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की प्रभावशीलता को डिजिटल बनाने और बढ़ाने के लिए, लगभग 9,194 ट्रकों को स्वचालित वाहन स्थान (AVL) के लिए RFID तकनीक से लैस किया गया है।
- **गतिशीलता:** 713 किलोमीटर साइकिल ट्रैक और 1,740 किलोमीटर से ज्यादा स्मार्ट सड़कें बनाई गई हैं या अपग्रेड की गई हैं। इसके अलावा, एक इंटेलेजेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम (ITMS) भी बनाया गया है और ICCA द्वारा इस पर नज़र रखी जा रही है, जो ट्रैफिक प्रबंधन को बेहतर बनाता है, ट्रैफिक कानूनों को लागू करता है और यात्रा के समय को कम करता है।
- **शिक्षा:** 41 डिजिटल लाइब्रेरी और 9,433 स्मार्ट क्लासरूम बनाए गए हैं।
- **स्वास्थ्य:** 152 स्वास्थ्य एटीएम स्थापित किए गए हैं, और 172 ई-स्वास्थ्य क्लिनिक और केंद्र (बिना निर्दिष्ट बिस्तरों के) बनाए गए हैं।
- **नई जरूरतों के हिसाब से समायोजन:** COVID-19 महामारी के बाद सक्रिय रहने के लिए खुले क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने के लिए “साइकिल4चेंज” और “स्ट्रीट्स4पीपल” जैसी पहल शुरू की गईं। “प्लेसमेकिंग मैराथन” और “नर्चिंग नेबरहुड्स चैलेंज” जैसी पहलों ने सार्वजनिक क्षेत्रों तक समान पहुंच की गारंटी देने के लिए वंचित आबादी को लक्षित किया। अन्य चुनौतियाँ, जैसे “ईटस्मार्ट सिटीज़” और “ट्रांसपोर्ट4ऑल”, सार्वजनिक परिवहन स्टार्टअप की मदद करने और स्मार्ट शहरों में खाद्य स्वच्छता को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन की गई हैं।

निष्कर्ष

स्मार्ट सिटीज मिशन ने भारतीय शहरों के विकास को महत्वपूर्ण रूप से आगे बढ़ाया है। बुद्धिमान प्रौद्योगिकी, पर्यावरण के अनुकूल समाधान और सक्रिय सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से, मिशन ने सार्वजनिक सुरक्षा, गतिशीलता, अवसंरचना, स्वास्थ्य सेवा और जल आपूर्ति में सुधार किया है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. स्मार्ट सिटीज मिशन (SCM) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. मिशन को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था।
2. हाल ही में, SCM के तहत 100% परियोजनाएँ सफलतापूर्वक पूरी हो गई हैं, जो पूरे भारत में शहरी परिदृश्य को नया रूप देने में महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाती हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है/हैं?

- (a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

(ए) : 258

मुद्रा योजना के 10 वर्ष

चर्चा में क्यों: प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 8 अप्रैल 2015 को शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) ने हाल ही में भारत भर में छोटे और सूक्ष्म उद्यमियों को सशक्त बनाने के 10 शानदार वर्ष पूरे किए हैं।

योजना में नए बदलाव

- **तरुण प्लस:** जिन लोगों ने पहले तरुण श्रेणी के तहत ऋण लिया है और सफलतापूर्वक चुकाया है, वे हाल ही में शुरू की गई ऋण श्रेणी के तहत ₹10 लाख से ₹20 लाख तक की फंडिंग पाने के पात्र हैं।
- **सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण गारंटी कोष (CGFMU):** इन उन्नत ऋणों की गारंटी CGFMU द्वारा दी जाएगी।

योजना के अंतर्गत प्रमुख उपलब्धियाँ

- **योजना कवरेज:** “आकांक्षी उद्यमियों के 52 करोड़ से अधिक मुद्रा ऋण खातों में स्वीकृत धनराशि में 33.65 लाख करोड़ रुपये से अधिक प्राप्त हुए हैं।”
- **समाज में हाशिए पर पड़े समूह:** 2015 से, ओबीसी, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति सहित कई हाशिए पर पड़े समूहों के लिए 11.58 लाख करोड़ रुपये के मुद्रा ऋण स्वीकृत किए गए हैं।
- **महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना:** कुल मुद्रा ऋण खातों में से लगभग 68% महिलाओं को स्वीकृत किए गए हैं। शिशु श्रेणी के तहत कुल 8.49 लाख करोड़ रुपये, किशोर के तहत 4.90 लाख करोड़ रुपये और तरुण श्रेणी के तहत 0.85 लाख करोड़ रुपये वितरित किए गए।
- **अल्पसंख्यक उधारकर्ता:** शिशु के तहत ₹1.25 लाख करोड़, किशोर के तहत ₹1.32 लाख करोड़ और तरुण के तहत ₹0.50 लाख करोड़ का संवितरण किया गया।

पीएमएमवाई की मुख्य विशेषताएं:

- **प्रशासनिक मंत्रालय:** वित्त मंत्रालय
- **मूल संगठन:** लघु उद्योग विकास बैंक ऑफ इंडिया (सिडबी)

- पीएमएमवाई वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लक्ष्य के साथ गैर-कॉर्पोरेट और गैर-कृषि आय-उत्पादक उद्यमों के लिए ₹10 लाख तक के सरल, संपार्श्विक-मुक्त ऋण प्रदान करता है।
- मुद्रा ऋण अब चार श्रेणियों में उपलब्ध होंगे: “शिशु”, “किशोर”, “तरुण”, और हाल ही में स्थापित “तरुण प्लस” श्रेणी, जो उधारकर्ताओं की वित्तीय आवश्यकताओं और विकास या विकास के चरण को दर्शाती है: -
 - **शिशु:** 50,000 रुपये तक के ऋण को कवर करना।
 - **किशोर:** 50,000 रुपये से अधिक और 5 लाख रुपये तक के ऋण को कवर करना।
 - **तरुण:** 5 लाख रुपये से अधिक और 10 लाख रुपये तक के ऋण को कवर करना।
 - **तरुण प्लस:** 10 लाख रुपये से लेकर 20 लाख रुपये तक।
- ऋण विनिर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्रों में अवधि वित्तपोषण और कार्यशील पूंजी की जरूरतों को कवर करता है, जिसमें मुर्गी पालन, डेयरी, मधुमक्खी पालन आदि जैसी कृषि से जुड़ी गतिविधियाँ शामिल हैं।
- PMMY के तहत ऋण प्राप्त करने के लिए, 2016 में माइक्रो यूनिट्स के लिए क्रेडिट गारंटी फंड (CGFMU) बनाया गया था।

निष्कर्ष

सरकार की “बैंकिंग रहित लोगों को बैंकिंग”, “असुरक्षित लोगों को सुरक्षित करना”, और “अनिधिक लोगों को निधिकरण” के साथ-साथ वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और उद्यमशीलता के सपनों को प्रोत्साहित करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि तब होती है जब भारत PMMY के दस शानदार वर्ष का स्मरण करता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न**प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:**

प्रश्न. मुद्रा योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह योजना वित्त मंत्रालय द्वारा प्रशासित है।
2. हाल ही में, इस योजना ने पूरे भारत में छोटे और सूक्ष्म उद्यमियों को सशक्त बनाने के 10 शानदार वर्ष पूरे किए।
3. इस योजना के तहत उधारकर्ता बिना किसी जमानत के ऋण ले सकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं?

- (a) केवल एक (b) केवल दो
(c) उपर्युक्त सभी (d) इनमें से कोई नहीं

(c) :255

चहल एकेडमी द्वारा निःशुल्क पहल

‘द हिंदू’ और ‘इंडियन एक्सप्रेस’ से 10 बहुविकल्पीय प्रश्नों की दैनिक प्रश्नोत्तरी

क्यू आर कोड स्कैन करें



भारतीय नगर निगम बांड बाजार: आईसीआरए रिपोर्ट

चर्चा में क्यों: हाल ही में, निवेश सूचना और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी (आईसीआरए) ने भारतीय म्यूनिसिपल बॉन्ड बाजार की बढ़ती वृद्धि पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की।

- म्यूनिसिपल बॉन्ड, जिन्हें अक्सर "मुनिस" के नाम से जाना जाता है, वित्तीय साधन हैं जिन्हें स्थानीय सरकारें सड़कों और स्कूलों जैसी पूंजी परियोजनाओं के साथ-साथ अपने चल रहे संचालन को निधि देने के लिए जारी करती हैं। उनके विभिन्न जोखिम स्तर और कर-मुक्त स्थिति उन्हें एक लोकप्रिय निवेश विकल्प बनाती है। ये बॉन्ड निवेशकों को अपने समुदायों का समर्थन करने का एक साधन देते हैं जबकि शायद लाभ कमते हैं, और वे स्थानीय सरकारों के लिए राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं।
- भारत में म्यूनिसिपल बॉन्ड बाजार में हाल ही में तेज़ी देखी गई है, खास तौर पर वित्त वर्ष 2018 से, जो मुख्य रूप से भारत सरकार (जीओआई) की ओर से वित्तीय प्रोत्साहनों के कारण हुआ है। हालाँकि वित्त वर्ष 2018 से जुटाई गई कुल राशि 2,600 करोड़ रुपये से थोड़ी ज़्यादा रही है, लेकिन यह वित्त वर्ष 1998-वित्त वर्ष 2005 के दौरान देखी गई पिछली ऐसी तेज़ी से काफ़ी ज़्यादा है, जब 1,000 करोड़ रुपये से भी कम राशि जुटाई गई थी।

म्यूनिसिपल बांड जारी करने में वृद्धि के कारण:

- **म्यूनिसिपल बांड जारी करने के लिए प्रोत्साहन:** भारत सरकार प्रत्येक 100 करोड़ रुपये के बांड जारी करने पर 13 करोड़ रुपये प्रदान करती है, जो अधिकतम 26 करोड़ रुपये तक है।
- **राष्ट्रीय नगर वित्त पोर्टल:** आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया शहरी स्थानीय निकायों के लिए केंद्रीकृत सूचना डेटाबेस - cityfinance.in, देशों भर में नगर निकायों का उनके वित्तीय स्वास्थ्य के आधार पर मूल्यांकन और पुरस्कार देता है, जिससे निवेशकों को नगर बांड के संबंध में सूचित विकल्प बनाने में मदद मिलती है।
- **संरचित भुगतान तंत्र:** इससे जोखिम कम हुआ और म्यूनिसिपल बांडों की प्राप्ति में सुधार हुआ, साथ ही रेटिंग भी बढ़ी।
- **विदेशी भागीदारी:** 2019 में, सेबी ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को म्यूनिसिपल बॉन्ड में निवेश करने की अनुमति दी।
- **म्यूनिसिपल बांड पर सूचना डेटाबेस और रिपोर्टिगरी:** निवेशकों को म्यूनिसिपल ऋण प्रतिभूतियों के संबंध में विभिन्न विनियमों, परिपत्तों, मार्गदर्शन नोटों और आंकड़ों से अवगत कराने के लिए सेबी द्वारा लॉन्च किया गया।
- **खुदरा भागीदारी को बढ़ावा देना:** खुदरा भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सेबी ने बांड का अंकित मूल्य 1 लाख रुपये से घटाकर 10,000 रुपये कर दिया।

प्रमुख अवरोधक:

- **राज्य/केन्द्र सरकार अनुदान:** शहरी बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण के लिए अनुदान-आधारित दृष्टिकोण, जिसमें यूएलबी राज्य सरकार के अनुदान पर अधिक निर्भर हैं, के कारण नगरपालिका बांडों के प्रति कम प्राथमिकता होती है।
- **निवेशकों की कम संख्या:** तरलता की कमी और द्वितीयक बाजार की कमी के कारण म्यूनिसिपल बांडों में निवेशकों की रुचि कम हो जाती है।

- नगरपालिका बांडों के सूचीबद्धता मानदंडों का पालन करने के लिए बढ़ते अनुपालन बोझ के कारण शहरी स्थानीय निकाय इन्हें जारी करने से कतराने लगे हैं।
- **यूएलबी की क्रेडिट रेटिंग:** अधिकांश यूएलबी की कमजोर क्रेडिट प्रोफ़ाइल पूंजी बाजारों तक उनकी पहुंच को प्रतिबंधित करती है, क्योंकि भारत में केवल 12% नगर पालिकाओं को AA/A श्रेणी में दर्जा दिया गया है, जबकि अन्य नगर पालिकाएं गैर-निवेश श्रेणी में आती हैं।
- **दिवालियापन प्रक्रिया का अभाव:** यूएलबी के दिवालियापन को नियंत्रित करने वाला कोई विशिष्ट कानून नहीं है, जिससे निवेशकों के लिए अनिश्चितता और जोखिम बढ़ जाता है।
- **बांड जारी करना:** कुछ वर्षों में अनियमित निर्गम, तथा कुछ वर्षों में कोई निर्गम नहीं।
- **स्वयं का राजस्व:** यूएलबी का स्वयं का राजस्व आधार कम बना हुआ है, तथा राज्य सरकारों से प्राप्त होने वाले धन पर उनकी निर्भरता अधिक है, जिससे यूएलबी की पुनर्भुगतान क्षमता प्रभावित हो रही है।
- **खराब लेखापरीक्षा अनुपालन:** अधिकांश शहरी स्थानीय निकायों में सूचना प्रणालियां कमजोर बनी हुई हैं, जिनमें डेटा असंगतता, लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों का अभाव, कम प्रकटीकरण आदि के कारण निवेशकों का विश्वास कम हो रहा है।
- **व्यावसायिकता का अभाव:** अधिकांश शहरी स्थानीय निकायों के पास बजटीय लागत के भीतर समयबद्ध तरीके से बड़ी और जटिल परियोजनाओं को डिजाइन करने और निष्पादित करने का ट्रैक रिकॉर्ड और क्षमता का अभाव है।

हाल ही में जारी किए गए आंकड़े

- वित्त वर्ष 2018 से अब तक 17 नगर निगमों से बांड बाजार के माध्यम से कुल 2660 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं।
- इन 17 बांडों में से सात को AA+ स्तर पर तथा 10 को भारत की विभिन्न रेटिंग एजेंसियों द्वारा AA रेटिंग दी गई थी।
- 100 करोड़ रुपये के बांड पर 13 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि तथा 26 करोड़ रुपये की अधिकतम प्रोत्साहन राशि के साथ, एक नगर निगम से कुल निर्गम 200 करोड़ रुपये तक सीमित है।

भविष्य का दृष्टिकोण

- पांच से अधिक यूएलबी उन्नत राज्यों में हैं और निकट भविष्य में नगरपालिका बांड जारी करने की संभावना है, साथ ही पांच और तैयारी के विभिन्न चरणों में हैं, जिनकी राशि वित्त वर्ष 2025/वित्त वर्ष 2026 में लगभग 1500 करोड़ रुपये से अधिक होगी।
- **विशेष प्रयोजन साधन:** कम ऋण गुणवत्ता वाले यूएलबी के लिए, राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त नगरपालिका बांड जारी करने की संभावना है, जिसमें भाग लेने वाले यूएलबी की आवश्यकताओं को एकत्रित करके पूंजी बाजार से धन जुटाने के लिए एक विशेष प्रयोजन साधन बनाया जाता है।

संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2025

चर्चा में क्यों: हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट, 2025, 'पर्वत और ग्लेशियर - जल टावर्स' पर केंद्रित जारी की गई।

दुनिया के 'जल मीनार' के रूप में, पर्वत मीठे पानी का एक अनिवार्य स्रोत हैं। संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2025: पर्वत और ग्लेशियर - जल मीनारों हमें हमारे जमे हुए जल संसाधनों में तेजी से होने वाले बदलावों को कम करने और उनके अनुकूल होने में मदद करने के लिए समाधान प्रदान करती हैं।

रिपोर्ट के मुख्य अंश

- **सेवा अर्थव्यवस्था:** पर्वतीय क्षेत्र उच्च मूल्य वाले उत्पाद प्रदान करते हैं, जैसे औषधीय पौधे, लकड़ी और अन्य वन उत्पाद, अद्वितीय पर्वतीय पशुधन और विशिष्ट कृषि उत्पाद।
- पर्वतीय क्षेत्र, निचले क्षेत्रों की तुलना में प्रति इकाई क्षेत्र में अधिक सतही अपवाह उपलब्ध कराते हैं, तथा वैश्विक वार्षिक मीठे जल प्रवाह का 55-60% प्रदान करते हैं।
- **प्रमुख नदियों की जल आपूर्ति:** अमु दरिया, कोलाराडो, नील, फरात, सिंधु, टिगरिस और सेनेगल जैसी नदियाँ अपने प्रवाह के 70% से 90% से अधिक भाग के लिए पर्वतीय जल पर निर्भर हैं।
- **ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव:** ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों में पर्माफ्रॉस्ट के पिघलने में वृद्धि, बर्फ के आवरण में कमी, ग्लेशियर पिघलने में तेजी, तीव्र वर्षा की घटनाओं में वृद्धि और प्राकृतिक खतरों में वृद्धि शामिल है।
- **मानवजनित प्रभाव:** धूल, दहन से संबंधित कालिख जमा होना जिसमें ब्लैक कार्बन भी शामिल है, तथा बर्फ और ग्लेशियर की सतह पर सूक्ष्मजीवी और शैवाल का विकास धूल के तूफानों, वायु प्रदूषण और जंगल की आग की बढ़ती आवृत्ति और तीव्रता के कारण आम होता जा रहा है। वे सतह के एल्बिडो को कम करके पिघलने की दर को बढ़ा सकते हैं।
- **भौगोलिक बाधाएँ:** पर्वतीय समुदायों की दूरस्थता, कठिन भूभाग और प्राकृतिक आपदाओं के प्रति बढ़ते जोखिम के कारण अक्सर जल आपूर्ति और स्वच्छता प्रणालियों, जल निकासी नेटवर्क और अन्य आवश्यक जल अवसंरचना के वित्तपोषण, विकास और रखरखाव की लागत अधिक होती है।
- **शहरीकरण:** पर्वतीय क्षेत्रों में तेजी से और अनियोजित शहरीकरण भी नाजुक पर्वतीय पारिस्थितिकी प्रणालियों पर दबाव डाल रहा है, जिससे जल की उपलब्धता, गुणवत्ता और सुरक्षा प्रभावित हो रही है।
- **आपदाएँ:** भूस्खलन, भूकंप, बाढ़, जीएलओएफ और हिमस्खलन जैसे प्राकृतिक खतरे जल आपूर्ति और स्वच्छता बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तथा जल, स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को बाधित कर सकते हैं।
- **हाशिये पर पड़े समुदाय:** ऐसे खतरों से पहले से ही कमजोर और अक्सर हाशिये पर पड़े पर्वतीय समुदायों की भेद्यता और बढ़ जाती है, तथा कृषि, पर्यटन और जैव विविधता सहित उनके कुछ धन-उत्पादक क्षेत्रों में अस्थिरता पैदा होती है।
- **जलविद्युत क्षेत्र:** बांधों और जलाशयों, ट्रांसमिशन लाइनों और सबस्टेशनों के निर्माण और उपस्थिति का नाजुक पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र पर महत्वपूर्ण नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
- **हिमनद झीलों के फटने से बाढ़:** 1990 के दशक के बाद से हिमनद झीलों के कुल क्षेत्रफल और संख्या में काफी वृद्धि हुई है, क्योंकि ग्लेशियर पीछे हट गए हैं, जिससे संभावित रूप से खतरनाक हिमनद झीलों के फटने से बाढ़ (जीएलओएफ) के खतरे और जोखिम के नए हॉटस्पॉट बन गए हैं।
- **औद्योगिक गतिविधियाँ:** सुदूर पर्वतीय क्षेत्रों को विनियमित करना कठिन हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप प्रदूषकों सहित अनियंत्रित अपवाह और निर्वहन होता है।
- **कृषि:** हिमालय क्षेत्र के अल्पाइन ग्लेशियर आश्चर्यजनक दर से पिघल रहे हैं, जो अक्सर विश्व औसत से भी अधिक है। हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र में दीर्घकालिक

खाद्य, जल, ऊर्जा और आजीविका सुरक्षा को जल प्रवाह में कमी और अधिक लगातार सूखे से खतरा होने का अनुमान है।

मुख्य तथ्य

- **क्षेत्रीय कवरज:** पर्वतीय क्षेत्र लगभग 33 मिलियन वर्ग किमी या अंटार्कटिका को छोड़कर वैश्विक भूमि सतह के 24% हिस्से को कवर करते हैं।
- **कवर की गई जनसंख्या:** 1.1 बिलियन से अधिक लोग (दुनिया की आबादी का लगभग 15%) पर्वतीय क्षेत्रों में रहते हैं - जो 1975 में 575 मिलियन से लगभग दोगुना है। जिनमें से अधिकांश (91%) विकासशील देशों में केंद्रित हैं।
- 2015 की तुलना में 2100 तक वैश्विक ग्लेशियरों के पीछे हटने तथा उनके कुल द्रव्यमान में 26 से 41 प्रतिशत की कमी आने की संभावना है।
- यह अनुमान लगाया गया है कि माउंट केन्या और माउंट रवेन्जोरी 2030 तक अपने ग्लेशियर खो देंगे, जबकि माउंट किलिमंजारो 2040 तक अपने ग्लेशियर खो देगा।

रिपोर्ट की मुख्य अनुशंसाएँ

- **कृषि:** टेरस फार्मिंग को स्थानीय ढलान की स्थितियों के अनुकूल बनाया जा सकता है। इसके कई लाभों में सतही जल अपवाह को कम करना, जल संरक्षण को बढ़ावा देना, मिट्टी के कटाव को कम करना, ढलानों को स्थिर करना, आवास और जैव विविधता उत्पादन को बढ़ाना और सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखना शामिल है।
- **क्षेत्र की निगरानी:** ग्लेशियल झीलों से नियंत्रित उत्सर्जन के लिए व्यवहार्यता अध्ययन, नदी बेसिन प्रबंधन, ग्लेशियरों में अस्थायी परिवर्तनों की निगरानी, और ग्लेशियेटेड नदी बेसिनों में जीएलओएफ जोखिम न्यूनीकरण और प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली की स्थापना।
- **चक्र्रीय अर्थव्यवस्था:** जल उपयोग में कमी, उपयोग किए गए जल का पुनर्चक्रण और जल संसाधनों के पुनः उपयोग को बढ़ावा देने के लिए चक्र्रीय अर्थव्यवस्था ताकि पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र पर दबाव कम किया जा सके। पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकियों का उपयोग जैसे कम प्रदूषणकारी प्रौद्योगिकियों का उपयोग, बेहतर संसाधन प्रबंधन और कुशल अपशिष्ट पुनर्चक्रण।
- **स्थानीय समुदायों की भूमिका:** पर्वतीय क्षेत्रों में स्थानीय संदर्भों के अनुकूल सर्वोत्तम उपलब्ध प्रथाओं को लागू करने के लिए स्थानीय समुदायों के साथ संवाद और समावेश को बढ़ावा देना।
- **अंतर्राष्ट्रीय प्रयास:** सीमापार सहयोग, क्षेत्रीय वार्ता, जल प्रशासन के लिए अंतर्राष्ट्रीय नीतिगत रूपरेखा और संधियाँ एवं अभिसमय पर्वतीय क्षेत्र स्तर पर सहयोग और कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के लिए प्रासंगिक प्रवर्तक हो सकते हैं।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: विश्व जल विकास रिपोर्ट, 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इसे विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित किया गया था।
2. रिपोर्ट अपने नवीनतम संस्करण पर्वतों और ग्लेशियरों पर केंद्रित है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

- (a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

(9) : 255

विश्व खुशहाली रिपोर्ट, 2025

चर्चा में क्यों: हाल ही में, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वेलबीइंग रिसर्च सेंटर ने संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के साथ साझेदारी में विश्व खुशहाली रिपोर्ट, 2025 प्रकाशित की।

मुख्य विवरण


- फिनलैंड को लगातार आठवें वर्ष विश्व का सबसे खुशहाल देश घोषित किया गया है।
- अन्य नॉर्डिक देश, जैसे स्वीडन, आइसलैंड और डेनमार्क, अपने उत्कृष्ट जीवन स्तर और मजबूत सामाजिक समर्थन नेटवर्क को रेखांकित करते हुए, अपने शीर्ष स्थान पर बने रहे।
- यह रैंकिंग व्यक्तियों द्वारा अपने जीवन के बारे में स्वयं बताए गए आकलन से तैयार की जाती है।
- विश्व खुशहाली रिपोर्ट वर्ष 2002 से सांख्यिकीय शोध के आधार पर विश्व के सबसे खुशहाल देशों की पहचान कर रही है।
- शोधकर्ताओं ने पिछले तीन वर्षों में 143 देशों के व्यापक आंकड़ों की जांच की, तथा छह विशिष्ट क्षेत्रों में प्रदर्शन पर नजर रखी: प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, सामाजिक समर्थन, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, अपने निर्णय लेने की स्वतंत्रता, सामान्य जनसंख्या उदारता, तथा आंतरिक और बाह्य भ्रष्टाचार के स्तर की धारणाएं, ताकि दुनिया में सबसे खुशहाल देश की पहचान की जा सके।
- भारत खुशहाली सूचकांक में 118वें स्थान पर है, जबकि पड़ोसी देश पाकिस्तान 109वें स्थान पर है।
- हालांकि शीर्ष 20 में यूरोपीय देशों का दबदबा था, फिर भी कुछ उल्लेखनीय परिवर्तन हुए। मैक्सिको (10वां) और कोस्टा रिका (6वां) ने पहली बार शीर्ष 10 में जगह बनाई।

- हालांकि, संयुक्त राज्य अमेरिका अपनी सबसे निचली 24वीं रैंकिंग पर आ गया है।
- इसी प्रकार, ब्रिटेन 23वें स्थान पर रहा, जो 2017 के बाद से उसका सबसे निचला रैंकिंग स्कोर है।
- अफ़गानिस्तान (147वें स्थान पर) लगातार चौथे साल दुनिया का सबसे दुखी देश बना हुआ है। अफ़गान महिलाओं के अनुसार, यहाँ रहने की परिस्थितियाँ विशेष रूप से भयानक हैं।
- जिम्बाब्वे (143वां), मलावी (144वां), लेबनान (145वां) और सिप्रा लियोन (146वां) सबसे निचले पायदान पर मौजूद अन्य देशों में शामिल हैं।
- शोधकर्ताओं ने पाया कि बुनियादी जीवनशैली विशेषताएँ, जैसे भोजन साझा करना, विश्वसनीय सहायता प्रणाली का होना, तथा परिवार का आकार, समग्र खुशहाली के लिए महत्वपूर्ण हैं, यहाँ तक कि आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं से भी अधिक महत्वपूर्ण हैं।
- उदाहरण के लिए, सर्वेक्षण के अनुसार, मेक्सिको और यूरोप में सबसे खुशहाल घर वे हैं जिनमें चार से पांच सदस्य हैं। एक और महत्वपूर्ण घटक जो प्रकाश में आया वह दयालुता की धारणा थी: जिन देशों में लोग खोए हुए बटुए के वापस मिलने की उम्मीद करते हैं, वहां के नागरिक आमतौर पर अधिक खुश होते हैं।
- भारत और विश्व खुशहाली रिपोर्ट, 2025
 - विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत 147 देशों में 118वें स्थान पर है।
 - भारत का स्कोर 4.054 (2021-23) से सुधरकर 4.389 (2022-24) हो गया।
 - भारत अपने पड़ोसी पाकिस्तान (109) और नेपाल (92) से नीचे स्थान पर है।
 - **सामर्थ्य:** मजबूत पारिवारिक संरचना और सामुदायिक बंधन उच्च सामाजिक समर्थन की ओर ले जाते हैं।
 - **कमजोरी:** सीमित व्यक्तिगत पसंद संतुष्टि के कारण कम महसूस की जाने वाली स्वतंत्रता।

रिपोर्ट कार्ड

ब्रिक्स देशों के अंक (10 में से)

■ ब्राज़ील ■ रूस ■ भारत ■ चीन ■ दक्षिण अफ्रीका



पड़ोसियों का क्या हुआ हाल



देश	खुशहाली स्कोर (2022-24)	2006-10 से 2022-24 तक खुशी स्कोर में बदलाव
नेपाल	5.31	0.71
पाकिस्तान	4.77	-0.37
भारत	4.39	-0.58
श्रीलंका	3.89	-0.38
बांग्लादेश	3.85	-0.92

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: विश्व खुशहाली रिपोर्ट, 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इसे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के साथ साझेदारी में लॉन्च किया गया था।
2. नवीनतम संस्करण में भारत ब्रिक्स सदस्य देशों से नीचे स्थान पर है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

- (a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2
- (c) : 2025

विश्व के पादप आनुवंशिक संसाधनों की स्थिति: एफएओ

चर्चा में क्यों: खाद्य एवं कृषि संगठन ने हाल ही में विश्वभर में खाद्य एवं कृषि के लिए पादप आनुवंशिक संसाधनों की स्थिति पर अपनी रिपोर्ट का तीसरा संस्करण जारी किया।

रिपोर्ट के मुख्य अंश

आंकड़ों का स्रोत: 128 देशों के साथ-साथ चार क्षेत्रीय और 13 अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्रों से प्राप्त जानकारी, खाद्य और कृषि के लिए पादप आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण, प्रबंधन और सतत उपयोग (पीजीआरएफए) की स्थिति पर इस रिपोर्ट के लिए आंकड़ों के मुख्य स्रोत के रूप में कार्य करती है।

पादपों/पौधों की प्रजातियों की विविधता

- 6,000 पौधों की प्रजातियों की खेती के बावजूद, विश्व भर में कृषि उत्पादन का 60% हिस्सा केवल नौ फसलों पर निर्भर है, जिससे खाद्य और कृषि के लिए पौधों के आनुवंशिक संसाधनों की विविधता खतरे में पड़ गई है।
- ये नौ फसलें थीं चावल, गन्ना, ताड़ का तेल, मक्का, सोयाबीन, गेहूं, चुकंदर, आलू और कसावा।
- सर्वेक्षण किए गए 18 उप-क्षेत्रों में से नौ में विविधता अधिक चिंताजनक थी, जहां कम से कम 18% कृषक किस्मों/भूमि प्रजातियों (एफवी/एलआर) को संकटग्रस्त के रूप में वर्गीकृत किया गया था।
- संकटग्रस्त विविधता का सबसे बड़ा प्रतिशत दक्षिणी अफ्रीका में पाया जाता है, उसके बाद कैरिबियन और पश्चिमी एशिया का स्थान आता है।
- ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिणी एशिया में सबसे कम असुरक्षित भूमि प्रजातियां तथा सबसे विविध प्रकार के किसान थे।
- सर्वेक्षण से यह भी पता चला कि रिपोर्टिंग अवधि (2011-2022) के दौरान 51 देशों में 35 मिलियन हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में एफवी/एलआर उगाया गया, जो उच्च विविधता वाले क्षेत्रों में रिपोर्ट की गई साइटों के कुल फसल क्षेत्र के 44% के बराबर है।

पौधों की विविधता का स्वस्थाने (इन सीटू) संरक्षण

- रिपोर्ट में इन-सीटू (खेत पर) संरक्षण की स्थिति का भी उल्लेख किया गया है और पाया गया है कि सर्वेक्षण किए गए टैक्सा (पौधों की प्रजातियों के समूह) में से 42% प्रजाति या किस्म के स्तर पर असुरक्षित थे।

- पांच कृषि-पारिस्थितिक क्षेत्रों में दर्ज एफवी/एलआर में से 50% से अधिक को खतरे में माना गया, तथा भारत में व्यापक आनुवंशिक कृषि क्षरण को रोकने के लिए संरक्षण उपाय भी आवश्यक थे।

पौधों की किस्म का पर-स्थाने (एक्स सीटू) संरक्षण

- पर-स्थाने (एक्स सीटू) संरक्षण के संबंध में, यह पाया गया कि पीजीआरएफए के सफल और कुशल संरक्षण में बाधा डालने वाली कई समस्याएं अभी भी मौजूद हैं और पिछले दस वर्षों में हुई प्रगति के बावजूद, उन पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
- कई देशों में पर-स्थाने (एक्स सीटू) के लिए अभी भी आवश्यक राजनीतिक और वित्तीय सहायता का अभाव है, जिसके कारण अक्सर सीमित या अनियमित वित्तपोषण, पर्याप्त रूप से योग्य कर्मचारियों की कमी, तथा अपर्याप्त बुनियादी ढांचे और रसद की स्थिति उत्पन्न होती है।

पौधों की किस्मों के संरक्षण पर भारतीय पहल

- रिपोर्ट में इस बात पर भी प्रकाश डाला गया है कि किस प्रकार भारतीय कृषि मंत्रालय की 2016 की पहल “दालों के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ाने के लिए बीज केंद्र बनाने” से छोटे किसानों को दलहन फसलों की नई (दस वर्ष से कम पुरानी) उच्च उपज देने वाली किस्मों (एचवाईवी) के उच्च गुणवत्ता वाले बीजों तक आसान पहुंच में मदद मिली है।
- इस परियोजना के परिणामस्वरूप दालों का उत्पादन 2007 और 2008 में 14.76 मिलियन टन से बढ़कर 2020 और 2021 में 24.42 मिलियन टन हो गया।

जलवायु परिवर्तन: फसल विविधता के लिए खतरा

- रिपोर्ट में बताया गया है कि कई देशों ने कृषि विविधीकरण पर आपदाओं के प्रभावों के मूल्यांकन में अंतर की सूचना दी है, जबकि तथ्य यह है कि अप्रत्याशित चरम मौसम की घटनाओं की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि हो रही है।
- कई देशों ने फसल विविधता पर आपदाओं के प्रभावों के मूल्यांकन में कमी देखी है, जबकि तथ्य यह है कि आपात स्थितियों के बाद कृषि क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव की गणना अक्सर वित्तीय और पोषण संबंधी नुकसान के रूप में की जाती है।

प्रारंभिक परीक्षा विशेष

- खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है।
- एफएओ भुखमरी को खत्म करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करता है।
- यह संयुक्त राष्ट्र की सबसे पुरानी स्थायी एजेंसी है।
- इसकी स्थापना अक्टूबर 1945 में हुई थी।
- एफएओ का उद्देश्य कृषि उत्पादकता में सुधार, पोषण में सुधार, जीवन स्तर को ऊपर उठाना और वैश्विक आर्थिक विकास में योगदान करना है।
- **सदस्य देश:** 195 सदस्य – 194 देश और यूरोपीय संघ।
- **मुख्यालय:** रोम, इटली
- **प्रकाशन:** विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति रिपोर्ट (एसओएफआई), विश्व के वनों की स्थिति रिपोर्ट (एसओएफओ), कृषि वस्तु बाजार की स्थिति रिपोर्ट (एसओसीओ), विश्व मत्स्य पालन और जलीय कृषि की स्थिति रिपोर्ट (एसओएफआई)।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) के संबंध में निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार करें:

1. एफएओ संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है।
2. इसका मुख्यालय रोम, इटली में स्थित है।
3. यह विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति पर रिपोर्ट जारी करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं?

- (a) केवल एक (b) केवल दो
(c) उपर्युक्त सभी (d) इनमें से कोई नहीं
- (c) : 2022

बाल मृत्यु दर रिपोर्ट के स्तर और रुझान

चर्चा में क्यों: हाल ही में, बाल मृत्यु दर आकलन के लिए संयुक्त राष्ट्र अंतर-एजेंसी समूह ने 'बाल मृत्यु दर के स्तर और रुझान' शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है।

रिपोर्ट के मुख्य अंश

- सरकारों, समुदायों और साझेदारों द्वारा दशकों के निवेश और सहयोग के कारण, वर्ष 2000 के बाद से विश्व भर में पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में 52% की कमी आई है।
- लड़कियों की अपेक्षा से अधिक मृत्यु दर वाले देशों की संख्या 2000 में 22 से घटकर 2023 में 9 हो जाएगी।
- उच्च गुणवत्ता वाली मातृ, नवजात और बाल स्वास्थ्य देखभाल में निवेश, जैसे कुशल प्रसव परिचर्या, नवजात शिशु देखभाल, तथा सामान्य बाल्यावस्था संक्रमणों के लिए शीघ्र निदान और उपचार तक पहुंच, ने देशों और क्षेत्रों को कम या काफी हद तक बाल मृत्यु दर को कम करने में मदद की है।
- जोखिम कारकों को कम करने के लिए निवारक कार्रवाइयों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जैसे कि नियमित टीकाकरण में वृद्धि, जल और स्वच्छता में सुधार, तथा उचित पोषण की गारंटी।
- हालांकि, इस वर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र अंतर-एजेंसी बाल मृत्यु दर आकलन समूह (यूपन आईजीएमई) के अनुमान भी स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि लाखों बच्चे ऐसे कारणों से मर रहे हैं जिन्हें टाला जा सकता था, तथा इस दिशा में प्रगति धीमी पड़ रही है।
- अनुमान है कि 2023 में पांच वर्ष की आयु पूरी होने से पहले 4.8 मिलियन बच्चे, जिनमें 2.3 मिलियन नवजात शिशु शामिल हैं, की मृत्यु हो गई। प्रारंभिक शैशवावस्था के अलावा, 5 से 24 वर्ष की आयु के बीच 2.1 मिलियन बच्चे, किशोर और युवा की भी मृत्यु हो गयी।
- ये मौतें अपरिहार्य नहीं हैं। ये मौतें सुरक्षा, पोषण और चिकित्सा देखभाल तक पहुंच में असमानताओं के कारण होती हैं, खासकर सबसे कमजोर और वंचित परिवेश में।
- यह सर्वविदित है कि अपरिहार्य बाल मृत्यु को रोकना संभव है, लेकिन सफलता के लिए निरंतर निवेश, मजबूत राष्ट्रीय प्रतिबद्धता और विश्वसनीय डेटा प्रणाली आवश्यक हैं।

- एक अनुमान के अनुसार यदि इस ओर पुनः ध्यान नहीं दिया गया तो 2030 तक पांच वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले ही 30 मिलियन युवा की मृत्यु हो जायेगी; ये ऐसे जीवन हैं जिन्हें बचाया जा सकता है और बचाया जाना चाहिए।
- यह एक उल्लेखनीय उपलब्धि है, जो सरकारों, दाताओं, स्वास्थ्य पेशेवरों, समुदायों और परिवारों द्वारा दशकों के लगातार निवेश और सहयोग का प्रतिनिधित्व करती है, कि 2023 में वैश्विक पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर 2000 की तुलना में आधी हो जाएगी।
- यद्यपि पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों में मृत्यु दर में समग्र कमी सकारात्मक है, फिर भी सभी आयु समूहों में समान स्तर की प्रगति नहीं देखी गई है।
- जबकि 2000 के बाद से नवजात शिशुओं की मृत्यु दर में 44% की कमी आई है, 1 से 59 महीने की आयु के बच्चों की मृत्यु दर में 58% की कमी आई है।
- वर्ष 2023 में पांच वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों की मृत्यु दर में से लगभग आधी मृत्यु जीवन के पहले 28 दिनों में होगी, जिससे शिशुओं की बढ़ती संवेदनशीलता और इस महत्वपूर्ण समय के दौरान केंद्रित हस्तक्षेप के लिए अधिक धन की आवश्यकता पर प्रकाश पड़ता है।
- **क्षेत्रवार असमानता**
 - विश्वव्यापी औसत में सुधार के बावजूद, कई बच्चों की वास्तविकताएं उनके जन्मस्थान और परिस्थितियों से प्रभावित होती हैं।
 - उप-सहारा अफ्रीका में जन्मे एक औसत बच्चे के पांच वर्ष की आयु से पहले मर जाने का जोखिम ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड में जन्मे बच्चे की तुलना में 18 गुना अधिक होता है।
 - सबसे अधिक मृत्यु दर वाले देश में पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु का जोखिम सबसे कम मृत्यु दर वाले देश की तुलना में 80 गुना अधिक है।
- सबसे कम शिक्षित महिलाओं, सबसे गरीब परिवारों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं से जन्मे बच्चों के लिए मृत्यु का जोखिम काफी अधिक है।
- संघर्ष और नाजुकता इन असमानताओं को और बढ़ा देते हैं: 2023 में, केवल 25% जीवित जन्म नाजुक और संघर्ष प्रभावित देशों में हुए, लेकिन पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की लगभग 50% मौतें इन्हीं देशों में हुई।
- **आंकड़ों का अभाव:** बेहतर आंकड़ों के बिना, लाखों बच्चों की अनदेखी होने का खतरा है, तथा मृत्यु दर को कम करने के प्रयास अनिश्चितता और देरी के कारण बाधित होंगे, विशेष रूप से सबसे अधिक मृत्यु दर वाले देशों में, जहां आंकड़ों की प्रणाली सबसे कमजोर है।
- संकट, हिंसा, आर्थिक अस्थिरता, कमजोर स्वास्थ्य प्रणाली और घटते दाता समर्थन सहित बढ़ती चुनौतियों के कारण, अब तक की प्रगति में ठहराव या यहां तक कि उलटाव का खतरा पैदा हो गया है।
- लाखों शिशु और छोटे बच्चे ऐसे कारणों से मरते रहेंगे, जिन्हें हम टाल सकते हैं और जिनका उपचार कर सकते हैं, जब तक कि इन मुद्दों को त्वरित कार्रवाई से हल नहीं किया जाता।
- आगे का रास्ता स्पष्ट है; सबसे कमजोर बच्चों तक पहुंचने के लिए केवल राजनीतिक इच्छाशक्ति और वित्तीय सहायता की आवश्यकता है।
- रिपोर्ट की सिफारिशें
 - उप-राष्ट्रीय डेटा या अनुमानों पर आधारित गतिविधियों और हस्तक्षेपों पर ध्यान केंद्रित करके, प्रगति को और तेज किया जा सकता है।
 - राष्ट्रों के भीतर उप-राष्ट्रीय मतभेदों के कारण अनुकूलित तरीकों की आवश्यकता होती है, जिसमें अच्छी तरह से वित्त पोषित मातृ, नवजात और बाल स्वास्थ्य पहल शामिल हैं जो सबसे अधिक जोखिम वाले लोगों को लक्षित करते हैं।
 - मानवीय संगठनों को सबसे वंचित लोगों के लिए लड़ते रहना चाहिए, और दानदाताओं को अपना योगदान जारी रखना चाहिए तथा बढ़ाना चाहिए।

मृत्यु दर में ऐतिहासिक रूप से कमी आई है, जो सभी संबंधित पक्षों द्वारा समन्वित प्रयासों की प्रभावशीलता को दर्शाता है। यह तय करना हमारे ऊपर है कि भविष्य में मृत्यु दर किस तरह विकसित होगी। अगर दुनिया को हर बच्चे के जीवन के अधिकार को पूरा करना है, तो उसे न केवल अपने प्रयासों को जारी रखना चाहिए, बल्कि उन्हें आगे भी बढ़ाना चाहिए।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: बाल मृत्यु दर के स्तर और रुझान रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र के बाल मृत्यु दर आकलन अंतर-एजेंसी समूह द्वारा जारी की गई है।
2. रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2000 के बाद से दुनिया भर में पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में 52% की वृद्धि हुई है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

- (a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2
(e) ~~2 और 1~~

शिक्षा और पोषण: अच्छा तरह से खाना सीखें रिपोर्ट: यूनेस्को

चर्चा में क्यों: हाल ही में यूनेस्को ने शिक्षा और पोषण: अच्छी तरह से खाना सीखें रिपोर्ट प्रकाशित की।

चुनौतियाँ


रिपोर्ट के मुख्य अंश

अच्छा खाओ, अच्छा सीखो:

- **प्रारंभिक बाल्यावस्था पोषण:** स्तनपान सहित पर्याप्त पोषण, इष्टतम मस्तिष्क विकास में सहायता करता है तथा संज्ञानात्मक कार्यों और अन्य जीवन परिणामों में सुधार करता है।
- **खाद्य असुरक्षा और संज्ञानात्मक परिणाम:** खाद्य असुरक्षा वाले विश्वविद्यालय के छात्रों में ध्यान केंद्रित करने और अकादमिक रूप से अच्छा प्रदर्शन करने की संभावना कम थी। खाद्य असुरक्षा वाले वयस्कों में संज्ञानात्मक गिरावट का अनुभव होने की संभावना अधिक होती है।

अच्छी तरह सीखें; अच्छा खाएं:

- **शिक्षित माताएं और बाल पोषण:** निम्न और मध्यम आय वाले देशों में, कम से कम माध्यमिक शिक्षा प्राप्त माताओं के बच्चों में कम शिक्षित माताओं के बच्चों की तुलना में बौनेपन, कम वजन और दुर्बलता की संभावना कम होती है।
- **स्वस्थ भोजन के बारे में सार्वजनिक अभियान:** ऑस्ट्रेलिया में लाइवलाइट अभियान और संयुक्त राज्य अमेरिका में सेव फूड अभियान ने स्वास्थ्य चुनौतियों और खाद्य अपशिष्ट के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाई। C40 शहर स्कूलों, अस्पतालों और सार्वजनिक स्थानों में स्वस्थ भोजन विकल्पों को बढ़ावा देकर उपभोग पैटर्न को बदलने के लिए काम कर रहे हैं।
- **स्कूलों की भूमिका:** कई उच्च आय वाले देश पोषण को विज्ञान (P) के माध्यम से अर्थशास्त्र जैसे विषयों में एकीकृत करते हैं और माता-पिता को शामिल करते हैं। जापान का शोकुलु दृष्टिकोण भोजन के सांस्कृतिक और स्थिरता पहलुओं पर जोर देता है।



- **स्वास्थ्य पेशेवरों का प्रशिक्षण:** 2022 में, केवल 14% देशों ने चिकित्सा डॉक्टरों, नर्सों और दाइयों और अन्य पेशेवरों के पूर्व-सेवा पाठ्यक्रम में शिशुओं और छोटे बच्चों को खिलाने के विषय को पर्याप्त रूप से कवर किया है।
- **प्रारंभिक बाल्यावस्था पोषण:** दीर्घकालिक कुपोषण के कारण बचपन में बौनापन, किशोरावस्था में संज्ञानात्मक क्षमता, शिक्षा प्राप्ति और गणित की परीक्षा के अंकों को कम कर देता है।
- **स्कूल भोजन की गुणवत्ता पर अपर्याप्त ध्यान दिया गया:** 187 देशों में से केवल 93 देशों में ही स्कूल भोजन और पेय पदार्थों पर कानून, अनिवार्य मानक या मार्गदर्शन है। वैश्विक स्तर पर, 27% स्कूल भोजन कार्यक्रम अपने डिजाइन और कार्यान्वयन पर सलाह देने के लिए पोषण विशेषज्ञों को नियुक्त नहीं करते हैं।

रिपोर्ट की अनुशंसाएँ

- शिक्षा के साथ अंतर्संबंधों को बेहतर ढंग से समझने के लिए स्कूली बच्चों और किशोरों के पोषण परिणामों पर नजर रखने की आवश्यकता है।
- **गर्भवती महिलाओं के लिए पोषण शिक्षा:** प्रारंभिक जीवन पोषण परिणामों पर केंद्रित पोषण शिक्षा, जिसमें मातृ एवं शिशु कुपोषण से निपटना, गर्भावस्था के दौरान पूरक आहार, पहले छह महीनों के दौरान केवल स्तनपान, तथा इंटरैक्टिव प्रजनन स्वास्थ्य शिक्षा शामिल है, उत्पादक हो सकती है तथा गर्भवती महिलाओं के बीच ज्ञान एवं बेहतर आहार प्रथाओं को बढ़ाने में सहायक हो सकती है।
- **स्वस्थ भोजन जागरूकता अभियान:** प्रभावी जन जागरूकता अभियान का उद्देश्य जनता के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए भोजन के विकल्प के निर्णय लेने में पोषण चेतावनियों के उपयोग को बढ़ावा देना है।
- **अनुभवात्मक शिक्षा:** स्वस्थ, संभारणीय खान-पान की आदतों को बढ़ावा देने के

लिए, पोषण शिक्षा कार्यक्रमों को सैद्धांतिक ज्ञान और अनुभवात्मक शिक्षा, जैसे कि खाना पकाने और बागवानी के माध्यम से, के बीच संतुलन बनाना चाहिए।

- **मीडिया की भूमिका:** खाद्य सुरक्षा और पोषण संबंधी मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफार्मों और मीडिया के माध्यम से संचार में पोषण शिक्षा को शामिल करते हुए साक्ष्य-आधारित अभियान बनाना।
- **स्कूल में पोषण शिक्षा:** पर्याप्त पोषण विशेषज्ञता के साथ विकसित पोषण शिक्षा को स्कूल के भोजन कार्यक्रमों में एकीकृत करना, ताकि आजीवन स्वस्थ और पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ आदतों को बढ़ावा दिया जा सके।
- **व्यावसायिक क्षमता का निर्माण:** पोषण संबंधी ज्ञान और अभ्यास में अंतराल को दूर करने के लिए चिकित्सा, नर्सिंग और सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण में व्यापक पोषण पाठ्यक्रम को एकीकृत करना।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: हाल ही में, 'शिक्षा और पोषण: अच्छी तरह से खाना सीखें रिपोर्ट' किसके द्वारा प्रकाशित की गई?

- | | |
|--------------|---------|
| (a) यूनेस्को | (b) WEF |
| (c) IMF | (d) WHO |


(e) : 2022

चहल एकेडमी द्वारा निःशुल्क पहल



'इंडियन एक्सप्रेस' का एडिटोरियल एनालिसिस

क्यू आर कोड स्कैन करें



समाचारों में चर्चित प्रमुख व्यक्तित्व

ज्योतिराव गोविंदराव फुले

चर्चा में क्यों: प्रधानमंत्री ने महात्मा फुले को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्हें मानवता का सच्चा सेवक बताया।

ज्योतिराव गोविंदराव फुले

प्रारंभिक जीवन और शिक्षा:

- 1827 में पूना, महाराष्ट्र में जन्मे।
- माली जाति से थे।
- परिवार मूल रूप से सतारा जिले का था।
- पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण प्राथमिक शिक्षा बाधित हुई।
- स्कॉटिश मिशन हाई स्कूल, पूना (1841) में दाखिला लिया, जहाँ उनकी मुलाकात सदाशिव बल्लाल गोवांडे जैसे आजीवन ब्राह्मण मित्रों से हुई।
- वे थॉमस पेन की द राइट्स ऑफ़ मैन से प्रभावित थे।



सामाजिक सुधार

- जाति व्यवस्था को चुनौती दी:
 - ◆ शूद्रों और अतिशूद्रों (अछूतों) के अधिकारों की वकालत की।
 - ◆ निम्न जातियों और लड़कियों के लिए स्कूल खोले, शिक्षा को मुक्ति के रूप में महत्व दिया।
- महिलाओं और हाशिए के समूहों के लिए शिक्षा:
 - ◆ अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को शिक्षित किया और पुणे में पहला लड़कियों का स्कूल स्थापित किया (अगस्त 1848)।
 - ◆ 1852 तक तीन लड़कियों के स्कूल और महार और मांग (निम्न जातियों) के लिए स्वदेशी स्कूल स्थापित किए।
 - ◆ हंटर कमीशन (1882) के स्मारक में शिक्षा और प्रशासन में ब्राह्मणों के प्रभुत्व को उजागर किया।
- विधवाओं और अनाथों के लिए समर्थन:
 - ◆ विधवाओं और उनके बच्चों की सुरक्षा के लिए पहला हिंदू-संचालित अनाथालय (1873) स्थापित किया।
 - ◆ एक ब्राह्मण विधवा के बेटे यशवंत को अपना उत्तराधिकारी बनाया।

साहित्यिक योगदान

- गुलामी (1873): ब्राह्मण आधिपत्य और जाति उत्पीड़न की आलोचना की; अमेरिकी उन्मूलनवादियों को समर्पित।
- सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक (1891): समानता, एकता और मूर्तिपूजा/वेदों की अस्वीकृति को बढ़ावा दिया।
- सत्सर (1885): अभिजात्यवाद के लिए ब्रह्मो समाज और प्रार्थना समाज की आलोचना की।

राजनीतिक भागीदारी

- पूना नगर पालिका: एक मनोनीत सदस्य (1876) के रूप में, उन्होंने फिजूलखर्ची का विरोध किया।
- गरीबों का शोषण करने के लिए शराब लाइसेंस विस्तार की आलोचना की।
- ड्यूक ऑफ़ कॉनॉट (1888) को संबोधित किया, ग्रामीण गरीबी और अछूतों की दुर्दशा पर ध्यान देने का आग्रह किया।

प्रारंभिक परीक्षा विशेष

सत्यशोधक समाज

- संस्थापक: ज्योतिबा फुले
- स्थापना: 24 सितंबर, 1873, महाराष्ट्र में।
- उद्देश्य: जाति-आधारित भेदभाव का मुकाबला करना, हाशिए पर पड़े समुदायों (विशेषकर शूद्रों) को सशक्त बनाना और सामाजिक सुधार को बढ़ावा देना।
- मुख्य दर्शन: ब्राह्मणवादी वर्चस्व और चतुर्वर्ण व्यवस्था का विरोध करना तथा समानता, शिक्षा और तर्कसंगत विचार की वकालत करना।
- प्रमुख नेता
 - ज्योतिराव फुले
 - कृष्णराव भालेकर
 - नारायण मेघाजी लोखंडे
 - विश्राम रामजी चोले
 - रामय्या व्यंकय्या अय्यावरु
- भौगोलिक विस्तार: मुख्य रूप से पुणे, बॉम्बे (मुंबई) और पड़ोसी गांवों में सक्रिय।

डॉ. भीम राव अंबेडकर

चर्चा में क्यों: 135वीं अंबेडकर जयंती का समारोह 14 अप्रैल, 2025 को डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन (डीएफ) द्वारा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की ओर से आयोजित किया गया।

डॉ. अंबेडकर के बारे में: भीमराव रामजी अंबेडकर (14 अप्रैल 1891 - 6 दिसंबर 1956), जिन्हें बाबासाहेब के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे, जिन्होंने संविधान सभा की प्रारूप समिति की अध्यक्षता की और भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री थे।



• **प्रारंभिक जीवन**

- डॉ. भीम राव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था, वे अपने माता-पिता की 14वीं और अंतिम संतान थे।
- वे सूबेदार रामजी मालोजी सकपाल के पुत्र थे। उनके पिता ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे। उनके पिता संत कबीर के अनुयायी थे और एक पढ़े-लिखे व्यक्ति भी थे।
- भीम राव अंबेडकर ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा बॉम्बे में प्राप्त की। अपने स्कूल के दिनों से ही उन्हें इस बात का गहरा सदमा लगा कि भारत में अछूत होना क्या होता है।

• **शिक्षा**

- डॉ. अंबेडकर ने बॉम्बे के एल्फिन्स्टन कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई पूरी की, जिसके लिए उन्हें बड़ौदा के महामहिम सयाजीराव गायकवाड़ से छात्रवृत्ति मिल रही थी।
- स्नातक होने के बाद, उन्हें बांड के अनुसार बड़ौदा संस्थान में शामिल होना पड़ा।
- 1913 वह वर्ष है जब डॉ. अंबेडकर को उच्च अध्ययन के लिए अमेरिका जाने के लिए एक विद्वान के रूप में चुना गया था। यह उनके शैक्षिक जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ था।
- उन्होंने 1915 और 1916 में क्रमशः कोलंबिया विश्वविद्यालय से एम.ए. और पी.एच.डी. की डिग्री प्राप्त की।
- इसके बाद वे आगे की पढ़ाई के लिए लंदन चले गए। उन्हें ग्रेज़ इन में लॉ के लिए भर्ती कराया गया और लंदन स्कूल ऑफ़ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में डी.एस.सी. की तैयारी करने की भी अनुमति दी गई।
- उन्हें बड़ौदा के दीवान ने भारत वापस बुलाया। बाद में, उन्होंने बार-एट-लॉ और डी.एस.सी. की डिग्री भी प्राप्त की।
- उन्होंने कुछ समय तक जर्मनी के बॉन विश्वविद्यालय में अध्ययन किया।

• **बौद्धिक कार्य**

- 1916 में, उन्होंने 'भारत में जातियाँ - उनका तंत्र, उत्पत्ति और विकास' पर एक निबंध पढ़ा।
- 1916 में, उन्होंने अपनी थीसिस, 'भारत के लिए राष्ट्रीय लाभांश - एक ऐतिहासिक और विश्लेषणात्मक अध्ययन' लिखी और अपनी पीएच.डी. की डिग्री प्राप्त की।
- यह आठ साल बाद "ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास" शीर्षक के तहत प्रकाशित हुआ।
- 1921 में, उन्होंने अपनी थीसिस लिखी। "ब्रिटिश भारत में शाही वित्त का प्रांतीय विकेंद्रीकरण" और लंदन विश्वविद्यालय से एम.एस.सी. की डिग्री प्राप्त की।
- 1923 में, उन्होंने डी.एस.सी. की डिग्री के लिए अपनी थीसिस - "रूपये की समस्या, इसकी उत्पत्ति और समाधान" प्रस्तुत की।
- उन्होंने अपनी पुस्तक, हू वर शूद्र? (Who were Shudras) प्रकाशित की।
- 1955 में, उन्होंने थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स नामक अपनी पुस्तक प्रकाशित की।

• **सामाजिक और सुधार कार्य**

- 1924 में इंग्लैंड से वापस आने के बाद, उन्होंने दलित वर्गों के कल्याण के लिए एक एसोसिएशन की शुरुआत की, जिसके अध्यक्ष सर चिमनलाल सीतलवाड़ और अध्यक्ष डॉ. अंबेडकर थे।
- ◆ शिक्षा का प्रसार करना, आर्थिक स्थितियों में सुधार करना और दलित वर्गों की शिकायतों का प्रतिनिधित्व करना एसोसिएशन के तात्कालिक उद्देश्य थे।

- उन्होंने नए सुधारों के मद्देनजर दलित वर्गों के मुद्दों को संबोधित करने के लिए 1927 में 'बहिष्कृत भारत' अखबार शुरू किया।
- 1936 में, उन्होंने बॉम्बे प्रेसीडेंसी महार सम्मेलन को संबोधित किया और हिंदू धर्म के त्याग की वकालत की।
- 15 अगस्त, 1936 को, उन्होंने दलित वर्गों के हितों की रक्षा के लिए स्वतंत्र लेबर पार्टी का गठन किया, जो कि ज्यादातर श्रमिक आबादी थी।

• **राजनीतिक यात्रा**

- 1942 में उन्हें भारत के गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में श्रम सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया।
- 1946 में वे बंगाल से संविधान सभा के लिए चुने गए।
- स्वतंत्रता के बाद, 1947 में, उन्हें नेहरू की पहली कैबिनेट में कानून और न्याय मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया।
- 1951 में, उन्होंने कश्मीर मुद्दे, भारत की विदेश नीति और हिंदू कोड बिल के प्रति नेहरू की नीति पर अपने मतभेद व्यक्त करते हुए अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया।
- उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। केंद्रीय बैंक का गठन हिल्टन यंग कमीशन के समक्ष उनके द्वारा प्रस्तुत अवधारणा पर किया गया था।

• **बौद्ध धर्म से नाता**

- 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में एक ऐतिहासिक समारोह में उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया।
- उन्हें 1954 में नेपाल के काठमांडू में "जगतिक बौद्ध धर्म परिषद" में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा "बोधिसत्व" की उपाधि प्रदान की गई थी।
- खास बात यह है कि डॉ. अंबेडकर को बोधिसत्व की उपाधि उनके जीवित रहते ही प्रदान की गई थी।
- डॉ. बी.आर. अंबेडकर की पुण्यतिथि को पूरे देश में महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है।

डॉ. के. कस्तूरीरंगन

चर्चा में क्यों: हाल ही में, इसरो के विभिन्न सफल मिशनों के पीछे के व्यक्ति, एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, शिक्षाविद् और पर्यावरणविद् डॉ. कस्तूरीरंगन का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया।

प्रारंभिक जीवन

- डॉ. के. कस्तूरीरंगन का जन्म 1940 में केरल में हुआ था।
- उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से भौतिकी में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और बाद में अहमदाबाद स्थित भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला से प्रायोगिक उच्च-ऊर्जा खगोल विज्ञान में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की।



के. कस्तूरीरंगन का उल्लेखनीय योगदान

अंतरिक्ष क्षेत्

- इसरो में अपने शुरुआती वर्षों के दौरान, उन्होंने इसरो की कई प्रमुख परियोजनाओं पर काम किया, जैसे कि इनसैट, आईआरएस-1ए, आईआरएस-1बी और भास्कर I और II।
- वे 1994 से 2003 तक इसरो के अध्यक्ष रहे।

- उनके नेतृत्व में इसरो ने पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (पीएसएलवी) के संचालन और जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (जीएसएलवी) के सफल उड़ान परीक्षण को देखा।
- उन्होंने भारत की पहली अंतरिक्ष-आधारित उच्च-ऊर्जा खगोल विज्ञान वेधशाला की अवधारणा बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

शिक्षा

- डॉ. के. कस्तूरीरंगन ने नई शिक्षा नीति के लिए गठित समिति का भी नेतृत्व किया, जिसने नई शिक्षा नीति, 2020 का मसौदा प्रस्तुत किया, जो अंततः नई शिक्षा नीति, 2020 बन गई।
- 1986 की 34 साल पुरानी एनईपी की जगह लेते हुए, यह सभी स्तरों पर गुणवत्ता, समानता और शिक्षा तक पहुँच में अंतर को पाटने पर केंद्रित है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न

प्रश्न. प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉ. कृष्णस्वामी कस्तूरीरंगन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. वे 1994 से 2003 तक इसरो के अध्यक्ष थे।
2. उन्होंने पश्चिमी घाटों के संरक्षण पर उच्च स्तरीय कार्य समूह का नेतृत्व किया।
3. वे नई शिक्षा नीति, 2020 समिति के मसौदा के अध्यक्ष थे।

उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं?

- (a) केवल एक (b) केवल दो
(c) उपर्युक्त सभी (d) इनमें से कोई नहीं

(c) : 2022

माता कर्मा

चर्चा में क्यों: हाल ही में, डाक विभाग ने माता कर्मा की 1009वीं जयंती के अवसर पर उनके सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है।

मुख्य विवरण:

- माता कर्मा भगवान कृष्ण के प्रति अपनी दृढ़ भक्ति और वंचित समूहों के उत्थान तथा सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने के अपने निरंतर प्रयासों के लिए प्रसिद्ध हैं।
- उन्होंने अपनी भक्ति यात्रा के दौरान पवित्र शहर पुरी में भगवान कृष्ण का आशीर्वाद लिया।
- माता कर्मा का प्रभाव उनके धार्मिक उत्साह से परे है।



- एक समाज सुधारक के रूप में, उन्होंने अपने युग के सख्त सामाजिक मानदंडों पर सवाल उठाया और महिलाओं को सशक्त बनाया।
- उनकी शिक्षाओं ने उन गुणों पर जोर दिया जो आज भी आधुनिक समाज में व्याप्त हैं, जैसे करुणा, निस्वार्थ सेवा और आध्यात्मिक शुद्धता।
- उनका जीवन भावी पीढ़ियों को सामाजिक मतभेदों को दूर करने और समानता और एकता को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करता है।
- उनकी विरासत भौगोलिक सीमाओं से परे है, जो सेवा की ताकत और विश्वास की सार्वभौमिकता को दर्शाती है।
- हम माता कर्मा के जीवन से सीखते हैं कि सेवा और भक्ति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और यह कि वास्तविक विश्वास सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने और दूसरों के उत्थान में प्रकट होता है।

चहल एकेडमी द्वारा निःशुल्क पहल

'द हिंदू' और 'इंडियन एक्सप्रेस' से 10 बहुविकल्पीय प्रश्नों की दैनिक प्रश्नोत्तरी

क्यू आर कोड स्कैन करें



'योजना' से महत्वपूर्ण आलेख (अप्रैल 2025)

भारत के निर्यात के लिए कौशल बढ़ाना

परिचय:

भारत एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है, जहाँ निर्यात-आधारित विकास रणनीति को अपनाने से इसकी आर्थिक नियति में महत्वपूर्ण बदलाव आ सकता है। डिजिटल कौशल का लाभ उठाना, औद्योगिक क्षमता बढ़ाना और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (जीवीसी) में एक विश्वसनीय भागीदार बनना भारत को एक अग्रणी निर्यात शक्ति में बदल सकता है। 20 ट्रिलियन डॉलर के आर्थिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, निम्नलिखित पर केंद्रित प्रयास किए जाने चाहिए:

- हरित एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी
- उच्च-मूल्य विनिर्माण
- बुनियादी ढांचे में सुधार
- एमएसएमई का सशक्तिकरण

वैश्विक और भारतीय निर्यात में वर्तमान रुझान:

(i) वैश्विक व्यापार परिदृश्य: - पिछले वर्ष वैश्विक वस्तु व्यापार की वृद्धि दर घटकर 2% रह गई।

(ii) भारत का निर्यात प्रदर्शन:

- गैर-पेट्रोलियम निर्यात में 7% की वृद्धि हुई, जिसके प्रमुख कारण थे:
 - रसायन
 - इलेक्ट्रॉनिक्स
 - इंजीनियरिंग उत्पाद
 - फार्मास्युटिकल्स
- इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 11 बिलियन अमेरिकी डॉलर (वित्त वर्ष 21) से बढ़कर 26 बिलियन अमेरिकी डॉलर (वित्त वर्ष 25) हो गया।
- कपड़ा निर्यात में भी 7.6% की वृद्धि हुई (वित्त मंत्रालय, 2025)।
- सहायक कारकों में शामिल हैं:
 - प्रोत्साहन-आधारित नीतियाँ
 - बेहतर नियामक ढाँचे

वैश्विक उदाहरणों से सबक

- चीन, दक्षिण कोरिया और वियतनाम जैसे देश आर्थिक समृद्धि पर निर्यात आधारित विकास के सकारात्मक प्रभाव पर प्रकाश डालते हैं।
- भारत को चाहिए कि:
 - अपनी सेवाओं और पूंजी-गहन निर्भरता से आगे बढ़ना।
 - अपनी श्रम शक्ति का लाभ उठाना।
 - बहुराष्ट्रीय निगमों (एमएनसी) को आकर्षित करना।
 - 200 मिलियन से अधिक उच्च गुणवत्ता वाले रोजगार सृजित करना।

निर्यात-प्रधान भारत ही भविष्य है?

(i) रोजगार सृजन और समावेशी विकास

- निर्यात उद्योग रोजगार सृजन करते हैं, अल्परोजगार की समस्या का समाधान करते हैं।
- पीएलआई योजनाओं ने स्मार्टफोन निर्माण और रोजगार सृजन को बढ़ावा दिया।
- निर्यात-उन्मुख विकास टियर 2 और टियर 3 शहरों में औद्योगीकरण को बढ़ावा देता है, खासकर तमिलनाडु, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में।

(ii) तकनीकी और प्रतिस्पर्धात्मक लाभ

- वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भागीदारी सक्षम बनाती है: प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, उच्च उत्पादकता और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता।

(iii) भू-राजनीतिक सॉफ्ट पावर

- निर्यात बढ़ाने से आर्थिक कूटनीति और द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा मिलता है, खासकर आसियान और अमेरिका के साथ।
- नवीकरणीय और हरित ऊर्जा जैसे उभरते क्षेत्र वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन का नेतृत्व कर सकते हैं।

भारत की निर्यात वृद्धि के लिए चुनौतियाँ

(i) बुनियादी ढांचे और रसद बाधाएँ

- उच्च रसद लागत
- अपर्याप्त व्यापार अवसंरचना
- पीएम गति शक्ति के बावजूद, भारत की रसद लागत-से-जीडीपी उच्च बनी हुई है।
- इसमें शामिल हैं:
 - बंदरगाह पर भीड़भाड़
 - कंटेनर की कमी
 - अंतिम मील तक खराब कनेक्टिविटी

(ii) निर्यात पोर्टफोलियो सीमाएँ

- इन पर अत्यधिक निर्भरता:
 - आईटी सेवाएँ
 - पेट्रोलियम उत्पाद
 - रत्न और आभूषण
- हरित ऊर्जा निर्यात अभी भी अविकसित है।
- कृषि और वस्त्र उद्योग में मूल्य वर्धित निर्यात की कमी।

(iii) वैश्विक और घरेलू व्यापार बाधाएँ

- संरक्षणवाद, कराधान और भू-राजनीतिक व्यवधान (जैसे, रूस-यूक्रेन युद्ध)
- नई चुनौतियाँ:
 - कार्बन टैरिफ
 - विकसित देशों में पर्यावरण मानदंड

(iv) एमएसएमई के समक्ष आने वाली बाधाएं

- निर्यात ऋण तक सीमित पहुंच
- जटिल वित्तीय नियम
- निर्यात योजनाओं के बारे में जागरूकता की कमी
- गैर-टैरिफ बाधाओं (एनटीबी) के कारण उच्च अनुपालन लागत
- अमेरिकी सीमा शुल्क ने सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी मुद्दों के कारण 5 वर्षों में 3,925 भारतीय शिपमेंट को अस्वीकार कर दिया।

निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकारी पहल

(i) निर्यात संवर्धन मिशन (2,250 करोड़ रुपये)

- निर्यात वित्त तक पहुँच बढ़ाना
- एनटीबी को खत्म करना
- संरचनात्मक और क्षेत्रीय बाधाओं को दूर करना

(ii) भारत ट्रेडनेट और डिजिटल सुधार

- व्यापार दस्तावेज़ीकरण और वित्तीय लेनदेन के लिए एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म
- सिंगापुर और यूरोपीय संघ की प्रणालियों से प्रेरित
- लागत में कमी और पारदर्शिता के लिए वास्तविक समय की निगरानी

(iii) बुनियादी ढांचा विकास

- ध्यान केंद्रित करना:
 - एयर कार्गो में सुधार
 - भूस्थानिक डेटा एकीकरण
 - उद्देश्य: व्यापार से संबंधित लागत कम करना और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में सुधार करना

(iv) कौशल विकास और डिजिटल सशक्तिकरण

- पुनर्संयोजित कौशल भारत मिशन (2025) का लक्ष्य:
 - रोजगार सृजन
 - निर्यात-तैयारी
 - विनिर्माण और डिजिटल क्षेत्रों के लिए समर्थन

निर्यात वृद्धि और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने की रणनीतियाँ

(i) व्यापार अवसंरचना और आपूर्ति श्रृंखला सुदृढीकरण

- मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी में सुधार के लिए पीएम गति शक्ति, भारतमाला और सागरमाला
- इसे अपनाना:
 - AI-आधारित सीमा शुल्क प्रणाली
 - बंदरगाहों के पास निर्यात केंद्र

(ii) उच्च मूल्य विनिर्माण और प्रौद्योगिकी निर्यात

- पारंपरिक वस्तुओं से परे विविधता लाने के लिए निम्नलिखित को बढ़ावा दें:
 - इलेक्ट्रॉनिक्स
 - सौर उपकरण
 - इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी)
- हरित प्रौद्योगिकियों की वैश्विक मांग का लाभ उठाना।

(iii) व्यापार समझौतों का लाभ उठाना

- निम्नलिखित के माध्यम से बाजार का विस्तार करना:
 - भारत-ऑस्ट्रेलिया ईसीटीए
 - भारत-यूईई सीईपीए
- गैर-पारंपरिक बाजारों का अन्वेषण करना: लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, ओशिनिया

(iv) एमएसएमई को सशक्त बनाना

- एमएसएमई भारत के निर्यात में 45% से अधिक का योगदान देते हैं
- एकीकृत:
 - RAMP के साथ संबंध
 - कम ब्याज दर पर निर्यात वित्त
 - GeM के माध्यम से वैश्विक पहुँच
- गुणवत्ता और लागत दक्षता के लिए स्वचालन, रोबोटिक्स, एआई को बढ़ावा देना

(v) उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) का विस्तार

- प्रेसिजन मशीनरी जैसे उभरते क्षेत्रों को कवर करना।
- डिजिटल इंडिया को स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के साथ मिलाना।
- MNCs के साथ संयुक्त उद्यमों को समर्थन देना:
 - एफडीआई
 - प्रौद्योगिकी तक पहुंच

नवाचार और अनुसंधान एवं विकास के माध्यम से भविष्य की प्रतिस्पर्धात्मकता

(i) तकनीकी प्रगति में निवेश

- 20,000 करोड़ रुपये आवंटित:
 - AI
 - सेमीकंडक्टर
 - भूस्थानिक प्रौद्योगिकियाँ
- लक्ष्य:
 - युवाओं को भविष्य के लिए तैयार कौशल से परिपूर्ण करना।
 - नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करना।

(ii) विनियामक और गुणवत्ता ढांचे में सुधार

- घरेलू परीक्षण और प्रमाणन प्रणाली स्थापित करना।
- व्यापारिक भागीदारों के साथ पारस्परिक मान्यता समझौते (एमआरए) पर हस्ताक्षर करना।
- निर्यात परिषदों के साथ भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) को भागीदार बनाना।

(iii) डिजिटल व्यापार और ई-कॉमर्स का उपयोग

- सीमा पार डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना।
- भारतीय विक्रेताओं को वैश्विक प्लेटफॉर्म में एकीकृत करना।
- डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क (ONDC) का लाभ उठाना।

(iv) “ब्रांड इंडिया” का निर्माण

- निम्नलिखित को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक जागरूकता अभियान:
 - भारतीय सामान और सेवाएँ
 - गुणवत्ता और प्रामाणिकता

कुशल कार्यबल और सेवा निर्यात का विस्तार

- निम्नलिखित क्षेत्रों में भारतीय पेशेवरों को प्रशिक्षित करना:
 - स्वास्थ्य सेवा
 - आईटी
 - निर्माण
- निम्नलिखित समस्याओं का सामना कर रहे देशों के साथ सहयोग करना:
 - श्रम की कमी
 - वृद्ध आबादी
- कौशल विकास को मेजबान देश की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना।

निष्कर्ष

वैश्विक निर्यात में अग्रणी बनने का भारत का मार्ग बहुआयामी रणनीति पर टिका है: प्रौद्योगिकी अपनाना, निर्यात विविधीकरण, विनियामक सुधार और मानव पूंजी विकास। भविष्य की सफलता इन पर निर्भर करेगी: सुसंगत नीति क्रियान्वयन, डिजिटलीकरण, हरित विकास पद्धतियां और रणनीतिक वैश्विक भागीदारी सभी हितधारकों - सरकार, उद्योग और नागरिक समाज - को एकजुट करके भारत समावेशी, टिकाऊ और लचीले निर्यात-आधारित आर्थिक विकास को आगे बढ़ा सकता है।

परिवर्तन का एक दशक और आगे की राह: कौशल भारत मिशन और कौशल का भविष्य

परिचय

2015 में शुरू किए गए कौशल भारत मिशन ने मानव पूंजी विकास के लिए भारत के दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिह्नित किया। इसका उद्देश्य युवाओं के कौशल सेट और उद्योग की मांगों के बीच बेमेल को दूर करना था। पिछले एक दशक में, यह एक समग्र, समावेशी और प्रौद्योगिकी-संचालित पारिस्थितिकी तंत्र में बदल गया है, जिसने भारत के कार्यबल को राष्ट्रीय लक्ष्यों और वैश्विक अवसरों के साथ जोड़ा है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) के अनुसार, 2015 से विभिन्न योजनाओं के तहत 5 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया है। आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत @2047 के व्यापक ढांचे के भीतर निहित यह विशाल अपस्किनिंग घटका, भारत की "विश्व की कौशल राजधानी" के रूप में उभरने की आकांक्षा को दर्शाता है।

एक मजबूत कौशल ढांचा तैयार करना:

(i) संस्थागत सुधार:

- कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई): 20 से अधिक खंडित कौशल कार्यक्रमों को समेकित करने के लिए 2014 में बनाया गया।
- राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन (एनएसडीएम): संरचित, मापनीय और टिकाऊ तरीके से कौशल प्रशिक्षण को संचालित करने के लिए 2015 में शुरू किया गया

(ii) नीति एकीकरण:

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020:
 - कक्षा 6 से व्यावसायिक एकीकरण पर जोर दिया जाता है।
 - क्रेडिट आधारित कौशल सीखने के साथ बहु-विषयक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाता है।
- राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ), 2023:
 - औपचारिक शिक्षा और कौशल पथों के बीच गतिशीलता को सुगम बनाता है।

- आईटीआई छात्रों के लिए अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी) और अकादमिक समकक्षता की शुरुआत की गई।

उद्योग संपर्क और प्रशिक्षुता विस्तार

(i) उद्योग संपर्क को मजबूत करना

- 100 से अधिक उद्योग परामर्शों के परिणामस्वरूप बाजार की जरूरतों के अनुरूप पाठ्यक्रम संशोधित किया गया।
- प्रारंभ करना:
 - आईटीआई में प्रशिक्षण की दोहरी प्रणाली (डीएसटी)।
 - अनुकूलित प्रशिक्षण को सक्षम करने के लिए लचीले समझौता ज्ञापन।

(ii) प्रशिक्षुता पारिस्थितिकी तंत्र का पुनरुद्धार

- राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस):
 - 50,000 से अधिक प्रतिष्ठानों में 42 लाख से अधिक प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया गया।
 - प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) पारदर्शिता सुनिश्चित करता है।


(iii) त्वरित रोजगार विकास कार्यक्रम (एईडीपी)

- उच्च विकास वाले क्षेत्रों में कौशल विकास को गति प्रदान करना।
- उद्योग साझेदार: सैमसंग, डसॉल्ट, आईबीएम, माइक्रोसॉफ्ट ने विशेष मॉड्यूल का सह-विकास किया है।

प्रौद्योगिकी और डिजिटल कौशल को अपनाना

(i) स्किल इंडिया डिजिटल हब (एसआईडीएच)

राइफलस्कोप मार्केट डायनेमिक्स अवलोकन



- AI/VR-संचालित शिक्षण, कैरियर मैपिंग।
- पोर्टेबल क्रेडेंशियल के साथ डिजिटल कौशल कार्ड।
- कौशल ग्रहण और रोजगार योग्यता पर वास्तविक समय विश्लेषण

(ii) फोकस क्षेत्र

- उभरते क्षेत्रों में कौशल विकास:
 - आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI)
 - इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT)
 - इलेक्ट्रिक वाहन (EV)
 - नवीकरणीय ऊर्जा (ग्रीन हाइड्रोजन)
- एआई कौशल तक पहुंच के लिए गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया के साथ साझेदारी।

एमएसएमई अब छठे गियर में चल रहे हैं

एमएसएमई निर्यात में 45% का योगदान देते हैं, 7.5 करोड़ रोजगार सृजित करते हैं!

राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन: छोटे से लेकर बड़े उद्योगों को बढ़ावा!

एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी कवर बढ़ाया गया



प्रभाव

यह बजट स्टार्टअप और एमएसएमई को बेहतर वित्तीय सहायता प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाता है, नवाचार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है!

केंद्रीय

बजट

2025-26

मखाना को एक वैश्विक सुपरफूड बनाना

बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी



मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन पर ध्यान केंद्रित करना



प्रभाव

किसानों को सशक्त बनाना, वैश्विक निर्यात का विस्तार करना


कौशल का अंतर्राष्ट्रीयकरण:

(i) वैश्विक कार्यबल मांग

- 16 देशों में 3.7 मिलियन नौकरियों की पहचान की गई (2023 अध्ययन)।
- फोकस देश: जापान, जर्मनी, यूएई, इज़राइल, ऑस्ट्रेलिया

(ii) वैश्विक गतिशीलता के लिए बुनियादी ढांचा

- 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर (एसआईआईसी): प्रमाणन, विदेशी भाषा प्रशिक्षण और सॉफ्ट स्किल्स प्रदान करते हैं।
- भारत की वर्ल्ड स्किल्स रैंक 39वीं (2011) से बढ़कर 13वीं (2024) हो गई है, जो प्रतिस्पर्धात्मकता को दर्शाता है।



अवसंरचना में सुधार के माध्यम से भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना

पुराना अवसंरचना और अकुशलताएं प्रतिस्पर्धात्मकता में बाधा डालती हैं।



निर्यात के लिए लागत कम होगी और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी।

समावेशी वित्तपोषण और योजना अभिसरण:

(i) बजटीय प्रतिबद्धता

- केंद्रीय बजट 2024-25 में ₹18,800 करोड़ आवंटित किए गए।
- 1,000 आईटीआई और पांच राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों का उन्नयन।

(ii) नवीन वित्तपोषण उपकरण

- कौशल ऋण: व्यावसायिक पाठ्यक्रमों तक किफायती पहुँच।
- कौशल प्रभाव बांड (एसआईबी): परिणाम-आधारित वित्तपोषण।
- कौशल वाउचर: शिक्षार्थी-केंद्रित, मांग-संचालित प्रशिक्षण।

(iii) योजना एकीकरण

- 38 केंद्रीय + 133 राज्य योजनाओं को अभिसरण के लिए SIDH पर एकीकृत किया गया।
- एकीकृत निगरानी से दोहराव समाप्त होता है और पारदर्शिता बढ़ती है।

पारंपरिक और ग्रामीण कौशल का पुनरुद्धार:

(i) पीएम विश्वकर्मा योजना

- 18 पारंपरिक व्यवसायों (मज़दूरी, बढईगीरी, लोहार) को सहायता प्रदान करता है।
- कारीगरों को टूलकिट, ऋण और प्रशिक्षण प्रदान करता है।

(ii) शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस)

- विरासत शिल्प का एकीकरण जैसे:
 - बसोहली पेंटिंग

- शॉल बुनाई
- हाथ की कढ़ाई
- पेपर माचे
- कौशल विकास निदेशालय, जम्मू-कश्मीर के साथ साझेदारी में कार्यान्वित किया गया।

(iii) ग्रामीण एवं जनजातीय कौशल

- पीएम-जनमन और वन धन योजना आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाती है।
- NIESBUD द्वारा संचालित कौशल कार्यक्रम मूल्य संवर्धन और बाजार संपर्क में सुधार करते हैं।

डेटा-संचालित और भविष्य-उन्मुख योजना

- एमएसडीई ने एनसीएईआर के साथ मिलकर लॉजिस्टिक्स, ग्रीन इकॉनमी और डिजिटल सेवाओं जैसे विकास क्षेत्रों में क्षेत्रीय कौशल अंतराल की पहचान की।
- वास्तविक समय की मांग के साथ प्रशिक्षण आपूर्ति को संरेखित करने के लिए MoSPI और MoLE सर्वेक्षणों के साथ कौशल-संबंधी डेटा का एकीकरण। नौकरी के पूर्वानुमान और पाठ्यक्रम डिजाइन के लिए एआई और भविष्य कहनेवाला विश्लेषण का उपयोग।

प्रमुख चुनौतियाँ और भविष्य की रूपरेखा:

चुनौतियाँ	आगे की राह
खंडित वितरण	स्केल इंडिया डिजिटल हब का पूर्ण परिचालन
शहरी-ग्रामीण विभाजन	ग्रामीण कौशल विकास केन्द्रों को मजबूत बनाना

प्रशिक्षण के बाद रोजगार की कम संभावना	प्रशिक्षुता और कार्यस्थल पर सीखने को बढ़ावा देना
धारणा संबंधी मुद्दे	आकांक्षापूर्ण कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय अभियान
प्रमाणन बेमेल	NSQF की वैश्विक बेंचमार्किंग

नीतिगत अनुशंसाएँ

- कौशल विकास को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता: समवर्ती सूची में शामिल करने पर विचार करना।
- एमएसएमई और गिग इकॉनमी के साथ लिंक: कौशल विकास को अनौपचारिक और प्लेटफॉर्म आधारित रोजगार के बढ़ते अवसरों को बढ़ावा देना चाहिए।
- कौशल विश्वविद्यालय विस्तार: परिणाम आधारित, उद्योग संचालित पाठ्यक्रम पर ध्यान केंद्रित करना।

निष्कर्ष


पिछले दशक में, कौशल भारत मिशन एक व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में विकसित हुआ है जो शिक्षा, प्रौद्योगिकी, उद्योग और समावेशन को जोड़ता है। इसने न केवल 5 करोड़ से अधिक युवाओं को सशक्त बनाया है, बल्कि 2047 में विकसित भारत के लिए एक मजबूत नींव भी रखी है। चूंकि भारत एक वैश्विक कौशल केंद्र बनने की आकांक्षा रखता है, इसलिए आने वाले दशक को गहन डिजिटल एकीकरण, वैश्विक प्रमाणन और एआई, ग्रीन टेक और वैश्विक व्यापार में बड़े पैमाने पर कौशल विकास द्वारा चिह्नित किया जाना चाहिए।

चहल एकेडमी द्वारा निःशुल्क पहल



'इंडियन एक्सप्रेस' में क्या पढ़ें?

क्यू आर कोड स्कैन करें



'कुरुक्षेत्र' से महत्वपूर्ण आलेख (अप्रैल 2025)

ग्रामीण भारत को मजबूत बनाना: पंचायतों में क्षमता निर्माण की शक्ति

परिचय

73वें संविधान संशोधन के माध्यम से शासन के विकेंद्रीकरण ने पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) को जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक निकायों के रूप में सशक्त बनाया। हालाँकि, प्रभावी हस्तांतरण के लिए संरचनात्मक सुधारों से कहीं अधिक की आवश्यकता होती है - इसके लिए निरंतर क्षमता निर्माण की आवश्यकता होती है। यह लेख बताता है कि कैसे लक्षित प्रशिक्षण, नेतृत्व विकास, संस्थागत सहयोग और संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) जैसी अभिनव योजनाओं ने पीआरआई की क्षमता को मजबूत किया है, जिससे वे सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के साथ तालमेल बिठाने और ग्रामीण भारत में शासन की कमी को पाटने में सक्षम हुए हैं।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ:

(i) संवैधानिक आधार

- 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1993 ने भाग IX (अनुच्छेद 243 से 243-O) के अंतर्गत PRI को संस्थागत रूप दिया।
- अनुच्छेद 243G और 11वीं अनुसूची आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं की योजना बनाने और उन्हें लागू करने के लिए पीआरआई को 29 कार्यात्मक क्षेत्र प्रदान करती है।

(ii) क्षमता निर्माण की आवश्यकता

- जागरूकता, कौशल और संसाधनों के बिना सशक्तिकरण पीआरआई की प्रभावकारिता को सीमित करता है।
- प्रभावी कामकाज के लिए तकनीकी, प्रबंधकीय, वित्तीय और भागीदारीपूर्ण शासन क्षमताओं की आवश्यकता होती है।

पेरिस में क्षमता निर्माण का महत्व

आयाम	प्रासंगिकता
लोकतांत्रिक भागीदारी	जागरूक नागरिक और प्रतिनिधि उत्तरदायी शासन सुनिश्चित करते हैं।
प्रशासनिक दक्षता	अच्छी तरह प्रशिक्षित पंचायती राज संस्थाएं योजना, बजट और क्रियान्वयन को सुव्यवस्थित बनाती हैं।
जवाबदेही और पारदर्शिता	स्थानीय जवाबदेही तंत्र को बढ़ाता है और लीकेज को कम करता है।
सतत विकास लक्ष्यों के साथ अभिसरण	कुशल पंचायती राज संस्थाएं सतत विकास लक्ष्य 3, 5, 6, 11 और 16 जैसे लक्ष्यों का स्थानीयकरण सुनिश्चित करती हैं।
सामाजिक स्वामित्व	शासन में महिलाओं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा हाशिए पर पड़े समूहों को शामिल करने को बढ़ावा देता है।

क्षमता निर्माण के लिए संस्थागत ढांचा

(i) राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान (आरजीपीएसए): (2012-2016)

- फोकस:** बुनियादी ढांचा, प्रशिक्षण और ई-सक्षमता।
- 11.19 मिलियन प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया (2014-2018)।

(ii) क्षमता निर्माण-पंचायत सशक्तिकरण अभियान (सीबी-पीएसए):

- जमीनी स्तर पर वितरण तंत्र पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हुए आरजीपीएसए को आगे बढ़ाया।

(iii) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए): (2018-2022)

- निर्वाचित प्रतिनिधियों (ई.आर.) और पदाधिकारियों के लिए प्रशिक्षण सहायता शुरू की गई।
- आकांक्षी जिलों और पंचायत संसाधन केंद्रों (पीआरसी) पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- 2018-22 के बीच 14.24 मिलियन प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया।

संशोधित आरजीएसए (2022-2026): एक आदर्श बदलाव

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए)

- केबिनेट ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की संशोधित केंद्र प्रायोजित योजना को जारी रखने की मंजूरी दी
- योजना का कुल वित्तीय परिचय 5911 करोड़ रुपये है
- 2.78 लाख ग्रामीण स्थानीय निकायों को सतत विकास लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी



पंचायती राज

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण पहल जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा



स्वास्थ्य और टीकाकरण



घोषण



शिक्षा



स्वच्छता



जल संरक्षण



ग्राम पंचायत विकास योजना



स्थानीय स्वशासन



SC/ST एवं अन्य कमजोर समूहों का कल्याण आदि

(i) उद्देश्य:

- पंचायती राज संस्थाओं को स्थानीय शासन के प्रभावी संस्थानों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाना।
- स्थानीयकरण और डेटा-आधारित नियोजन के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों के साथ संरेखण सुनिश्चित करना।

(ii) मुख्य रणनीतियाँ:

- वार्षिक प्रशिक्षण कैलेंडर का उपयोग करके निरंतर क्षमता निर्माण।
- ई-ग्राम स्वराज और मिशन अंत्योदय डैशबोर्ड के माध्यम से डिजिटलीकरण।
- समावेशन पर ध्यान केंद्रित करना, विशेष रूप से महिलाओं और एससी/एसटी प्रतिनिधियों का।

नेतृत्व एवं प्रबंधन विकास: जमीनी स्तर पर शासन में बदलाव

(i) नेतृत्व विकास कार्यक्रम (एमडीपी)

- पंचायती राज मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित के सहयोग से शुरू किया गया:
 - आईआईएम (अहमदाबाद, रोहतक, शिलांग, अमृतसर, जम्मू, बोधगया)
 - आईआईटी धनबाद
 - आईआरएमए (आनंद)
- फोकस क्षेत्र:
 - नेतृत्व और टीम निर्माण
 - परियोजना प्रबंधन
 - वित्तीय और ग्रामीण नवाचार
 - परिवर्तन प्रबंधन

(ii) अनुरूपित शिक्षण मॉडल

- मॉड्यूल राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलन योग्य हैं, जिससे प्रासंगिक शासन सक्षम होता है।
- जनवरी 2024 में IIM अहमदाबाद में आयोजित पहला MDP संस्थागत अभिसरण को दर्शाता है।

क्षमता वितरण के लिए संस्थागत पारिस्थितिकी तंत्र

संस्था	भूमिका
एमओपीआर	आरजीएसए के अंतर्गत नीतिगत ढांचा और वित्तपोषण
एनआईआईआरडीपीआर (हैदराबाद)	सर्वोच्च राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान
एसआईआईआरडी (राज्य संस्थान)	अनुकूलित राज्य स्तरीय प्रशिक्षण
पंचायत संसाधन केंद्र	स्थानीय स्तर पर ज्ञान साझाकरण और तकनीकी केंद्र
लाइन (LINE) विभाग	क्षेत्रीय प्रशिक्षण प्रदान करें (जैसे, जल, स्वास्थ्य, कृषि)

क्षमता निर्माण में चुनौतियाँ:

- (i) राज्यों में विविधता - पीआरआई विकास और विकेंद्रीकरण के विभिन्न स्तर।
- (ii) प्रतिनिधियों में कम साक्षरता - विशेष रूप से महिलाओं और एससी/एसटी ईआर में।
- (iii) अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा - कई पंचायतों और एसआईआईआरडी/पीआरसी में।
- (iv) सीमित तकनीक अपनाना - कम डिजिटल साक्षरता ई-ग्रामस्वराज जैसे उपकरणों के उपयोग में बाधा डालती है।
- (v) खराब अभिसरण - लाइन विभागों और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के साथ।

भविष्य का रोडमैप: अनुशंसाएँ

- (i) सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण: विकेंद्रीकृत डेटा प्रबंधन और परिणाम-आधारित योजना पर पीआरआई को प्रशिक्षित करना।
- (ii) प्रौद्योगिकी एकीकरण: दूरदराज के पंचायतों के लिए ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म, मोबाइल ऐप और स्थानीय भाषा की सामग्री का विस्तार करना।
- (iii) लैंगिक संवेदनशीलता: लैंगिक समानता, सुरक्षा ऑडिट और महिलाओं के लिए नेतृत्व की भूमिका पर अनिवार्य मॉड्यूल।
- (iv) प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन: क्षमता निर्माण को प्रदर्शन-आधारित अनुदान प्रणालियों (जैसे 15वें वित्त आयोग) से जोड़ना।
- (v) युवा और नवाचार केंद्र: पीआरसी में ग्रामीण शासन प्रयोगशालाओं और नवाचार प्रकोष्ठों को बढ़ावा देना।

निष्कर्ष

73वें संशोधन की भावना समुदायों को खुद पर शासन करने के लिए सशक्त बनाने में निहित है। हालाँकि, इस आदर्श को केवल संरचित, निरंतर और समावेशी क्षमता निर्माण के माध्यम से ही साकार किया जा सकता है। आरजीएसए और एमडीपी जैसी पहल उत्तरदायी, जिम्मेदार और नवोन्मेषी पंचायतों के निर्माण में महत्वपूर्ण हैं। पर्याप्त प्रशिक्षण, संस्थागत सहयोग और प्रौद्योगिकी के साथ, पीआरआई वास्तव में परिवर्तन के एजेंट बन सकते हैं, भारत के ग्रामीण परिवर्तन को आगे बढ़ा सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि विकसित भारत @2047 की यात्रा में कोई भी पीछे न छूटे।

पंचायती राज व्यवस्था: ग्रामीण भारत में महिला नेतृत्व को सशक्त बनाना

परिचय: भारत में महिला नेतृत्व की विरासत

यह लेख ग्रामीण भारत में महिलाओं के नेतृत्व पर पंचायती राज प्रणाली के परिवर्तनकारी प्रभाव की पड़ताल करता है, इसकी जड़ें प्राचीन परंपराओं से लेकर आधुनिक संवैधानिक प्रावधानों तक हैं। यह सरकार की पहलों, अनुभवजन्य परिणामों और विकसित भारत @2047 के दृष्टिकोण के तहत लिंग-समावेशी जमीनी स्तर पर शासन प्राप्त करने की दिशा में आगे के मार्ग पर भी प्रकाश डालता है।

- **सांस्कृतिक जड़ें:** प्राचीन भारतीय ग्रंथों और वैदिक काल में महिलाओं की बुद्धिमत्ता और नेतृत्व का महिमामंडन किया गया (गार्गी, मैत्रेयी)।
- **ऐतिहासिक प्रतीक:** अहिल्याबाई होल्कर, रानी लक्ष्मीबाई और रानी दुर्गावती जैसी नेता राजनीतिक कौशल और वीरता की प्रतिमूर्ति थीं।
- **दार्शनिक आधार:** “यत् नय्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। (जहां महिलाओं का सम्मान किया जाता है, वहां देवत्व निवास करता है) - महिलाओं के लिए भारत के आधारभूत सम्मान को रेखांकित करता है।

- समकालीन प्रासंगिकता: प्रतीकात्मक श्रद्धा से लेकर वास्तविक राजनीतिक भागीदारी तक - शासन में लैंगिक समानता की ओर भारत की यात्रा।

संवैधानिक रूपरेखा एवं मील के पथर:

(i) 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1993

- कानूनी आधार: संविधान के भाग IX के तहत लिस्तेरीय पंचायती राज व्यवस्था को संस्थागत रूप दिया गया।
- अनुच्छेद 243D: पंचायतों और अध्यक्ष पदों में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण अनिवार्य करता है।
- अनुसूची XI: पंचायत क्षेत्राधिकार के अंतर्गत 29 विषयों को सूचीबद्ध करता है - महिला-केंद्रित विकास के लिए महत्वपूर्ण।

(ii) राज्य स्तरीय नवाचार

- 50% आरक्षण: 21 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों ने संवैधानिक न्यूनतम सीमा से आगे आरक्षण बढ़ाया है।
- ओपन कैटेगरी की सफलताएँ: अनारक्षित सीटों पर महिलाओं की जीत बढ़ती सार्वजनिक स्वीकृति को दर्शाती है।

परिवर्तनकारी सरकारी पहल:

(i) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए)

- प्रशिक्षण प्रभाव: 2022-25 तक 23.14 लाख निर्वाचित महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया।
- मॉड्यूल: निर्णय लेने, वित्तीय साक्षरता, कानूनी जागरूकता और नेतृत्व पर ध्यान केंद्रित किया गया।



कौन भाग ले सकता है?

ग्राम पंचायत की सभी महिला मतदाता महिला सभा में भाग ले सकती हैं

महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना:

हाशिर पर पड़े
समुदाय

विकलांग, बुजुर्ग और
आर्थिक रूप से कमज़ोर

स्वयं सहायता
समूह के सदस्य

महिला-हितैषी पंचायत वह है जो यह सुनिश्चित करती है:

सभी क्षेत्रों में महिलाओं के लिए समान अवसर

महिलाओं और लड़कियों के विकृत शून्य अपराध

मातृ स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए 100% संस्थागत प्रसव

सामाजिक-राजनीतिक और आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी

पंचायती राज संस्थाओं की महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय कार्यशाला

4th and 5th March, 2025
Vigyan Bhawan, New Delhi

(ii) सशक्त पंचायत-नेत्री अभियान

- लॉन्च: मार्च 2024 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर।
- मुख्य विशेषताएं:
 - अनुभवात्मक अधिगम-आधारित प्रशिक्षण मॉड्यूल।
 - सहभागितापूर्ण नियोजन, डिजिटल उपकरण और शिकायत निवारण पर ध्यान केंद्रित करें।
 - आदर्श महिला-हितैषी पंचायतों का मॉडल बनाएं, ताकि वे स्केलेबल उदाहरण बन सकें।

(iii) लिंग आधारित हिंसा रोकथाम प्राइमर

- उद्देश्य: जी.बी.वी. से निपटने के लिए पंचायत अधिकारियों को शिक्षित करना और महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण को बढ़ावा देना।
- परिणाम: सामाजिक न्याय में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रतिनिधियों को सशक्त बनाना।

(iv) स्वामित्व योजना

- उद्देश्य: ड्रोन-आधारित मानचित्रण के माध्यम से संपत्ति अधिकार प्रदान करना।
- महिला समावेशन: महिलाओं द्वारा संयुक्त/एकल स्वामित्व को बढ़ावा देना।
- पैमाना: जनवरी 2025 तक 65 लाख संपत्ति कार्ड जारी किए जाएंगे।

(v) ग्राम सभा और महिला सभा

- भागीदारी मानदंड:
 - ग्राम सभा: 30% महिलाओं की भागीदारी आवश्यक।
 - महिला सभा: न्यूनतम 10% महिला मतदाता; अब कई राज्यों में अनिवार्य।
- परिणाम: ग्रामीण शासन में महिला-केंद्रित चर्चा के लिए संस्थागत स्थान।

प्रभाव आकलन: लिंग-समावेशी पंचायतों की ओर:

(i) महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना

- प्रतिनिधित्व: 31.5 लाख पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों में से लगभग 46% महिलाएं हैं।
- नीति एकीकरण: महिला-केंद्रित जीपीडीपी 1% (2023-24) से बढ़कर 4.57% (2024-25) हो गई; 2025-26 तक 5% का लक्ष्य।

(ii) मान्यता एवं सर्वोत्तम अभ्यास

- राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024:
 - 45 पंचायतों को पुरस्कृत किया गया; ~40% महिलाओं द्वारा संचालित।
 - एसडीजी-संरेखित शासन, नवाचार और सामुदायिक सहभागिता पर जोर।

(iii) संस्थागत सहायता तंत्र

- प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व पर सलाहकार समिति (2023):
 - श्री सुशील कुमार की अध्यक्षता में।
 - इसका उद्देश्य "सरपंच पति" संस्कृति को खत्म करना है।
 - कानूनी सुरक्षा उपायों को मजबूत करने और व्यवहार परिवर्तन के लिए सिफारिशें।

प्रभावी महिला नेतृत्व की चुनौतियाँ:

चुनौतियाँ	विवरण
प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व	"प्रधान पति" सिंड्रोम महिलाओं की स्वायत्तता को सीमित करता है।
क्षमता अंतराल	पहली बार निर्वाचित महिलाओं में प्रशिक्षण, डिजिटल पहुंच और जागरूकता का अभाव।
पितृसत्तात्मक मानदंड	कुछ क्षेत्रों में सामाजिक प्रतिरोध और सीमित गतिशीलता।
अल्प उपयोगिता नीति स्थान	केवल ~5% जीपीडीपी लिंग केंद्रित हैं, जो अधिक एकीकरण की गुंजाइश दर्शाता है।
अंतर्विषयक मुद्दे	हाशिप पर पड़ी जाति और जनजाति की महिलाओं को दोहरी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

(i) विधायी और नीतिगत समर्थन

- नारी शक्ति वंदन अधिनियम का पूर्ण कार्यान्वयन: स्थानीय शासन के अनुभव को राज्य/राष्ट्रीय राजनीति से जोड़ना।
- महिला केंद्रित कार्यक्रमों को संस्थागत बनाने के लिए पंचायती राज संस्थाओं में लिंग बजट बनाना।

(ii) डिजिटल गवर्नेंस और कौशल

- पारदर्शिता के लिए ई-ग्राम स्वराज का विस्तार।
- पीआरआई महिलाओं के लिए डिजिटल साक्षरता और एआई-संचालित उपकरणों को एकीकृत करना।

(iii) महिला-केंद्रित जीपीडीपी

- लिंग-आधारित डेटा संग्रहण और नियोजन को अनिवार्य बनाना।

- महिलाओं के स्वास्थ्य, उद्यमिता और शिक्षा के लिए संसाधन आवंटन बढ़ाएँ।

(iv) सामाजिक-सांस्कृतिक सुधार

- महिला नेतृत्व के बारे में रूढ़िवादिता को खत्म करने के लिए अभियान चलाना।
- पुरुष सहयोगियों को लैंगिक समानता वाले शासन का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करना।

निष्कर्ष

पंचायती राज व्यवस्था ने न केवल शासन को लोगों के करीब लाया है, बल्कि ग्रामीण महिलाओं में नेतृत्व क्षमता को भी बढ़ावा दिया है। सांकेतिक आरक्षण से लेकर वास्तविक परिवर्तन तक, भारत की याला नारी शक्ति की स्थायी भावना का प्रमाण है। निरंतर संस्थागत समर्थन, व्यवहार परिवर्तन और क्षमता निर्माण के साथ, पंचायतों में महिला नेता 2047 में विकसित भारत-एक समावेशी, सशक्त और समतामूलक भारत की पथप्रदर्शक बनकर उभरेंगी।

चहल एकेडमी द्वारा निःशुल्क पहल



'द हिंदू' का एडिटोरियल एनालिसिस

क्यू आर कोड स्कैन करें





THE HINDU

'डाउन टू अर्थ' से महत्वपूर्ण आलेख (अप्रैल 2025)

परिपत्रता में सुरक्षा

परिचय

- 1,700 क्यूबिक मीटर से भी कम वार्षिक मीटे पानी की उपलब्धता के साथ, भारत को "जल संकटग्रस्त" माना जाता है तथा प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता के मामले में यह विश्व में 132वें स्थान पर है।
- 1950 और 2024 के बीच भारत की सतही जल आपूर्ति में प्रति व्यक्ति 73% की कमी आई है।

वर्तमान परिदृश्य

- यदि इस मुद्दे पर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो भारत को "जल संकट" का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि देश की वार्षिक जल उपलब्धता प्रति व्यक्ति 1,000 m³ से कम हो सकती है।
- दिल्ली, मुंबई, पुणे, हैदराबाद और चेन्नई जैसे शहर पानी की अभूतपूर्व कमी का सामना कर रहे हैं और जल प्रबंधन की स्थिति का सामना कर रहे हैं।

भारत में सीवेज जल

- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) का अनुमान है कि भारत के शहरी क्षेत्रों में सीवेज उत्पादन 2020-21 में 72,368 एमएलडी तक पहुँच गया, जबकि सीवेज उपचार की क्षमता 31,841 एमएलडी थी।
- हालाँकि परिचालन क्षमता 26,869 एमएलडी है, लेकिन उत्पादित कुल शहरी सीवेज का केवल 28% (20,236 एमएलडी) ही उपचारित किया गया। नतीजतन, 72% अपशिष्ट जल को जल निकायों या भूमि पर बिना उपचारित किए छोड़ दिया गया।
- शहरी आबादी के अनुमानों के आधार पर, अगले 25 वर्षों में अपशिष्ट जल उत्पादन में 75-80% की वृद्धि होने का अनुमान है, जो कुल मिलाकर लगभग 0.13 मिलियन एमएलडी होगा।
- यदि यह प्रवृत्ति जारी रहती है, तो प्रत्येक वर्ष अतिरिक्त 0.8 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) अपशिष्ट जल उत्पन्न होगा।

प्रारंभिक परीक्षा विशेष

समग्र जल प्रबंधन सूचकांक

- इसे नीति आयोग द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
- +5.2 अंकों के औसत सुधार के साथ, 2017-19 में मूल्यांकन किए गए 80% राज्यों के जल प्रबंधन स्कोर में सुधार हुआ है।
- हालाँकि, 16 भारतीय राज्यों को अभी भी 100 में से 50 से कम अंक प्राप्त हुए हैं, जो उन्हें कम प्रदर्शन करने वाली श्रेणी में रखता है।
- ये 16 राज्य भारत की 48% आबादी, 35% आर्थिक उत्पादन और 40% कृषि उत्पादन का प्रतिनिधित्व करते हैं।

राष्ट्रीय नीतियों और कार्यक्रमों का विकास

- 2008 की राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग को बढ़ावा देती है। नीति के अनुसार, किसी शहर के जल स्रोत का कम से कम 20% प्रसंस्कृत अपशिष्ट जल से प्राप्त होना चाहिए।
- 2010 सेवा-स्तरीय बेंचमार्क रूपरेखा शहरों में अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग को प्रोत्साहित करती है।
- 2012 में शुरू किया गया जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन उपचारित जल के पुनर्चक्रण को बढ़ावा देता है और यह अनिवार्य करता है कि 63 शहरों में सभी अपशिष्ट जल को संसाधित किया जाना चाहिए।
- सीवेज और अपशिष्ट जल उपचार प्रणालियों पर मार्गदर्शिका:** यह मार्गदर्शिका निर्दिष्ट गतिविधियों के लिए उपचारित सीवेज की गुणवत्ता के लिए तकनीकी विकल्प और मानक प्रदान करती है।
- नमामि गंगे, 2014:** इस पहल में सीवेज और औद्योगिक निर्वहन के उपचार के लिए कार्यक्रम शामिल हैं, जो उपचारित अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग को प्रोत्साहित करने पर केंद्रित हैं।
- अमृत, 2015:** शहरी परिवर्तन और कायाकल्प के लिए अटल मिशन अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण को बढ़ावा देता है।
- पावर टैरिफ पॉलिसी, 2016:** इसके तहत थर्मल पावर स्टेशनों को सीवेज उपचार सुविधाओं के 50 किलोमीटर के भीतर उपचारित सीवेज जल का उपयोग करना होगा।
- राष्ट्रीय मल कीचड़ और सेप्टेज प्रबंधन नीति, 2017:** यह नीति सुरक्षित स्वच्छता तक पूर्ण पहुँच सुनिश्चित करने के लिए FSSM के उपयोग पर जोर देती है।
- CPCB दिशा-निर्देश, 2019:** केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सिंचाई में उपचारित अपशिष्ट जल के उपयोग के लिए दिशा-निर्देश जारी किए।
- स्वच्छ भारत मिशन 2.0, 2021:** इसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी अनुपचारित अपशिष्ट जल पर्यावरण में न छोड़ा जाए और यह न्यूनतम 20% के साथ यथासंभव व्यापक रूप से पुनर्चक्रित जल का उपयोग करने का सुझाव देता है।
- अमृत 2.0, 2021:** इस मिशन के तहत 0.01 मिलियन से अधिक आबादी वाले सभी शहरों को शहर की 20% जल आवश्यकताओं और राज्य स्तर पर औद्योगिक जल आवश्यकताओं के 40% को पूरा करने के लिए अपशिष्ट जल का पुनर्चक्रण करना होगा।
- CPCB राष्ट्रीय मसौदा दिशा-निर्देश:** दिशा-निर्देश विशिष्ट मानकों के साथ-साथ क्षेत्रीय प्राथमिकता पर प्रकाश डालते हैं।

केस स्टडी: दिल्ली

- मसौदा जल नीति, 2016
- कार्य योजना का प्राथमिक उद्देश्य पार्कों, झीलों और जल निकायों को पुनर्जीवित करना है ताकि उपचारित अपशिष्ट जल भूजल की भरपाई कर सके और जल आपूर्ति को पूरक बना सके।
- 3,033 एमएलडी में से, यह लगभग 2,587 एमएलडी उपचारित अपशिष्ट जल उत्पन्न करता है।

- उपचारित सीवेज जल का उपयोग बागवानी, ताप विद्युत संयंत्रों और झील पुनर्भरण के लिए किया जाता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न

प्रश्न. भारत जल-संकटग्रस्त देश बनने के करीब पहुंच रहा है। इस संदर्भ में, स्थायी शहरी जल प्रबंधन सुनिश्चित करने में अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग और परिपत्र जल अर्थव्यवस्था की भूमिका का मूल्यांकन करें। इस संबंध में सरकार द्वारा की गई नीतिगत पहलों पर भी चर्चा करें। [250 शब्द] [15 अंक]

खाद्य सुरक्षा और कृषि विविधीकरण

परिचय

वर्ष 2047 तक भारत की कुल खाद्य मांग मौजूदा मांग से दोगुनी हो जाने का अनुमान है, जबकि बागवानी और पशु उत्पादों जैसे पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों की आवश्यकता तीन से चार गुना बढ़ने का अनुमान है।

वर्तमान कृषि खाद्य प्रणाली से संबंधित पूर्वानुमान

- वर्ष 2047 तक फलों की अनुमानित मांग 3 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़कर 233 मिलियन टन हो जाने की संभावना है, जबकि सब्जियों की मांग 2.3 प्रतिशत की वार्षिक दर से 365 मिलियन टन तक पहुंचने का अनुमान है।
- इसी तरह, दालों की मांग बढ़कर 49 मिलियन टन होने की संभावना है, जबकि खाद्य तेलों और चीनी की मांग में क्रमशः 50 प्रतिशत और 29 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है।
- **आहार संबंधी प्राथमिकताओं में बदलाव:** आहार संबंधी आदतों और पोषण संबंधी आवश्यकताओं में बदलाव के कारण फलों, सब्जियों, फलियों और तिलहनों की बढ़ती आवश्यकता।

वर्तमान कृषि खाद्य प्रणाली की चुनौतियाँ

- **घटती कृषि भूमि:** कृषि भूमि वर्तमान 180 मिलियन हेक्टेयर (एमएचए) से घटकर 176 एमएचए होने का अनुमान है।
- **बढ़ती जनसंख्या:** भारत की जनसंख्या बहुत अधिक है और बढ़ती जा रही है, जो 1.3 बिलियन से अधिक है। भोजन की बढ़ती आवश्यकता कृषि उत्पादन और खाद्य आपूर्ति पर भारी दबाव डालती है।
- **जलवायु परिवर्तन और खेती:** पिछले पचास वर्षों में, सूखा, गर्म लहर और बाढ़ जैसी गंभीर जलवायु घटनाओं ने भारत की कृषि उत्पादकता वृद्धि को लगभग 25 प्रतिशत तक कम कर दिया है।
- **कृषि उत्पादकता:** भारत में कृषि क्षेत्र में कम उत्पादकता है, जिसके परिणामस्वरूप छोटे भूमि स्वामित्व, अपर्याप्त सिंचाई अवसंरचना, आधुनिक कृषि पद्धतियों का अभाव, तथा ऋण और प्रौद्योगिकी तक सीमित पहुँच जैसी विभिन्न समस्याएँ हैं।
- **जल की कमी:** भारत में खेती काफी हद तक मानसून की वर्षा पर निर्भर करती है। फिर भी, वर्षा की प्रवृत्तियाँ अधिक अनिश्चित होती जा रही हैं, जिसके परिणामस्वरूप कुछ क्षेत्रों में जल की कमी हो रही है, जिससे कृषि उत्पादन कम हो रहा है।
- **भूमि क्षरण और मृदा स्वास्थ्य:** कृषि उत्पादकता भूमि क्षरण से खतरे में है, जो कटाव, रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग और खराब भूमि प्रबंधन प्रथाओं जैसे कारकों के परिणामस्वरूप होता है।

- **भंडारण और वितरण:** खराब भंडारण सुविधाएँ और अपर्याप्त कोल्ड चेन सिस्टम महत्वपूर्ण खाद्य हानि और बर्बादी का कारण बनते हैं।
- **गरीबी और असमानता:** कई व्यक्तियों, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों और वंचित समुदायों में, नियमित रूप से स्वस्थ भोजन प्राप्त करना और उसे वहन करना मुश्किल पाते हैं।

आगे की राह

- **कृषि में विविधता लाना:** खाद्य सुरक्षा की गारंटी के लिए पारंपरिक खाद्य पदार्थों से संसाधनों को अधिक पौष्टिक वस्तुओं की ओर पुनः आबंधित करना।
- **संधारणीय कृषि पद्धतियाँ:** जैविक खेती, कृषि वानिकी और एकीकृत कीट नियंत्रण जैसे संधारणीय कृषि दृष्टिकोणों को प्रोत्साहित करें। ये विधियाँ मिट्टी की उर्वरता में सुधार करती हैं, रासायनिक उपयोग को कम करती हैं और पानी की बचत करती हैं, जिसके परिणामस्वरूप उत्पादकता और लचीलापन बढ़ता है।
- **सिंचाई और जल प्रबंधन:** भरोसेमंद सिंचाई सुविधाओं की उपलब्धता बढ़ाकर, ड्रिप सिंचाई जैसी जल-बचत तकनीकों को प्रोत्साहित करके और जल संचयन और संरक्षण के लिए तकनीकों को लागू करके सिंचाई प्रणालियों को बेहतर बनाएँ।
- **अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी:** उच्च उपज वाली फसल प्रजातियों, सूखे और कीटों के प्रति प्रतिरोधी बीजों तथा अत्याधुनिक कृषि विधियों का निर्माण। संसाधन उपयोग को बढ़ाने और उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए सटीक कृषि, रिमोट सेंसिंग और डिजिटल कृषि उपकरणों जैसी समकालीन तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा देना।
- **जलवायु परिवर्तन अनुकूलन:** फसल विविधीकरण, फसल चक्रण और कृषि संबंधी प्रथाओं को अपनाना। गंभीर मौसम की घटनाओं के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली स्थापित करना और जलवायु अनुकूल प्रथाओं को लागू करने में किसानों की सहायता करना।
- **भंडारण और कोल्ड चेन सुविधाएँ:** समकालीन भंडारण इकाइयों, कोल्ड चेन प्रणालियों और परिवहन नेटवर्क में निवेश करने से खाद्य हानि और बर्बादी को कम करने में मदद मिलेगी।
- **खाद्य वितरण नेटवर्क को बढ़ाना:** बेहतर रसद, आपूर्ति श्रृंखला समन्वय और बाजार कनेक्शन के माध्यम से खाद्य वितरण प्रणालियों की प्रभावशीलता में सुधार करना।

निष्कर्ष

भारत में खाद्य सुरक्षा की गारंटी के लिए एक व्यापक रणनीति की आवश्यकता है जिसमें कृषि उत्पादन को बढ़ाना, पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों पर जोर देने के लिए फसलों में विविधता लाना, अवसंरचना को उन्नत करना और जागरूकता बढ़ाना शामिल है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. भारत में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में कृषि विविधीकरण के महत्व पर चर्चा करें। जलवायु परिवर्तन और घटते प्राकृतिक संसाधनों के मद्देनज़र फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के उपाय सुझाइए। [250 शब्द] [15 अंक]

'इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली' से महत्वपूर्ण आलेख (अप्रैल 2025)

अग्रिम मोर्चे पर काम करने वाले कर्मियों के लिए खैरात नहीं, सम्मान

परिचय: आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और मिड-डे मील हेल्पर जैसे फ्रंट-लाइन कार्यकर्ता, मुख्य रूप से संवेदनशील जातियों की महिलाएँ, सार्वजनिक स्वास्थ्य और पोषण के लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उन्हें कम महत्व दिया जाता है और कम वेतन दिया जाता है। वे सम्मानजनक वेतन, औपचारिक मान्यता और बेहतर कामकाजी परिस्थितियों की मांग करते हैं।

फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियाँ

- **प्रणालीगत शोषण और मान्यता का अभाव**
 - **अनौपचारिक वर्गीकरण:** श्रमिकों को औपचारिक कर्मचारियों के बजाय "स्वयंसेवक" या "कार्यकर्ता" के रूप में लेबल किया जाता है, जिससे राज्य को न्यूनतम वेतन कानूनों और श्रम सुरक्षा से बचने में मदद मिलती है।
 - **असंगत कार्यभार**
 - ◆ आशा कार्यकर्ताओं को शुरू में प्रतिदिन 2-3 घंटे काम करना था, लेकिन अब उन्हें बिना किसी उचित वेतन के 10-12 घंटे काम करना पड़ता है।
 - ◆ जिम्मेदारियों में महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्य (जैसे मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, पोषण कार्यक्रम) शामिल हैं।

स्थिर एवं अपर्याप्त मजदूरी

- **वित्त पोषण में कटौती:** एकीकृत बाल विकास सेवाओं (आईसीडीएस) और मध्याह्न भोजन कार्यक्रमों के लिए केंद्रीय बजट में पिछले दशक में वास्तविक रूप से 40% की गिरावट आई है।
- **वित्तीय संघर्ष:** केंद्र सरकार ने राजनीतिक असहमति के कारण राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (2023-24) के तहत केरल से ₹636 करोड़ (बकाया राशि का 77%) रोक लिया, जिससे राज्यों को स्वयं वित्त पोषण करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

संरचनात्मक और वैचारिक मुद्दे

- **नवउदारवादी नीति ढांचा**
 - **राज्य का पीछे हटना:** सार्वजनिक कल्याण से व्यक्तिगत/सामुदायिक जिम्मेदारी की ओर बदलाव, देखभाल के काम को कम वेतन को उचित ठहराने के लिए परोपकारी के रूप में पेश करना।
 - **जाति-पितृसत्तात्मक शोषण:** हाशिए पर रहने वाली महिलाओं के श्रम को अवैतनिक घरेलू काम के विस्तार के रूप में माना जाता है, जिससे सामाजिक पदानुक्रम कायम रहता है।
 - **नकद हस्तांतरण:** सरकारें चुनावी लाभ के लिए रोजगार सृजन या रोजगार को औपचारिक बनाने की अपेक्षा अल्पकालिक नकद हस्तांतरण (महिलाओं को लक्षित) को प्राथमिकता देती हैं।

आगे की राह: अनुशंसाएँ

- **औपचारिक मान्यता:** न्यूनतम वेतन, निश्चित घंटे और सेवानिवृत्ति लाभ सुनिश्चित करने के लिए फ्रंट-लाइन श्रमिकों को कर्मचारियों के रूप में वर्गीकृत करना।
- **बजटीय पुनर्वितरण:** सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं (जैसे आईसीडीएस, मध्याह्न भोजन) के लिए धन में वृद्धि करना और समय पर केंद्र-राज्य निधि हस्तांतरण सुनिश्चित करना।
- **लिंग- और जाति-संवेदनशील नीतियाँ:** प्रणालीगत पूर्वाग्रहों को संबोधित करना जो हाशिए के समुदायों से श्रम का अवमूल्यन करते हैं।
- **राजनीतिक प्रतिबद्धता:** प्रतीकात्मक कल्याण उपायों की तुलना में स्थायी रोजगार सृजन को प्राथमिकता देना।

निष्कर्ष

भारत के कल्याणकारी ढांचे को फिर से परिभाषित करने की तत्काल आवश्यकता है, जिसमें फ्रंटलाइन श्रमिकों के लिए सम्मान और समानता को केंद्र में रखा जाए। इन मुद्दों को संबोधित करने में विफलता से शोषण के चक्र को बनाए रखने का जोखिम है जो सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामाजिक प्रगति को कमजोर करता है।

संरक्षण और हरियाली

परिचय: पिछले दशक में भारत का कुल वन एवं वृक्ष आवरण बढ़ा है, लेकिन इन लाभों की गुणवत्ता और पारिस्थितिक लाभ असमान हैं, महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्रों का क्षरण हो रहा है और शासन संबंधी चुनौतियाँ बनी हुई हैं।

राष्ट्रीय वन आवरण रूझान

- **दशकीय परिवर्तन (2013-2023)**
 - **कुल वृद्धि:** वन क्षेत्र 698,712.36 वर्ग किमी से बढ़कर 715,342.61 वर्ग किमी हो गया।
 - **वृक्ष क्षेत्र (रिकॉर्डेड वनों के बाहर)** में 20,747.34 वर्ग किमी की वृद्धि हुई।
 - **रिकॉर्डेड वन क्षेत्र (RFA)/ग्रीनवॉश (GW)** के अंदर वन क्षेत्र में 440.47 वर्ग किमी की वृद्धि हुई।
 - **RFA/GW के बाहर** 16,189.78 वर्ग किमी की वृद्धि हुई।
- **गुणवत्ता संबंधी चिंताएँ**
 - बहुत से लाभ कम घनत्व वाले या वृक्षारोपण वाले जंगलों में हैं, जो बहुत घने प्राकृतिक जंगलों की तुलना में कम पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएँ प्रदान करते हैं।
 - उच्च मूल्य श्रेणियों (जैसे बहुत घने जंगल, मैंग्रोव) का क्षरण शुद्ध वृद्धि से अधिक है।

क्षेत्रीय और ऊंचाई संबंधी विविधताएँ

- **उत्तर-पूर्वी क्षेत्र**
 - **उच्च कवरेज, शुद्ध गिरावट:** इस क्षेत्र में 67% क्षेत्र वन और वृक्ष आवरण (174,394.70 वर्ग किमी) के अंतर्गत आता है, लेकिन 327.30 वर्ग किमी की कमी देखी गई।

- **ऊंचाई-क्षेत्र पैटर्न:** निचले क्षेत्रों (0-1,000 मीटर) पर लाभ, उच्च ऊंचाई (>1,000 मीटर) पर नुकसान, पर्वतीय जैव विविधता के लिए चिंताएँ बढ़ाना।

राज्य-स्तरीय लाभ पाने वाले और असफल

- **RFA/GW के अंदर अधिकतम लाभ:** मिजोरम, ओडिशा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, झारखंड।
- **RFA/GW के अंदर अधिकतम हानि:** त्रिपुरा, तेलंगाना, असम, आंध्र प्रदेश, गुजरात।
- **RFA/GW के बाहर अधिकतम लाभ:** गुजरात, बिहार, केरल, उत्तर प्रदेश, असम।
- **RFA/GW के बाहर अधिकतम हानि:** मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र।

पारिस्थितिकी तंत्र-विशिष्ट निष्कर्ष

- **पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी-संवेदनशील आवरण (WGESA)**
 - **क्षेत्र और कवरेज:** WGESA का क्षेत्रफल लगभग 60,285.61 वर्ग किमी है। वन क्षेत्र 44,043.99 वर्ग किमी है, जो कि क्षेत्र का लगभग 73% है।
 - **कैनोपी घनत्व में परिवर्तन**
 - ◆ **बहुत सघन वन:** 3,465.12 वर्ग किमी की वृद्धि हुई
 - ◆ **मध्यम सघन वन:** 1,043.23 वर्ग किमी की कमी हुई
 - ◆ **खुले वन:** 2,480.11 वर्ग किमी की कमी हुई
- **मैंग्रोव**
 - **दशकीय परिवर्तन:** 2013 से अब तक 296.33 किमी² का शुद्ध लाभ, लेकिन 2021 से 7.43 किमी² का नुकसान।
 - **राज्य भिन्नताएँ**
 - ◆ **गुजरात:** 36.39 किमी² की कमी
 - ◆ **आंध्र प्रदेश:** 13.01 किमी² की वृद्धि
 - ◆ **महाराष्ट्र:** 12.39 किमी² की वृद्धि
 - **हानि के कारक**
 - ◆ जलीय कृषि और कृषि रूपांतरण
 - ◆ क्षरण

कार्बन स्टॉक और पृथक्करण

- **कुल कार्बन स्टॉक:** 2023 में 7,285.5 मिलियन टन (एमटी) होने का अनुमान है, जो 2021 से 81.5 मिलियन टन की वृद्धि है। लगभग 40.75 मिलियन टन (149.42 मिलियन टन CO₂e) की वार्षिक वृद्धि।

- **वैश्विक तुलना (GFRA 2020)**
 - भारत शुद्ध सकारात्मक वन क्षेत्र परिवर्तन (0.38%) में तीसरे स्थान पर है।
 - वैश्विक स्तर पर, कुल वन कार्बन 662.08 गीगाटन है, जिसमें मिट्टी और बायोमास में प्रमुख पूल हैं।
- **घनत्व उन्नयन की संभावना:** लगभग 92,989 वर्ग किमी निम्नीकृत भूमि अतिरिक्त 636.50 मीट्रिक टन कार्बन संग्रहित कर सकती है, हालांकि भूमि-उपयोग की विशिष्टताएँ स्पष्ट नहीं हैं।

नीति और शासन निहितार्थ

- **वन (संरक्षण) नियम, 2022**
 - यह संरक्षित क्षेत्रों के लिए आदिवासी समुदायों के विस्थापन, अधिग्रहित भूमि पर प्रतिपूरक वनरोपण, तथा वनों में बुनियादी ढांचे और पारिस्थितिकी पर्यटन परियोजनाओं को सक्षम करके वन अधिकार अधिनियम (2006) का उल्लंघन करता है।
 - निजी वाणिज्यिक वृक्षारोपण को बढ़ावा देता है, जिससे समुदाय-आधारित शासन को कमजोर किया जाता है।
- **ऐतिहासिक बदलाव:** 42वें संविधान संशोधन (1976) ने वनों को समवर्ती सूची में डाल दिया, जिससे निर्णय प्रक्रिया केंद्रीकृत हो गई और स्थानीय ग्राम सभा की स्वायत्तता समाप्त हो गई।

आगे की राह: अनुशंसायें

- **मिश्रित लाभ:** मालात्मक वृद्धि पारिस्थितिकी दृष्टि से महत्वपूर्ण, सघन वनों और पारंपरिक परिदृश्यों में नुकसान को छुपाती है।
- **पारिस्थितिकी तंत्र प्राथमिकता:** संरक्षण प्रयासों को बहुत सघन वनों, मैंग्रोव और उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जहां क्षरण स्पष्ट है।
- **नीति सुधार:** आदिवासी अधिकारों की रक्षा और निचले स्तर पर प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए वन अधिकार अधिनियम के साथ संरक्षण नियमों को संरेखित करना।
- **डेटा पारदर्शिता:** भविष्य की भारत वन स्थिति रिपोर्ट (आईएसएफआर) रिपोर्टों को क्षरित भूमि और कार्बन संभावित अनुमानों के लिए भूमि-उपयोग संदर्भों को स्पष्ट करना चाहिए।

निष्कर्ष

जबकि भारत के वन आवरण में विस्तार हुआ है, इन परिदृश्यों की पारिस्थितिक अखंडता और न्यायसंगत शासन अभी भी तनाव में है। मालात्मक लाभ को वास्तविक पारिस्थितिक लाभों में बदलने के लिए निरंतर निगरानी, सामुदायिक सशक्तिकरण और सूक्ष्म नीति निर्माण आवश्यक है।

त्वरित पुनरीक्षण (क्विक रिवीजन)

अप्रैल माह के महत्वपूर्ण दिवस

दिनांक	दिन	महत्व / टिप्पणी / विवरण
2 अप्रैल	विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस	<ul style="list-style-type: none"> संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2007 में 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस (WAAD) के रूप में नामित किया। संयुक्त राष्ट्र ने ऑटिस्टिक व्यक्तियों के लिए मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता की पूर्ण प्राप्ति को बढ़ावा देने के लिए काम किया है, जिससे समाज में उनकी समान भागीदारी सुनिश्चित हो सके। 2025 का विषय: न्यूरोडायवर्सिटी को आगे बढ़ाना और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी)।
4 अप्रैल	खदान जागरूकता और खदान कार्रवाई में सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस	<ul style="list-style-type: none"> 2025 का विषय: सेफ फ्यूचर स्टार्टस हियर 8 दिसंबर 2005 को, महासभा ने घोषणा की कि प्रत्येक वर्ष 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस और खदान कार्रवाई में सहायता के रूप में मनाया जाएगा।
5 अप्रैल	राष्ट्रीय समुद्री दिवस	<ul style="list-style-type: none"> ज्ञान के प्रसार द्वारा शिपिंग उद्योग की भूमिका को उजागर करना, नाविकों की सेवाओं को व्यवस्थित करना, नाविकों के लिए कल्याण और प्रशिक्षण परियोजनाओं को अंतिम रूप देना आदि।
5 अप्रैल	अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस	<ul style="list-style-type: none"> यह दिवस 5 अप्रैल को मानव विवेक के मूल्य को स्मरण करने और एक बेहतर विश्व की आकांक्षा का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है।
6 अप्रैल	विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस	<ul style="list-style-type: none"> 2025 का विषय: लेवलिंग द प्लेफील्ड : स्पोर्ट फॉर सोशल इन्क्लूशन विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस (IDSDP) हर साल 6 अप्रैल को मनाया जाता है, ताकि सकारात्मक बदलाव को बढ़ावा देने, बाधाओं को दूर करने और सीमाओं को पार करने में खेल की शक्ति को पहचाना जा सके।
7 अप्रैल	विश्व स्वास्थ्य दिवस	<ul style="list-style-type: none"> यह प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है और प्रत्येक वर्ष दुनिया भर के लोगों के लिए चिंता का विषय बने एक खास स्वास्थ्य विषय की ओर ध्यान आकर्षित करता है। 7 अप्रैल की तारीख 1948 में WHO की स्थापना की सालगिरह है।
12 अप्रैल	अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस	<ul style="list-style-type: none"> संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस के रूप में घोषित किया, ताकि प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव जाति के लिए अंतरिक्ष युग की शुरुआत का जश्न मनाया जा सके, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने और राज्यों और लोगों की भलाई बढ़ाने में अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्वपूर्ण योगदान की पुष्टि की जा सके, साथ ही शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बाहरी अंतरिक्ष को बनाए रखने की उनकी आकांक्षा को पूरा किया जा सके। 12 अप्रैल 1961 को सोवियत नागरिक यूरी गगारिन द्वारा पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान भरी गई थी।

14 अप्रैल	विश्व चागास रोग दिवस	<ul style="list-style-type: none"> विश्व चागास रोग दिवस पहली बार 2020 में मनाया गया। चागास रोग, जिसे मूक या मौन रोग के रूप में भी जाना जाता है, मुख्य रूप से गरीब लोगों को प्रभावित करता है जिनके पास स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच नहीं है या जिनके पास राजनीतिक आवाज़ नहीं है। यह रोग धीरे-धीरे बढ़ता है और अक्सर बिना किसी लक्षण के नैदानिक पाठ्यक्रम दिखाता है। उपचार के बिना, चागास रोग गंभीर हृदय और पाचन परिवर्तन का कारण बन सकता है और घातक हो सकता है।
18 अप्रैल	विश्व विरासत दिवस	<ul style="list-style-type: none"> विश्व धरोहर स्थलों और कला विरासत के बारे में सार्वजनिक जागरूकता पैदा करना और सांस्कृतिक संपत्ति और विरासत के सार्वभौमिक मूल्य को उजागर करना।
21 अप्रैल	विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस	<ul style="list-style-type: none"> संयुक्त राष्ट्र ने मानव विकास के सभी पहलुओं में रचनात्मकता और नवाचार की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 21 अप्रैल को विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस के रूप में घोषित किया है।
22 अप्रैल	अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस	<ul style="list-style-type: none"> संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2009 में पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस के रूप में घोषित किया। यह दिवस पृथ्वी और उसके पारिस्थितिकी तंत्र को मानवता के साझा आवास के रूप में मान्यता देता है और लोगों की आजीविका को बढ़ाने, जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने और जैव विविधता के पतन को रोकने के लिए इसकी रक्षा करने की आवश्यकता पर जोर देता है।
23 अप्रैल	विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस	<ul style="list-style-type: none"> हर वर्ष 23 अप्रैल को यूनेस्को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाता है, ताकि पीढ़ियों और संस्कृतियों के बीच सेतु के रूप में पुस्तकों की शक्ति को मान्यता दी जा सके। यह तिथि विश्व साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन विलियम शेक्सपियर, मिगुएल डे सर्वेत्स और इंका गार्सिलसो डे ला वेगा सहित कई प्रसिद्ध लेखकों की मृत्यु हुई थी।
23 अप्रैल	अंग्रेजी भाषा दिवस	<ul style="list-style-type: none"> संयुक्त राष्ट्र में अंग्रेजी भाषा दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है - यह तिथि पारंपरिक रूप से विलियम शेक्सपियर के जन्मदिन और मृत्यु तिथि दोनों के रूप में मनाई जाती है। संयुक्त राष्ट्र में, फ्रेंच के साथ-साथ अंग्रेजी भी दो कार्यकारी भाषाओं में से एक है।
24 अप्रैल - 30 अप्रैल	विश्व टीकाकरण सप्ताह	<ul style="list-style-type: none"> अप्रैल के अंतिम सप्ताह में मनाए जाने वाले विश्व टीकाकरण सप्ताह का उद्देश्य सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर प्रकाश डालना और सभी आयु वर्ग के लोगों को बीमारी से बचाने के लिए टीकों के उपयोग को बढ़ावा देना है। विश्व टीकाकरण सप्ताह का अंतिम लक्ष्य अधिक से अधिक लोगों - और उनके समुदायों - को टीके से रोके जा सकने वाली बीमारियों से बचाना है।
25 अप्रैल	विश्व मलेरिया दिवस	<ul style="list-style-type: none"> विश्व मलेरिया दिवस मलेरिया की रोकथाम और नियंत्रण के लिए निरंतर निवेश और सतत राजनीतिक प्रतिबद्धता की आवश्यकता को उजागर करने का एक अवसर है। इसे 2007 की विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान डब्ल्यूएचओ के सदस्य देशों द्वारा स्थापित किया गया था।
25 अप्रैल	अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस	<ul style="list-style-type: none"> संयुक्त राष्ट्र में सदस्य देशों के प्रतिनिधियों और प्रतिनिधियों की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 25 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस के रूप में घोषित किया है। यह दिवस सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन के पहले दिन की वर्षगांठ का प्रतीक है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है।

26 अप्रैल	विश्व बौद्धिक संपदा दिवस	<ul style="list-style-type: none"> विश्व बौद्धिक संपदा दिवस दुनिया भर के अन्य लोगों के साथ मिलकर यह विचार करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है कि बौद्धिक संपदा (आईपी) वैश्विक कला परिदृश्य को कैसे समृद्ध बनाने में मदद करती है और मानव प्रगति को गति देने वाले तकनीकी नवाचार को सक्षम बनाती है। 2000 में, WIPO के सदस्य देशों ने 26 अप्रैल को - जिस दिन 1970 में WIPO कन्वेंशन लागू हुआ था - को IP के बारे में सामान्य समझ बढ़ाने के उद्देश्य से विश्व IP दिवस के रूप में नामित किया।
29 अप्रैल	विश्व नृत्य दिवस	<ul style="list-style-type: none"> कला के इस रूप का जश्र मनाना और इसकी सार्वभौमिकता का आनंद लेना, सभी राजनीतिक सांस्कृतिक और जातीय बाधाओं को पार करना और लोगों को एक साथ लाना।

समाचारों में महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन

	कार्यक्रम/शिखर सम्मेलन/सम्मेलन	विवरण
1.	बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन	<ul style="list-style-type: none"> छठा बिम्स्टेक (बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल) शिखर सम्मेलन थाईलैंड में आयोजित किया गया। शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों के क्षेत्रीय विकास और आर्थिक प्रगति को बढ़ावा दिया गया, जिसमें बंगाल की खाड़ी क्षेत्र के विकास और सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया।
2.	11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक	<ul style="list-style-type: none"> भारत ने ब्राजील के ब्रासीलिया में आयोजित 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में अग्रणी भूमिका निभाई, जिसमें ब्रिक्स देशों के बीच जलवायु सहयोग को मजबूत करने का आह्वान किया गया। भारत ने सामूहिक नेतृत्व और जलवायु वित्त के माध्यम से 2030 जलवायु एजेंडा को आगे बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया, विशेष रूप से राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) का समर्थन करने के लिए 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाने के लिए “बाकू से बेलेम रोडमैप” पर प्रकाश डाला।
3.	लेखांकन और रिपोर्टिंग के अंतर्राष्ट्रीय मानक (आईएसएआर)	<ul style="list-style-type: none"> भारत को 2025-2027 के कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय लेखा और रिपोर्टिंग मानकों (आईएसएआर) पर विशेषज्ञों के संयुक्त राष्ट्र अंतर-सरकारी कार्य समूह के लिए सर्वसम्मति से चुना गया है। आईएसएआर, जो व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीटीएडी) के तहत काम करता है, वैश्विक लेखा मानकों और कॉर्पोरेट प्रकटीकरण प्रथाओं को आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है।
4.	वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन (जीटीएस) 2025	<ul style="list-style-type: none"> वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन (जीटीएस) का 9वां संस्करण 10 से 12 अप्रैल, 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जो भू-प्रौद्योगिकी पर भारत की वैश्विक वार्ता में एक महत्वपूर्ण घटना है। इसकी सह-मेजबानी विदेश मंत्रालय और कार्नेगी इंडिया द्वारा की गई थी।
5.	स्त्री शिखर सम्मेलन 2025	<ul style="list-style-type: none"> हैदराबाद सिटी सिक्वोरिटी काउंसिल (HCSC) ने 15 अप्रैल, 2025 को STREE शिखर सम्मेलन के दूसरे संस्करण की मेजबानी की। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य लैंगिक समानता को बढ़ावा देते हुए महिलाओं की सुरक्षा में सुधार के लिए साझा शिक्षा, सहयोग को बढ़ावा देने और कार्रवाई योग्य समाधान के लिए एक मंच प्रदान करना है।
6.	बौद्ध धर्म पर सम्मेलन	<ul style="list-style-type: none"> अरुणाचल प्रदेश के नामसाई में ‘बुद्ध धम्म और पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति’ शीर्षक से दो दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया। आयोजक: अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ (आईबीसी) और संस्कृति मंत्रालय द्वारा सहयोग।

7.	11वीं ब्रिक्स श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की बैठक	<ul style="list-style-type: none"> 25 अप्रैल, 2025 को ब्राजील के नेतृत्व में ब्रासीलिया में आयोजित 11वीं ब्रिक्स श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की बैठक में दो महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और रोजगार पर इसका प्रभाव, तथा कार्यबल पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव। विषय: अधिक समावेशी और सतत शासन के लिए वैश्विक दक्षिण के सहयोग को मजबूत करना
8.	अग्नि सुरक्षा सप्ताह 2025	<ul style="list-style-type: none"> स्वास्थ्य देखभाल सेटिंग्स में अग्नि सुरक्षा के महत्वपूर्ण महत्व पर जोर देने के लिए, केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रालयों के सहयोग से अग्नि सुरक्षा सप्ताह (21-25 अप्रैल, 2025) शुरू किया है।

समाचारों में चर्चित पुरस्कार

	पुरस्कार	विजेता	विवरण
1.	उगादि पुरस्कार	मायना स्वामी	<ul style="list-style-type: none"> उगादि पुरस्कार आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित सम्मान है।
2.	शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मर्करी पुरस्कार	दलाई लामा	<ul style="list-style-type: none"> तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा को शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मर्करी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार गोल्ड मर्करी इंटरनेशनल द्वारा प्रदान किया गया, जो शांति, शासन और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए समर्पित एक विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त थिंक टैंक है।
3.	उत्तर प्रदेश अनमोल रतन पुरस्कार	निखिल सिंघल	<ul style="list-style-type: none"> प्रतिष्ठित मीडिया रणनीतिकार, विगोर मीडिया वर्ल्डवाइड के संस्थापक और नोएडा हाई राइज फेडरेशन के अध्यक्ष निखिल सिंघल को प्रतिष्ठित उत्तर प्रदेश अनमोल रतन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
4.	राष्ट्रीय युवा पुरस्कार	आकर्ष श्रॉफ	<ul style="list-style-type: none"> युवास्पर्क के संस्थापक आकाश श्रॉफ को भारत में प्रारंभिक शिक्षा में बदलाव के लिए राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा स्थापित राष्ट्रीय युवा पुरस्कार, 30 वर्ष से कम आयु के उन व्यक्तियों को प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है, जिन्होंने राष्ट्रीय विकास और सामाजिक सेवा के लिए अनुकरणीय प्रतिबद्धता दिखाई है।
5.	मिश्रा विभूषण	नरेंद्र मोदी	<ul style="list-style-type: none"> प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत और श्रीलंका के बीच दीर्घकालिक ऐतिहासिक संबंधों और मैत्रीपूर्ण संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान को मान्यता देते हुए श्रीलंका के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, मिश्रा विभूषण से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार श्रीलंका के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया गया।
6.	फ्रेड डारिंगटन पुरस्कार	सुदर्शन पटनायक	<ul style="list-style-type: none"> सुदर्शन पटनायक, प्रसिद्ध भारतीय रेत मूर्तिकार, ने कला और संस्कृति में उत्कृष्टता के लिए पहला फ्रेड डारिंगटन पुरस्कार जीता है। उन्हें भगवान गणेश की उनकी असाधारण रेत मूर्ति के लिए सम्मानित किया गया, जो 10 फीट ऊंची है और विश्व शांति का संदेश देती है।
7.	शहर की सम्मान की कुंजी'	द्रौपदी मुर्मू	<ul style="list-style-type: none"> भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिस्बन के मेयर द्वारा 'सिटी की ऑफ ऑनर' से सम्मानित किया गया। यह भारत और पुर्तगाल के बीच कूटनीतिक संबंधों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, खासकर तब जब दोनों देश द्विपक्षीय संबंधों के 50 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं।

8.	राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार	राजेश उन्नी	<ul style="list-style-type: none"> राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार समुद्री क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च व्यक्तिगत सम्मान है, जो देश के समुद्री विकास में असाधारण योगदान को मान्यता देता है। सिनर्जी मरीन ग्रुप के संस्थापक राजेश उन्नी को 62वें राष्ट्रीय समुद्री दिवस के दौरान इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
9.	स्कोच (SKOCH) पुरस्कार	यूपी पुलिस जांच पोर्टल	<ul style="list-style-type: none"> उत्तर प्रदेश पुलिस की डिजिटल पहल-जांच, अभियोजन और दोषसिद्धि पोर्टल- को “पुलिस और सुरक्षा” श्रेणी में प्रतिष्ठित स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो न्याय प्रणाली में इसकी परिवर्तनकारी भूमिका को दर्शाता है।
10.	ब्रेकथ्रू पुरस्कार 2025		<ul style="list-style-type: none"> 2025 ब्रेकथ्रू पुरस्कार - जिसे अक्सर विज्ञान का ऑस्कर कहा जाता है - जीवन विज्ञान, गणित और भौतिकी में उल्लेखनीय उपलब्धियों को मान्यता देता है। समारोह का 11वां संस्करण 5 अप्रैल, 2025 को सांता मोनिका, कैलिफ़ोर्निया में हुआ।
11.	यूआईडीएआई पुरस्कार	मेघालय	<ul style="list-style-type: none"> भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने मेघालय को दो श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में मान्यता दी है: बच्चों का अनिवार्य बायोमेट्रिक अद्यतन और वयस्कों के आधार नामांकन का सत्यापन।
12.	लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार	पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन	<ul style="list-style-type: none"> नई दिल्ली में 17वें सिविल सेवा दिवस समारोह के दौरान, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा विकसित पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री पुरस्कार प्राप्त हुआ।
13.	लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार		<ul style="list-style-type: none"> 25 वर्षीय स्वीडिश-अमेरिकी पोल वॉल्टर मोंडो डुप्लांटिस को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर चुना गया। सिमोन बाइल्स को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर: रियल मैड्रिड
14.	उद्योग विकास पुरस्कार	राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम (एनआईसीडीसी)	<ul style="list-style-type: none"> राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम (एनआईसीडीसी) को केरल में जन्मभूमि दैनिक द्वारा आयोजित एक प्रतिष्ठित कार्यक्रम में उद्योग विकास पुरस्कार प्राप्त हुआ।
15.	फिजी ऑर्डर के साथी	मधुसूदन साई	<ul style="list-style-type: none"> प्रमुख मानवतावादी मधुसूदन साई को हाल ही में फिजी द्वारा स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक कल्याण में उनके असाधारण योगदान के लिए ‘कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी’ से सम्मानित किया गया।

समाचारों में महत्वपूर्ण शब्दावली

	चर्चित शब्दावली	अर्थ एवं विवरण
1.	हस्तक्षेप रहित विरोध प्रदर्शन	<ul style="list-style-type: none"> नागरिक अधिकार संगठनों, श्रमिक संघों, एलबीजीटीक्व्यू+ अधिवक्ताओं, दिग्गजों और चुनाव कार्यकर्ताओं सहित 150 से अधिक समूहों ने संयुक्त राज्य अमेरिका के सभी 50 राज्यों में 1,200 से अधिक स्थानों पर “हैंड्स ऑफ !” विरोध प्रदर्शन आयोजित किए। वे डोनाल्ड ट्रम्प की प्रशासनिक नीतियों का विरोध कर रहे थे।
2.	लापु-लापु दिवस	<ul style="list-style-type: none"> लापु-लापु दिवस 1521 में लड़ी गई मैकटन के युद्ध की सालगिरह पर मनाया जाता है। इस युद्ध में, मैकटन द्वीप के सरदार (या दातु), लापुलापु ने फर्डिनेंड मैगलन के नेतृत्व वाली स्पेनिश सेना को हराया था।

समाचारों में प्रमुख व्यक्तियों का निधन

	व्यक्ति	महत्वपूर्ण जानकारी
1.	मनोज कुमार	<ul style="list-style-type: none"> मनोज कुमार ने अपनी राष्ट्रवादी थीम वाली फिल्मों से बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बनाई। आत्म-बलिदान और देशभक्त किरदारों को निभाने के लिए उन्हें 'भारत कुमार' की उपाधि मिली। उन्हें 2015 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
2.	दादी रतन मोहिनी	<ul style="list-style-type: none"> वह ब्रह्माकुमारी की आध्यात्मिक प्रमुख थीं। वह विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक संगठन की मार्गदर्शक शक्ति थीं और 2021 से इसके मुख्य प्रशासक के रूप में कार्यरत थीं।
3.	कुमुदिनी लाखिया	<ul style="list-style-type: none"> वह एक अग्रणी कथक प्रतिपादक थीं, जिन्होंने परंपरा को चुनौती दी और शास्त्रीय नृत्य शैली को नया रूप दिया। उन्हें कथक की कथा और साहित्यिक सामग्री पर पारंपरिक निर्भरता पर सवाल उठाने के लिए जाना जाता था, उन्होंने नृत्य में अमूर्तता, समूह नृत्यकला और समकालीन विषयों को पेश किया। पुरस्कार: कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए वर्ष 2025 के लिए पद्म विभूषण।
4.	पोप फ्रांसिस	<ul style="list-style-type: none"> वह पहले लैटिन अमेरिकी और जेसुइट पोप थे। 76 वर्ष की आयु में, उन्हें पोप बेनेडिक्ट XVI के अभूतपूर्व इस्तीफे के बाद चुना गया था। पोप फ्रांसिस अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए हैं जो सुधार, करुणा, विवाद और सामाजिक न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता से चिह्नित है।
5.	के. कस्तूरीरंगन	<ul style="list-style-type: none"> डॉ. कस्तूरीरंगन ने 1994 से 2003 तक इसरो के पांचवें अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, साथ ही नौ साल से अधिक समय तक अंतरिक्ष विभाग के सचिव का पद भी संभाला। परियोजना निदेशक के रूप में, उन्होंने भारत के पहले दो प्रायोगिक पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों, भास्कर-I और भास्कर-II का नेतृत्व किया। उनके मार्गदर्शन में, इसरो ने अपना पहला परिचालन रिमोट सेंसिंग उपग्रह, IRS-1A लॉन्च किया, जो भारत के पृथ्वी अवलोकन कार्यक्रम की आधारशिला बन गया। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) के लिए मसौदा समिति की अध्यक्षता की। उन्होंने 2013 में पश्चिमी घाट पर ऐतिहासिक कस्तूरीरंगन समिति की रिपोर्ट लिखी, जिसमें छह भारतीय राज्यों, कर्नाटक, गुजरात, गोवा, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र में 59,940 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के रूप में पहचाना गया।

दैनिक वस्तुनिष्ठ अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1. 'पेरिस जलवायु समझौते' के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें:

1. इस समझौते ने प्राथमिक वैश्विक जलवायु संधि के रूप में क्योटो प्रोटोकॉल का स्थान लिया।
2. जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) वह शासी निकाय है जो पेरिस समझौते के कार्यान्वयन की देखरेख करता है।
3. यह समझौता सभी हस्ताक्षरकर्ता देशों के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी है, जिसके तहत उन्हें अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) को पूरा करना होगा।
4. यह समझौता जलवायु कार्रवाई के लिए विकासशील देशों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

- (a) केवल एक (b) केवल दो
(c) केवल तीन (d) उपर्युक्त सभी

प्रश्न 2. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) केवल तभी जांच शुरू कर सकता है जब कोई मामला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा संदर्भित किया जाता है।
2. केवल वे देश जो रोम संविधि के पक्षकार हैं, ICC के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

- (a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

प्रश्न 3. विश्व खुशहाली रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है?

- (a) यूनेस्को (b) ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय
(c) संयुक्त राष्ट्र (d) डेलोइट कंसल्टिंग

प्रश्न 4. जीएलपी-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट (जीएलपी-1 आरए) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. ये दवाओं का एक नया वर्ग है जो भूख और रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने वाले हार्मोन की नकल करता है।

2. इनका उपयोग मधुमेह और मोटापे के प्रबंधन के लिए किया जा सकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

प्रश्न 5. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. COP30 को संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के भाग के रूप में नवंबर 2025 में बेलेम, ब्राजील में आयोजित किया जाएगा।
2. यह पहली बार होगा जब दक्षिण अमेरिका में COP शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही नहीं है/हैं?

- (a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

प्रश्न 6. 'सागरमंथन: महान महासागर संवाद' के संदर्भ में हिंद महासागर क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें:

1. सागरमंथन 2024 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था।
2. सागरमंथन 2024 शिखर सम्मेलन का मुख्य फोकस नीली अर्थव्यवस्था और समुद्री रसद के संदर्भ में था।
3. केवल विकसित महासागर देशों ने इस आयोजन में भाग लिया।

उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं?

- (a) केवल एक (b) केवल दो
(c) उपर्युक्त सभी (d) इनमें से कोई नहीं

प्रश्न 7. भारत में कॉलेजियम प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. कॉलेजियम प्रणाली देश में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए जिम्मेदार है।
2. 44वें संविधान संशोधन अधिनियम ने न्यायपालिका की स्वतंत्र प्रकृति की रक्षा के लिए कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत की।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही नहीं है/हैं?

- (a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

प्रश्न 8. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के महाभियोग की प्रक्रिया का विवरण न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 में दिया गया है।
2. न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के महाभियोग के प्रस्ताव को लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा अस्वीकार नहीं किया जा सकता है।
3. यदि किसी न्यायाधीश के महाभियोग के प्रस्ताव को मतदान के लिए लिया जाता है, तो कानून के अनुसार प्रस्ताव को संसद के प्रत्येक सदन द्वारा समर्थित होना चाहिए और उस सदन की कुल सदस्यता के बहुमत और उस सदन के कुल उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से कम नहीं द्वारा समर्थित होना चाहिए।

उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं?

- (a) केवल एक (b) केवल दो
(c) उपर्युक्त सभी (d) इनमें से कोई नहीं

प्रश्न 9. उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की शक्तियों और जिम्मेदारियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है:

1. उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राज्य में न्यायपालिका का प्रमुख होता है और उसे उच्च न्यायालय के विभिन्न न्यायाधीशों को मामले आवंटित करने का अधिकार होता है।
2. उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश न्यायिक मामलों पर राज्यपाल को सलाह देने के लिए जिम्मेदार होता है।
3. उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल के परामर्श से अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश कर सकता है।

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके उत्तर चुनें:

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 10. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. क्षय रोग मुख्य रूप से श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, लेकिन हड्डियों और मस्तिष्क जैसे अन्य अंगों को भी संक्रमित कर सकता है।
2. मल्टी-ड्रग-रेसिस्टेंट क्षय रोग (एमडीआर-टीबी) रिफैम्पिसिन और आइसोनियाज़िड दोनों के प्रति प्रतिरोधी है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

- (a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

प्रश्न 11. भारत के निम्नलिखित राज्यों पर विचार करें:

1. त्रिपुरा
2. मेघालय
3. मिजोरम
4. नागालैंड

उपर्युक्त राज्यों में से कितने इनर लाइन परमिट (ILP) व्यवस्था के अंतर्गत हैं?

- (a) केवल एक (b) केवल दो
(c) केवल तीन (d) उपर्युक्त सभी

प्रश्न 12. यदि आप बर्नीहाट से वायनाड तक सड़क मार्ग से यात्रा करते हैं, तो भारत में उन राज्यों की न्यूनतम संख्या क्या है, जिनसे होकर आप यात्रा कर सकते हैं, जिसमें मूल स्थान और गंतव्य स्थान शामिल हैं?

- (a) 5 (b) 6
(c) 7 (d) 8

प्रश्न 13. सतत विकास लक्ष्यों (SDG) के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं:

1. सतत विकास लक्ष्यों को संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2015 में सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के हिस्से के रूप में अपनाया गया था।
2. सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय विकास के विभिन्न पहलुओं को कवर करने वाले कुल 20 SDG हैं।
3. 2015 में अपनाया गया पेरिस समझौता SDG 13 को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके उत्तर चुनें:

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 14. खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 को प्रकाशित करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है?

- (a) खाद्य और कृषि संगठन (FAO)
(b) विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)
(c) संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP)
(d) विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP)

प्रश्न 15. क्षय रोग (टीबी) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. क्षय रोग (टीबी) एक जीवाणु रोग है जो मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करता है।
2. सरकार ने टीबी रोगियों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करने के लिए निक्षय पोषण योजना शुरू की।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

- (a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

प्रश्न 16. वरुण द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास भारत और किसके बीच आयोजित किया जाता है?

- (a) यूएसए (b) यूके
(c) रूस (d) फ्रांस

प्रश्न 17. स्वर्ण मुद्राकरण योजना (जीएमएस) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. जमाकर्ता अपने सोने के जमा पर ब्याज कमाते हैं, जिसकी गणना सोने के वजन और अवधि के आधार पर की जाती है।
2. योजना के तहत न्यूनतम जमा अवधि 5 वर्ष है, जिसमें समय से पहले निकासी की कोई सुविधा नहीं है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

- (a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

प्रश्न 18. निम्नलिखित में से कौन से देश भारत के शीर्ष 3 कच्चे तेल के स्रोत हैं?

- (a) रूस, ईरान, वेनेजुएला
(b) सऊदी अरब, इराक, यूएई
(c) यूएसए, नाइजीरिया, ओमान
(d) रूस, इराक, सऊदी अरब

प्रश्न 19. लोकसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है:

1. लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव उसके सदस्यों द्वारा किया जाता है।
2. धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है।
3. लोकसभा के विघटन से स्वतः ही राज्यसभा का विघटन हो जाता है।

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके उत्तर चुनें:

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 20. चाबहार बंदरगाह के विकास से भारत को चीन की किस प्रमुख अवसंरचना परियोजना का मुकाबला करने में मदद मिलेगी?

- (a) चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC)
(b) बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI)
(c) स्ट्रिंग ऑफ पलर्स स्ट्रैटेजी
(d) एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (AIIB)

प्रश्न 21. गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है:

1. यदि उधारकर्ता 90 दिनों या उससे अधिक की अवधि के लिए ब्याज या मूलधन चुकाने में विफल रहता है, तो परिसंपत्ति को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
2. एनपीए में केवल कॉर्पोरेट संस्थाओं को दिए गए ऋण शामिल हैं और व्यक्तिगत ऋणों पर लागू नहीं होते हैं।
3. प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) यह मापता है कि किसी बैंक ने अपने एनपीए को कवर करने के लिए किस हद तक धन उपलब्ध कराया है।

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके उत्तर चुनें:

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 22. भारत में जीएसटी की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें:

1. जीएसटी एक दोहरी कर संरचना है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों द्वारा कर लगाया जाता है।
2. कर दरों और छूट को संशोधित करने के लिए जीएसटी परिषद के निर्णय कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं।
3. जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) एक निजी स्वामित्व वाली इकाई है जो जीएसटी कार्यान्वयन के लिए आईटी बुनियादी ढांचे का प्रबंधन करती है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं?

- (a) केवल एक (b) केवल दो
(c) उपर्युक्त सभी (d) इनमें से कोई नहीं

प्रश्न 23. भारतीय संसद के संदर्भ में स्थगन (adjournment) का तात्पर्य है:

- (a) राष्ट्रपति द्वारा संसदीय सत्र की समाप्ति।
(b) संसद के निचले सदन का विघटन।
(c) संसदीय बैठक में विराम, जो बाद में फिर से शुरू हो सकता है।
(d) संसद में बजट सत्र का समापन।

प्रश्न 24. भारत सरकार के अधीन निम्नलिखित कार्यालयों पर विचार करें:

1. केंद्रीय सतर्कता आयुक्त
2. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य
3. लोकपाल
4. सीबीआई निदेशक

लोकसभा में विपक्ष का नेता उपर्युक्त में से कितने कार्यालयों की चयन समितियों का सदस्य है?

- (a) केवल एक (b) केवल दो
(c) केवल तीन (d) उपर्युक्त सभी

प्रश्न 25. फेंटेनाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह एक शक्तिशाली सिंथेटिक ओपिओइड दवा है जो मॉर्फिन से काफी अधिक शक्तिशाली है।
2. इसे एक शक्तिशाली एंटी-हिस्टामाइन के रूप में अनुमोदित किया गया है, जिसका उपयोग एलर्जी के उपचार के लिए किया जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

- (a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

प्रश्न 26. निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने गैया (Gaia) स्पेस टेलीस्कोप का संचालन किया?

- (a) NASA (b) रोस्कोस्मोस
(c) ESA (d) JAXA

प्रश्न 27. कलारीपयट्टू के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें:

1. कलारीपयट्टू एक पारंपरिक मार्शल आर्ट है जिसकी उत्पत्ति केरल में हुई थी।
2. यह तलवार, भाले और खंजर जैसे हथियारों के उपयोग के लिए जाना जाता है।
3. यह केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, और महिलाओं को इस मार्शल आर्ट में प्रशिक्षण लेने की अनुमति नहीं है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं?

- (a) केवल एक (b) केवल दो
(c) उपर्युक्त सभी (d) इनमें से कोई नहीं

प्रश्न 28. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट, 2021 के तहत 24 सप्ताह तक की गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए वैध आधार माने जाने वाली स्थितियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सी शर्तें सही हैं:

1. यौन उत्पीड़न या बलात्कार से बचे लोग
2. मेडिकल बोर्ड द्वारा पुष्टि की गई भ्रूण संबंधी असामान्यता वाली महिलाएं
3. केवल विवाहित महिलाएं

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके उत्तर चुनें:

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 29. लोकसभा में विधेयकों के पारित होने के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें:

1. एक मंत्री या एक निजी सदस्य एक साधारण विधेयक पेश कर सकता है।
2. राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर एक साधारण विधेयक पारित करना होगा, ऐसा न करने पर इसे पारित माना जाएगा।
3. राष्ट्रपति संसद द्वारा पुनर्विचार के लिए एक साधारण विधेयक लौटा सकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं?

- (a) केवल एक (b) केवल दो
(c) उपर्युक्त सभी (d) इनमें से कोई नहीं

प्रश्न 30. भूकंप के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें:

1. भूकंप केवल टेक्टोनिक प्लेट सीमाओं के साथ आते हैं।
2. रिक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता को मापता है।
3. भूकंप के दौरान अधिकांश विनाश के लिए सतही तरंगें उत्तरदायी होती हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं?

- (a) केवल एक (b) केवल दो
(c) उपर्युक्त सभी (d) इनमें से कोई नहीं

प्रश्न 31. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. संविधान सभी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को समय-समय पर अपनी संपत्ति की सार्वजनिक घोषणा करने का आदेश देता है।
2. आरटीआई अधिनियम ने सरकारी अधिकारियों को अपने संबंधित कैडर नियंत्रण प्राधिकरणों को अपनी संपत्ति सालाना घोषित करने के लिए प्रेरित किया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है?

- (a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

प्रश्न 32. भूकंप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भूकंप मुख्य रूप से पृथ्वी की भूपर्पटी में ऊर्जा के अचानक निकलने के कारण होता है, जिससे भूकंपीय तरंगें पैदा होती हैं।
2. भूकंप विशेष रूप से टेक्टोनिक प्लेट सीमाओं पर होते हैं, जिससे उनके स्थान और समय का अनुमान लगाना आसान हो जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

- (a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

प्रश्न 33. ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम (GCP) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. GCP वनीकरण और जल संरक्षण जैसी गतिविधियों के लिए व्यापार योग्य ग्रीन क्रेडिट उत्पन्न करके पर्यावरण की दृष्टि से सकारात्मक कार्यों को प्रोत्साहित करता है।
2. ग्रीन क्रेडिट का उपयोग औद्योगिक कार्बन उत्सर्जन को कम करने तक सीमित है और यह अन्य पारिस्थितिक बहाली गतिविधियों से जुड़ा नहीं है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

- | | |
|------------------|----------------------|
| (a) केवल 1 | (b) केवल 2 |
| (c) 1 और 2 दोनों | (d) न तो 1 और न ही 2 |

प्रश्न 34. माधवपुर मेला और उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है?

- | | |
|----------------|------------------|
| (a) महाराष्ट्र | (b) उत्तर प्रदेश |
| (c) तेलंगाना | (d) गुजरात |

प्रश्न 35. भारत में उच्च न्यायालयों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है:

1. भारत में प्रत्येक राज्य का अपना अलग उच्च न्यायालय है।
2. भारत में उच्च न्यायालय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत स्थापित किए गए हैं।
3. किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा पद से हटाया जा सकता है।

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके उत्तर चुनें:

- | | |
|-----------------|-----------------|
| (a) केवल 1 और 2 | (b) केवल 2 और 3 |
| (c) केवल 1 और 3 | (d) 1, 2 और 3 |

प्रश्न 36. 'भारत के मुख्य न्यायाधीश' के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें:

1. भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित है।
2. भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत की जाती है।
3. मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति वरिष्ठता के सिद्धांत का पालन करती है, जिसका अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को आमतौर पर नियुक्त किया जाता है।
4. भारत के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय पद से हटाया जा सकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं?

- | | |
|--------------|-------------------|
| (a) केवल एक | (b) केवल दो |
| (c) केवल तीन | (d) उपर्युक्त सभी |

प्रश्न 37. एल नीनो और ला नीना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. एल नीनो और ला नीना दक्षिणी दोलन नामक एक बड़ी घटना के विपरीत चरण हैं।
2. एल नीनो घटना के दौरान, पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में सतह का पानी सामान्य से अधिक गर्म हो जाता है।
3. ला नीना भूमध्यरेखीय प्रशांत क्षेत्र में सामान्य से अधिक ठंडे समुद्री सतह के तापमान की ओर ले जाता है, जिससे भारत में मानसून की गतिविधि बढ़ जाती है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं?

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| (a) केवल एक | (b) केवल दो |
| (c) उपर्युक्त सभी | (d) इनमें से कोई नहीं |

प्रश्न 38. लोक लेखा समिति (PAC) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. संसद द्वारा भारत सरकार के व्यय के लिए दी गई राशि के विनियोजन को दर्शाने वाले खातों की जांच के लिए प्रत्येक वर्ष संसद द्वारा समिति का गठन किया जाता है।
2. समिति में 30 सदस्य होते हैं, जिन्हें हर वर्ष लोकसभा अपने सदस्यों में से चुनती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

- | | |
|------------------|----------------------|
| (a) केवल 1 | (b) केवल 2 |
| (c) 1 और 2 दोनों | (d) न तो 1 और न ही 2 |

प्रश्न 39. 15वें वित्त आयोग के हस्तांतरण अभ्यास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है/हैं:

1. आयोग ने हस्तांतरण प्रक्रिया में जनसंख्या प्रदर्शन के साथ-साथ जनसांख्यिकीय प्रदर्शन भी पेश किया।
2. हस्तांतरण अभ्यास का जनसंख्या घटक केवल 1971 की जनगणना के आंकड़ों पर आधारित था।
3. जनसांख्यिकीय प्रदर्शन का उद्देश्य अधिक जनसंख्या वाले तथा खराब जनसांख्यिकीय परिणामों वाले राज्यों को कम जनसंख्या वाले तथा बेहतर परिणामों वाले राज्यों के साथ संतुलित करना है।

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके उत्तर चुनें:

- | | |
|-----------------|-----------------|
| (a) केवल 1 और 2 | (b) केवल 2 और 3 |
| (c) केवल 1 और 3 | (d) 1, 2 और 3 |

प्रश्न 40. ASER रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है?

- | |
|--|
| (a) भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता का आकलन करना |
| (b) भारतीय नागरिकों की साक्षरता दर का मूल्यांकन करना |
| (c) ग्रामीण भारत में बच्चों के सीखने के परिणामों तथा नामांकन स्थिति का आकलन करना |
| (d) भारत में शहरी अवसंरचना विकास का आकलन करना |

प्रश्न 41. भारत में निम्नलिखित राजवंशों पर विचार करें:

- | | |
|----------|---------|
| 1. मौर्य | 2. शुंग |
| 3. गुप्त | 4. पाल |

उपर्युक्त में से कौन महाबोधि मंदिर के प्रमुख शाही संरक्षक थे?

- | | |
|--------------------|--------------------|
| (a) केवल 1 और 2 | (b) केवल 1, 2 और 3 |
| (c) केवल 2, 3 और 4 | (d) 1, 2, 3 और 4 |

प्रश्न 42. दिए गए ग्रहों को उनकी परिक्रमा करने वाले चंद्रमाओं की संख्या के आधार पर घटते क्रम में व्यवस्थित करें: बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण।

- | |
|----------------------------------|
| (a) बृहस्पति - शनि - अरुण - वरुण |
| (b) शनि - बृहस्पति - अरुण - वरुण |
| (c) शनि - बृहस्पति - वरुण - अरुण |
| (d) बृहस्पति - शनि - वरुण - अरुण |

प्रश्न 43. डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के तहत छूट प्राप्त संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें:

- राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों को संभालने वाली सरकारी एजेंसियाँ।
- निजी निगम जो आंतरिक व्यावसायिक उपयोग के लिए डेटा एकत्र करते हैं।
- आपराधिक अपराधों की जाँच करने वाली कानून प्रवर्तन एजेंसियाँ।

उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं?

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| (a) केवल एक | (b) केवल दो |
| (c) उपर्युक्त सभी | (d) इनमें से कोई नहीं |

प्रश्न 44. भारतीय मछुआरों द्वारा बॉटम ट्रॉलिंग के श्रीलंका के लिए एक प्रमुख मुद्दा बनने के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें:

- यह समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाता है और मछली के भंडार को कम करता है।
- यह श्रीलंका के क्षेत्रीय जल का उल्लंघन करता है, जिससे कूटनीतिक तनाव पैदा होता है।
- यह श्रीलंकाई मछुआरों की आजीविका को नुकसान पहुंचाता है।
- यह समुद्री सीमा पार करने वाले मछुआरों को गिरफ्तार करने और हिरासत में लेने की ओर ले जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं?

- | | |
|--------------|-------------------|
| (a) केवल एक | (b) केवल दो |
| (c) केवल तीन | (d) उपर्युक्त सभी |

प्रश्न 45. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विनियामक सुधारों के महत्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है:

- वे सीमा पार व्यापार को धीमा करने वाली बाधाओं को कम करने में मदद करते हैं।
- उनका डिजिटल सेवा व्यापार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
- वे सुचारू व्यापार संचालन और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करते हैं।

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके उत्तर चुनें:

- | | |
|-----------------|-----------------|
| (a) केवल 1 और 2 | (b) केवल 2 और 3 |
| (c) केवल 1 और 3 | (d) 1, 2 और 3 |

प्रश्न 46. लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें:

- धन विधेयक पर अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है।
- चुनाव के बाद अपने राजनीतिक दल से इस्तीफा देने पर अध्यक्ष अपना पद नहीं छोड़ते।
- अध्यक्ष को केवल कदाचार या अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं?

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| (a) केवल एक | (b) केवल दो |
| (c) उपर्युक्त सभी | (d) इनमें से कोई नहीं |

प्रश्न 47. भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

- यह दलबदल के आधार पर संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है।
- इसे 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में शामिल किया गया था।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- | | |
|------------------|----------------------|
| (a) केवल 1 | (b) केवल 2 |
| (c) 1 और 2 दोनों | (d) न तो 1 और न ही 2 |

प्रश्न 48. चागोस द्वीपसमूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

- यह मालदीव से संबंधित हिंद महासागर में द्वीपों का एक समूह है।
- डिएगो गार्सिया द्वीपसमूह का सबसे बड़ा द्वीप है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- | | |
|------------------|----------------------|
| (a) केवल 1 | (b) केवल 2 |
| (c) 1 और 2 दोनों | (d) न तो 1 और न ही 2 |

प्रश्न 49. हैदराबाद में चारमीनार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इसे हैदराबाद में एक घातक प्लेग के उन्मूलन की याद में 1591 में मुहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा बनवाया गया था।
2. स्मारक के चार भव्य मेहराब और मीनारें इस्लाम के चार मुख्य दिशाओं या पहले चार खलीफाओं का प्रतीक हैं और फारसी स्थापत्य प्रभावों को एकीकृत करते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

प्रश्न 50. भारतीय आर्कटिक कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत के आर्कटिक अनुसंधान में वायुमंडलीय, जैविक, समुद्री और पृथ्वी विज्ञान और हिमनद विज्ञान संबंधी अध्ययन शामिल हैं।
2. भारत ने 2008 में हिमाद्री नाम से अपना आर्कटिक अनुसंधान केंद्र स्थापित किया।
3. विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र (एनसीपीओआर) भारतीय आर्कटिक कार्यक्रम के लिए नोडल एजेंसी है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं?

- (a) केवल एक (b) केवल दो
(c) उपर्युक्त सभी (d) इनमें से कोई नहीं

प्रश्न 51. 1950 के नेहरू-लियाकत अली समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है:

1. यह भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों देशों में धार्मिक अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए एक समझौता था।
2. इसने उपमहाद्वीप में अल्पसंख्यक संबंधी सभी चिंताओं को सफलतापूर्वक हल किया।
3. इसने शिकायतों को दूर करने के लिए एक संयुक्त भारत-पाकिस्तान समिति की स्थापना की।

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके उत्तर चुनें:

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 52. स्वतंत्रता के बाद के भारत में सरदार पटेल के योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें:

1. वे स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधान मंत्री थे।
2. उन्होंने भारत के पहले संविधान को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

3. वे भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) और भारतीय पुलिस सेवा (IPS) की स्थापना के लिए जिम्मेदार थे।

उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं?

- (a) केवल एक (b) केवल दो
(c) उपर्युक्त सभी (d) इनमें से कोई नहीं

प्रश्न 53. निम्नलिखित पर विचार करें:

1. विदेशी मुद्रा भंडार
2. व्यापार संतुलन
3. विदेशी निवेश
4. भारत और यूएसए के बीच ब्याज दर और मुद्रास्फीति में अंतर

उपर्युक्त में से कितने कारक हैं जो अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये का मूल्य निर्धारित करते हैं?

- (a) केवल एक (b) केवल दो
(c) केवल तीन (d) उपर्युक्त सभी

प्रश्न 54. ओटावा कन्वेंशन (1997) का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?

- (a) परमाणु हथियारों के उत्पादन और हस्तांतरण को विनियमित करना।
(b) साइबर युद्ध के लिए अंतरराष्ट्रीय नियम स्थापित करना।
(c) एंटी-पर्सनल माइंस के उपयोग, उत्पादन, भंडारण और हस्तांतरण को प्रतिबंधित करना।
(d) पारंपरिक डायनामाइट-आधारित हथियारों के वैश्विक हथियार व्यापार को नियंत्रित करना।

प्रश्न 55. 'ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019' के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें:

1. अधिनियम किसी व्यक्ति को अपनी लिंग पहचान स्वयं समझने की अनुमति देता है और बिना मेडिकल जांच के पहचान पत्र जारी करने का आदेश देता है।
2. अधिनियम नीतिगत मामलों पर सलाह देने के लिए ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए एक राष्ट्रीय परिषद की स्थापना का प्रावधान करता है।
3. अधिनियम में शिक्षा और रोजगार में आरक्षण के लिए विशिष्ट प्रावधान शामिल हैं।
4. अधिनियम निजी क्षेत्र की कंपनियों को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए रोजगार कोटा पूरा करने का आदेश देता है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं?

- (a) केवल एक (b) केवल दो

(c) केवल तीन (d) उपर्युक्त सभी

प्रश्न 56. रूस-यूक्रेन संघर्ष में शांति प्रयासों में ग्लोबल साउथ की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है:

1. ग्लोबल साउथ ने रूस-यूक्रेन संघर्ष में काफी हद तक तटस्थता बनाए रखी है।
2. ग्लोबल साउथ के नेतृत्व में एक शांति मिशन कीव और मॉस्को दोनों के बीच विश्वास बढ़ा सकता है।
3. अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के देशों के पास संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में अनुभव की कमी है।

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके उत्तर चुनें:

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 57. बीटी कपास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. बीटी कपास को बैसिलस थुरिंजिएंसिस से एक विष उत्पन्न करने के लिए आनुवंशिक रूप से संशोधित किया जाता है जो इसे कुछ कीटों से बचाता है।
2. बीटी कपास की खेती कपास की खेती में रासायनिक कीटनाशकों की आवश्यकता को पूरी तरह से समाप्त कर देती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

प्रश्न 58. जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (GEAC) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कार्यरत एक वैधानिक निकाय है।
2. यह पर्यावरण के दृष्टिकोण से अनुसंधान और औद्योगिक उत्पादन में खतरनाक सूक्ष्मजीवों और पुनः संयोजकों के बड़े पैमाने पर उपयोग से जुड़ी गतिविधियों के मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

प्रश्न 59. राज्य सभा के सभापति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है:

1. सभापति यह तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं।
2. सभापति संसद की संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता करता है।
3. उन्हें राज्य सभा में पारित प्रस्ताव और लोक सभा द्वारा सहमति के द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है।

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके उत्तर चुनें:

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 60. लोक सभा में विपक्ष के नेता के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें:

1. विपक्ष के नेता का उल्लेख भारत के संविधान में अनुच्छेद 98 के तहत किया गया है।
2. किसी पार्टी को अपने नेता को विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता देने के लिए लोकसभा की कुल ताकत का कम से कम 10% सुरक्षित करना चाहिए।
3. ऐसी लोक सभाएँ रही हैं जिनमें विपक्ष के किसी भी नेता को मान्यता नहीं दी गई।

उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो
(c) उपर्युक्त सभी (d) इनमें से कोई नहीं

प्रश्न 61. श्री गॉर्जस अंटार्कटिक आई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह अंटार्कटिका में अनुसंधान स्टेशन पर एक रेडियो दूरबीन है।
2. यह नासा और जेएक्सए की एक संयुक्त परियोजना है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

प्रश्न 62. धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है, यदि उसके पास धन शोधन में संलिप्तता का संकेत देने वाले भौतिक साक्ष्य हों।
2. पीएमएलए के तहत, यह साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर होता है कि संपत्ति धन शोधन से जुड़ी है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

प्रश्न 63. भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है:

1. यह विमान अधिनियम, 1934 का स्थान लेता है।

2. यह पहली बार नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) की स्थापना करता है।
3. यह विमान डिजाइन को विनियमित करने के लिए प्रावधान प्रस्तुत करता है।

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके उत्तर चुनें:

- | | |
|-----------------|-----------------|
| (a) केवल 1 और 2 | (b) केवल 2 और 3 |
| (c) केवल 1 और 3 | (d) 1, 2 और 3 |

प्रश्न 64. क्यूएस के विश्व भविष्य कौशल सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें:

1. एआई और हरित कौशल के लिए तैयारियों के मामले में भारत विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पर है।
2. भारत ने 'कौशल फिट' श्रेणी में 90 से अधिक अंक प्राप्त किए, जो भविष्य की कौशल मांगों को पूरा करने के लिए कार्यबल की मजबूत क्षमता को दर्शाता है।
3. भारत 'शैक्षणिक तत्परता' के मामले में 26वें स्थान पर है, जो शैक्षिक तैयारियों में मध्यम प्रदर्शन को दर्शाता है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| (a) केवल एक | (b) केवल दो |
| (c) उपर्युक्त सभी | (d) इनमें से कोई नहीं |

प्रश्न 65. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार देता है कि वह...

- (a) कानून या तथ्य के प्रश्नों पर भारत के राष्ट्रपति को परामर्शी राय दे।
- (b) संसद द्वारा पारित कानूनों को शून्य घोषित करे यदि वे संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करते हैं।
- (c) अपने समक्ष लंबित किसी मामले या मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए कोई डिक्री पारित करे या कोई आदेश जारी करे।
- (d) भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच विवादों में अनन्य मूल अधिकारिता का प्रयोग करे।

प्रश्न 66. भारत में किसी राज्य के राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. किसी राज्य के राज्यपाल को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और वह राष्ट्रपति की प्रसादपर्यन्त पद पर रहता है।
2. राज्यपाल के लिए योग्यता में यह शामिल है कि उनकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए और वे उस राज्य के निवासी होने चाहिए जहाँ उन्हें नियुक्त किया गया है।
3. भारत के राष्ट्रपति नवनियुक्त राज्यपालों को पद की शपथ दिलाते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन गलत हैं?

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| (a) केवल एक | (b) केवल दो |
| (c) उपर्युक्त सभी | (d) इनमें से कोई नहीं |

प्रश्न 67. कॉमन कॉज बनाम यूनिन ऑफ इंडिया (2018) मामले के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है:

1. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में निष्क्रिय इच्छामृत्यु को वैध बनाया।
2. फैसले में स्पष्ट दिशानिर्देश, निगरानी तंत्र और निरीक्षण शामिल थे।
3. कार्यान्वयन रणनीतियों की कमी के कारण निर्णय विफल हो गया।

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके उत्तर चुनें:

- | | |
|-----------------|-----------------|
| (a) केवल 1 और 2 | (b) केवल 2 और 3 |
| (c) केवल 1 और 3 | (d) 1, 2 और 3 |

प्रश्न 68. ताज ट्रेपेज़ियम ज़ोन (टीटीज़ेड) के तहत निर्देशों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें:

1. मथुरा तेल रिफाइनरी के चारों ओर एक हरित पट्टी स्थापित की गई थी।
2. निर्णय वरदराजन समिति की सिफारिशों पर आधारित था।
3. निर्देशों में समन्वय की कमी थी और इस प्रकार परिणाम प्राप्त करने में विफल रहे।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| (a) केवल एक | (b) केवल दो |
| (c) उपर्युक्त सभी | (d) इनमें से कोई नहीं |

प्रश्न 69. ह्यूमन पेपिलोमावायरस (एचपीवी) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. एचपीवी एक आरएनए वायरस है जो उपकला (epithelial) ऊतकों को संक्रमित करता है।
2. यह मुख्य रूप से श्वसन बूंदों के माध्यम से फैलता है।
3. एचपीवी के कुछ प्रकार गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर सहित कई प्रकार के कैंसर के विकास के जोखिम को बढ़ा सकते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं?

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| (a) केवल एक | (b) केवल दो |
| (c) उपर्युक्त सभी | (d) इनमें से कोई नहीं |

प्रश्न 70. निम्नलिखित पर विचार करें:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1. उच्च मुद्रास्फीति | 2. उच्च बेरोजगारी |
| 3. सस्ते ऋण | 4. उच्च तरलता |

उपर्युक्त में से कितने रेपो दर में कटौती के संभावित या अपेक्षित परिणाम हैं?

- (a) केवल एक (b) केवल दो
(c) केवल तीन (d) उपर्युक्त सभी

प्रश्न 71. भारत के पड़ोस में चीन के बढ़ते प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है:

1. अपने मुख्य सलाहकार की चीन यात्रा के बाद बांग्लादेश के साथ संबंधों को मजबूत किया।
2. रक्षा सहयोग समझौतों के माध्यम से पाकिस्तान के साथ साझेदारी को नवीनीकृत किया।
3. पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका में कूटनीतिक विस्तार।

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके उत्तर चुनें:

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 72. निम्नलिखित में से कौन सहकारी संघवाद की अवधारणा का सबसे अच्छा वर्णन करता है?

- (a) शक्तियों का विभाजन जहाँ केंद्र राज्यों पर हावी होता है
(b) केंद्रीय हस्तक्षेप के बिना राज्यों की पूर्ण स्वायत्तता
(c) नीति निर्माण और कार्यान्वयन में केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग
(d) न्यायपालिका केंद्र और राज्यों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करती है

प्रश्न 73. ज्योतिबा फुले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर 1848 में पुणे में भारत में लड़कियों के लिए पहला स्कूल स्थापित किया और महिला शिक्षा के अग्रदूत बन गए।
2. उन्होंने ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था के संरक्षण की वकालत करने के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना की।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

प्रश्न 74. निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा भूमि बंदरगाह है?

- (a) अटारी भूमि बंदरगाह (b) मोरेह भूमि बंदरगाह
(c) पेट्रापोल भूमि बंदरगाह (d) रक्सौल भूमि बंदरगाह

प्रश्न 75. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है:

1. एनआईए की स्थापना 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों के बाद भारत की संसद द्वारा पारित एक कानून के तहत की गई थी।
2. एनआईए के पास पूरे भारत में अपराधों की जांच करने का अधिकार क्षेत्र है, लेकिन भारतीय क्षेत्र के बाहर नहीं।
3. एनआईए राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी मामले को स्वतः संज्ञान में ले सकती है, यहां तक कि राज्य के विषयों से संबंधित मामलों में भी।

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके उत्तर चुनें:

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 76. मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें:

1. मौद्रिक नीति समिति भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है।
2. एमपीसी की अध्यक्षता भारत के वित्त मंत्री करते हैं।
3. एमपीसी का प्राथमिक उद्देश्य विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना है।
4. एमपीसी के प्रत्येक सदस्य के पास एक वोट होता है, और बराबरी की स्थिति में आरबीआई गवर्नर के पास वोट देने का अधिकार होता है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

- (a) केवल एक (b) केवल दो
(c) उपर्युक्त सभी (d) इनमें से कोई नहीं

प्रश्न 77. भारतीय संविधान में, किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किस मामले में अनिवार्य रूप से राष्ट्रपति को विधेयक भेजना होता है?

- (a) यदि यह संविधान के प्रावधान और भारत के संघीय ढांचे के विरुद्ध है।
(b) यदि यह ऐसा प्रावधान लाता है जो संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून को नकारता है।
(c) यदि यह 'कृषि आय' या केंद्र से राज्यों को निधि के हस्तांतरण में कोई बदलाव लाता है।
(d) यदि यह उच्च न्यायालय की शक्तियों को इस हद तक कम कर देता है कि इसकी संवैधानिक स्थिति को खतरा हो जाता है।

प्रश्न 78. 'कवच प्रणाली' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) द्वारा भारतीय उद्योग के सहयोग से स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली (एटीपीएस) है।

2. यदि चालक गति प्रतिबंधों के अनुसार ट्रेन को नियंत्रित करने में विफल रहता है तो यह ट्रेन की ब्रेकिंग प्रणाली को स्वचालित रूप से सक्रिय कर देता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

प्रश्न 79. लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम 'गौरव' के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं:

1. 'गौरव' रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) द्वारा डिजाइन किया गया एक स्वदेशी रूप से विकसित सटीक निर्देशित बम है।
2. इसकी अधिकतम सीमा 100 किमी से अधिक है और इसे लड़ाकू विमान से लॉन्च किया जा सकता है।
3. 'गौरव' उच्च सटीकता के साथ लक्ष्य तक स्वयं को निर्देशित करने के लिए उपग्रह नेविगेशन का उपयोग करता है।

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके उत्तर चुनें:

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 80. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. कैलिफोर्निया में ला ब्रेआ टार पिट्स ने डायर वुल्फ जीवाश्मों का सबसे समृद्ध संग्रह प्राप्त किया है।
2. डायर वुल्फ आकार और आनुवंशिक वंश दोनों में आधुनिक ग्रे वुल्फ के समान थे।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

प्रश्न 81. केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है:

1. सीएपीएफ गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है।
2. सीआरपीएफ भारत में सबसे बड़ा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है।
3. सीआरपीएफ की प्राथमिक भूमिका कानून और व्यवस्था बनाए रखने में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सहायता करना है।

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके उत्तर चुनें:

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 82. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 175 में राज्यपाल की शक्ति का उल्लेख है:

- (a) विधानमंडल के समक्ष विधेयक प्रस्तुत करना
(b) सत्र के दौरान किसी भी समय सदन को संबोधित करना
(c) विधानमंडल के साथ राष्ट्रीय महत्व के मामलों पर चर्चा करना
(d) विधानमंडल को विधेयक को स्वीकृति के लिए उसके पास भेजने के लिए बाध्य करना

प्रश्न 83. हाल ही में डीआरडीओ का DEW MK-II (A) हथियार चर्चा में रहा। यह एक है:

- (a) हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल
(b) निर्देशित ऊर्जा हथियार
(c) उन्नत एंटी-टैंक मिसाइल प्रणाली
(d) मानव रहित हवाई लड़ाकू वाहन

प्रश्न 84. निम्नलिखित प्रदूषकों पर विचार करें:

- | | |
|---------------|------------|
| 1. आर्सेनिक | 2. लेड |
| 3. निकल | 4. बेंजीन |
| 5. बेजोपाइरीन | 6. अमोनिया |

उपर्युक्त प्रदूषकों में से कौन से राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक के अंतर्गत निगरानी में नहीं हैं?

- (a) 1, 2, 3, और 5 (b) 1, 2, 4, और 6
(c) 2, 3, 4, और 5 (d) 1, 3, 4, और 5

प्रश्न 85. जलियांवाला बाग हत्याकांड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में दमनकारी रौलेट अधिनियम का विरोध करने वाली एक शांतिपूर्ण सभा के दौरान हुआ था।
2. ब्रिटिश सरकार ने घटना के तुरंत बाद एक आधिकारिक माफी जारी की और जनरल डायर को सेवा से बर्खास्त कर दिया।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

प्रश्न 86. मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इसने प्रांतीय सरकारों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की, विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित सूचियों में विभाजित किया।

2. इसने केंद्रीय स्तर पर एक द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की, जिसमें विधान सभा और राज्य परिषद शामिल थी।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

प्रश्न 87. 'औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी)' के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें:

- आईआईपी को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा संकलित और प्रकाशित किया जाता है।
- आईआईपी एक समग्र संकेतक है जो केवल मुख्य उद्योगों की वृद्धि दर को मापता है।
- बिजली और खनन भी आईआईपी गणना का हिस्सा हैं।
- आईआईपी की वर्तमान श्रृंखला के लिए आधार वर्ष 2011-12 है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं?

- (a) केवल एक (b) केवल दो
(c) केवल तीन (d) उपर्युक्त सभी

प्रश्न 88. भारत में खुदरा मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है:

- खुदरा मुद्रास्फीति को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) का उपयोग करके मापा जाता है।
- खुदरा मुद्रास्फीति को RBI द्वारा अपने लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढांचे के तहत सीधे लक्षित किया जाता है।
- उच्च खुदरा मुद्रास्फीति RBI को नीति रेपो दर बढ़ाने के लिए प्रेरित कर सकती है।

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके उत्तर चुनें:

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 89. स्कारबोरो शोल कहाँ स्थित है?

- (a) पीला सागर (b) दक्षिण चीन सागर
(c) पूर्वी चीन सागर (d) फिलीपीन सागर

प्रश्न 90. भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

- हेडलाइन मुद्रास्फीति में खाद्य और ईंधन जैसी अस्थिर वस्तुओं की कीमतें शामिल हैं, जबकि कोर मुद्रास्फीति में उन्हें शामिल नहीं किया जाता है।

- कोर मुद्रास्फीति अंतर्निहित मुद्रास्फीति प्रवृत्तियों का एक अधिक स्थिर उपाय है क्योंकि यह खाद्य और ऊर्जा बाजारों में अस्थायी मूल्य झटकों से प्रभावित नहीं होती है।

- खुदरा मुद्रास्फीति उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त) पर आधारित है।
- RBI द्वारा निर्धारित मध्यम अवधि मुद्रास्फीति लक्ष्य 4%, +/-2 प्रतिशत है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं?

- (a) केवल एक (b) केवल दो
(c) केवल तीन (d) उपर्युक्त सभी

प्रश्न 91. 'भारत लघु रिपेक्टर (बीएसआर)' के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें:

- भारत लघु रिपेक्टर एनपीसीआईएल द्वारा विकसित मौजूदा 220 मेगावाट पीएचडब्ल्यूआर का उन्नत संस्करण है।
- बीएसआर का उपयोग केवल निर्यात उद्देश्यों के लिए किया जाना प्रस्तावित है।
- भारतीय उद्योग बीएसआर के लिए आवश्यक सभी उपकरण और घटकों का निर्माण करने में सक्षम है।
- बीएसआर को भारत-अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते के तहत विदेशी सहयोग से डिजाइन किया जा रहा है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं?

- (a) केवल एक (b) केवल दो
(c) केवल तीन (d) उपर्युक्त सभी

प्रश्न 92. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

- भारत के संविधान का अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को उसके समक्ष लंबित किसी भी मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक कोई भी आदेश या डिक्री पारित करने का अधिकार देता है।
- अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का उपयोग सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केवल संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के प्रवर्तन को निर्देशित करने के लिए किया जा सकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

प्रश्न 93. टोल-ऑपरेट-ट्रांसफर (टीओटी) मॉडल में निजी इकाई की प्राथमिक भूमिका क्या है?

- (a) नई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का डिजाइन और निर्माण करना।
(b) संचालन या रखरखाव में शामिल हुए बिना वित्तपोषण प्रदान करना।

(c) मौजूदा बुनियादी ढांचे से टोल का संचालन, रखरखाव और संग्रह करना।

(d) टोल दरों को विनियमित करना और सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना।

प्रश्न 94. टाइप 5 मधुमेह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. टाइप 5 मधुमेह मेलिटस को कुपोषण से संबंधित मधुमेह मेलिटस (एमआरडीएम) के रूप में भी जाना जाता है।
2. संतुलित आहार लेकर कुपोषण पर काबू पाकर इसे पूरी तरह से उलटा जा सकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

प्रश्न 95. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. नांगुनुह गांव में वर्धमान महावीर की जैन मूर्ति 9वीं शताब्दी ई. की है।
2. महावीर मूर्ति के पास ईंट के बल्ले और बर्तनों के टुकड़ों की मौजूदगी से पता चलता है कि यह स्थल कभी जैन बसादी (मठ) था।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

प्रश्न 96. भारत के अमेरिका के साथ व्यापार संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है:

1. हाल के वर्षों में अमेरिका को भारत का निर्यात लगातार बढ़ रहा है।
2. अमेरिका द्वारा लगाया गया अतिरिक्त 26% पारस्परिक टैरिफ विभिन्न वस्तुओं पर अलग-अलग प्रभाव डालेगा।
3. भारत की पारस्परिक टैरिफ दर की गणना अमेरिका द्वारा भारत को किए जाने वाले निर्यात और भारत से आयात के बीच के अंतर के आधार पर की जाती है।

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके उत्तर चुनें:

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 97. हाल ही में खबरों में आया K2-18b क्या है?

- (a) सुपर अर्थ एक्सोप्लैनेट (b) जीन एडिटिंग टूल
(c) कैसर से जुड़ा मानव जीन (d) अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन मॉड्यूल

प्रश्न 98. होलकर राजवंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इसकी स्थापना 18वीं शताब्दी की शुरुआत में मल्हार राव होलकर ने मराठा संघ के हिस्से के रूप में की थी।
2. अहिल्याबाई होलकर के शासन में, राजवंश की राजधानी इंदौर में स्थापित की गई और शहर एक प्रमुख सांस्कृतिक और वाणिज्यिक केंद्र बन गया।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

प्रश्न 99. व्यापार घाटे के आर्थिक निहितार्थों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है:

1. व्यापार घाटा घरेलू बाजार में विदेशी मुद्रा की मांग को बढ़ाता है।
2. व्यापार घाटे के परिणामस्वरूप देश का विदेशी ऋण बढ़ सकता है।
3. व्यापार घाटा हमेशा विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि के साथ होता है।

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके उत्तर चुनें:

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 100. एक्सोप्लैनेट K2-18b के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?

- (a) K2-18b अपने मेजबान तारे के रहने योग्य क्षेत्र में स्थित है, जो इसे अलौकिक जीवन की खोज के लिए एक उम्मीदवार बनाता है।
(b) K2-18b की खोज हबल स्पेस टेलीस्कोप द्वारा 2009 में की गई थी।
(c) K2-18b का वायुमंडल मुख्य रूप से हीलियम से बना है, जिसमें जल वाष्प का कोई निशान नहीं है।
(d) K2-18b केपलर अंतरिक्ष मिशन के K2 सर्वेक्षण का हिस्सा है, जो सेंटॉर्स के तारामंडल में स्थित है।

प्रश्न 101. बादल निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. बादल तब बनते हैं जब गर्म, नम हवा ऊपर उठती है, ठंडी होती है और जल वाष्प छोटे कणों के चारों ओर संघनित होती है।
2. बादल मुख्य रूप से उच्च ऊंचाई पर बर्फ के क्रिस्टल में जल वाष्प के सीधे जमने से बनते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

प्रश्न 102. निसार, अपनी तरह का पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, जो ... का एक संयुक्त मिशन है।

- (a) नासा और ईएसए (b) इसरो और ईएसए
(c) ईएसए और जेएक्सए (d) इसरो और नासा

प्रश्न 103. डीकार्बोनाइजेशन के संदर्भ में जैव ईंधन के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें:

1. जैव ईंधन पौधों और शैवाल जैसे कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त होते हैं।
2. वे कार्बन-तटस्थ होते हैं और शून्य कार्बन उत्सर्जन में योगदान करते हैं।
3. उत्सर्जन को कम करने के लिए जैव ईंधन का उपयोग समुद्री और विमानन क्षेत्रों में किया जा सकता है।
4. जैव ईंधन कार्बन उत्सर्जन को कम करते हैं लेकिन फिर भी भूमि उपयोग परिवर्तन और पानी की खपत जैसे अन्य पर्यावरणीय प्रभावों में योगदान करते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं?

- (a) केवल एक (b) केवल दो
(c) केवल तीन (d) उपर्युक्त सभी

प्रश्न 104. भारत में हरित रसद पहल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है:

1. भारत समुद्री शिपिंग में इलेक्ट्रिक ट्रकों और स्वच्छ ईंधन की ओर बढ़ रहा है।
2. परिष्कृत ईंधन पर कम निर्भरता के कारण वायु परिवहन डीकार्बोनाइज करने का सबसे आसान क्षेत्र है।
3. अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का लक्ष्य 2050 तक वैश्विक शिपिंग उत्सर्जन को 50% तक कम करना है।

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके उत्तर चुनें:

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तर कुंजी					
प्रश्न 1	c	प्रश्न 2	d	प्रश्न 3	b
प्रश्न 4	c	प्रश्न 5	b	प्रश्न 6	b
प्रश्न 7	b	प्रश्न 8	b	प्रश्न 9	c
प्रश्न 10	c	प्रश्न 11	b	प्रश्न 12	c
प्रश्न 13	c	प्रश्न 14	c	प्रश्न 15	c
प्रश्न 16	d	प्रश्न 17	a	प्रश्न 18	d
प्रश्न 19	a	प्रश्न 20	a	प्रश्न 21	c
प्रश्न 22	a	प्रश्न 23	c	प्रश्न 24	d
प्रश्न 25	a	प्रश्न 26	c	प्रश्न 27	a
प्रश्न 28	a	प्रश्न 29	b	प्रश्न 30	a
प्रश्न 31	b	प्रश्न 32	a	प्रश्न 33	a
प्रश्न 34	d	प्रश्न 35	c	प्रश्न 36	b
प्रश्न 37	c	प्रश्न 38	a	प्रश्न 39	c
प्रश्न 40	c	प्रश्न 41	d	प्रश्न 42	b
प्रश्न 43	b	प्रश्न 44	d	प्रश्न 45	c
प्रश्न 46	b	प्रश्न 47	a	प्रश्न 48	b
प्रश्न 49	c	प्रश्न 50	b	प्रश्न 51	c
प्रश्न 52	b	प्रश्न 53	d	प्रश्न 54	c
प्रश्न 55	b	प्रश्न 56	a	प्रश्न 57	a
प्रश्न 58	b	प्रश्न 59	a	प्रश्न 60	b
प्रश्न 61	a	प्रश्न 62	a	प्रश्न 63	c
प्रश्न 64	b	प्रश्न 65	c	प्रश्न 66	b
प्रश्न 67	a	प्रश्न 68	b	प्रश्न 69	a

प्रश्न 70	c	प्रश्न 71	d	प्रश्न 72	c
प्रश्न 73	a	प्रश्न 74	c	प्रश्न 75	c
प्रश्न 76	c	प्रश्न 77	d	प्रश्न 78	b
प्रश्न 79	d	प्रश्न 80	a	प्रश्न 81	d
प्रश्न 82	b	प्रश्न 83	b	प्रश्न 84	d
प्रश्न 85	a	प्रश्न 86	c	प्रश्न 87	c
प्रश्न 88	d	प्रश्न 89	b	प्रश्न 90	d
प्रश्न 91	b	प्रश्न 92	a	प्रश्न 93	c
प्रश्न 94	a	प्रश्न 95	c	प्रश्न 96	b
प्रश्न 97	a	प्रश्न 98	a	प्रश्न 99	a
प्रश्न 100	a	प्रश्न 101	a	प्रश्न 102	d
प्रश्न 103	c	प्रश्न 104	c		



दैनिक उत्तर-लेखन अभ्यास प्रश्न

- प्रश्न 1. यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों के चयन के लिए प्रमुख मानदंड क्या हैं? किसी स्थल के लिए विश्व धरोहर टैग का दर्जा प्राप्त करने के महत्व पर चर्चा करें। (जीएस 1; 10 अंक; 150 शब्द)
- प्रश्न 2. मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड की वैश्विक वार्मिंग क्षमता की तुलना करें। मीथेन उत्सर्जन के प्रमुख स्रोतों और मीथेन उत्सर्जन को कम करने के तरीकों पर चर्चा करें। (जीएस 3; 15 अंक; 250 शब्द)
- प्रश्न 3. मॉरीशस के साथ भारत की बढ़ी हुई रणनीतिक साझेदारी हिंद महासागरीय क्षेत्र (आईओआर) में इसकी विकसित होती समुद्री रणनीति के लिए महत्वपूर्ण है। टिप्पणी करें। (जीएस 2; 15 अंक; 250 शब्द)
- प्रश्न 4. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) के ऐतिहासिक विकास और संवैधानिक प्रावधानों पर चर्चा करें। सार्वजनिक खजाने के प्रहरी के रूप में इसकी भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। (जीएस 2; 15 अंक; 250 शब्द)


- प्रश्न 5. जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता हानि और खाद्य असुरक्षा जैसी परस्पर जुड़ी वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए सहक्रियात्मक दृष्टिकोण अपनाने से सतत विकास को बढ़ावा मिलेगा। टिप्पणी करें। (जीएस 3; 10 अंक; 150 शब्द)
- प्रश्न 6. भारत की जल कूटनीति की रणनीति क्षेत्रीय सहयोग और राष्ट्रीय हितों के बीच संतुलन बनाती है। भारत की अपने पड़ोसी देशों के साथ जल-साझाकरण संबंधी कुछ संधियों की जांच करें। (जीएस 2; 15 अंक; 250 शब्द)
- प्रश्न 7. अमेरिकी डॉलर के वैश्विक प्रभुत्व के प्रमुख पहलुओं पर चर्चा करें। भारतीय रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण और गैर-पारंपरिक आरक्षित मुद्राओं के उदय जैसी पहल अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व को कैसे चुनौती देती हैं? वैश्विक आर्थिक व्यवस्था पर इसके संभावित प्रभाव क्या हैं? (जीएस 2 और 3; 15 अंक; 250 शब्द)
- प्रश्न 8. अमृत काल के दौरान भारत में कृषि क्षेत्र के सामने प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं? क्षेत्र की निरंतर और समावेशी वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न सुधारों और रणनीतियों पर चर्चा करें। (जीएस 3; 15 अंक; 250 शब्द)
- प्रश्न 9. बाघ (टाइगर) एक अंब्रेला प्रजाति के रूप में कार्य करते हैं और उनका संरक्षण जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण है। टिप्पणी करें। भारत में बाघ संरक्षण के लिए सरकार द्वारा क्या पहल की गई है? (जीएस 3; 15 अंक; 250 शब्द)
- प्रश्न 10. भारतीय राजव्यवस्था को संघीय माना जाता है, भले ही संविधान में महासंघ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। उपर्युक्त कथन के आलोक में भारत में संघवाद के विकास का परीक्षण करें। (जीएस 2; 15 अंक; 250 शब्द)
- प्रश्न 11. अमेरिकी टैरिफ की धमकियों के बीच, भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता (FTA) एक महत्वपूर्ण आर्थिक अवसर प्रस्तुत करता है। भारत और यूरोपीय संघ दोनों के लिए मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के संभावित लाभों और इससे जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करें। (जीएस 2; 15 अंक; 250 शब्द)
- प्रश्न 12. हाल ही में नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप द्वारा वरुण ग्रह (नेपच्यून) पर पहली बार ऑरोरा देखा गया। ऑरोरा क्या हैं? प्रकृति में अरोरा के घटित होने की घटना का वर्णन करें। (जीएस 1, 10 अंक, 150 शब्द)

- प्रश्न 13. दुनिया भर के देश और कंपनियाँ इसके संभावित लाभों के कारण भू-अभियांत्रिकी (जियोइंजीनियरिंग) के विचार को अपना रही हैं। जियोइंजीनियरिंग क्या है? जियोइंजीनियरिंग के लाभ और हानि के साथ-साथ विभिन्न जियोइंजीनियरिंग तकनीकों पर चर्चा करें। (जीएस 1 और 3; 15 अंक; 250 शब्द)
- प्रश्न 14. भारतीय चित्तकला शैलियाँ भारत की समृद्ध कलात्मक विरासत का प्रतीक हैं। भारत में विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग प्रमुख चित्तकला शैलियों पर चर्चा करें। (जीएस1; 15 अंक; 250 शब्द)
- प्रश्न 15. कलात्मक शैलियों की नकल करने वाले जनरेटिव एआई उपकरणों के साथ, नैतिक निहितार्थों और तकनीकी नवाचार और बौद्धिक संपदा के सम्मान के बीच संतुलन पर चर्चा करें। (जीएस1 और 3; 10 अंक; 15 शब्द)
- प्रश्न 16. भारत को इस गर्मी में ग्रीष्म लहरों (हीटवेव) की बढ़ती घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है। हीटवेव (लू) के संभावित प्रभावों पर चर्चा करें। हीटवेव के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के उपाय सुझाएँ। (जीएस 1 एवं 3; 15 अंक; 250 शब्द)
- प्रश्न 17. अफ्रीकी ग्रेट लेक्स क्षेत्र में अस्थिरता भारत के लिए रणनीतिक महत्व रखती है, यद्यपि इससे प्रत्यक्ष रूप से कोई खतरा न हो। टिप्पणी करें। (जीएस 2; 10 अंक; 150 शब्द)
- प्रश्न 18. वैश्वीकरण को परिभाषित कीजिये। इसकी मुख्य विशेषताएँ और चालक क्या हैं? विश्व में संरक्षणवाद के पुनरुत्थान के साथ, वैश्वीकरण से जुड़े लाभों और चुनौतियों पर चर्चा करें। (जीएस 1; 15 अंक; 250 शब्द)
- प्रश्न 19. पंचामृत कार्य योजना के तहत अपनी जलवायु प्रतिबद्धताओं को प्राप्त करने में भारत के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करें। वैश्विक जलवायु वित्त में कमी का भारत की जलवायु रणनीतियों पर क्या प्रभाव पड़ता है? (जीएस3; 15 अंक; 250 शब्द)
- प्रश्न 20. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) की वर्तमान संरचना पुरानी शक्ति गतिशीलता को दर्शाती है। टिप्पणी करें। यूएनएससी में संभावित सुधारों पर चर्चा करें, जो इसे अधिक न्यायसंगत और प्रासंगिक बना सकते हैं। (जीएस 2; 15 अंक; 250 शब्द)
- प्रश्न 21. 1991 के आर्थिक सुधार भारत के लिए आर्थिक मजबूरियों और राजनीतिक अवसर के बीच एक आदर्श संयोजन थे। विस्तार से बताइए। क्या वर्तमान स्थिति में सुधार 2.0 की आवश्यकता है? (15 अंक, 250 शब्द)
- प्रश्न 22. भारत में 26/11 के दुर्भाग्यपूर्ण आतंकवादी हमले द्वारा लाए गए महत्वपूर्ण परिवर्तनों को सूचीबद्ध करें? क्या आतंकी खतरों ने भारत की दो मोर्चों पर युद्ध की स्थितियों को जटिल बना दिया है? (15 अंक, 250 शब्द)

- प्रश्न 23. जब दुनिया भर के देश अपनी किशोर आबादी को सोशल मीडिया से दूर रखने पर विचार कर रहे हैं, तो बताएं कि सोशल मीडिया को दोधारी तलवार क्यों माना जाता है। भारत में सोशल मीडिया के लिए नियामक ढांचे पर चर्चा करें। (जीएस 3; 15 अंक; 250 शब्द)
- प्रश्न 24. आर्कटिक टुंड्रा, जिसने हजारों वर्षों से कार्बन का भंडारण किया है, अब ताप-रोधी ग्रीनहाउस गैसों (जीएचजी) का स्रोत बन गया है। आर्कटिक टुंड्रा कार्बन को कैसे संग्रहित करता है? वैश्विक जलवायु प्रणाली में इस परिवर्तन के कारण का विश्लेषण करें। (जीएस 1 और 3; 10 अंक; 150 शब्द)
- प्रश्न 25. भारत की इन-सीटू और एक्स-सीटू संरक्षण रणनीतियों तथा जैव विविधता के समक्ष आने वाले खतरों से निपटने के लिए कानूनी ढाँचों पर चर्चा करें। (जीवन 3; 15 अंक; 250 शब्द)
- प्रश्न 26. शिखर सम्मेलन क्षेत्रीय और वैश्विक शासन दोनों की आधारशिला हैं। हाल के समय में भारत द्वारा भाग लिए गए प्रमुख शिखर सम्मेलनों के प्रमुख परिणामों पर चर्चा करें। (जीएस 2; 15 अंक; 250 शब्द)
- प्रश्न 27. हाथ से मैला ढोने की प्रथा (मैनुअल स्कैवेजिंग) जातिगत भेदभाव, मानवाधिकार और स्वच्छता जैसी गंभीर चिंताओं को उजागर करती है। सरकार ने हाथ से मैला ढोने की प्रथा को खत्म करने के लिए क्या उपाय किए हैं? भारत में हाथ से मैला ढोने की प्रथा के प्रचलन के कारणों पर चर्चा करें। (जीएस 1; 15 अंक; 250 शब्द)


विस्तृत व्याख्या के लिए

क्यूआर कोड स्कैन करें



चहल एकेडमी द्वारा ब्लू बुक सीरीज

हमारी "ब्लू बुक" सीरीज की पुस्तकें



किसी भी जानकारी या ऑर्डर करने के लिए 9205927650

CHAHAL ACADEMY
(Chahal Academy Pvt. Ltd.)

www.chahalacademy.com
Follow Us

MRP. ₹ 120.00